

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
मार्च, 2023 सत्र

बुधवार, दिनांक 22 मार्च, 2023

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

जल जीवन मिशन के तहत जिला रायपुर में बजट आबंटन तथा जारी कार्यदिश [लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

1. (*क्र. 1687) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2021-22 और 2022-23 में जिला रायपुर हेतु कितनी राशि का बजट आबंटन किया गया? इनमें से कितनी राशि के वर्क आर्डर जारी किये गए थे? विधानसभावार जानकारी दें? (ख) क्या जारी किये गए कितने वर्क आर्डर निरस्त किये गए? यदि हां तो क्यों ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) जिलेवार बजट आबंटन जारी नहीं होता अपितु व्यय हेतु आहरण सीमा जारी की जाती है। रायपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2021-22 में ₹. 8324.00 लाख और वर्ष 2022-23 में (फरवरी 2023 तक) ₹. 17539.60 लाख राशि का आहरण सीमा जारी किया गया। राशि ₹. 46533.55 लाख के वर्क आर्डर जारी किये गये। विधानसभावार कार्यदिश की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जी हां, निरस्त का कारण संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]

रायपुर में सी मार्ट का संचालन एवं व्यय राशि [ग्रामोद्योग]

2. (*क्र. 1504) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में आज दिनांक की स्थिति में कुल कितने सी मार्ट खुल चुके हैं एवम् कितने और खोले जाने की तैयारी है ? ये कहां-कहां खोले जायेंगे एवम् इनको खोले जाने में अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? (ख) क्या यह सत्य है कि रायपुर जिले में सुभाष स्टेडियम तथा नालंदा परिसर में संचालित सी मार्ट का संचालन अवनी आयुर्वेदा प्रा. लि., रायपुर, छत्तीसगढ़ हर्बल, घड़ी चौक, रायपुर नामक निजी संस्था द्वारा किया जा रहा है एवम् इन्हें ही रायपुर में अग्रसेन चौक भेसथान में खोले जाने वाले तीसरे सी मार्ट की भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है? (ग) प्रश्नांक "ख" में उल्लेखित दोनो सी मार्ट में एवम् खोले जाने वाले तीसरे सी मार्ट में कुल कितनी राशि की सामग्री शासन द्वारा क्रय की गई अथवा संचालन करने वाली निजी संस्था द्वारा ? आज दिनांक की स्थिति में यह लाभ में है अथवा हानि में ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) प्रदेश में आज दिनांक की स्थिति में 35 सी मार्ट खोले जा चुके हैं एवं 01 सी मार्ट अग्रसेन भेसथान चौक रायपुर में खोला जा रहा है जिसका आरंभ नहीं हुआ है। सी मार्ट अग्रसेन भेसथान चौक रायपुर में खोले जाने वाले तथा पूर्व में रायपुर स्थित सी मार्ट में अब तक व्यय की गई राशि की जानकारी संलग्न प्रपत्र अ अनुसार है। (ख) जी हां (ग) प्रश्नांश "ख" में उल्लेखित दोनों सी मार्ट में एवं खोले जाने वाले तीसरे सी मार्ट में कुल कितनी राशि का सामग्री शासन द्वारा क्रय की गई अथवा संचालन करने वाली निजी संस्था द्वारा तथा आज दिनांक की स्थिति में यह लाभ में है अथवा हानि की जानकारी संलग्न प्रपत्र ब अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

वन मण्डल कटघोरा अंतर्गत जनहानि, जनघायल पशुहानि, फसलहानि प्रकरणों में मुआवजा भुगतान
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

3. (*क्र. 1276) श्री मोहित राम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वनमण्डल कटघोरा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 15.2.2023 तक हाथियों द्वारा जनहानि, जनघायल, पशुहानि, फसल हानि के कितने प्रकरण मुआवजा राशि भुगतान हेतु लंबित हैं? (ख) लंबित मुआवजा राशि का भुगतान प्रभावितों को कब तक हो जायेगा? (ग) क्या मुआवजा राशियों में बढ़ोत्तरी प्रस्तावित है? यदि हाँ तो कब तक बढ़ोत्तरी की जायेगी।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) कोई भी प्रकरण भुगतान हेतु लंबित नहीं है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अचानकमार टाइगर रिजर्व हेतु ग्राम खुड़िया में प्रवेश द्वार खोला जाना
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

4. (*क्र. 1591) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि मुंगेली जिला अंतर्गत अचानकमार टाइगर रिजर्व अवस्थित है? (ख) क्या कंडिका "क" के टाइगर रिजर्व के लिए प्रवेश द्वार ग्राम खुड़िया में खोला जाना प्रस्तावित है? हां तो कब तक खोला जाएगा, नहीं तो क्यों?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) अचानकमार टाइगर रिजर्व मुंगेली तथा बिलासपुर जिला अंतर्गत अवस्थित है। (ख) जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता, आवश्यकता नहीं है।

वन वृत्त बिलासपुर अंतर्गत अनियमितता व भ्रष्टाचार
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

5. (*क्र. 1619) श्री धरम लाल कौशिक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सही है कि मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त के आदेश पर अक्टूबर, 2021 में आमागुडा, भालुमुडा एवं परिक्षेत्र बेलगहना के अंतर्गत अनियमितता एवं अन्य के संबंध में जांच समिति का गठन किया गया था तथा मार्च, 2022 में उप वनमण्डलाधिकारी, कोटा के द्वारा जांच प्रतिवेदन वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर को प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां तो उक्त जांच में कौन दोषी पाया गया व क्या अनियमितता पाई गई ? (ख) क्या यह सही है कि विधानसभा में मंत्री जी द्वारा इस प्रकरण में विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों को निलंबित व नोटिस देने की घोषणा की थी ? यदि हां तो किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों को निलंबित किया गया व नोटिस दिया गया तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी हाँ। जांच में श्री विजय कुमार साहू, वनक्षेत्रपाल तत्कालीन परिक्षेत्र अधिकारी बेलगहना, श्री सेवक राम बैगा, उप वनक्षेत्रपाल, तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक टेंगनमाड़ा, श्री मोहम्मद शमीम, वनपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक बेलगहना, श्री हितकुमार ध्रुव, वनरक्षक तत्कालीन परिसर रक्षक नवागांव, श्री मुलेश कुमार जोशी वनरक्षक तत्कालीन परिसर रक्षक छुईया दोषी पाये गये थे। पाई गई अनियमितताओं का विवरण संलग्न प्रपत्र-अ में है। (ख) जी हाँ। विवरण संलग्न प्रपत्र - ब में है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]

प्रदेश में बिजली बिल भुगतान हेतु शेष राशि
[ऊर्जा]

6. (*क्र. 1527) श्री अरुण वोरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कुल कितने बिजली उपभोक्ता है? पिछले 03 वित्तीय वर्षों के अंत में बिजली बिल की कितनी राशि भुगतान हेतु शेष

थी? (ख) पिछले 03 वित्तीय वर्षों के अंत में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के कुल कितनी राशि के बिजली बिल कितने सरकारी विभागों एवं कितने नगरीय निकायों के द्वारा भुगतान हेतु शेष थी ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रदेश में वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के विभिन्न श्रेणी के 61,24,576 विद्युत उपभोक्ता हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं से राशि रूपये 3,042.10 करोड़ भुगतान हेतु शेष थी, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़कर रूपये 3,921.88 करोड़ एवं 2021-22 में बढ़कर रूपये 4,298.71 करोड़ हो गई है। (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में कुल 32 सरकारी विभागों (नगरीय निकायों को छोड़कर) पर राशि रूपये 386.02 करोड़ की राशि भुगतान हेतु शेष थी, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़कर रूपये 675.15 करोड़ तथा 2021-22 में बढ़कर रूपये 628.03 करोड़ हो गई है। इसके अतिरिक्त 170 नगरीय निकायों पर वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में राशि रूपये 172.85 करोड़ भुगतान हेतु शेष थी, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़कर रूपये 426.44 करोड़ एवं 2021-22 में बढ़कर रूपये 473.67 करोड़ हो गई है।

विमानन विभाग में हुए व्यय

[विमानन]

7. (*क्र. 1581) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ विमानन विभाग द्वारा फरवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 के दौरान शासकीय विमान एवं हेलीकाप्टर तथा चार्टर हेलीकाप्टर एवं विमान सेवा हेतु कितनी राशि खर्च की गई जानकारी देवें ? (ख) छत्तीसगढ़ विमानन विभाग द्वारा क्या पायलट भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को नियुक्ति में वरीयता देने हेतु प्रावधान है ? क्या साक्षात्कार में छत्तीसगढ़ मूलनिवासी के लिए कोई अतिरिक्त अंक सुनिश्चित है, जानकारी देवें। (ग) वर्तमान में राज्य शासन के पास उपलब्ध शासकीय हेलीकाप्टर / विमान की संख्या तथा नियुक्त पायलटों की जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) छत्तीसगढ़ विमानन विभाग द्वारा फरवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 के दौरान शासकीय विमान पर रू 8,01,40,552/- (आठ करोड़ एक लाख चालीस हजार पांच सौ बावन) एवं शासकीय हेलीकाप्टर पर रू 91,25,582/- (इन्क्यानबे लाख पच्चीस हजार पांच सौ बयासी) तथा चार्टर हेलीकाप्टर के लिये रू 61,30,41,143/- (इकसठ करोड़ तीस लाख इकतालीस हजार एक सौ तिरालीस) एवं विमान सेवा हेतु रू 19,57,84,074/- (उन्नीस करोड़ संतावन लाख चौरासी हजार चौहत्तर) खर्च की गई। (ख) छत्तीसगढ़ विमानन विभाग द्वारा पायलट भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी को नियुक्ति में वरीयता देने हेतु साक्षात्कार के लिए कुल निर्धारित 10 अंक में से छत्तीसगढ़ राज्य में किये गये सेवा की समयावधि तथा छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी के आधार पर अधिमान्य अंक निर्धारित किया गया है। जी नहीं। (ग) वर्तमान में राज्य शासन के पास 01 शासकीय विमान बी-200 उपलब्ध है तथा 01 पायलट (हेलीकाप्टर) नियोजित हैं।

जिला बस्तर में कैम्पा मद अंतर्गत किये गये कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

8. (*क्र. 1561) श्री बघेल लखेश्वर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में विगत 03 वर्ष से जिला बस्तर अंतर्गत कैम्पा मद से ए.पी.ओ. चैनलिंग फेसिंग कार्य एवं झरना का संरक्षण संवर्धन हेतु कार्यस्थल एवं स्वीकृत राशि परिक्षेत्रवार बतावे ? (ख) प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में ही कार्यों की अद्यतन स्थिति एवं व्यय राशि बतावें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र में दर्शित है ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चार" \]](#)

वन मार्गों के नवीनीकरण, डामरीकरण, मरम्मत एवं रखरखाव के स्वीकृत कार्य
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

9. (*क्र. 1509) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2020-21 से दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वन विभाग के किन-किन मार्गों के नवीनीकरण, डामरीकरण, मरम्मत एवं रखरखाव के लिए कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? वर्षवार जानकारी दें। **(ख)** कण्डिका 'क' में स्वीकृत कार्य किन-किन फर्म/एजेंसी से कराये जा रहे हैं? इनमें से कौन-कौन से कार्य पूर्ण, अपूर्ण एवं अप्रारंभ स्थिति में हैं?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** स्वीकृत राशि की जानकारी वर्षवार निम्नानुसार है:-

वर्ष	स्वीकृत राशि (रूपये में)			
	नवीनीकरण	डामरीकरण	मरम्मत	रखरखाव
2020-21	3020000	-	846364	-
2021-22	14336000	-	1289680	-
2022-23	-	-	928825	-

विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित है। **(ख)** कंडिका "क" में स्वीकृत कार्य विभाग द्वारा कराए गए है किसी फर्म/एजेंसी से नहीं कराए गये है।। समस्त कार्य पूर्ण हो चुके है ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच" \]](#)

छ.ग.रा.वि.मं. द्वारा गारे पलमा कोल ब्लॉक, रायगढ़ के कोल ट्रांसपोर्टेशन हेतु जारी निविदा
[ऊर्जा]

10. (*क्र. 845) डॉ. रमन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या वर्ष 2022 में छ.ग.रा.वि.मं. द्वारा गारे पलमा कोल ब्लॉक, रायगढ़ के कोल ट्रांसपोर्टेशन हेतु वर्तमान में निविदा जारी की गई है? **(ख)** वर्तमान में जारी निविदा में किस कंपनी को कार्यदिश दिया गया एवं किस दर पर उपरोक्त कार्य का आबंटन किया गया। **(ग)** पूर्व में कोल ट्रांसपोर्टेशन हेतु जारी निविदा में किस कंपनी को कितनी दर पर कार्यदिश जारी किया गया था? **(घ)** निविदा जारी करने से कार्यदिश तक, क्या भण्डार क्रय नियम एवं निविदा प्रक्रिया का पालन किया गया है? यदि नहीं तो जिम्मेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई विवरण दें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** जी हां, वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड (छ.ग.रा.वि.मं. की एक उत्तरवर्ती कम्पनी) के द्वारा गारे पेलमा सेक्टर-III कोयला खदान, रायगढ़ के कोल ट्रांसपोर्टेशन हेतु निविदा जारी की गई है। **(ख)** वर्तमान में दिनांक 03.11.2022 को जारी निविदा में न्यूनतम निविदाकर्ता मेसर्स बार्बरिक प्रोजेक्ट लिमिटेड को घरघोड़ा रेल्वे साइडिंग (40 किमी. दूरी) हेतु रू. 466.00 प्रति मीट्रिक टन एवं राबर्टसन रेल्वे साइडिंग (80 किमी. दूरी) हेतु रू. 683.50 प्रति मीट्रिक टन की दर पर माइन डेवलपर एवं आपरेटर (एम.डी.ओ.) मेसर्स गारे पेलमा- III कोलयरीज लिमिटेड के माध्यम से कार्य का आबंटन किया गया एवं एम.डी.ओ. द्वारा प्रोविजनल आशय पत्र जारी किया गया है। **(ग)** पूर्व में कोल ट्रांसपोर्टेशन हेतु दिनांक 17.11.2020 को जारी निविदा में न्यूनतम निविदाकर्ता मेसर्स जय अम्बे रोड लाइंस प्राइवेट लिमिटेड को घरघोड़ा रेल्वे साइडिंग (40 किमी. दूरी) हेतु रू. 460.00 प्रति मीट्रिक टन एवं राबर्टसन रेल्वे साइडिंग (80 किमी. दूरी) हेतु रू. 675.00 प्रति मीट्रिक टन की दर पर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी के अनुमोदन उपरांत एम.डी.ओ. मेसर्स गारे पेलमा- III कोलयरीज लिमिटेड द्वारा कार्यदिश जारी किया गया था। **(घ)** जी हां। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाये गए भंडार क्रय नियम ऊर्जा विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा ग्राह्य नहीं किये गये है यद्यपि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा सामग्रियों का क्रय एवं कार्य, निविदा प्रक्रिया, डेलीगेशन ऑफ पावर एवं समय-समय पर जारी परिपत्रों के आधार पर निविदा जारी करने से कार्यदिश तक पूर्णतः पालन किया गया है।

अतिरिक्त ट्रांसफार्मर एवं लो वोल्टेज की समस्या [ऊर्जा]

11. (*क्र. 1668) श्री चंदन कश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी, 2021 से 15 फरवरी, 2023 तक किन-किन ग्रामों में, कितने अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की गई है तथा उक्त अवधि में कहां-कहां अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये गये है? **(ख)** क्या कंडिका 'क' के क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है ? यदि हाँ तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापना हेतु एक मात्र मांग ग्राम कुम्हली (कोडरीपारा) से प्राप्त हुई थी। उक्त मांग के परिप्रेक्ष्य में 25 के.व्ही.ए. क्षमता का एक अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिया गया है। **(ख)** उत्तरांश "क" के ग्राम में अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना के उपरांत लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण हो गया है।

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत किये गये कार्य [लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

12. (*क्र. 942) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन अंतर्गत कितने गांव में कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं व कितने गांव में कार्य प्रारंभ हैं? ठेकेदारवार फर्म सहित जानकारी विकासखंडवार प्रदान करें। **(ख)** कंडिका "क" अंतर्गत उपयोग किए जा रहे पाइप व नल आदि सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया है या नहीं? **(ग)** कंडिका "क" अंतर्गत पूर्ण किए गए कार्यों के अंतिम भुगतान के पूर्व निर्मित पानी टंकी से गांव में जलापूर्ति की गई या नहीं, जानकारी प्रदान करें? यदि हां तो कितने गांव में जल आपूर्ति प्रारंभ है, यदि नहीं तो जलापूर्ति नहीं किए जाने के क्या कारण है? **(घ)** प्रश्न "ग" के तारतम्य में यह जानकारी प्रदान करें कि जल जीवन मिशन के तहत सड़क की खुदाई करके पाइपलाइन बिछायी गयी है, जिसको कितने फर्म के द्वारा सड़क बना कर दिए जाने के उपरांत भुगतान किया गया व कितने फर्म का भुगतान बिना सड़क बनाए ही कर दिया गया है, कारण सहित फर्मवार, विकासखंडवार जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन अंतर्गत 19 ग्रामों में कार्य पूर्ण (ट्रायल रन प्रगतिरत) व 262 ग्रामों में कार्य प्रगतिरत है। ठेकेदारवार फर्म सहित विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** कंडिका "क" अंतर्गत उपयोग किये जा रहे पाइप व नल आदि सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया है। **(ग)** पूर्ण कार्यों का अंतिम भुगतान के पूर्व निर्मित पानी टंकी से गांव में जलापूर्ति की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। **(घ)** प्रश्न "ग" के अंतर्गत पूर्ण कार्यों का अंतिम भुगतान अभी नहीं किया गया है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

प्रदेश में नल कनेक्शन प्रदाय [लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

13. (*क्र. 1731) श्री शिवरतन शर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कितने परिवारों को घर तक नल कनेक्शन देने का लक्ष्य शासन का है? 28 फरवरी, 2023 तक कितने परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है तथा लक्ष्य के विरुद्ध कितना कनेक्शन प्रदान करना शेष है? **(ख)** जल जीवन मिशन के कार्य को कब तक पूर्ण करने का केन्द्र शासन द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य, 28 फरवरी, 2023 तक प्रदाय घरेलू नल कनेक्शन एवं लक्ष्य के विरुद्ध शेष घरेलू नल कनेक्शन की जिलेवार जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। **(ख)** जल जीवन मिशन के कार्य को वर्ष 2024 तक पूर्ण करने का केन्द्र शासन द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छः"]

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में कैम्पा मद से स्वीकृत कार्य

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

14. (*क्र. 1693) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 15.02.2023 तक राज्य कैम्पा योजना से किन-किन कार्यों के लिए, कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ? स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं? जानकारी दीजिए ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : 324 कार्यों हेतु कुल राशि रू. 2884.935 लाख की स्वीकृति दी गयी है। 205 कार्य पूर्ण एवं 119 कार्य अपूर्ण है। वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र अनुसार है।**

राजनांदगांव एवं खैरागढ़ वन मंडल में संविदा /दैनिक वेतन भोगी ,श्रमिक/ कर्मचारियों का नियमितीकरण

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

15. (*क्र. 1723) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2020 से फरवरी, 2023 तक राजनांदगांव एवं खैरागढ़ वन मंडल अंतर्गत विभागीय कार्य हेतु कुल कितने संविदा कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी एवं कलेक्टर दर पर श्रमिक नियोजित किए गए हैं ? परिक्षेत्र वार संविदा कलेक्टर दर पर एवं दैनिक वेतन भोगी पर कार्यरत श्रमिकों की संख्यात्मक जानकारी प्रदान करें। **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" के अनुसार नियोजित श्रमिकों में से वर्तमान में कुछ श्रमिक न्यायालय के आदेश पर कार्यरत हैं ? यदि हां तो कितने श्रमिक कब से कार्यरत हैं ? **(ग)** प्रश्नांश "क" एवं "ख" के अनुसार नियुक्त /रखे गए श्रमिकों/ कर्मचारियों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं एवं इनके नियमितीकरण हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** दिनांक 29.03.2022 से राजनांदगांव वनमंडल के उत्तर मानपुर परिक्षेत्र में 01 श्रमिक को माननीय श्रम न्यायालय के आदेश के परिपालन में विभागीय कार्य हेतु कलेक्टर दर पर नियोजित किया गया है। **(ख)** इसके अतिरिक्त संविदा या दैनिक वेतन भोगी पर कोई नियोजित नहीं है। **(ग)** कलेक्टर दर पर पारिश्रमिक भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 12-1/2019/1-3, दिनांक 11 दिसम्बर 2019 द्वारा अनियमित कर्मचारियों/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में विभिन्न कर्मचारी संघों द्वारा की गई मांग का परीक्षण करने हेतु प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।

हसदेव क्षेत्र में वृक्षों की कटाई

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

16. (*क्र. 1603) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** हसदेव क्षेत्र का इलाका क्या संविधान की पांचवी अनुसूची, 1966 के पेसा कानून और 2006 के वन अधिकार कानून के तहत आता है? इस क्षेत्र में खनन के लिए वर्ष 2021-22 से 15.02.2023 तक कितने वृक्षों की कटाई हुई है? **(ख)** हसदेव क्षेत्र में जनवरी 2019 के पहले कितने वनाधिकार पट्टे जारी किये गए थे? इनमें से कितने वनाधिकार पट्टे निरस्त किये गए हैं? **(ग)** हसदेव क्षेत्र क्या "नो गो" एरिया में आता है या उसे "गो" एरिया में परिवर्तित कर दिया गया है?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** हसदेव क्षेत्र के नाम से कोई वन क्षेत्र अधिसूचित नहीं है। अतः प्रश्न का शेषांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** प्रश्नांश "क" के आलोक में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** हसदेव क्षेत्र के नाम से कोई वन क्षेत्र अधिसूचित नहीं है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

धमतरी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई, खपत एवं के.वी.ए. के सब स्टेशन
[ऊर्जा]

17. (*क्र. 1543) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धमतरी विधान सभा क्षेत्र में क्या विद्युत की खपत के अनुसार पर्याप्त विद्युत सप्लाई की जा रही है ? यदि नहीं तो पर्याप्त सप्लाई के लिए एवं लो-वोल्टेज से मुक्ति हेतु विभाग के द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? **(ख)** क्या धमतरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत 03 वर्षों में कितने कितने के.वी.ए. के सब स्टेशन स्थापना हेतु किन-किन स्थानों में विद्युत विभाग को मांग पत्र प्राप्त हुए? उक्त अवधि में कितने सब स्टेशनों की स्वीकृति प्रदान की गई है? उनमें से कितने कार्य प्रारंभ हुए हैं कितने अप्रारंभ है? प्रारंभ कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे एवं अप्रारंभ कार्य कब तक प्रारंभ किये जायेंगे व पूर्ण करने हेतु तिथि क्या निर्धारित की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** जी हाँ। धमतरी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत की खपत के अनुसार पर्याप्त विद्युत सप्लाई की जा रही है। अतः शेष कार्यवाही का प्रश्न उद्भूत नहीं होता। **(ख)** धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में ग्राम-अर्जुनी में 132/33 के.व्ही. सब स्टेशन निर्माण हेतु मांग पत्र प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा विद्युत सप्लाई को सुदृढ़ करने हेतु ग्राम अर्जुनी में 132/33 के.व्ही. सब स्टेशन के निर्माण किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। 132/33 के.व्ही. सब स्टेशन निर्माण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। सामान्यता 132/33 के.व्ही. सब स्टेशन निर्माण हेतु निविदा शर्तों के अनुरूप 18 महीने का समय प्रावधानित रहती है। विगत तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा धमतरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बोड़रा में स्थित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र में 3150 के.व्ही.ए. का अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगाया गया तथा ग्राम हरफतराई में स्थित 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र में स्थापित 02 नग 3150 के.व्ही.ए. पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कर 5000 के.व्ही.ए. क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए गए। इसी तरह ग्राम गोकुलपुर तथा अरौद स्थित उपकेन्द्र में स्थापित 3150 के.व्ही. पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कर 5000 के.व्ही.ए. का ट्रांसफार्मर लगाया गया। उक्त के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा धमतरी विधानसभा क्षेत्र में भविष्य में विद्युत की बढ़ती मांग एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए ग्राम सोरिद एवं दोनर में 3150 के.व्ही.ए. क्षमता के 33/11 के.व्ही. नये सब स्टेशन का निर्माण मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना (वर्ष 2022-23) के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है। जिसका भूमि आबंटन की कार्यवाही एवं निविदा प्रक्रियाधीन है।

किसानों के कृषि पम्प कनेक्शन में बिजली कटौती व बिल वसूली विषयक

[ऊर्जा]

18. (*क्र. 1617) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या छ.ग. में किसानों के कृषि पम्प कनेक्शन में बिजली कटौती की जा रही है ? यदि हां तो कितने घण्टे कटौती की जा रही है और क्यों की जा रही है ? जिलेवार जानकारी दें। **(ख)** क्या किसानों के कृषि पम्प कनेक्शन के बिजली बिल की वसूली की जा रही है ? **(ग)** किसानों के कृषि पम्प कार्य हेतु कितने स्थाई कनेक्शन देना बाकी है ? जिलेवार संख्यावार जानकारी दें।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** जी नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्देशानुसार राज्य में स्थापित केवल पंप कनेक्शनों के 11 के.व्ही. फीडरों को 18 घंटे नियमित विद्युत प्रदान किये जाने के निर्देश हैं। शेष कृषि पंपों जो कि 11 के.व्ही. ग्रामीण अथवा नगर के फीडर से संयोजित हैं, को चौबीस घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। **(ख)** जी हाँ। स्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं को कृषक जीवन ज्योति योजना में कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय योजनांतर्गत कृषकों के सर्ग के आधार पर छूट प्रदान की जाती है जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को उनके कृषि पंपों के सम्पूर्ण विद्युत खपत पर निःशुल्क बिजली प्रदाय की जाती है तथा अन्य कृषकों को 03 हार्सपावर क्षमता तक के कृषि पम्प कनेक्शनों पर 6000 यूनिट तक प्रतिवर्ष एवं 03 से 05 हार्सपावर तक के कृषि पम्पों पर 7500 यूनिट तक प्रतिवर्ष निः शुल्क बिजली प्रदाय की जाती है। जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनी को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टेरिफ के अनुसार की जाती है तथा पंप की क्षमता के आधार पर 6000/7500 यूनिट से अधिक खपत की गई

बिजली हेतु बिजली बिलों का भुगतान कृषकों के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टेरिफ के अनुसार की जाती है।

कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत कृषकों को फ्लैट रेट योजना का विकल्प भी प्रदान किया गया है जिसमें प्रतिमाह प्रति हार्सपॉवर निर्धारित दरों का भुगतान किये जाने पर कृषि पंपों द्वारा की गई सम्पूर्ण खपत निःशुल्क हो जाती है। फ्लैट रेट योजना का लाभ लेने वाले कृषकों हेतु 05 हार्सपॉवर तक के प्रथम कृषि पंप- रूपये 100 प्रति हार्सपॉवर प्रतिमाह, 05 हार्सपॉवर तक के द्वितीय पंप तथा 05 हार्सपॉवर से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पंप पर- रूपये 200 प्रति हार्सपॉवर प्रतिमाह, 05 हार्सपॉवर तक के एवं 05 हार्सपॉवर से अधिक क्षमता के तृतीय एवं अन्य पंप पर रूपये 300 प्रति हार्सपॉवर प्रतिमाह निर्धारित दर है। कृषक जीवन ज्योति योजना में स्थायी कृषि पंप कनेक्शन हेतु प्राप्त निःशुल्क विद्युत की पात्रता के अनुरूप पात्रताधारित अस्थायी कृषि पंप उपभोक्ताओं को भी अस्थायी कनेक्शन की अवधि के लिए समानुपात में निःशुल्क विद्युत की सुविधा प्राप्त है अर्थात् 3 हार्सपॉवर क्षमता एवं 3 से 5 हार्सपॉवर क्षमता के कृषि पंप कनेक्शन के पात्र उपभोक्ताओं को क्रमशः 500 यूनिट तथा 625 यूनिट विद्युत प्रतिमाह निःशुल्क विद्युत प्राप्त होगी। (ग) प्रदेश में दिनांक 28.02.2023 की स्थिति में कृषि पंप के स्थायी कनेक्शन हेतु 47,435 औपचारिकतापूर्ण आवेदन लंबित हैं। जिलेवार संख्या की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सात" \]](#)

रायगढ़/धरमजयगढ़ वन मंडल क्षेत्र अंतर्गत हाथियों के उत्पात से हुई जन धन हानि पर प्रदत्त मुआवजा
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

19. (*क्र. 1502) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) रायगढ़/धरमजयगढ़ वन मंडल में जंगली हाथियों द्वारा वर्ष 2021 से 31 जनवरी, 2023 तक कितनी जनहानि पहुँचायी गयी है, मृत व्यक्ति के नाम सहित जानकारी देवे ? (ख) कितना मुआवजा प्रदान किया गया है ? कितनों को मुआवजा प्रदान किया जाना शेष है ? (ग) कब तक शेष को मुआवजा प्रदान कर दिया जायेगा ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) 22 जनहानि हुई। जानकारी **संलग्न प्रपत्र में दर्शित है**। (ख) प्रश्न अवधि में जनहानि के कुल दर्ज 21 प्रकरणों में कुल 1,26,25,000/- रूपये का मुआवजा भुगतान किया गया है। एक प्रकरण में रूपये 5,75,000/- मुआवजा भुगतान किया जाना शेष है, विस्तृत विवरण **संलग्न प्रपत्र में दर्शित है**। (ग) एक प्रकरण में मृतक के विधिक वारिसान नहीं होने से भुगतान नहीं किया जा सका। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - आठ" \]](#)

दिल्ली स्थित राज्य सरकार के आवासीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का प्रमोशन
[सामान्य प्रशासन]

20. (*क्र. 202) श्री सौरभ सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) दिल्ली स्थित राज्य सरकार के आवासीय कार्यालयों में कितने कर्मचारी, किस-किस पद पर कब से कार्यरत हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) दिल्ली स्थित राज्य सरकार के आवासीय कार्यालय, आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली में 42 कर्मचारी, कार्यरत है, विस्तृत जानकारी **संलग्न "प्रपत्र" अनुसार है**।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - नौ" \]](#)

राजनांदगांव वन मंडल में पर्यावरण वानिकी योजना व केम्पा के तहत सड़क निर्माण एवं पार्क उन्नयन कार्य की जानकारी
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

21. (*क्र. 1651) श्री दलेश्वर साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या वर्ष 2020-21 से 15.02.2023 तक राजनांदगांव एवं खैरागढ़ वन मंडल में पर्यावरण वानिकी योजना व केम्पा के तहत सड़क निर्माण एवं पार्क उन्नयन कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि हाँ तो वन परिक्षेत्र खुज्जी, राजनांदगांव, दक्षिण एवं उत्तर बोरतालाव में कौन कौन से कार्यों हेतु, कितनी राशि जारी की गयी है ? उक्त कार्यों में कितने कार्य वर्तमान तक अप्रारम्भ हैं, अप्रारम्भ का क्या कारण है? और कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? जिन कार्यों को प्रारम्भ नहीं किया गया क्या उसकी राशि सुरक्षित है? वर्षवार, कार्यवार व्यय, मदवार व्यय, कार्य पूर्ण, अपूर्ण की अद्यतन जानकारी दें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जी हां। वन परिक्षेत्र खुज्जी, राजनांदगांव, दक्षिण एवं उत्तर बोरतालाव में **संलग्न प्रपत्र** में दर्शित कार्यों हेतु कुल 4 करोड़ 23 लाख 34 हजार 753 रूपये जारी किए गए हैं। कोई भी कार्य अप्रारंभ नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। वर्षवार कार्यवार, मदवार, व्यय, कार्य पूर्ण, अपूर्ण की अद्यतन जानकारी **संलग्न प्रपत्र** में दर्शित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र एवं तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राही
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

22. (*क्र. 1675) श्री राजमन बेंजाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर जिले में दिनांक 15.02.2023 तक तेंदुपत्ता के संग्रहण हेतु कितने तेंदुपत्ता खरीदी केंद्र (फड़) खोले गये हैं? विकासखंडवार जानकारी बतावें? विभाग द्वारा तेंदुपत्ता खरीदी करने की क्या अवधि निर्धारित की गयी है? **(ख)** शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत जिला बस्तर में वर्ष 2021-22 से दिनांक 15.02.2023 तक कितने हितग्राही लाभान्वित हुए हैं? विकासखंडवार बतावें? पंजीकृत तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को किन-किन स्थिति में कितनी-कितनी सहायता अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाती है? बतावें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** तेंदुपत्ता संग्रहण हेतु 245 खरीदी केन्द्र (फड़) खोलने का निर्णय लिया गया है। विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ में दर्शित है।** तेंदुपत्ता खरीदी करने की अवधि अप्रैल के तृतीय सप्ताह में प्रारंभ होकर जून के प्रथम सप्ताह तक होती है। **(ख)** 17 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं। विकासखंडवार लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब में दर्शित है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत फर्जी जाति प्रमाणपत्रधारी कर्मचारियों/अधिकारियों की जानकारी.
[सामान्य प्रशासन]

23. (*क्र. 1075) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा फर्जी जाति प्रमाणपत्रधारी कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करने संबंधी आदेश/निर्देश/ज्ञापन कब-कब जारी किये गये? इन निर्देशों के पालन में विगत तीन वर्षों में कितने फर्जी जाति प्रमाणपत्रधारी कर्मचारी/अधिकारी की सेवाएं समाप्त की गई? ऐसे कुल कितने कर्मचारी अधिकारी चिन्हित किये गए हैं? **(ख)** शेष अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त न करने के क्या कारण हैं? पृथक-पृथक ब्योरा दें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिला रायगढ़ में संचालित क्रशरों का भंडारण/लायसेंस अवधि
[खनिज साधन]

24. (*क्र. 898) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला रायगढ़ में कितने क्रशर संचालित हैं? क्रशरवार संचालक के नाम, भंडारण/लायसेंस अवधि सहित जानकारी देवें? (ख) भंडारण/लायसेंस अवधि समाप्त हो जाने उपरांत संचालित क्रशरों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है? (ग) प्रश्नांस 'क' अनुसार भंडारण/लायसेंस अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने उपरांत भी वर्तमान में कितने क्रशर संचालित हैं? ऐसे उद्योगों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्रशरवार की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) रायगढ़ जिले में कुल 20 क्रशर संचालित हैं। क्रशरवार संचालक के नाम, भंडारण/लायसेंस अवधि सहित जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। (ख) भंडारण/लायसेंस अवधि समाप्त हो जाने उपरांत क्रेशर का संचालन किए जाने पर दोषी के विरुद्ध, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अनुसार कार्यवाही की जाती है। (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार जिले में कोई क्रशर भंडारण अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त पश्चात् संचालित नहीं है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बारह" \]](#)

प्रदेश में सड़क किनारे वृक्षारोपण पर व्यय राशि
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

25. (*क्र. 1575) डॉ. प्रीतम राम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में सड़क किनारे वर्ष 2021 से दिनांक 31 जनवरी, 2023 तक वृक्षारोपण हेतु कुल कितनी-कितनी राशि किस-किस मद/योजना में स्वीकृत की गई? (ख) कुल कितने-कितने पौधे का रोपण किया जाना था तथा कुल कितने-कितने पौधे रोपित किए गए तथा कुल कितनी राशि व्यय की गई?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) एवं (ख) विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह" \]](#)

भाग-2

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

बिलासपुर संभाग के अंतर्गत बंद हुई खदानों को राखड़ पाटने की अनुमति [आवास एवं पर्यावरण]

1. (क्र. 201) श्री सौरभ सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर संभाग के अंतर्गत किन-किन जिलों में, किन-किन एजेंसी एवं निजी व्यक्तियों की बंद हुई खदानों को राखड़ पाटने की अनुमति प्रदान की गई है ? (ख) उपरोक्त खदानों में किस-किस संयंत्र का राखड़ पाटा गया है ? क्या इस प्रक्रिया में डायरेक्टर जनरल मायनिंग सेफ्टी से अनापत्ति प्राप्त की गई थी यदी हां तो कब ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ? और नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में बंद खदानों में फ्लाई ऐश से भराव हेतु जारी अनुमति की जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 2 एवं 5 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 3 एवं 4 अनुसार है। प्रक्रिया में डायरेक्टर जनरल माईनिंग सेफ्टी से अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रश्न का शेषांश उपस्थित नहीं होता।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"]

लघु वनोपज संग्रहण एवं एमएसपी दर [वन एवं जलवायु परिवर्तन]

2. (क्र. 402) श्री अजय चन्द्राकर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में कितने प्रकार के लघु वनोपज का संग्रहण होता है? इनमें से कितने राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत में आते हैं और कितने संग्रहण केन्द्र हैं? किन-किन वनोपज का, कितना-कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है? वानिकी वर्ष 2020-21 से लेकर वर्ष 2022-23 तक कितनी-कितनी मात्रा में वनोपज का संग्रहण हुआ एवं संग्रहित वनोपज में से राज्य सरकार द्वारा कितनी-कितनी मात्रा में, किस-किस दर पर खरीदी की गयी थी? जानकारी वर्षवार अलग-अलग बतायें? (ख) उक्त वानिकी वर्षों में किन-किन वर्ष में, कितने हितग्राहियों को तेन्दुपत्ता बोनस एवं मेधावी छात्रवृत्ति की कितनी-कितनी राशि वितरण करना था? उनमें से कितने हितग्राहियों को वितरण की जा चुकी है और कितने शेष हैं तथा उसके कारण क्या है और कब तक वितरण कर दी जायेंगी? वर्षवार बतायें? (ग) शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत कितने हितग्राहियों का आवेदन प्राप्त हुआ है? उनमें से कितने को राशि दी जा चुकी है और कितने, किन कारणों से लंबित हैं? व कब तक उनको लाभान्वित कर दिया जायेगा ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रदेश में 68 प्रकार के लघु वनोपजों का संग्रहण किया जाता है। इनमें से केवल 01 लघु वनोपज (तेन्दू पत्ता) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज है, शेष 67 लघु वनोपज अराष्ट्रीयकृत हैं। 10,513 संग्रहण केन्द्र है। लघु वनोपजों के वर्तमान समर्थन मूल्य की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ में दर्शित है। वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में संग्रहित वनोपज की मात्रा एवं संग्रहण जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब में दर्शित है। (ख) वानिकी वर्ष 2020-21 में तेन्दूपत्ता सीजन 2019 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक का कुल 8,36,801 संग्राहकों को राशि रूपये 70.65 करोड़ का वितरण किया जाना था, जिसमें में 8,23,616 हितग्राहियों को राशि रूपये 70.25 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। 13,185 हितग्राहियों को राशि रूपये 0.40 करोड़ का वितरण किया जाना शेष है। वानिकी वर्ष 2021-22 में सीजन 2020 का प्रोत्साहन पारिश्रमिक कुल 4,73,890 संग्राहकों को राशि रूपये 34.21 करोड़ का वितरण किया जाना था, जिसमें में 4,65,048 हितग्राहियों को राशि रूपये 34.10 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। 8,842 हितग्राहियों को राशि रूपये 0.11 करोड़ का वितरण किया जाना शेष है। उक्त वर्षों में शेष होने का कारण यह है कि बहुत से हितग्राहियों के बैंक खाते छ.ग राज्य ग्रामीण बैंक में है, जिसका आई.एफ.एस.सी. कोड में परिवर्तन होने एवं त्रुटिपूर्ण बैंक खाते होने के कारण वितरण किया जाना शेष है। जैसे-जैसे त्रुटिपूर्ण बैंक खातों की सही जानकारी प्राप्त हो रही है, वैसे-वैसे भुगतान किया जा रहा है। वानिकी वर्ष 2022-

23 में सीजन 2021 का प्रोत्साहन पारिश्रमिक का 9,49,944 हितग्राहियों को राशि रूपये 163.64 करोड़ का वितरण यथाशीघ्र किया जावेगा। वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक मेधावी छात्रवृत्ति वितरण की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रं.	वर्ष	हितग्राहियों की संख्या	वितरण योग्य कुल राशि (रू. में)	कुल वितरित राशि (रू. में)	लंबित प्रकरण संख्या	भुगतान हेतु लंबित राशि(रू. में)
1	2	3	4	5	6	7
01	2020-21	2990	81,85,000.00	81,85,000.00	00	0.00
02	2021-22	1535	46,05,000.00	45,90,000.00	05	15,000.00
03	2022-23	2743	75,11,000.00	75,08,000.00	01	3,000.00
योग:-		7268	2,03,01,000.00	2,02,83,000.00	06	18,000.00

मेधावी छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत उक्त वर्षों में 06 प्रकरण त्रुटिपूर्ण बैंक विवरण होने के कारण भुगतान हेतु लंबित है। छात्र/छात्राओं के सही बैंक खाता की जानकारी मांगी गयी है। सही बैंक विवरण प्राप्त होते ही भुगतान किया जायेगा। (ग) 6402 हितग्राहियों का आवेदन प्राप्त हुआ है। उनमें से 4692 हितग्राहियों को भुगतान किया जा चुका है। शेष में से 1458 प्रकरण अंतिम रूप से भुगतान हेतु योग्य पाए गए है, 164 प्रकरण परीक्षाधीन है, तथा 88 प्रकरण त्रुटिपूर्ण/ अपात्र पाए जाने के कारण अस्थायी रूप से अमान्य किए गए है। 1458 प्रकरण जो भुगतान योग्य पाए गए है इनको यथाशीघ्र भुगतान किया जाएगा। परीक्षाधीन तथा अस्थायी रूप से अमान्य प्रकरणों में से भुगतान योग्य पाये जाने पर यथाशीघ्र भुगतान किया जाएगा।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह "\]](#)

कोरबा जिले के ग्राम पुरेनाखार लोटलोता राखड़ डेम में प्रभावित भूस्वामी को मुआवजा और नौकरी प्रदान किया जाना [ऊर्जा]

3. (क्र. 516) श्री ननकी राम कंवर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह बात सही है कि कोरबा जिले के तहसील कटघोरा अंतर्गत ग्राम पुरेनाखार लोटलोता राखड़ डेम के डूबान क्षेत्र में कुछ किसानों की भूमि प्रभावित हुई है, जिनके द्वारा कलेक्टर (जनदर्शन) कोरबा , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा और तहसीलदार कटघोरा सहित छ.ग.रा.वि.म.कोरबा पश्चिम को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर भूस्वामी और उनके परिवार के द्वारा कई वर्षों से पत्र लिखा जा रहा है । **(ख)** क्या यह बात भी सही है कि उक्त राखड़ डेम में स्थित भूमि खसरा नंबर 66/12 ,66/8, 66/11, 66/9, 66/10, 66/15, 66/14 ,66/7 रकबा क्रमशः 0.607 हे.,0.607हे.,0.607 हे.0.466हे.,0.048 हे., 0.048हे., 0.607हे. भूमि अलग - अलग भूस्वामी मोहन, महेत्कातर दास, इतवारसाय, बृजपाल, धरम, मदनलाल,संदीप साहू, सुनती बाई की है, जो राखड़ डेम के डूबान में स्थित हैं ? क्या इस संबंध में तहसीलदार के निर्देश पर जाँच प्रतिवेदन बनाया गया, जिसमें भूमि राखड़ डेम के अंदर होना पाया गया है ? **(ग)** क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय उक्त राखड़ डेम में उक्त खसरे के प्रभावित भूस्वामी या उनके परिजनों को विभाग द्वारा नौकरी और मुआबजा देने हेतु कार्यवाही करने का निर्देश देना चाहेंगे ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** कोरबा जिले में जनरेशन कंपनी के स्थापित हसदेव ताप विद्युत गृह अंतर्गत 210 मेगावॉट क्षमता की अलग-अलग इकाई क्रमांक 3 एवं इकाई क्रमांक 4 हेतु ग्राम लोटलोता में वर्ष 1986 में भू-अर्जन के आधार पर मुआवजा के भुगतान उपरांत राखड़ बांध का निर्माण किया गया। वर्तमान में कोरबा जिले के तहसील कटघोरा अंतर्गत ग्राम पुरेनाखार की भूमि खसरा क्रमांक 66/7, 66/9, 66/10, 66/11 रकबा क्रमशः 0.607 हे., 0.607 हे., 0.466 हे., 0.607 हे. के संबंध में श्री इतवारसाय, श्री धरमलाल, श्री ब्रिजलाल, श्री छत्रपाल,

श्रीमती सुन्तीबाई, श्रीमती कुन्तीबाई के द्वारा जनचौपाल में दिनांक 18.10.2022 एवं 15.11.2022 को कलेक्टर कोरबा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। **(ख)** लोतलोता राखड़ बांध का निर्माण सन् 1986 में किया गया था एवं तत्कालीन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा इस हेतु ग्राम लोतलोता एवं पुरेनाखार के भूप्रभावितों को मुआवजा प्रदान किया गया। प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित खसरा नम्बर में से खसरा क्र. 66/6, 66/8 एवं 66/12 के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला कोरबा के द्वारा उपरोक्त खसरे राखड़ बांध डुबान क्षेत्र में शामिल होने की पुष्टि करते हुए मुआवजा प्रकरण हेतु सेवा शुल्क राशि की मांग तथा खसरा क्र. 66/7, 66/9, 66/10 एवं 66/11 के प्रतिवेदन में लोतलोता राखड़ बांध डुबान क्षेत्र में शामिल होने की पुष्टि करते हुए प्रभावितों को मुआवजा एवं अन्य सुविधा प्रदान करने का लेख किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला कोरबा के प्रतिवेदन के आधार पर उपरोक्त भूखण्डों हेतु भूअर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। **(ग)** उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पेयजल मुहैया कराने के संबंध में

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

4. (क्र. 944) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वनांचल व सुदूर अंचल में बसे ग्रामीणों के लिए किस-किस योजना के तहत पेयजल मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है ? **(ख)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने गांव हैं, जहां अभी तक पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं है और क्यों? विकासखंडवार, ग्रामों की जानकारी प्रदान करें। **(ग)** प्रश्न "ख" के अंतर्गत ऐसे गांवों में बसी आबादी के लिए विभाग द्वारा कब तक और किस योजना के तहत पेयजल की व्यवस्था करने की योजना है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वनांचल एवं सुदूर अंचल में बसे ग्रामीणों के लिए हैण्डपम्प योजना, स्थल जल योजना, नलजल योजना, समूह जल प्रदाय योजना एवं सोलर आधारित नलजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में जल जीवन मिशन अंतर्गत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने का कार्य प्रगतिरत है। **(ख)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था है, किंतु कुछ बसाहटों हेतु पेयजल के साधन बसाहट के बाहर स्थित है जिनकी विकासखण्डवार, ग्रामवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ग)** प्रश्न "ख" के अंतर्गत उल्लेखित बसाहटों में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

सरगुजा वन वृत्त अंतर्गत वन मंडलों के अंतर्गत कैम्पा मद की जानकारी

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

5. (क्र. 1114) डॉ. विनय जायसवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- सरगुजा वृत्त में वन मंडलों के अंतर्गत कैम्पा मद में वर्ष 2020-2021 से वर्ष 2022-23 में 15 फरवरी, 2023 तक राज्य शासन से कुल आवंटित राशि के परिप्रेक्ष्य में परिक्षेत्र वार कराये गये कार्यों की जानकारी, उपरोक्त मद की राशि को नरवा विकास नर्सरी विकास, सड़क, पुल, तालाब, एनीकट, लेनटाना उन्मुलन में वर्ष वार, परिक्षेत्र वार किए गए व्यय राशि की जानकारी देंगे?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जानकारी पुस्तकालय में रखें प्रपत्र अनुसार है।

जल जीवन मिशन जिला कोरिया अंतर्गत किए गए कार्य ?

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

6. (क्र. 1115) डॉ. विनय जायसवाल : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- जिला कोरिया में जल जीवन मिशन जिला कोरिया अंतर्गत ग्राम पंचायतों में ठेकेदार के द्वारा कराये गये कार्य के अनुसार कितने घरों एवं बसाहटों में नल जल योजना का लक्ष्य था, कितना कार्य हुए, कितने शेष हैं और विभाग

के द्वारा ठेकेदार को प्राप्त निविदा आमंत्रण राशि के विरुद्ध कितना भुगतान (पेमेन्ट) किया गया? ग्राम पंचायत वार जानकारी से अवगत करावें।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : जिला कोरिया में जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायतों में ठेकेदारों के द्वारा कराये गये कार्य के अनुसार 1254 बसाहटों में 40967 घरों में नल जल योजना का लक्ष्य था जिसमें से 21656 पूर्ण एवं 19311 शेष है। विभाग के द्वारा ठेकेदारों को प्राप्त निविदा आमंत्रण राशि के विरुद्ध राशि रु. 4873.38 लाख एवं क्रेडा विभाग को राशि रु. 3073.16 लाख का भुगतान किया गया है। विवरण ग्राम पंचायतवार पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है।

रायगढ़ जिले में फ्लाईऐश डंपिंग

[आवास एवं पर्यावरण]

7. (क्र. 1117) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) रायगढ़ जिले में पर्यावरण विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 15 फरवरी, 2023 की स्थिति में किन-किन उद्योगों को कहां-कहां फ्लाईऐश डंपिंग के लिए अनापत्ति जारी की गयी है ? उद्योगवार जानकारी दें ?
(ख) रायगढ़ जिले में किन-किन स्थानों पर अवैध फ्लाईऐश डंपिंग की शिकायत लिखित में प्राप्त हुई है ? प्राप्त शिकायत के तारतम्य में क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?
(ग) क्या दूसरे जिले में स्थित उद्योगों से निकलने वाले फ्लाईऐश की डंपिंग रायगढ़ जिले में किए जाने हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है ? यदि हां तो किन-किन उद्योगों को ?
(घ) ठेकेदारों द्वारा बिना तिरपाल ढंके फ्लाईऐश का परिवहन करने की क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई की गई है?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र - 'अ' अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र - 'ब' अनुसार है। (ग) जी हां। जानकारी संलग्न प्रपत्र - 'स' अनुसार है। (घ) जी हां। जानकारी संलग्न प्रपत्र - 'द' अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

वन मण्डल कटघोरा अंतर्गत निर्माण कार्यों का भुगतान

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

8. (क्र. 1277) श्री मोहित राम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वनमण्डल कटघोरा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 15.2.2023 कैम्पा मद अंतर्गत कराये गए कार्यों की मजदूरी एवं सामग्री भुगतान हेतु शेष लंबित राशि कितनी है? (ख) भुगतान हेतु लंबित राशि का भुगतान कब तक हो जायेगा?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वनमण्डल कटघोरा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 15/02/2023 तक कैम्पा मद अंतर्गत कराये गये कार्यों की मजदूरी एवं सामग्री भुगतान हेतु शेष राशि की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वित्तीय वर्ष	मजदूरी भुगतान (राशि लाख में)	सामग्री भुगतान (राशि लाख में)
1	2021.22	242.06	13.10
2	2022.23 (दिनांक 15.02.2023 तक)	248.57	96.15

(ख) प्रश्नाधीन अवधि में कैम्पा मद अंतर्गत कराये गये कार्यों की मजदूरी एवं सामग्री की लंबित राशि का भुगतान माह अप्रैल 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

**बिलासपुर शहर में उपभोक्ताओं को प्राप्त बिजली बिल कनेक्शन एवं बिजली बिल हाफ योजना की
जानकारी**
[ऊर्जा]

9. (क्र. 1398) श्री शैलेश पांडे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2022 तक बिलासपुर शहर में कितने उपभोक्ताओं को नवीन बिजली कनेक्शन दिया गया, कितने नए ट्रांसफार्मर लगाये गये और बिजली बिल हाफ की योजना का लाभ कितने उपभोक्ताओं को मिला ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2022 तक बिलासपुर शहर में 13,838 उपभोक्ताओं को नवीन बिजली कनेक्शन दिया गया, उक्त अवधि में 236 नए वितरण ट्रांसफार्मर लगाये गये। माह दिसम्बर 2022 की स्थिति में बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत बिलासपुर शहर के कुल 1,19,175 घरेलू उपभोक्ता को छूट का लाभ मिला।

प्रदेश में कृषकों के स्थाई विद्युत पंप कनेक्शन का प्रदाय
[ऊर्जा]

10. (क्र. 1503) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) प्रदेश में वर्ष 2022-23 में कुल कितने कृषकों को सिंचाई हेतु विद्युत पंप कनेक्शन प्रदाय करने का लक्ष्य रखा गया है ? (ख) 1 अप्रैल, 2023 से 31 जनवरी, 2023 तक की अवधि में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं इन्हें कब तक कनेक्शन प्रदान कर दिये जाएँगे ? (ग) दिनांक 31 जनवरी, 2023 की स्थिति में प्रदेश में कृषि सिंचाई पंप के कितने अस्थायी कनेक्शन विद्यमान हैं, कब तक स्थायी कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएँगे, जिलावार जानकारी देवे?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रदेश में वर्ष 2022-23 में कुल 20,550 कृषकों को सिंचाई हेतु विद्युत पंप कनेक्शन प्रदाय करने का लक्ष्य रखा गया है। (ख) 01 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2023 तक नहीं अपितु 01 अप्रैल 2022 से 31 जनवरी 2023 की अवधि में कुल 24,337 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 53 आवेदन निरस्त कर दिये गये। कुल 24,284 (24337-53) आवेदनों में से 2604 स्वीकृति हेतु, कृषकों द्वारा औपचारिकता पूर्ण करने हेतु 7291 आवेदन लंबित थे। प्रश्नाधीन अवधि तक औपचारिकतापूर्ण 14,389 में से 4,355 को विद्यमान लाइन से कनेक्शन प्रदाय किया गया। शेष 10,034 (14389-4355) औपचारिकतापूर्ण आवेदकों के लाइन विस्तार कार्य आगामी वर्ष में संसाधनों की उपलब्धता पर किये जाने के प्रयास हैं। (ग) माह जनवरी 2023 की स्थिति में कुल 1,32,957 कृषि पम्प के अस्थायी कनेक्शन विद्यमान हैं। उपभोक्ता के आवेदन पर अस्थायी कनेक्शन जारी किए जाते हैं। अस्थायी कनेक्शन को स्थायी कनेक्शन में परिवर्तित करने का कोई नियम नहीं है। स्थायी कनेक्शन हेतु आवेदक को पृथक से नया आवेदन जमा करना आवश्यक है। अतः स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन हेतु निर्धारित आवेदन जमा कर औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् वित्तीय संसाधन उपलब्धता के अनुरूप स्थायी कनेक्शन प्रदाय किया जा सकेगा। प्रदेश में दिनांक 31.01.2023 की स्थिति में विद्यमान अस्थायी पंप कनेक्शन की जिलेवार संख्या की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टारह"]

जिला मुख्यालयों में संचालित सी मार्ट में महिला स्व सहायता समूहों की भागीदारी
[ग्रामोद्योग]

11. (क्र. 1505) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या यह सत्य है कि छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन अब तक कुल 32 सी मार्ट खोल चुका है ? यदि हां तो महिला स्व सहायता समूहों को अब तक इनसे क्या लाभ हुआ है विस्तार से बतावें (ख) रायपुर स्थित दो खुल चुके सी मार्ट एवम् एक खोले जा रहे सी मार्ट में महिला स्व सहायता समूहों से कौन कौन से उत्पाद, कुल कितनी-कितनी राशि के क्रय किए गए ? महिला स्व सहायता समूहों के नाम सहित जानकारी दें ? (ग) रायपुर स्थित तीनों सी मार्ट का संचालन एक ही

संस्था को सौंप देने का क्या कारण है ? इस संस्था को इस संचालन के एवज में अब तक शासन कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) जी हां। महिला स्व सहायता समूहों को अब तक इनसे हुए लाभ की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अ** अनुसार है। (ख) रायपुर स्थित दो खुल चुके सी मार्ट एवं एक खोले जा रहे सी मार्ट में महिला स्व सहायता समूहों से क्रय उत्पाद एवं राशि की महिला स्व सहायतावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ब** अनुसार है। (ग) रायपुर स्थित तीनों सी मार्ट में से सुभाष स्टेडियम परिसर रायपुर एवं नालंदा परिसर रायपुर जिला स्तरीय सी मार्ट है। जिसके क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु राज्य शासन द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन एवं समन्वय समिति द्वारा टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से अवनी आयुर्वेदा प्रा० लि० रायपुर को संचालन का कार्य सौंपा गया है तथा नवीन स्थापित अग्रसेन भैसथान चौक सी मार्ट चौक संभाग स्तरीय सी मार्ट है। जिसको छ०ग०राज्य लद्दयु वनोपज संघ रायपुर द्वारा एक नवीन टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से अवनी आयुर्वेदा प्रा० लि० रायपुर को सी मार्ट संचालन का कार्य सौंपा गया है तथा संस्था को संचालन के एवज में अब तक शासन द्वारा कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस" \]](#)

मुंगेली विधानसभा मे नवीन विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना

[ऊर्जा]

12. (क्र. 1510) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को मुंगेली विधानसभा क्षेत्र मे 132/33 के.व्ही. एवं 33/11 के.व्ही. के सब स्टेशन स्थापना हेतु किन-किन स्थानों के लिये मांग पत्र प्राप्त हुआ है? किन- किन स्थानों मे नवीन उपकेन्द्र किया जाना प्रस्तावित है? (ख) क्या उक्त प्रस्तावित स्थानों में नवीन विद्युत उपकेन्द्र की स्वीकृति मिल गई है? यदि नहीं तो किस स्तर पर लंबित है एवं कब तक स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु निरंक आवेदन तथा 33/11 के.व्ही उप केन्द्र निर्माण हेतु दो आवेदन यथा ग्राम देवगांव (कंतेली) तथा पाण्डेय खम्हरिया हेतु प्राप्त हुए है। भविष्य की आवश्यकता एवं विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता हेतु उपरोक्त दोनों स्थानों पर 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त के अतिरिक्त पूर्व में मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में ग्राम भाटा में दिनांक 18.03.2019 तथा ग्राम चमारी में दिनांक 15.01.2020 को 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र का निर्माण किया गया है। (ख) जी हां। उत्तरांश "क" के दोनों ग्रामों यथा देवगांव (कंतेली) एवं पाण्डेय खम्हरिया में नवीन 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन स्थापना हेतु प्रकरण स्वीकृत है। वर्तमान में दोनों उपकेन्द्रों हेतु भूमि आबंटन की कार्यवाही एवं निर्माण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।

जन घोषणा पत्र में की गई घोषणा का क्रियान्वयन

[सामान्य प्रशासन]

13. (क्र. 1513) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या वर्ष 2018 के आत्मसात किये गए जन घोषणा पत्र मे प्रदेश के समस्त विभागों मे संविदा/दैनिक वेतनभोगी/अंशकालिक/मांगसेवी/मानदेय/कलेक्टरदर/समायुक्तदर पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित/पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में नियमितिकरण किये जाने के संबध में घोषणा की गई है यदि हां तो विभागों में उक्त श्रेणी के कितने कितने कर्मचारी वर्तमान मे कार्यरत हैं, विभागवार बतावें? (ख) प्रश्नांश "क" के कर्मचारियों को नियमित/पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप मे नियमितिकरण हेतु किस स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? क्या इस हेतु कोई समिति का गठन किया गया है? यदि हां तो कब एवं उसमें कौन कौन सदस्य हैं? नियमितिकरण की कार्यवाही कब तक पूर्ण की जावेगी?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) नियमितिकरण करने के संबध में शासन द्वारा प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार है।** (ख) अनियमित कर्मचारियों/दैनिक

वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 12-1/2019/1-3, दिनांक 11.12.2019 को प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की गई है-

- 1 प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग -सदस्य
- 2 सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग -सदस्य-सचिव
- 3 सचिव, वित्त विभाग -सदस्य
- 4 सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग -सदस्य
- 5 सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग -सदस्य

समिति की प्रथम बैठक दिनांक 09.01.2020 को आहूत की गई थी, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णय/अनुशंसा अनुसार शासन के समस्त विभाग से अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी चाही गई है। 47 विभागों से प्राप्त हुई है। समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 16.08.2022 को आहूत की गई, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णय/अनुशंसा अनुसार निम्नलिखित पांच बिन्दुओं की जानकारी शासन के समस्त विभागों से निर्धारित प्रपत्र में चाही गई है:-

1. विभागों में पदस्थ अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारी क्या खुले विज्ञापन/भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त हुए हैं?
2. क्या कार्यरत कर्मचारी उक्त पद की निर्धारित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता रखते हैं?
3. कार्यरत कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है क्या वह पद संबंधित विभाग के पद-संरचना/भर्ती नियम में स्वीकृत है?
4. क्या उक्त नियुक्ति में शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग) का पालन किया गया है?
5. अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत व्यक्ति जिस पद पर कार्यरत है, उन्हें वर्तमान में क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा है तथा उन नियमित पदों का वेतनमान क्या है ?

24 विभागों से जानकारी प्राप्त हुई है शेष 22 विभागों से जानकारी अप्राप्त है। समिति द्वारा की गई उपरोक्त अनुशंसानुसार समस्त विभागों से जानकारी प्राप्त न होने के कारण समिति की रिपोर्ट अपेक्षित है। नियमितकरण किये जाने हेतु विधिवत-नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बीस" \]](#)

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

14. (क्र. 1514) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन से स्वीकृत ग्रामों का नाम, अनुबंध राशि, स्वीकृत राशि, कार्य स्वीकृत दिनांक, कार्य प्रारंभ दिनांक, कार्य पूर्णता दिनांक सहित नल जल बंद, चालू की जानकारी देवे।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन से स्वीकृत ग्रामों का नाम, स्वीकृत राशि एवं कार्य स्वीकृत दिनांक का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है तथा अनुबंध राशि कार्य प्रारंभ दिनांक एवं कार्य पूर्णता दिनांक सहित नलजल बंद, चालू की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है।

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जानकारी

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

15. (क्र. 1515) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना में कितने ग्रामों में कार्य स्वीकृत किया गया है? स्वीकृत ग्रामों में कितने ग्रामों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कितने ग्रामों में अपूर्ण है ? कुल व्यय राशि, अपूर्ण होने का कारण सहित जानकारी देवें। **(ख)** कौन- कौन से ग्रामों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई ? शिकायत की जांच में पाया गया और क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) विधानसभा क्षेत्र पामगढ़ अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना में 102 ग्रामों में कार्य स्वीकृत किया गया है विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। स्वीकृत ग्रामों में 09 ग्रामों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 93 ग्रामों में अपूर्ण है। ग्रामवार व्यय राशि एवं अपूर्ण होने का कारण सहित जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। (ख) विकासखंड नवागढ़ के ग्राम मिस्ता, कटौद एवं दुरपा में अनियमितता की शिकायत दिनांक 08 दिसम्बर 2022 को प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर कार्यों की जांच की गई है। जांच में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस" \]](#)

बालोद वनमण्डल के अंतर्गत पेड़ों की अवैध कटाई तथा अवैध परिवहन

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

16. (क्र. 1518) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) वर्ष 2020-21 से 15 फरवरी, 2023 तक बालोद वनमण्डल के अंतर्गत पेड़ों की अवैध कटाई तथा अवैध परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज कर क्या-क्या कार्रवाई की गई? दर्ज प्रकरणों की वर्षवार जानकारी देवें। (ख) कण्डिका 'क' की अवधि में कितनी मात्रा में अवैध कटाई के पेड़ जब्त किये गये? कितने प्रकरणों में कितना अर्थदण्ड वसूल किया गया?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) वर्ष 2020-21 से 15 फरवरी, 2023 तक बालोद वनमण्डल के अंतर्गत पेड़ों की अवैध कटाई के 3169 प्रकरण तथा अवैध परिवहन के 38 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। दर्ज प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र- ब में दर्शित है।** (ख) **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र- ब में दर्शित है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस" \]](#)

लुण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वच्छ पेयजल हेतु संचालित योजनायें

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

17. (क्र. 1576) डॉ. प्रीतम राम : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) लुण्डा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्वच्छ पेयजल की सुविधा हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ? (ख) प्रश्नांक "क" की योजनाओं में वर्ष 2021 से 01 जनवरी, 2023 तक केंद्र पोषित एवं राज्य की योजनाओं में कुल कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई तथा कितने कार्यों में कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार जानकारी देवें? (ग) प्रश्नांक "क" की अवधि में पुराने हैंडपंपों के रखरखाव हेतु कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार जानकारी देवें?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) लुण्डा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत स्वच्छ पेयजल की सुविधा हेतु केन्द्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना, रूर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत नलजल योजना एवं राज्य सरकार की हैण्डपंप योजना संचालित की जा रही है। (ख) प्रश्नांश "क" में उल्लेखित योजनाओं हेतु विधानसभा क्षेत्रवार राशि प्राप्त नहीं होती है, अपितु केन्द्र पोषित जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत जिले हेतु जारी वित्तीय आहरण सीमा अंतर्गत वर्ष 2021 से 1 जनवरी 2023 तक राशि रू. 15318.95 लाख जारी किया गया है एवं केन्द्र पोषित रूर्बन मिशन क्लस्टर ग्राम योजना अंतर्गत उक्त अवधि में राशि रू. 167.04 लाख प्राप्त हुआ है। जिले को राज्य पोषित नलकूप खनन योजना हेतु उक्त अवधि में राशि रू. 771.21 लाख आबंटन जारी किया गया है। लुण्डा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत 344 कार्यों के लिये रु. 3119.40 लाख राशि व्यय की गई है। रूर्बन मिशन योजना कलस्टर ग्राम अन्तर्गत 03 कार्यों के लिये राशि रु. 54.32 लाख की व्यय की गई है। राज्य पोषित योजना के अन्तर्गत 121 नलकूप खनन के लिये रु. 144.69 लाख व्यय हुआ है। वर्षवार व्यय की

जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ग) प्रश्नांश "क" की अवधि में पुराने हैण्डपंपों के रख-रखाव हेतु वर्ष 2021 में रु. 14.887 लाख एवं वर्ष 2022 में रु. 15.912 लाख, कुल राशि 30.799 लाख व्यय किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"\]](#)

खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति व किया गया भुगतान

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

18. (क्र. 1582) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या खैरागढ़ वन मंडल अन्तर्गत उप वन मंडल, डोंगरगढ़ के उत्तर बोर तलाव रेंज में वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 में वन कूपों में विदोहन उपरांत सहायक पुनरोत्पादन / वनवर्धनिक कार्य, भिरा सफाई कार्य (बांस) ए. एन.आर. कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई हैं? **(ख)** यदि हां तो किस बैंक से कितनी राशि का भुगतान किया गया एवम् कितने मजदूर ने कार्य किया?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** वर्ष 2021-22 में स्वीकृति प्रदान की गई है। **(ख)** वर्ष 2021-22 में किए गए कार्यों हेतु भारतीय स्टेट बैंक शाखा डोंगरगढ़ से राशि 4,27,86,277/- रूपये का भुगतान किया गया है एवं 3751 मजदूरों ने कार्य किया है।

विद्युत लाइन खंभे को व्यवस्थित करने के संदर्भ में जानकारी

[ऊर्जा]

19. (क्र. 1592) श्री धर्मजीत सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि मुंगेली जिला के लोरमी विकासखंड अंतर्गत ग्राम झाफल के हायर सेकेंडरी स्कूल में चारों तरफ खंभे के विद्युत तार को व्यवस्थित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ तो दिनांक 24/02/2023 तक क्या कार्यवाही की गई है, विवरण देवें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : जी हां। विकासखण्ड लोरमी के अंतर्गत ग्राम झाफल के हायर सेकेण्डरी स्कूल परिसर में विद्युत के खम्बों एवं तारों को व्यवस्थित करने हेतु दिनांक 24.02.2023 को कार्यदिश जारी कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अद्यतन स्थिति में 01 नग डीपी का कार्य कर दिया गया है, तथा एलटी लाईन को व्यवस्थित करने का कार्य शेष है। कक्षा 10 वीं तथा 12 वीं के बोर्ड परीक्षा जारी है जिसके कारण विद्युत आपूर्ति बाधित कर कार्य कराना संभव नहीं है। अतः शेष कार्य को परीक्षा के समाप्ति के उपरांत यथाशीघ्र किया जायेगा।

प्रदेश के संविदा और अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण

[सामान्य प्रशासन]

20. (क्र. 1604) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या शासकीय विभागों में कार्यरत संविदा और अनियमित कर्मचारियों को शासन द्वारा नियमित किया जाना है? यदि हाँ तो नियमितीकरण की शासन के पास क्या कार्य योजना है? **(ख)** संविदा और अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण से शासन पर कितना वित्तीय भार आएगा? इन कर्मचारियों का नियमितीकरण कब तक पूर्ण हो जाएगा?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जल जीवन मिशन के कार्यों अंतर्गत अनियमिता की जाँच

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

21. (क्र. 1620) श्री धरम लाल कौशिक : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सही है कि अधीक्षण अभियंता, पीएचई बिलासपुर मण्डल द्वारा पत्र क्रमांक 569 दिनांक 17 फरवरी, 2023 के माध्यम से विभिन्न जिले के कार्यपालन अभियंता पीएचई को कृष्णा पाईप व अन्य से संबंधित

शिकायतों पर जांच प्रतिवेदन मांगा गया है ? यदि हां तो इस संबंध में क्या शिकायतों की गई थी तथा किन-किन जिलों के कार्यपालन अभियंता द्वारा जांच प्रतिवेदन भेजा गया तथा कौन दोषी पाया गया? (ख) बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कितनी शिकायत जल जीवन मिशन के कार्यों के लेकर की गई है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ? प्रकरणवार जानकारी दें। (ग) बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जल जीवन मिशन में कितने कार्य स्वीकृत किये गए जिसमें कितने पूर्ण हैं व कितने अपूर्ण व अप्रारंभ हैं, क्यों ? इनमें कितने व किस प्रकार के कार्य निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी पूर्ण नहीं है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) जी हाँ। इस संबंध में शिकायत की गई थी कि कृष्णा पाईप जो उडिसा राज्य में ब्लैक लिस्ट है उनके द्वारा यहां फैक्ट्री खोलकर ठेकेदारों को कम रेट में खराब गुणवत्ता के पाईपों की सप्लाई किये जाने तथा पाईप निर्माता/ठेकेदारों एवं विभाग के अधिकारियों द्वारा पाईप सप्लाई में भ्रष्टाचार करके गुणवत्ता विहीन कार्य कराये जा रहे है। बिलासपुर मण्डल अंतर्गत कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड बिलासपुर, गौरैला-पेन्द्रा-मरवाही, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ ने जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि कृष्णा पाईप का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। (ख) बिलासपुर संभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर जिला बिलासपुर में 02 एवं जिला जांजगीर-चांपा में 08 शिकायतों की गई है। शिकायतों पर की गई कार्यवाही की प्रकरणवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) बिल्हा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जल जीवन मिशन के कुल 210 कार्य स्वीकृत किये गए है। इनमे से 5 पूर्ण हो चुके है, 192 अपूर्ण है, 06 अप्रारंभ है एवं 07 निविदा प्रक्रियाधीन है। अपूर्ण एवं अप्रारंभ का कारण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। इनमें से 87 कार्य निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी पूर्ण नहीं है।**

छ.ग. में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत उपयोजित पाईप [लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

22. (क्र. 1628) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत किस-किस जिले में गुणवत्ता विहीन पाईप की शिकायत प्राप्त हुई एवं शिकायत के जांच में क्या इन्हें अमानक पाया गया है ? (ख) यदि हाँ तो जिन निर्माता/उत्पादनकर्ता ईकाई के पाईप अमानक पाये गये हैं, उन पर क्या कार्यवाही की गई है, बतायें ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश अंतर्गत जिला जांजगीर-चांपा में गुणवत्ता विहीन पाईप की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच में इन्हे अमानक नहीं पाया गया है। (ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

जनघोषणा पत्र का क्रियान्वयन [सामान्य प्रशासन]

23. (क्र. 1643) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या जनघोषणा पत्र 2018 को सरकार ने आत्मसात किया है ? यदि हाँ तो क्या संविदा, अनियमिति, दैनिक वेतन भोगी का नियमितीकरण, मृत कर्मचारियों के परिवार को अनुकम्पा नियुक्ति इत्यादि की जनघोषणा पत्र के वादे पूरे हुए है ? हाँ तो कब और नहीं तो क्यों ? (ख) कंडिका (क) के घोषणा पत्र के कितने वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, कारण सहित जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जी हां। अनियमित कर्मचारियों/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग का परीक्षण करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 12-1/2019/1-3, दिनांक 11.12.2019 द्वारा प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। नियमितीकरण किये जाने का निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। सेवा काल के दौरान मृत कर्मचारियों के परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति दिया जाना जनघोषणा पत्र 2018 में शामिल नहीं है, तथापि नियमों को शिथिल कर

नियुक्तियां दी गई हैं। (ख) कंडिका (क) के 36 घोषणाओं में से 17 घोषणाएं अपूर्ण हैं। अपूर्ण घोषणाओं की जानकारी व कारण संलग्न प्रपत्र अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस" \]](#)

सुपेबेड़ा में दूषित पानी की समस्या निवारण हेतु कृत घोषण/कार्यवाही [लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

24. (क्र. 1644) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा एवं उससे लगे गांव में पीने का साफ पानी पहुंचाने की कोई घोषणा की गई है ? यदि हां तो कब और कब तक पहुंचाने की बात कही गई थी और अब तक क्या कार्यवाही की गई ? (ख) क्या मान. विभागीय मंत्री जी, मान. स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ वर्ष 2018-19 में सुपेबेड़ा गए थे ? यदि हां तो उन्होंने सुपेबेड़ा के लोगों को क्या आश्वासन दिया था व क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) क्या विभागीय मंत्री के प्रवास के बाद उनकी अनुशंसाओं पर सुपेबेड़ा में पेयजल के लिए कोई योजना स्वीकृति की गई थी ? यदि हां तो कब और कितने की योजना थी ? क्या बाद में पुनः सुपेबेड़ा व उस क्षेत्र के लिए दूसरी कोई योजना स्वीकृत की गई थी, यदि हां तो कब, कितने राशि की, उस पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है ? (घ) क्या मान. मुख्यमंत्री जी ने भी सुपेबेड़ा में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए कोई घोषणा/आश्वासन दिया था ? यदि हां तो कब और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) जी हाँ। दिनांक 02.02.2019 को घोषणा की गयी थी। घोषणा में समय सीमा नहीं थी। घोषणा के परिपालन में सुपेबेड़ा समूह जलप्रदाय योजना स्वीकृत की गयी है एवं निविदा प्रक्रियाधीन है। (ख) जी हाँ। माननीय मंत्री, छ.ग.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं माननीय मंत्री छ.ग.शासन, स्वास्थ्य विभाग दिनांक 02.02.2019 को सुपेबेड़ा गये थे। सुपेबेड़ा प्रवास के दौरान माननीय मंत्री महोदयों द्वारा सुपेबेड़ा समूह जलप्रदाय योजना की घोषणा की गयी थी। घोषणा के परिपालन में सुपेबेड़ा समूह जलप्रदाय योजना स्वीकृत की गयी एवं निविदा प्रक्रियाधीन है। (ग) जी हाँ। दिनांक 23.11.2019 को लागत रू. 1278.29 लाख की राज्य बजट अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई थी। राज्य मद अंतर्गत स्वीकृत सुपेबेड़ा समूह जलप्रदाय योजना की अवयववार निविदा क्रमांक 31, 32 एवं 33 दिनांक 08.04.2020 से आमंत्रित की गई थी। निविदा अंतर्गत वित्त विभाग की टीप "सुपेबेड़ा समूह जलप्रदाय योजना का क्रियान्वयन जल जीवन मिशन अंतर्गत ही होना है। अतः विभाग को सुझाव दिया जाता है कि इस मद के अंतर्गत योजना की पुनः प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करें।" के पालन में जल जीवन मिशन अंतर्गत योजना स्वीकृत कर निविदा आमंत्रित की गयी। जल जीवन मिशन योजना अन्तर्गत सुपेबेड़ा समूह जलप्रदाय योजना की दिनांक 13.08.2021 लागत रुपये 1034.32 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। निविदा क्रमांक-61, दिनांक 24.08.2021 से सुपेबेड़ा समूह जलप्रदाय योजना के कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई थी। जल जीवन मिशन की राज्य स्तरीय स्कीम सेंक्शनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 18.05.2022 में पुनः निविदा आमंत्रण के निर्देश दिये गये। निविदा क्रमांक 94, दिनांक 10.08.2022 द्वारा सुपेबेड़ा समूह जलप्रदाय योजना के कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई है। मिशन संचालक, जल जीवन मिशन की अध्यक्षता में दिनांक 14.10.2022 को आयोजित निविदा समिति द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित किये जाने की अनुशंसा की गयी है। निविदा क्रमांक 132, दिनांक 05.12.2022 द्वारा सुपेबेड़ा समूह जलप्रदाय योजना के कार्यों की आमंत्रित की गई है। निविदा प्रक्रियाधीन है। (घ) जी नहीं।

राजनांदगांव वन मंडल में संयुक्त वन प्रबंधन एवं विकास योजना के तहत स्वीकृत कार्य [वन एवं जलवायु परिवर्तन]

25. (क्र. 1652) श्री दलेश्वर साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या वर्ष 2020-21 से 15.02.2023 तक राजनांदगांव वन मंडल में संयुक्त वन प्रबंधन सुदृढीकरण एवं विकास योजना (6723) या अन्य मद के तहत निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि हां तो वन परिक्षेत्र राजनांदगांव एवं खुज्जी में कौन कौन से कार्यों हेतु, कितनी राशि जारी की गयी है, स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य किस कारण से अपूर्ण/अप्राम्भ है और कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे ? वर्षवार, कार्यवार, राशिवार कार्य पूर्ण, अपूर्ण की अद्यतन जानकारी देंगे?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जी हाँ। जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	परिक्षेत्र	स्वीकृत राशि (रूपये में)
1.	2020-21	राजनांदगांव	15851650
2.		खुज्जी	33751198
योग:-			49602848
1.	2021-22	राजनांदगांव	15851650
2.		खुज्जी	43045611
योग:-			46686611
1.	2022-23	राजनांदगांव	6906650
2.		खुज्जी	5344323
योग:-			12250973
कुल योग:-			108540432

विस्तृत विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस" \]](#)

राजनांदगांव जिले अंतर्गत क्रेशर/पत्थर खदान एवं रेत खनन [खनिज साधन]

26. (क्र. 1659) श्रीमती छत्री चंद्र साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2020-21 से 28 फरवरी 2023 तक किन-किन स्थानों पर क्रेशर/पत्थर खदान एवं रेत खनन हेतु अनुमति प्रदान की गई है ? वर्ष वार विकासखंड वार जानकारी देवें ? (ख) कंडिका "क" के अनुसार अवैध परिवहन के कितने प्रकरण दर्ज किए गए और क्या कार्यवाही की गई ? वर्षवार विकासखंडवार जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिले में वर्ष 2020-21 से 28 फरवरी, 2023 तक जिन स्थानों पर क्रेशर हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति एवं पत्थर तथा रेत खनन हेतु उत्खननपट्टा स्वीकृत किया गया है, कि वर्षवार विकासखंडवार जानकारी "संलग्न प्रपत्र अ" अनुसार है। (ख) कंडिका "क" के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 से 28 फरवरी 2023 तक पत्थर एवं रेत के अवैध परिवहन के कुल 677 प्रकरण दर्ज किया जाकर, समझौता राशि रूपये 1 करोड़ 17 लाख 90 हजार 336/- वसूल किया गया है। वर्षवार विकासखंडवार दर्ज प्रकरणों की जानकारी "संलग्न प्रपत्र ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस" \]](#)

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में जिला खनिज न्यास संस्थान (डी.एम. एफ.) मद की राशि का उपयोग [खनिज साधन]

27. (क्र. 1669) श्री चंदन कश्यप : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला नारायणपुर एवं कोण्डागांव में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 01 फरवरी 2023 तक जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.) मद की बैठक कब कब हुई ? (ख) जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम. एफ.) के अध्यक्ष एवं सदस्य कौन-कौन हैं? (ग) जिला नारायणपुर एवं कोण्डागांव को प्रशंसा "क" की अवधि में जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.) मद में कितनी राशि प्राप्त हुई है ? (घ) प्राप्त राशि से प्रशंसा "क" की अवधि में किन- किन की अनुशंसा पर कार्यों की स्वीकृत प्रदान की गयी है, कार्य का नाम, स्वीकृत राशि सहित बतायें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) जिला नारायणपुर एवं कोण्डागांव में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 01 फरवरी, 2023 तक जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.) मद की बैठक की जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ" अनुसार है। (ख) जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम. एफ.) के अध्यक्ष एवं सदस्यों की

जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब" अनुसार है। (ग) प्रश्नांश "क" की अवधि में नारायणपुर जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.) मद में 113.66 करोड़ रुपये एवं कोण्डागांव जिला खनिज संस्थान न्यास (डी.एम.एफ.) मद में 107.82 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है। (घ) प्राप्त राशि से प्रश्नांश "क" की अवधि में शासी परिषद के अनुमोदन पश्चात कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, कार्य का नाम, स्वीकृत राशि की जानकारी "पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स" अनुसार है।

जिला रायपुर में स्थापित प्रदूषणकारी उद्योग एवं प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतों पर कृत कार्यवाही
[आवास एवं पर्यावरण]

28. (क्र. 1690) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) रायपुर जिले में जनवरी, 2021 से 31 जनवरी 2023 तक कितने उद्योगों के खिलाफ प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, व उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? (ख) प्रश्नांश (क) अंतर्गत किन - किन उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र स्थापित हैं व किन किन उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण यंत्र स्थापित नहीं होने पर क्या -क्या कार्यवाही की गई, विवरण सहित बतावें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 2 एवं 4 अनुसार है। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 3 एवं 4 अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस" \]](#)

चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र बंद नल जल प्रदाय योजना के सुधार कार्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

29. (क्र. 1699) श्री रामकुमार यादव : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 15.02.2023 तक नल जल प्रदाय योजना के कितने कार्य, कहां-कहां कितनी लागत राशि से स्वीकृत किए गए हैं? विवरण दें। (ख) प्रश्न "क" के अनुसार कितने कार्य पूर्ण हैं व अपूर्ण है? विवरण दें। (ग) प्रश्न "क" के अनुसार कार्यों हेतु कितनी राशि का भुगतान अपूर्ण/पूर्ण कार्यों हेतु संबंधित ठेकेदारों को किया गया है? विवरण दें। (घ) क्या कार्य पूर्ण होने पर भी भुगतान लंबित है तो भुगतान कब तक किया जाएगा?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 15.02.2023 तक नल जल प्रदाय योजना के 148 कार्य, 148 ग्रामों में लागत राशि रु. 20520.59 लाख के स्वीकृत किए गए हैं। विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख) प्रश्न "क" के अनुसार 03 कार्य पूर्ण व 95 कार्य अपूर्ण है। विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ग) प्रश्न "क" के अनुसार कार्यों हेतु रु. 2114.08 लाख राशि का भुगतान अपूर्ण/पूर्ण कार्यों हेतु संबंधित ठेकेदारों को किया गया है। विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (घ) जी हाँ। भुगतान की प्रक्रिया में है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत कार्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

30. (क्र. 1700) श्री रामकुमार यादव : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2021 -22 से 15.02.2023 तक जल जीवन मिशन योजना से क्या-क्या कार्य, कहां-कहां, कितनी-कितनी लागत राशि से स्वीकृत किए गए हैं? उन कार्यों की पूर्ण अपूर्ण की जानकारी दें। (ख) प्रश्न "क" के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को निविदा आधार पर किन-किन फर्मों को कार्य करने हेतु अनुबंध किया गया है तथा किन फर्मों को निरस्त किया गया है?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 15.02.2023 तक जल जीवन मिशन योजना से स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य की पूर्ण-अपूर्ण की

जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ख)** प्रश्न "क" के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की निविदा के आधार पर अनुबंधित एवं निरस्त फर्मों की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।**

प्रदेश के किसानों को स्थायी पंप कनेक्शन प्रदाय

[ऊर्जा]

31. (क्र. 1732) श्री शिवरतन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में दिनांक 27 फरवरी, 2023 तक किस-किस जिले में, पंप कनेक्शन हेतु कितने-कितने आवेदन लंबित हैं? कितने लोगों को स्थायी पंप कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है, कितना शेष है ? शेष को कब तक प्रदान कर दिया जावेगा? **(ख)** वर्ष 2021-22, तथा 2022-23 में कितने आवेदनों के विरुद्ध, कितने किसानों को पंप कनेक्शन प्रदान किये गये है? उक्त वर्षों में कितने-कितने आवेदन लंबित रहे, वर्षवार जिलेवार जानकारी प्रदान करें? **(ग)** प्रदेश में ऐसे कितने किसान हैं, जिन्होंने स्थायी पंप कनेक्शन की स्वीकृति पश्चात् राशि (डिमांड राशि) जमा कर दी है ,जिलेवार जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** प्रदेश में दिनांक 28 फरवरी 2023 की स्थिति में स्थायी पम्प हेतु औपचारिकतापूर्ण लंबित आवेदनों की संख्या 47,435 है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 28 फरवरी 2023 तक लाइन विस्तार कर 14,096 तथा विद्यमान लाइन से 5,025 इस प्रकार कुल 19,121 स्थायी पंप कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कृषि पम्प ऊर्जाकरण के निर्धारित लक्ष्य 20,550 के शेष 6,564 (20,550-14,096) को इस वर्ष तथा 40,963 आवेदनों के कार्य आगामी वर्ष में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप किये जाने के प्रयास हैं। जिलेवार एवं वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** वर्ष 2021-22 में प्राप्त औपचारिकतापूर्ण लंबित 40,557 आवेदनों के विरुद्ध 4,913 को तथा 2022-23 में प्राप्त औपचारिकतापूर्ण 16,215 आवेदनों में से 4,355 को कनेक्शन प्रदाय कर दिया गया है। प्रश्नाधीन अवधि में लंबित औपचारिकतापूर्ण पंपों की जिलेवार एवं वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 11 एवं 12 अनुसार है। (ग)** प्रदेश में दिनांक 28 फरवरी 2023 की स्थिति में 47,435 आवेदकों ने स्वीकृति पश्चात् डिमाण्ड राशि जमा कर औपचारिकता पूर्ण कर लिया है। जिलेवार एवं वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 13 अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्टाईस"]

भाग-3**अतारंकित प्रश्नोत्तर****जिला खनिज न्यास संस्थान मद से प्राप्त राशि से किये गये कार्य**
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

1. (क्र. 203) श्री सौरभ सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बिलासपुर संभाग के अंतर्गत किस-किस वन मंडल को किस-किस जिले के जिला खनिज न्यास संस्थान मद से पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 06/02/2023 तक कितनी राशि, किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत हुई है ? **(ख)** उपरोक्त राशि से कितनी लागत से ,क्या-क्या कार्य और खरीदी किस-किस एजेंसी से, किस दर पर की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** कुल रू. 2441.91 लाख विभिन्न कार्यों के लिए स्वीकृत हुई है। विस्तृत विवरण पुस्तकालय में रखें प्रपत्र अनुसार है।**(ख)** विवरण पुस्तकालय में रखें प्रपत्र अनुसार है।

प्रदेश में स्थायी एवं अस्थायी विद्युत पंप कनेक्शन की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति
[ऊर्जा]

2. (क्र. 404) श्री अजय चन्द्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में कितने-कितने स्थायी पंप कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था? इन वर्षों में कितने स्थायी कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त हुये थे? उनमें से कितने को स्थायी पंप कनेक्शन दिया गया? तथा कितने आवेदन कब से लंबित हैं? वर्षवार बतायें? **(ख)** उक्त वित्तीय वर्षों में प्राप्त आवेदन के अनुरूप कितने बजट की जरूरत थी व कितने स्थायी विद्युत पंप कनेक्शन हेतु कितना-कितना बजट प्रावधान किया गया था? उनमें से कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? प्रावधानित बजट की राशि प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु क्या पर्याप्त था ? वर्षवार, जिलावार बतायें? **(ग)** उक्त वित्तीय वर्षों में अस्थायी विद्युत पंप कनेक्शन हेतु के कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं और कितने निराकृत कर दिये गये हैं तथा कितने कब से लंबित हैं?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** प्रश्नाधीन अवधि तक प्रदेश में स्थायी कृषि पंप कनेक्शन के ऊर्जाकरण के लक्ष्य, प्राप्त आवेदन प्रदाय किए गए कनेक्शन तथा लंबित आवेदनों की अवधिवार, वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** पंप ऊर्जाकरण योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान केवल विद्युत लाइन विस्तार वाले कृषि पंपों के लिए होता है। विद्यमान लाइन से कनेक्शन देने के लिए बजट की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्नाधीन अवधि के औपचारिकतापूर्ण विस्तार कार्य हेतु लंबित 71,269 कृषि पंपों हेतु राशि रूपए 603.52 करोड़ प्रावधानित था जो कि प्रश्नाधीन अवधि के उपरोक्त पंपों के कार्य पूर्ण करने के अनुरूप था किन्तु प्रश्नाधीन अवधि के पूर्व के लंबित 32,446 पंपों के कार्य पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता थी। बजट प्रावधान के कुल राशि के विरुद्ध दिनांक 31.01.2023 की स्थिति में 505.74 करोड़ व्यय की जा चुकी है। स्थायी कृषि पंप ऊर्जाकरण हेतु वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 28.02.2023 तक की स्थिति में बजट प्रावधान एवं व्यय राशि की वर्षवार एवं जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश "क" के अवधि में अस्थायी कृषि विद्युत पंप कनेक्शन के लिए वर्ष 2020-21 में 66,105 वर्ष 2021-22 में 65,743 तथा वर्ष 2022-23 में 74,466 इस प्रकार कुल 2,06,314 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से वर्ष 2020-21 के 03 वर्ष 2021-22 के 05 तथा वर्ष 2022-23 के 08 आवेदन इस प्रकार कुल 16 आवेदन निरस्त किए गए। निरस्तीकरण उपरांत शेष 2,06,298 सभी आवेदकों को अस्थायी कृषि पंप प्रदाय कर दिया गया था। लंबित आवेदनों की संख्या निरंक है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस" \]](#)

प्रदेश में विद्युत संयंत्र इकाईयो का बंद होना

[ऊर्जा]

3. (क्र. 405) श्री अजय चन्द्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसंबर 2022 की स्थिति में प्रदेश में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के उपभोक्ताओं द्वारा कुल कितनी यूनिट बिजली की खपत की गई तथा स्टेट सेक्टर के उत्पादन संयंत्रों द्वारा कितना उत्पादन किया गया? बिजली की खपत, उत्पादन की तुलना में कम है तो इसकी पूर्ति कहां-कहां से की जा रही है? इसकी लागत ब्याज सहित प्रति वर्ष कितनी है ? **(ख)** प्रदेश में 01 जनवरी 2019 की स्थिति में स्टेट सेक्टर के कितने विद्युत संयंत्र इकाई किन-किन प्रकार के संचालित थे ? उसकी क्षमता कितनी-कितनी मेगावाट थी ? उनमें से कितने संयंत्रों को, वर्ष 2019 से 7.2.2023 के बीच बंद कर दिया गया है? उसकी क्षमता कितनी थी, व बंद होने का कारण क्या था? **(ख)** क्या प्रश्नांश "ख" में सम्मिलित उक्त बंद हुये संयंत्रों के उपकरणों की नीलामी कर दी गयी है ? यदि हां तो किन-किन उपकरणों किन-किन दरों में, किन शर्तों पर, किन-किन कांटेक्टरों को बेची गयी, उन उपकरणों का मूल्यांकन, किसके द्वारा, किस आधार पर किया गया था ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसम्बर-2022 की स्थिति में प्रदेश में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के उपभोक्ताओं द्वारा कुल 21367.61 मिलियन यूनिट बिजली की खपत की गई तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिसम्बर-2022 की स्थिति में स्टेट सेक्टर के छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के उत्पादन संयंत्रों द्वारा कुल 13393.77 मिलियन यूनिट उत्पादन किया गया है। उक्त अवधि में प्रदेश स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के संयंत्रों से विद्युत उत्पादन की मात्रा कुल बिजली खपत की तुलना में कम होने के कारण इसकी पूर्ति अन्य स्रोत यथा सेंट्रल सेक्टर शेयर, लांग एवं शार्ट टर्म ओपन एक्सेस इंजेक्शन, सेल बी.एस.पी., नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा स्रोतों, पावर एक्सचेंज आदि से क्रय के माध्यम से की गई। प्रदेश में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 में दिसम्बर-22 तक क्रय की गई बिजली की लागत निम्नानुसार है:-

राशि रूपये करोड में

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 में दिस.-22 तक
स्टेट सेक्टर की उत्पादन कंपनी से क्रय की लागत राशि	6892.81	5990.15	5665.73	6170.34	4529.00
अन्य स्रोतों से बिजली क्रय की लागत राशि	5086.66	6435.62	7119.85	8144.41	7210.51
कुल बिजली क्रय की लागत राशि	11979.47	12425.77	12785.58	14314.75	11739.51

(ख) प्रदेश में 01 जनवरी 2019 की स्थिति में स्टेट सेक्टर के ऊर्जा विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के 10 विद्युत संयंत्रों की 23 इकाईयां संचालित थी। प्रकार एवं मेगावाट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र-"अ" अनुसार है।** जिनमें से 2x120 मेगावाट क्षमता की कोरबा ताप विद्युत गृह को 31.12.2020 में (वर्ष 2019 से 07.02.2023 के बीच) बंद कर दिया गया है, उक्त संयंत्र को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नवीनतम पर्यावरणीय मानदंडों के अनुरूप न होने और तकनीकी-वाणिज्यिक कारणों से बंद कर दिया गया है। **(ग)** जी हां। संयंत्र 2x120 मेगावाट कोरबा पूर्व के दोनों इकाईयां एवं कॉमन फेसिलिटी तथा भंडार में रखे उनके स्पेयर का विक्रय उपकरणवार न किये जाकर एक लाट्स में किया गया है, जो कि प्रपत्र-ब के बिन्दु क्रमांक-22 अनुसार है। उक्त उपकरण के विक्रय हेतु रिजर्व प्राईज (न्यूनतम दर) के निर्धारण हेतु जनरेशन कंपनी के द्वारा खुली निविदा के माध्यम से भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स मेकॉन लिमिटेड, रांची का चयन किया गया तथा उक्त फर्म द्वारा उपकरणों के विक्रय

हेतु राशि रूपये 131.46 करोड़ रिजर्व प्राईज (न्यूनतम दर) निर्धारित की गई। जिसे आधार मानकर जनरेशन कंपनी द्वारा खुली निविदा में प्राप्त उच्चतम दर के आधार पर कुल राशि रूपये 172.30 करोड़ में मेसर्स चिनार स्टील सेगमेंट सेंटर प्राईवेट लिमिटेड, कोलकाता को उक्त संयंत्र के स्पेयर पार्ट्स को एक लाट में विक्रय किया गया, विक्रय हेतु जारी निविदा की मुख्य शर्तों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे संलग्न प्रपत्र-"ब"** अनुसार है।

ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा बिना अनुमति के राखड़ डालने की शिकायत पर कृत कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

4. (क्र. 459) श्री सौरभ सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बिलासपुर संभाग के अंतर्गत वर्ष 2021, 2022 व 2023 में दिनांक 06/02/2023 तक किन-किन व्यक्तियों द्वारा, किस-किस ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा बिना अनुमति के कहां-कहां पर राखड़ डालने की शिकायत प्राप्त हुई है ? **(ख)** उपरोक्त शिकायतों पर उपरोक्त दिनांक तक किस-किस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 2,3 एवं 4 अनुसार है। **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 5 अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तीस" \]](#)

छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर अधिकारियों, कर्मचारियों के महंगाई राहत भुगतान की धारा 49 (6) से संबंधित विषय

[वित्त]

5. (क्र. 498) श्री शैलेश पांडे : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धारा 49 (6) के अनुसार पेंशन के अतिरिक्त देय महंगाई राहत के भुगतान हेतु छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश शासन की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों ? **(ख)** धारा 49 को विलोपित किए जाने हेतु शासन द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनरों को देय महंगाई राहत के भुगतान हेतु मध्यप्रदेश शासन की सहमति आवश्यक है। केन्द्रीय शासन द्वारा अधिनियमित मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 49 एवं छठी अनुसूची में पेंशन दायित्व का प्रभाजन संबंधी प्रावधान है। अतः इस प्रावधान अनुसार नवीन दायित्वों के सृजन पर सहमति आवश्यक है। **(ख)** मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 केन्द्रीय शासन द्वारा अधिसूचित अधिनियम है। केन्द्रीय शासन के अधिनियम में कोई संशोधन/विलोपन केन्द्रीय शासन द्वारा ही किया जा सकता है।

जांजगीर चाम्पा जिले में नवीन स्कूल भवन एवं स्कूल भवन मरम्मत के लिए प्राप्त राशि

[खनिज साधन]

6. (क्र. 629) श्री सौरभ सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जांजगीर चाम्पा जिले में पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 15/02/2023 तक जिला खनिज न्यास मद से कहां-कहां पर, कितने नवीन स्कूल भवन एवं स्कूल भवन मरम्मत के निर्माण के लिए कहां-कहां पर, किस-किस शाला में स्वीकृति प्राप्त हुई है ? **(ख)** स्वीकृत कार्य में से कितने कार्य दिनांक 15/02/2023 तक पूर्ण हैं ? कितने कार्य किस कारण से अपूर्ण हैं ? स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य, किस कारण से, निरस्त किये गये हैं ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** जांजगीर चांपा जिले में पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 15/02/2023 तक जिला खनिज न्यास मद से 21 नवीन स्कूल भवन एवं 19 भवन मरम्मत के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्थान एवं शाला की जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। **(ख)** स्वीकृत कार्य में से कुल 17 कार्य दिनांक 15/02/2023 तक पूर्ण है तथा 23 कार्य अपूर्ण है, जो कि प्रगति पर है एवं कोई कार्य निरस्त नहीं किया गया है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस" \]](#)

जल जीवन मिशन के तहत पेयजल एवं नल कनेक्शन
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

7. (क्र. 840) डॉ. रमन सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के कितने गांवों को स्वच्छ पेयजल के लिए नल कनेक्शन दिए गए हैं, जिलेवार बताएं? **(ख)** कितने गांवों में पानी टंकी का निर्माण किया गया है? **(ग)** कौन कौन से गांवों में ग्रामीणों को नलों में पानी मिलना प्रारंभ हो गया है? **(घ)** कितने गांव ऐसे हैं, जहां पाइपलाइन बिछने के बाद नलों में पानी नहीं मिल रहा है? ऐसे गांव में जल की उपलब्धता क्या है? क्या जल संसाधन से पानी लेने कोई समझौता किया गया है? यदि हां तो कब और समझौते की क्या शर्तें हैं, जिलेवार जानकारी दें?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रदेश के 10944 गांवों को स्वच्छ पेयजल के लिए नल कनेक्शन दिए गए हैं। जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** 3598 गांवों में पानी टंकी का निर्माण किया गया है। **(ग)** ग्रामीणों को नलों में पानी मिलना प्रारंभ हो गया है, कि ग्रामवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(घ)** 6619 गांव ऐसे हैं, जहां पाइप लाईन बिछने के बाद नलों में पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामों में जल की उपलब्धता का स्त्रोत, जल संसाधन से जल प्राप्ति हेतु समझौता की स्थिति की जिलेवार, ग्रामवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार** है।

हाथियों द्वारा जनहानि, मकान, फसल क्षति एवं अन्य क्षतिपूर्ति प्रकरणों की संबंध में
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

8. (क्र. 841) डॉ. रमन सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में जनवरी 2020-21से 15.2.2023 तक हाथियों के द्वारा कितनी जनहानि, मकान, फसल क्षति एवं अन्य क्षति के प्रकरण दर्ज किए गए हैं? **(ख)** प्रभावितों को कितनी क्षतिपूर्ति शासन द्वारा दी गई है? **(ग)** क्या आत्मसात किए गए जन घोषणा पत्र में हाथियों की समस्या समाधान करने का उल्लेख किया गया था? अगर हां तो समाधान करने की दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं? क्या समाधान के लिए कोई समिति बनी है, अगर हां तो समिति की कार्यवाही की जानकारी दें? **(घ)** हाथी प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ित परिवारों की सहायता राशि नवंबर 2018 में कितनी थी, क्या उसे विगत चार वर्षों के दौरान बढ़ाया गया है? अगर हां, तो कितनी वृद्धि की गई है?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** प्रदेश में हाथियों द्वारा प्रशांकित अवधि में जनहानि, मकान, फसल क्षति एवं अन्य क्षति के कुल 66,226 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। विस्तृत विवरण वर्षवार वनमण्डलवार **संलग्न प्रपत्र- अ में दर्शित है। (ख)** शासन द्वारा प्रभावितों को रूपये 69,95,91,058/- की क्षतिपूर्ति दिया गया है। विस्तृत विवरण **संलग्न प्रपत्र- अ में दर्शित है। (ग)** जी हाँ। विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब में दर्शित है।** किसी समिति का गठन नहीं किया गया है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** वन्यप्राणी हाथी द्वारा क्षति किये जाने पर सहायता राशि माह नवम्बर, 2018 में निम्नानुसार थी:-

क्रमांक	क्षति का प्रकार	क्षतिपूर्ति राशि (रूपये में)
1	जनहानि	4,00,000/-
2	स्थायी रूप से अपंग होने पर	2,00,000/-
3	जनघायल होने पर	59,100/-
4	फसल क्षति (प्रति एकड़)	9000/-
5	मकान क्षति	1,01,900/-

वन विभाग के आदेश दिनांक 29.06.2019 द्वारा हाथी द्वारा जनहानि किये जाने पर क्षतिपूर्ति राशि रूपये 4.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 6.00 लाख की गई है। जनहानि प्रकरणों में रूपये 2.00 लाख की वृद्धि की गयी है।

[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"]

आदिवासी क्षेत्रों में गौण खनिज उत्खनन एवं बेरोजगार युवकों की समितियों को अनुदान [खनिज साधन]

9. (क्र. 842) डॉ. रमन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या आदिवासी क्षेत्रों में गौण खनिज के उत्खनन और बेरोजगार युवकों की समिति बनाई गई है? **(ख)** अगर हां तो कितनी समितियां बनाई गई हैं और उन समितियों में कितने युवाओं को किन वर्गों का सदस्य बनाया गया है? **(ग)** उन समितियों को कितना-कितना अनुदान दिया गया है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** जी नहीं। खनिज साधन विभाग द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में गौण खनिज के उत्खनन और बेरोजगार युवकों की समिति नहीं बनाई जाती है। अतः जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है। **(ग)** प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण के संबंध में [वित्त]

10. (क्र. 853) डॉ. रमन सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिनांक 1 दिसम्बर 2018 से 01.02.2023 तक छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कितनी कितनी राशि, किन-किन संस्थाओं से, कितनी अवधि के लिये, कितनी ब्याज-दर पर, कर्ज लिया गया है? वर्षवार जानकारी देवें **(ख)** दिनांक 01.02.2023 की स्थिति में राज्य का कुल कर्ज कितना है और राज्य सरकार ने कितनी राशि का ब्याज भुगतान प्रति वर्ष किया है, वर्षवार विवरण देवें? **(ग)** उक्त लिए गए ऋण का उपयोग, किन-किन कार्यों में किया गया और कितनी कितनी राशि व्यय की गयी? **(घ)** प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऋण भार वर्ष नवंबर 2018, की तुलना में फरवरी 2023 में कितना है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** 1 दिसंबर 2018 से 01 फरवरी, 2023 तक सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं से लिये गये ऋण की जानकारी "संलग्न प्रपत्र-अ" अनुसार है। **(ख)** 01 फरवरी 2023 की स्थिति में राज्य पर रू. 82,125 करोड़ का कर्ज है। वर्षवार ब्याज भुगतान की जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है। **(ग)** लिये गये ऋण का उपयोग राज्य के विकास के लिये किया गया है तथा लिये गये ऋण के व्यय हेतु बजट में One to one mapping नहीं किया जाता अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। **(घ)** प्रदेश में प्रति व्यक्ति ऋण भार नवंबर, 2018 में रू. 14,457 रूपये की तुलना में 01 फरवरी 2023 को रू. 27,341 रूपये है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - तैतीस" \]](#)

जल जीवन मिशन के कार्यों का निरीक्षण बाबत [लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

11. (क्र. 946) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला कबीरधाम में जल जीवन मिशन के कार्यों का निरीक्षण एवं योजना की प्रगति की समीक्षा वर्ष 2021-2022 से जनवरी, 2023 तक किन-किन अधिकारियों द्वारा किया गया है? जिले में उक्त योजना के प्रगति की क्या स्थिति है तथा लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, जानकारी प्रदान करें। **(ख)** कंडिका "क" के अंतर्गत योजना में कितना बजट व्यय कर कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है तथा कितना बाकी है, विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें। **(ग)** कंडिका "क" के अंतर्गत योजना में हर घर तक नल पहुंचाने के लिए कितने कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा अब तक कितने कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं, विकासखंडवार जानकारी प्रदान करेंगे?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** जिला कबीरधाम में जल जीवन मिशन के कार्यों का निरीक्षण एवं योजना की प्रगति की समीक्षा वर्ष 2021-2022 से जनवरी 2023 तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, संबंधित कार्यपालन अभियंता, संबंधित सहायक अभियंता एवं संबंधित उप अभियंता द्वारा की गई है। जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 47.11 प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है तथा लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिये संबंधित निर्माण एजेंसियों के कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है। **(ख)** जल जीवन मिशन के तहत जिला कबीरधाम में

जनवरी 2023 तक विकासखंडवार कार्य पूर्णता का प्रतिशत, शेष कार्य का प्रतिशत एवं व्यय राशि की जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार है। (ग) कंडिका 'क' के अंतर्गत योजना में हर घर तक जल पहुंचाने के लिए कबीरधाम जिला को 1,95,335 कनेक्शन का लक्ष्य निर्धारित है जनवरी 2023 तक 92015 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। विकासखंडवार जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौतीस"]

संजारी-बालोद विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किसानों/उपभोक्ताओं को प्रदाय किये गये अस्थायी विद्युत कनेक्शन
[ऊर्जा]

12. (क्र. 954) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-वर्ष 2020-2021 से दिनांक 19 फरवरी, 2023 तक संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने किसानों/उपभोक्ताओं ने अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जाने हेतु विभाग को आवेदन-पत्र दिया था? इनमें से कितने किसानों/उपभोक्ताओं को अस्थायी विद्युत कनेक्शन दिया जा चुका है? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर लिया जावेगा.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : प्रश्नाधीन अवधि तक संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अस्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु कृषि पंप के 1,997 आवेदन तथा अन्य उद्देश्यों के 2,862 आवेदन, इस प्रकार कुल 4,859 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त सभी 4,859 आवेदनों को अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्रदाय कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक आयोग (रेरा) में योजनाओं के विरुद्ध शिकायतों का निराकरण
[आवास एवं पर्यावरण]

13. (क्र. 960) श्री मोहन मरकाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छत्तीसगढ़ भू-सम्पदा विनियामक आयोग (रेरा) में 01, जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2022 तक रायपुर जिले अन्तर्गत किन-किन योजनाओं के विरुद्ध शिकायतों, की गई है ? **(ख)** प्राप्त शिकायतों का निराकरण कितने दिन में किया जाना था, कितने दिनों में किया गया तथा दोषियों पर क्या कार्यवाही की गई ? **(ग)** किन-किन प्रोजेक्ट के ब्रोशर के अनुसार सुविधा उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत हुई है तथा उस पर क्या निर्णय पारित किए गए हैं ? योजनावार ब्यौरा दें।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। **(ख)** भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 29(4) में प्राधिकरण को आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटारा करने का प्रावधान है। औसतन 5 से 6 माह में किया गया। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है। **(ग)** जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार है।

रायगढ़ जिले में खनिज साधनों से प्राप्त आय
[खनिज साधन]

14. (क्र. 1118) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- रायगढ़ जिले में वर्ष 2021-22 से 15.2.2023 तक जिला खनिज न्यास मद (डी.एम.एफ.) में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है? वित्तीय वर्षवार जानकारी दें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : रायगढ़ जिले में वर्ष 2021-22 से दिनांक 15.02.2023 तक जिला खनिज संस्थान न्यास मद में जिले के अनुज्ञाधारी, अनुज्ञप्तिधारी एवं उत्खनन/खनि पट्टाधारियों से रायल्टी का निर्धारित प्रतिशत अंशदान के रूप में प्राप्त हुई है। जिला रायगढ़ में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 62.26 करोड़ एवं 2022-23 में दिनांक 15.02.2023 तक 52.36 करोड़ रूपये प्राप्त हुआ है।

बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा किए गए कार्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

15. (क्र. 1400) श्री शैलेश पांडे : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-1 जनवरी 2020-21 से 31 दिसंबर 2022 तक बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा विभिन्न योजनांतर्गत क्या-क्या कार्य किए गए हैं?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : 1 जनवरी 2020-21 से 31 दिसम्बर 2022 तक बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा विभिन्न योजनांतर्गत किये गये कार्य का विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है ।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैतीस" \]](#)

रायगढ़/धरमजयगढ़ वन मंडल में पुल-पुलिया, सड़क स्टाप डेम निर्माण
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

16. (क्र. 1500) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायगढ़ /धरमजयगढ़ वन मंडल में वर्ष 2021 से 31 जनवरी, 2023 तक कितने पुल -पुलिया, सड़क, स्टापडेम निर्माण वन विभाग द्वारा कराये गये हैं, लागत सहित जानकारी देवे? **(ख)** कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? कौन-कौन से प्रगति पर हैं ,कितने आरंभ हैं ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** एवं **(ख)** जानकारी संलग्न प्रपत्र में दर्शित है ।
[\[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस" \]](#)

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में लो वोल्टेज की समस्या का निराकरण
[ऊर्जा]

17. (क्र. 1501) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने ग्रामों में लो वोल्टेज की समस्या है? कहां कहा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाए गये है ? **(ख)** लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? **(ग)** धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विद्युत विस्तार हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ? प्राप्त आवेदनों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रबी फसल के कारण कृषि पंपों के एकाएक भार बढ़ जाने से तथा 33 केव्ही एवं 11 केव्ही लाइनों की लंबाई अधिक होने के कारण अस्थायी रूप से लो-वोल्टेज की समस्या होती है। वर्तमान में धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 267 ग्रामों में से 92 ग्रामों में लो-वोल्टेज की समस्या है। निम्नदाब विद्युत लाईन की लंबाई अधिक होने के कारण लो-वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए 22 ग्रामों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। ग्रामों में अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना के पूर्ण कार्यों की ग्रामवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** स्थापित 11 केव्ही एवं निम्नदाब लाईन की लंबाई ज्यादा होने के कारण लो-वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु विधानसभा क्षेत्र धरमजयगढ़ के 06 ग्रामों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना हेतु कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 02 नग नवीन 33/11 केव्ही सबस्टेशन, ग्राम- सिसरिंगा एवं टेंडानवापारा में प्रकरण स्वीकृत किया गया है। जिनका कार्य दिसंबर 2023 तक पूर्ण किये जाने के प्रयास है। धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लो-वोल्टेज समस्या के स्थायी निदान हेतु 220/132 केव्ही उच्चदाब सबस्टेशन की स्थापना ग्राम-हाटी में स्वीकृत है तथा भूमि आबंटन अंतिम चरण में है। इस सबस्टेशन के निर्माण उपरांत धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्या का पूर्णतः समाधान हो जायेगा। **(ग)** धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के कनेक्शन के लिए विद्युत विस्तार हेतु 347 आवेदन प्राप्त हुए हैं, प्राप्त आवेदनों में से 340 आवेदन स्वीकृत है जिनमें से 91 कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 256 कार्य प्रगति पर है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस" \]](#)

सी मार्ट संचालन निजी संस्था को देने की प्रक्रिया

[ग्रामोद्योग]

18. (क्र. 1506) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) प्रदेश में खोले गए / खोले जा रहे सी मार्ट के संचालन में रुचि की अभिव्यक्ति इ. ओ. आई के माध्यम से किन किन संस्थाओं को कहां-कहां संचालन की जिम्मेदारी दी गई है? (ख) प्रश्न (क) में चयनित संस्था को इस संचालन के एवज में कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है? क्या यह संस्थान इन सी मार्टों के विद्युत देयक का भी भुगतान करते हैं ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) प्रदेश में खोले गये/खोले जा रहे सी मार्ट के संचालन में रुचि की अभिव्यक्ति इ.ओ.आई. के माध्यम से संस्थाओं को दिये गये संचालन की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।(ख) प्रश्नांश क में चयनित संस्था को इस संचालन के एवज में कोई भुगतान नहीं किया गया है। जी हां यह संस्थान इन सी मार्ट के विद्युत देयक का भी भुगतान करते हैं।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"]

प्रदेश में संचालित सी मार्ट से महिला स्व-सहायता समूहों को लाभ की जानकारी

[ग्रामोद्योग]

19. (क्र. 1507) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) क्या यह सत्य है कि नवंबर, 2022 तक प्रदेश में कुल 32 सी मार्ट खोलने में रूपये 7,17,57,053 व्यय किया गया है ? इन सी मार्टों में नवंबर, 2022 तक कुल राशि रूपये 18,34,95,535 की सामग्री क्रय की गई है एवं कुल राशि रूपये 12,69,14,280 की सामग्री बेची गई है, जिससे कुल राशि रूपये 76,67,224 का लाभ हुआ है ? (ख) यदि प्रश्नांक "क" की जानकारी सत्य है तो इस लाभांश पेटे निजी संस्थाओं को कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) जी हां । (ख) प्रश्नांश "क" की जानकारी अनुसार लाभांश पेटे निजी संस्थाओं को 454867 रूपये का भुगतान किया गया है।

बिजली उत्पादन के लिए प्लांट की स्थापना व विद्युत उत्पादन

[ऊर्जा]

20. (क्र. 1529) श्री अरुण वोरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-प्रदेश में वेस्ट टू वेल्थ स्कीम के तहत छग बाँयो फ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बिजली उत्पादन के लिए किन-किन जिलों में प्लांट की स्थापना की गई है? इसके माध्यम से कुल कितने किलो वॉट बिजली का उत्पादन किया जाएगा?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : प्रदेश में वेस्ट टू वेल्थ स्कीम के तहत छग बाँयो फ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः इस संबंध में जानकारी निरंक है।

छग विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सेंट्रल ग्रिड से खरीदी गई

[ऊर्जा]

21. (क्र. 1530) श्री अरुण वोरा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक बिजली की मांग, उपलब्धता कितनी थी? माहवार जानकारी दें? **(ख)** इसी अवधि में छग विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सेंट्रल ग्रिड से कुल कितने मिलियन यूनिट खरीदी गई? कुल कितना भुगतान किया गया?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रदेश में जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक बिजली की मांग एवं उपलब्धता की माहवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रमांक	माह	मांग (मिलियन यूनिट में)	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)
1	जनवरी-2022	2199	2711
2	फरवरी-2022	2346	2690
3	मार्च-2022	3060	3395
4	अप्रैल-2022	3202	3500
5	मई-2022	2876	3264
6	जून-2022	2664	3001
7	जुलाई-2022	2714	3250
8	अगस्त-2022	2772	3182
9	सितम्बर-2022	2837	3268
10	अक्टूबर-2022	2593	3117
11	नवम्बर-2022	2248	2714
12	दिसम्बर-2022	2617	3038

(ख) उत्तरांश "क" की अवधि में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा सेंट्रल ग्रिड से अनुबंध अन्तर्गत कुल 18,785.74 मिलियन यूनिट विद्युत खरीदी गई एवं कुल राशि रूपये 9,109.86 करोड़ भुगतान किया गया।

गरियाबंद जिलान्तर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत "डी" श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा किए गए कार्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

22. (क्र. 1538) श्री अमितेश शुक्ल : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2022-23 में 15 फरवरी, 2023 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत गरियाबंद जिला में "डी" श्रेणी के कितने पंजीकृत ठेकेदारों से, कितनी राशि के कितने कार्य कराए गए ? ठेकेदारों के नाम सहित विस्तृत विवरण देवें ?
(ख) कंडिका "क" के तहत "डी" श्रेणी के ठेकेदारों की बोली क्षमता (बीड कैपेसिटी) तथा कार्यदिश देने के संबंध में शासन के क्या-क्या दिशा-निर्देश हैं ? क्या शासन निर्देशों का पालन किया गया है ? नहीं, तो क्यों ? शासन निर्देश के प्रति सहित विस्तृत विवरण देवें ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) वर्ष 2022-23 में 15 फरवरी, 2023 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत गरियाबंद जिला में "डी" श्रेणी के 06 पंजीकृत ठेकेदारों से रु. 163.00 लाख के 06 कार्य कराए गये हैं । ठेकेदारों के नाम सहित विस्तृत विवरण **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) कंडिका "क" के तहत "डी" श्रेणी के ठेकेदारों के बोली क्षमता (बीड कैपेसिटी) देने के संबंध में शासन के दिशा निर्देश एवं निविदा शर्तों में निहित प्रावधान संबंधी जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। जी हाँ। शासन के दिशा-निर्देश का पालन किया गया है। अतः प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों एवं निविदा में निहित प्रावधान एवं शर्तों की विस्तृत विवरण **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"]

विद्युत विभाग द्वारा गरियाबंद जिला अंतर्गत पेट्रोलिंग तथा फिल्ड कार्य हेतु व्यय राशि
[ऊर्जा]

23. (क्र. 1539) श्री अमितेश शुक्ल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) वर्ष 2022-23 15 फरवरी, 2023 तक में विद्युत विभाग द्वारा गरियाबंद जिला अंतर्गत पेट्रोलिंग तथा फिल्ड कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि का आबंटन उपलब्ध कराया गया है ? उपलब्ध राशि से कितनी-कितनी राशि के कितने से कार्य कराए गए ? कार्यवार विस्तृत विवरण देवें ?
(ख) कंडिका "क" के तहत पेट्रोलिंग तथा फिल्ड कार्य हेतु कौन-कौन

से वाहन उपयोग किए गए ? वाहनों की व्यवस्था के संबंध में शासन के क्या दिशा-निर्देश हैं ? क्या शासन निर्देशों का पालन किया गया है ? नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) वर्ष 2022-23 में 15 फरवरी 2023 तक छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा गरियाबंद जिले के अंतर्गत पेट्रोलिंग कार्य हेतु राशि रूपए 2,67,17,467 तथा फिल्ड कार्य हेतु राशि रूपए 3,33,70,173 राशि का आबंटन उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध राशि से जर्जर/टूटे पोल बदलने के 504 नग कार्य हेतु राशि रूपए 46,87,457, मीड स्पान पोल लगाने के 359 नग कार्य हेतु राशि रूपए 27,68,247, ट्रांसफार्मर बदलने के 529 नग कार्य हेतु राशि रूपए 1,97,58,097 से एवं मीटर बदलने के 3,577 नग कार्य हेतु राशि रूपए 34,87,560 के कार्य किये गए। पेट्रोलिंग कार्य तथा फिल्ड कार्य हेतु व्यय राशि की कार्यवार विस्तृत **जानकारी क्रमशः संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "ब" अनुसार है। (ख)** कंडिका "क" के तहत पेट्रोलिंग तथा फिल्ड कार्य हेतु पीकअप 407 एवं पीकअप 207 वाहन उपयोग किये गये। कंपनीमें वाहन की व्यवस्था बाह्य स्त्रोत से की जाती है। वाहन की व्यवस्था के संबंध में शासन के दिशा-निर्देश नहीं अपितु छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है। बाह्य स्त्रोत से वाहन के नियोजन हेतु पॉवर कंपनी द्वारा जारी निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना है:-

1. वाहन का नियोजन बाह्य स्त्रोत से एक ड्राइवर के साथ किया जाना है। प्रतिमाह वाहन की न्यूनतम चालन सीमा 1250 किलो मीटर के आधार पर श्रेणीवार वाहनों की प्रतिमाह दर निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विवरण	वाहन की श्रेणी		
		टाईप-1	टाईप-2	टाईप-3
		2.7-3.6 टन क्षमता	1.7-2.2 टन क्षमता	1.0-1.5 टन क्षमता
1	हल्के व्यावसायिक वाहन (पिकअप) के 1250 किलोमीटर हेतु निर्धारित राशि रूपए में	52,800	43,800	38,900
2	वाहन के निर्धारित किलोमीटर से अधिक चलने पर अतिरिक्त राशि रूपए प्रति किलोमीटर	14.20	11.40	09.50

उपरोक्त दर में फ्यूल कॉस्ट, ऑयल, ड्राइवर का वेतन भत्ता इत्यादि तथा गाड़ी की मरम्मत आदि की दर शामिल है तथा जी.एस.टी. की दर अतिरिक्त है।

2. श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित ई.पी.एफ., बोनस तथा ई.एस.आई.सी. की राशि वाहन चालक के नाम से वाहन मालिक के द्वारा जमा की जाती है।

3. नया वाहन 03 वर्षों के लिए नियोजित किये जा सकते हैं तथा पुराने वाहनों के लिए नियोजन की शर्त निम्नानुसार है:-

(अ.) - 03 वर्ष से अधिक अवधि के पुराने वाहन जो 1,00,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हो, को भी 03 वर्ष के लिए नियोजित किया जा सकता है।

(ब.) - 04 वर्ष से अधिक अवधि के पुराने वाहन जो 1,25,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हो, को भी 02 वर्ष के लिए नियोजित किया जा सकता है।

(स.) - 05 वर्ष से अधिक अवधि के पुराने वाहन जो 1,50,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हो, को भी 01 वर्ष के लिए नियोजित किया जा सकता है।

(द.) - 06 वर्ष से अधिक अवधि के पुराने वाहन जो 2,00,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हो, को भी 01 वर्ष के लिए नियोजित किया जा सकता है।

(इ.) - 07 वर्ष से अधिक अवधि के पुराने वाहन जो 2,50,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली हो, को भी 01 वर्ष के लिए नियोजित किया जा सकता है।

4. नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वाहन नियोजन हेतु निर्धारित दर 20 प्रतिशत अधिक होगी।

5. नियोजित किये जाने वाले वाहन की श्रेणी उपयोग के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी।
6. निर्धारित अधिकतम दरों के आधार निविदा जारी की जावेगी एवं एल-1 निविदाकर्ता को वाहन नियोजन हेतु आदेश जारी किया जावेगा। किसी भी स्थिति में निर्धारित अधिकतम दरों से अधिक में वाहन नियोजित नहीं किये जावेंगे।
7. ई.पी.एफ, ई.एस.आई.सी., बोनस, डीजल अथवा ऑयल की दर, ड्राइवर के वेतन भत्ता आदि के परिवर्तन होने से अनुबंधित दरों में भी परिवर्तन होगा।
8. कार्यपालक निदेशक (मा.सं.) डीजल एवं ऑयल की दर तथा श्रमिक दर में परिवर्तन होने पर अधिकतम दरों में प्रत्येक छः माह में परिवर्तन हेतु अधिकृत है।
9. कंपनी नार्म के अनुसार वाहन का संचालन-संधारण किया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]

धमतरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निवेश क्षेत्र धमतरी में लैंड यूज परिवर्तन [आवास एवं पर्यावरण]

24. (क्र. 1540) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) धमतरी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निवेश क्षेत्र धमतरी में 01 अप्रैल 2021 से 30 जनवरी, 2023 तक कुल कितने लैंड यूज परिवर्तन करने के आवेदन प्राप्त हुए हैं? प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदनों को लैंड यूज परिवर्तन का आदेश जारी कर दिया गया है। कितने लंबित हैं एवं कितने आवेदन अमान्य पाये गये? (ख) लैंड यूज में परिवर्तन हेतु कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है? क्या अपूर्ण दस्तावेज एवं नियम विरुद्ध लैंड यूज परिवर्तन की शिकायत प्राप्त हुई है यदि हां तो जानकारी बतावें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में 02 आवेदन प्राप्त हुए हैं। निरंक। 01 आवेदन लंबित एवं 01 अमान्य। (ख) भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, बी-1, पी-2, खसरा नक्शा, ऋण पुस्तिका एवं विक्रय भू-अभिलेख, प्रस्तावित अभिन्यास मानचित्र, सर्वे प्लान, लोकेशन प्लान, गूगल इमेज एवं पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। जी नहीं।

लोकस्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिला धमतरी में राशि आय व्यय एवं बोरखनन के संबंध में [लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

25. (क्र. 1541) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला धमतरी में 01 अप्रैल 2021 से 30 जनवरी 2023 तक किन किन मदों में कितनी राशि प्राप्त हुई? प्राप्त राशि में कितनी राशि व्यय की गयी ? वित्तीय वर्ष में कितनी राशि लेप्स हुई ? वर्षवार जानकारी प्रदान करें? (ख) उक्त अवधि में कुल कितने स्थानों में बोर खनन किये गये? बोर खनन विभागीय मशीन से किया गया या एजेंसी से कराया गया ? एजेंसी का नाम एवं भुगतान की गई राशि की जानकारी देवें? कितने बोर सफल हुए, कितने असफल हुए, बोर खनन में कम से कम कितने फिट गहराई करने का प्रावधान रखा गया था?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिला धमतरी में 01 अप्रैल 2021 से 30 जनवरी 2023 तक जल जीवन मिशन, राज्यमद, नाबार्ड पोषित एवं निक्षेप मदों में रू. 17476.02 लाख प्राप्त हुई है । प्राप्त राशि में से रू. 16711.56 लाख राशि व्यय की गई है एवं रू. 26.82 लाख राशि लेप्स हुई है। वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि, व्यय राशि एवं लेप्स हुई राशि की मदवार, वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। (ख) उक्त अवधि में कुल 629 स्थानों में बोर खनन किये गये है, खनित बोर में से 586 विभागीय मशीन से एवं 43 बोर एजेंसियों के माध्यम से कराया गया है। एजेंसी का नाम एवं भुगतान की गयी राशि की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। उक्त अवधि में कुल खनित 629 बोर में से 491 बोर सफल एवं 138 असफल रहे, बोर खनन में कम से कम प्रावधानित गहराई की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब के कॉलम नं. 7** अनुसार है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"]

भेंट मुलाकात दौरा कार्यक्रम में प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाही
[सामान्य प्रशासन]

26. (क्र. 1555) श्री नारायण चंदेल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "भेंट मुलाकात कार्यक्रम" अब तक कौन-कौन से जिला में संपन्न हो चुका है ? उक्त दौरा में जन सामान्य से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ? कितने का निराकरण कर दिया गया है ? कितने लंबित हैं ? जिलावार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश 'क' की प्राप्त शिकायतों में से कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शिकायत स्थल पर ही निलंबित/बर्खास्त किया गया अथवा कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** अब तक "भेंट मुलाकात कार्यक्रम" आयोजित जिलों की जानकारी एवं उक्त कार्यक्रम में जन सामान्य से प्राप्त शिकायतों एवं उनमें से निराकृत एवं लंबित शिकायतों की संख्या **संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश "क" की प्राप्त शिकायतों में से 02 अधिकारी एवं 04 कर्मचारियों को शिकायत स्थल पर ही निलंबित करने के निर्देश दिए गए। शिकायत स्थल पर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया गया है। कार्यक्रम के दौरान 12 अधिकारी/कर्मचारियों के लिए अन्य कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"]

जिला बस्तर अंतर्गत चित्रकोट मार्ग में बनाये गये आक्सीजन जोन ग्राम टेकामेटा, जिला बस्तर के संबंध में
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

27. (क्र. 1562) श्री बघेल लखेश्वर : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बस्तर अंतर्गत चित्रकोट मार्ग में बनाये गये आक्सीजन जोन ग्राम टेकामेटा, जिला बस्तर के निर्माण से लेकर अब तक किस-किस कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत व व्यय की गयी है ? कृपया बतावें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के परिपेक्ष्य में उक्त स्थल की अद्यतन स्थिति सहित इसके संरक्षण, संवर्धन व सुरक्षा के लिए विभाग के द्वारा क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं ? **(ग)** क्या इस आक्सीजन जोन में लोगो की आवाजाही प्रारंभ है ? कृपया बतावें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** विवरण **संलग्न प्रपत्र में दर्शित है। (ख)** संवर्धन हेतु समय- समय पर पौधारोपण कार्य, पुनरुद्धार कार्य, प्रवेश द्वार निर्माण कार्य, पैगोड़ा निर्माण कार्य, सीमेण्ट कांक्रीट पाथवे निर्माण कार्य तथा संरक्षण हेतु चेनलिंग फेंसिंग कार्य कराया गया है। **(ग)** जी हाँ।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"]

जिला बस्तर में पेयजल व्यवस्था

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

28. (क्र. 1563) श्री बघेल लखेश्वर : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बस्तर में ऐसे कितने हैण्डपंप हैं, जिनका जलस्तर नीचे चले जाने, दूषित पानी निकलने/फ्लोराइड पानी निकलने के कारण उन्हें बंद कर दिया गया है? विकासखण्डवार संख्यात्मक जानकारी दें ? **(ख)** ऐसे प्रभावित ग्राम/क्षेत्रों में लोगों के लिए पेयजल की क्या व्यवस्था है तथा पेयजल आपूर्ति हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** जिला बस्तर में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण कोई हैण्डपंप बंद नहीं किया गया है। फ्लोराइड निकलने के कारण 153 हैण्डपंप को बंद किया गया है। विकासखण्डवार संख्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है-

क्र	विकासखण्ड	फ्लोराइड प्रभावित बंद हैण्डपंप
1	बस्तर	79
2	बकावण्ड	63

3	बास्तानार	4
4	दरभा	7
योग		153

(ख) उक्त प्रभावित ग्राम/क्षेत्रों के लोगों के लिए पेयजल व्यवस्था हेतु हैण्डपम्प, सोलर पंप, नल जल योजना, फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट एवं कोसारटेडा समूह योजना के माध्यम से जल प्रदाय किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन के अंतर्गत उक्त प्रभावित ग्रामों में एकल ग्राम/रेट्रोफिटिंग जल प्रदाय योजना के तहत पेयजल प्रदाय की कार्यवाही की जा रही है।

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में हर घर पेयजल योजनान्तर्गत प्रदायित कनेक्शन [लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

29. (क्र. 1568) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2019 से फरवरी 2023 तक कितने घरों में नल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है? ग्रामवार, विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें। **(ख)** प्रश्न "क" के अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन प्रदान किये जा चुके, कितने घरों में पेयजल आपूर्ति प्रारंभ की जा चुकी है और कितने में पेयजल आपूर्ति लंबित है और क्यों? ग्रामवार, विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें। **(ग)** प्रश्नांक "क" अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत सरकार द्वारा कितना बजट अब तक जारी किया गया, कितना उपयोग किया गया और कितना शेष है ? विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2019 से फरवरी 2023 तक 37821 घरों में नल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है, ग्रामवार, विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** जल जीवन मिशन अंतर्गत नल कनेक्शन प्रदान किये गये सभी 37821 घरों में जल प्रदाय प्रारंभ किया जा चुका है। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। **(ग)** जल जीवन मिशन अंतर्गत सरकार द्वारा बजट विकासखण्डवार, विधानसभावार जारी नहीं किया जाता है, अपितु जिलेवार व्यय हेतु आबंटन (आहरण सीमा) जारी होती है। जिला कबीरधाम को फरवरी 2023 तक रू. 16156.12 लाख राशि जारी किया गया था जिसमें से रू 16062.30 लाख व्यय हुआ है एवं शेष राशि रू. 93.82 लाख है। पंडरिया विधानसभा अंतर्गत विकासखण्डवार व्यय की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस" \]](#)

प्रथम व द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय, जांच। [लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

30. (क्र. 1583) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्त विभाग द्वारा संविदा में रखे जाने वाले अधिकारियों को वित्तीय प्रभार न दिए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं? यदि हां तो कब व क्या निर्देश जारी किए गए हैं, निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें ? **(ख)** निर्देश जारी होने के बाद दिनांक 15.12.2023 तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में संविदा में कार्यरत अधिकारियों के पास वित्तीय अधिकार कितने दिनों तक बने रहे और क्यों? शासन के निर्देशों का पालन न करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी के नाम बताएं ? उक्त अनुसार निर्देश जारी होने के पश्चात कितने संविदा अधिकारियों से वित्तीय प्रभार वापस लिए गए हैं, जिलेवार जानकारी देवे।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** वित्तीय वर्ष 2022-23 में वित्त विभाग द्वारा संविदा में नियुक्त अधिकारियों के लिए वित्तीय प्रभार के संबंध में कोई भी निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। अपितु वर्ष 2014 में जारी किये गये हैं, जिसमें संविदा पर नियुक्त अधिकारियों को वित्तीय अधिकार नहीं सौंपे जाने के निर्देश है। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। निर्देश की प्रति उपलब्ध कराये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांश **(ख)** दिनांक 15.12.2023 तक विभाग में संविदा अधिकारियों के पास वित्तीय अधिकार के संबंध में जानकारी चाही गई है। अपितु अद्यतन स्थिति तक विभाग में संविदा में कोई भी अधिकारी कार्यरत नहीं है। प्रश्न

ही उपस्थित नहीं होता है। उत्तरदायी अधिकारी का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। वित्तीय प्रभार वापस लिये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। जिलेवार जानकारी दिये का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

चिप्स में पंजीकृत फर्म / संस्था / वेंडर का राशि भुगतान

[इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी]

31. (क्र. 1584) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** चिप्स में कितने फर्म / संस्था / वेंडर पंजीकृत हैं? जनवरी, 2020 से किस -किस को, किस -किस कार्य के लिए कितनी - कितनी राशि का भुगतान किया गया है व कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? **(ख)** चिप्स को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? कितनी राशि का भुगतान किया गया है व कितनी शेष है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** चिप्स में पृथक-पृथक विभागों के कार्यों के लिए कुल 28 फर्म/संस्था/वेंडर पंजीकृत है। प्रश्नांश की **जानकारी का विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** प्रश्नाधीन अवधि में चिप्स को भारत सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है, राज्य सरकार द्वारा राशि रूपये 7,15,31,63,206/- उपलब्ध कराई गई है, राशि रूपये 6,95,89,73,290/- का भुगतान किया गया है एवं राशि रूपये 19,41,89,916/- शेष है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पैतालीस" \]](#)

किसानों को विद्युत कनेक्शन का प्रदाय तथा लंबित प्रकरण

[ऊर्जा]

32. (क्र. 1587) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 15.02.2023 तक पंप कनेक्शन हेतु कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में प्रदेश में वर्तमान में कितने किसानों को, सिंचाई हेतु कितने विद्युत कनेक्शन देने के लिए प्रकरण स्वीकृत हैं? कितने किसानों के आवेदन पिछले 2 वर्षों से लंबित हैं? कितने किसानों के आवेदन अस्वीकृत किये गए? **(ग)** वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 15.02.2023 तक कितने किसानों को पंप कनेक्शन प्रदान किया गया है एवं कितने शेष है, शेष किसानों को कब तक विद्युत कनेक्शन प्रदाय कर दिया जावेगा?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** प्रदेश में कृषि सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए वर्ष 2021-22 में राशि रूपए 303.52 करोड़ तथा वर्ष 2022-23 में राशि रूपए 150 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। **(ख)** प्रश्नाधीन अवधि में दिनांक 15.02.2023 की स्थिति में प्रदेश में औपचारिकतापूर्ण स्वीकृत आवेदनों की संख्या 49,683 है। कृषि पंपों के स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु औपचारिकतापूर्ण स्वीकृत आवेदनों में से पिछले दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2020-21 के 2,029 आवेदन एवं 2021-22 के 34,216 आवेदन लाइन विस्तार कार्य हेतु लंबित है तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 से 15 फरवरी 2023 तक 8,639 आवेदन कृषकों द्वारा औपचारिकता पूर्ण नहीं करने के कारण आवेदन निरस्त किये गये हैं। **(ग)** वर्ष 2021-22 में लाइन विस्तार कार्य पूर्ण कर 31,817 तथा विद्यमान लाइन से 4,913 कुल 36,730 तथा वर्ष 2022-23 में दिनांक 15.02.2023 तक विस्तार कार्य पूर्ण कर 10,832 तथा विद्यमान लाइन से 4,827 कुल 15,659 स्थायी पंप कनेक्शन प्रदान किया गया है। दिनांक 15.02.2023 तक लंबित 49,683 आवेदनों में से वर्ष 2022-23 के पंप ऊर्जाकरण के लक्ष्य 20,550 में से शेष 9,718 को वर्ष 2022-23 में मार्च 2023 तक कनेक्शन दिये जाने के प्रयास हैं। अतिशेष 39,965 पंपों के लाइन विस्तार के कार्य आगामी वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर किये जाने के प्रयास हैं।

अचानकमार टाइगर रिजर्व अंतर्गत स्थानीय निवासियों को तेंदूपत्ता एवं मोहलाईन पत्ता तोड़ने की अनुमति

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

33. (क्र. 1593) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या विकासखंड लोरमी अंतर्गत अचानकमार अभयारण्य के कोर जोन में निवासरत स्थानीय निवासियों को तेंदूपत्ता एवं मोहलाईन

पत्ता तोड़ने के लिए प्रतिबंधित किया गया है? **(ख)** यदि हाँ तो उसके एवज में स्थानीय निवासियों को क्या मुआवजा का प्रावधान है? यदि हाँ तो वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022- 23 में कितने गांव के, कितने लोगों को कितना मुआवजा दिया गया है, विवरण देवें? नहीं तो क्यों?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** जी हां भारत सरकार के द्वारा । **(ख)** जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वन विभाग द्वारा मनरेगा के तहत कराये जाने वाले कार्य का मजदूरी भुगतान

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

34. (क्र. 1594) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा समस्त प्रकार के वानिकी कार्यों की मजदूरी भुगतान परीक्षेत्र अधिकारी को डिस्बर्शिंग ऑफिसर बनाकर किया जा रहा है? **(ख)** क्या कंडिका "क" के कार्य वन वित्तीय नियम एवं फॉरेस्ट मैनुअल के अनुसार वनमंडल के राजस्व एवं लेखा पर प्रभावी नियंत्रण तथा समस्त प्रकार के वित्तीय संव्यवहार के लिए अंतिम रूप से डीएफओ जिम्मेदार होता है? हां तो दिनांक 04/02/2014 एवं दिनांक 18/02/2014 के आदेश का पालन कब तक किया जायेगा विस्तृत विवरण देवें? नहीं तो कारण सहित उल्लेख करें? **(ग)** क्या कंडिका "क" के तहत अपनाई गई प्रक्रिया से अनियमितता होती है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन-कौन होंगे, विवरण देवें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। पूर्व में जारी निर्देश को अधिक्रमित करते हुये, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा संशोधित आदेश दिनांक 03/07/2014 को जारी किया गया है। जारी आदेश का पालन किया जा रहा है। **(ग)** अनियमितता के प्रकरणों में उत्तरदायित्व का निर्धारण संबंधित नियमों तथा निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

राज्य सरकार पर विभिन्न संस्थाओं का कर्ज व ब्याज का भुगतान

[वित्त]

35. (क्र. 1605) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** 16 दिसंबर 2018 की स्थिति में राज्य सरकार पर विभिन्न संस्थाओं का कितना कर्ज था? संस्थावार वर्णन दें। **(ख)** 1 जनवरी, 2019 से 15 फरवरी 2023 तक राज्य सरकार ने विभिन्न संस्थाओं से कितना कर्ज लिया है? संस्थावार वर्णन दें। उक्त अवधि में क्या शासन ने पूर्व में लिए गए किसी ऋण की अदायगी की है? **(ग)** 1 जनवरी, 2019 से 15 फरवरी 2023 तक शासन द्वारा लिए गए कर्ज पर कितनी राशि के ब्याज का भुगतान, किस संस्था को किया गया है? वर्षवार वर्णन दें। **(घ)** लिए गए ऋण को चुकाने के लिए शासन के पास क्या कार्य योजना है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** 16 दिसंबर 2018 की स्थिति में राज्य सरकार पर विभिन्न संस्थाओं से कर्ज की जानकारी "संलग्न प्रपत्र-अ" अनुसार है। **(ख)** 01 जनवरी, 2019 से 28 फरवरी, 2023 तक लिये गये कर्ज की संस्थावार जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है। उक्त अवधि में शासन द्वारा रू. 14,496 करोड़ का मूलधन भुगतान किया गया है। **(ग)** 01 जनवरी, 2019 से 28 फरवरी, 2023 तक ब्याज भुगतान की जानकारी "संलग्न प्रपत्र-स" अनुसार है। **(घ)** लिये गये ऋणों को चुकाने हेतु बजट में आवश्यक प्रावधान कर यथासमय भुगतान किया जा रहा है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस" \]](#)

उद्योगों द्वारा पर्यावरण उलंघन के विषय में

[आवास एवं पर्यावरण]

36. (क्र. 1618) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या पिछले तीन वर्षों में बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के कोलवाशरी/पावर प्लांट व अन्य उद्योगों के खिलाफ पर्यावरण नियमों के उलंघन की जांच की गई है ? **(ख)** यदि हां तो कौन-कौन से उद्योगों की जांच की गई ? क्या जांच में कोई उद्योग दोषी पाया गया ? यदि हां तो उसका नाम और की गई कार्यवाही की जानकारी देवें।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जी हां। (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस"]

क्वांटिफायबल डाटा आयोग विषयक
[सामान्य प्रशासन]

37. (क्र. 1621) श्री धरम लाल कौशिक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्वांटिफायबल डाटा आयोग का गठन कब, क्यों व कितनी अवधि के लिए किया गया था एवं आयोग के विस्तृत कार्य उद्देश्य क्या रखा गया था व इस आयोग की संरचना क्या है ? आयोग द्वारा प्रदेश के किस-किस संवर्ग की जातियों का सर्वेक्षण का कार्य किस-किस पद्धति से किया गया है ? सर्वेक्षण पद्धति के चयन का आधार क्या है ? (ख) क्वांटिफायबल डाटा आयोग द्वारा अपनी संपूर्ण सर्वेक्षण रिपोर्ट/प्रतिवेदन शासन व राज-भवन को कब प्रस्तुत की गई है तथा आयोग द्वारा क्या-क्या अनुशंसा की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) क्वांटिफायबल डाटा आयोग का गठन दिनांक 11.09.2019 को 06 माह के लिए किया गया था, तथा आयोग का सर्वेक्षण कार्य प्रगतिशील होने के कारण समय-समय पर आयोग के कार्यकाल में राज्य शासन द्वारा वृद्धि की गई। क्वांटिफायबल डाटा आयोग का उद्देश्य एवं विस्तृत कार्य राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर "क्वांटिफायबल डाटा" एकत्रित कर सर्वेक्षण प्रतिवेदन शासन को सौंपना था। क्वांटिफायबल डाटा आयोग में राज्य शासन द्वारा एक अध्यक्ष की नियुक्ति करते हुए निम्नानुसार अधिकारी/कर्मचारियों की पद संरचना स्वीकृत किया गया था:-

क्रमांक	पदनाम	संख्या	रिमार्क
1.	सचिव	01 पद	प्रतिनियुक्ति
2.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	01 पद	प्रतिनियुक्ति
3.	निज सचिव	01 पद	प्रतिनियुक्ति
4.	निज सहायक	01 पद	प्रतिनियुक्ति
5.	सहायक ग्रेड-2	01 पद	प्रतिनियुक्ति/संविदा
6.	सहायक ग्रेड-3	01 पद	प्रतिनियुक्ति/संविदा
7.	भृत्य	01 पद	कलेक्टर दर पर

क्वांटिफायबल डाटा आयोग द्वारा प्रदेश के समस्त अन्य पिछड़े वर्ग की जातियों तथा सामान्य वर्ग में आने वाले लोगों में से भारत सरकार द्वारा तय किये मापदण्ड अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का सर्वेक्षण ऑनलाईन एवं ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों के माध्यम से वेब पोर्टल के माध्यम से किया गया। सर्वेक्षण पद्धति का चयन भारत सरकार द्वारा की गई जनगणना 2011 के प्राप्त आंकड़ा एवं वर्ष 2021 के अनुमानित जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार उनके पंजीकृत राशन कार्ड को आधार मान कर किया गया है। (ख) क्वांटिफायबल डाटा आयोग द्वारा अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 21.11.2022 को सामान्य प्रशासन विभाग में प्रस्तुत किया गया है। आयोग द्वारा राज-भवन में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है। आयोग द्वारा राज्य की जनसंख्या में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के सर्वेक्षण से संबंधित क्वांटिफायबल डाटा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

बिलासपुर जिले अंतर्गत कैम्पा मद के अंतर्गत किए गए कार्य
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

38. (क्र. 1622) श्री धरम लाल कौशिक : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर जिले में कैम्पा मद से 01 अप्रैल, 2021 से दिनांक 15.02.2023 तक कितने व किस प्रकार के कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है ? वनमण्डलवार, एजेंसीवार एवं वानिकी कार्य व गैर-वानिकी कार्य राशिवार जानाकारी दें। उक्त कार्यों में कितने कार्य पूर्ण हैं व कितने अपूर्ण व अप्रारंभ हैं ? (ख) क्या यह सही है कि अप्रैल,

2021 से 31 जनवरी, 2023 तक उक्त जिलों में कैम्पा मद से प्राप्त राशियों के भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत की गई है ? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ में दर्शित है। सभी कार्य विभागीय है किसी एजेंसी से नहीं कराए गए है।(ख) जी हाँ। जानकारी संलग्न प्रपत्र- ब में दर्शित है ।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस" \]](#)

जिला जांजगीर चाम्पा एवं जिला सक्ती में कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का निराकरण [जन शिकायत निवारण]

39. (क्र. 1631) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला जांजगीर चाम्पा एवं जिला सक्ती के कलेक्टर जनदर्शन में वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 15.02.2023 तक विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर के कितने आवेदन प्राप्त हुए ? **(ख)** प्राप्त आवेदनों में क्या कार्यवाही की गई ? **(ग)** कितने हितग्राहियों का आवेदन का निराकरण किया गया, कितना शेष है, विकासखण्डवार जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) प्रश्नावधि में जिला जांजगीर चाम्पा एवं जिला सक्ती में आयोजित कलेक्टर जनचौपाल (जनदर्शन) कार्यक्रमों में जैजैपुर विधानसभा से संबंधित कुल 247 आवेदन प्राप्त हुए हैं। **(ख)** प्राप्त आवेदनों को निराकरण हेतु संबंधितों को प्रेषित किया गया। **(ग)** निराकृत एवं शेष आवेदनों की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विकासखंड	जैजैपुर विधानसभा में प्रश्नावधि में प्राप्त, निराकृत एवं लंबित आवेदन		
		प्राप्त आवेदन	निराकृत	लंबित
1.	बम्हनीडीह	108	105	3
2.	जैजैपुर	124	94	30
3.	मालखरौदा	15	8	7
कुल योग		247	207	40

सिंचाई कॉलोनी शांति नगर की भूमि पर योजना [आवास एवं पर्यावरण]

40. (क्र. 1645) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या शांति नगर, रायपुर स्थित सिंचाई कालोनी के आवासीय क्षेत्र के मास्टर प्लान में कोई मद परिवर्तन किया गया है ? यदि हाँ तो कब, जमीन किस विभाग के आधिपत्य में है ? क्या इस जमीन के विक्रय की कोई योजना है ? यदि हाँ तो विक्रय की अनुमति विभाग से कब ली गई ? **(ख)** क्या कंडिका "क" के क्षेत्र की भूमि भिन्न क्षेत्र में उपयोग के लिए घोषित की है, यदि हाँ तो पर्यावरणीय अनुमति कब ली गई, जन सुनवाई कब की गई ? **(ग)** कंडिका "क" की भूमि में निर्मित कितने आवासों को तोड़ा गया है ? क्या उक्त स्थान पर कर्मचारियों के लिए आवास बनाने का आश्वासन/घोषणा की गयी थी ? तोड़े गए परिसर/आवास की लागत कितनी थी, व बाजार मूल्य क्या था ? **(घ)** क्या उक्त भूमि पर निर्मित गार्डन एवं वाटर फाल को तोड़ा गया है, हां तो किसके द्वारा कितनी लागत में बना था ? तोड़ने के क्या कारण है ? **(ङ)** क्या कंडिका "क" की भूमि नीलाम करने भी योजना है ? हां तो बेस प्राईज तय किया गया है, हां तो कितना और किस आधार पर है ? अभी तक की गई प्रक्रियाओं के दस्तावेज भी उपलब्ध करावें।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जिला खनिज संस्थान न्यास मद के लिए प्राप्त राशि का उपयोग [खनिज साधन]

41. (क्र. 1646) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** 1 अप्रैल 2020 से 15 फरवरी 2023 तक कितनी राशि खनिज संस्थान न्यास मद (डीएमएफ) में प्राप्त हुई है ? जिलेवार कितनी राशि दी गई है, बतावें ? क्या मद की राशि से 60 प्रतिशत खर्च उच्च प्राथमिकता और 40 प्रतिशत राशि अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र में खर्च किये जाने का प्रावधान है ? यदि हां तो क्या छ.ग. में इसका पालन हो रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ? **(ख)** क्या केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को छोड़कर जिला स्तर पर विभिन्न कामों को जन कल्याणकारी मानकर कोई स्वीकृति दी गई है ? यदि हां तो कितने जिलों में, कितने कार्यों के लिए ? **(ग)** कंडिका "ख" के विषय में क्या राज्य शासन ने कोई पत्र भी लिखा है ? यदि हां तो क्यों ? **(घ)** 27 फरवरी, 2023 तक किस-किस जिले को, कितनी राशि आबंटित की गई है और कितनी राशि खर्च की गई है, बतावे ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** 01 अप्रैल, 2020 से 15 फरवरी, 2023 तक खनिज संस्थान न्यास मद (डीएमएफ) में प्राप्त राशि का विवरण की जिलेवार जानकारी "संलग्न प्रपत्र-अ" अनुसार है। जी हां। न्यास मद की राशि से न्यूनतम 60 प्रतिशत राशि उच्च प्राथमिकता और शेष 40 प्रतिशत राशि अन्य प्राथमिकता के क्षेत्र में खर्च किये जाने का प्रावधान है। जी हां। इसका पालन हो रहा है। **(ख)** प्रश्नांश अवधि में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को छोड़कर जिला स्तर पर विभिन्न कामों को जन कल्याणकारी मानकर 10 जिलों में, 77 कार्यों को स्वीकृत किया गया है। **(ग)** जी हां। राज्य सरकार द्वारा न्यास के नियमों एवं निर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। **(घ)** प्रश्नांकित अवधि में 27 फरवरी, 2023 तक जिलों के न्यास मद में प्राप्त राशि एवं व्यय राशि की जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास" \]](#)

राजनांदगांव वन मंडल में गौठान निर्माण [वन एवं जलवायु परिवर्तन]

42. (क्र. 1653) श्री दलेश्वर साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या 2019-20 से 15.02.2023 तक राजनांदगांव वन मंडल में गौठान निर्माण हेतु कार्य किये जा रहे हैं? यदि हां तो किन किन गाँव में कितनी वन भूमि गौठान हेतु आरक्षित की गयी है? क्या गौठान हेतु सामुदायिक वन अधिकार मान्यता प्रदान की गयी है? गौठान निर्माण हेतु क्या कार्ययोजना बनाई गयी है? ग्रामवार, गौठानवार किये गए कार्यों एवं व्यय की राशिवार जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जी नहीं। प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जी नहीं गौठान निर्माण हेतु राजनांदगांव वनमंडल द्वारा कोई कार्ययोजना नहीं बनाई गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राजनांदगांव वन मंडल में संयुक्त वन प्रबंधन समिति में किये गये कार्य एवं व्यय की जानकारी [वन एवं जलवायु परिवर्तन]

43. (क्र. 1654) श्री दलेश्वर साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या 2020-21 से 15.02.2023 तक खैरागढ़ वन मंडल के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समिति, राजकट्टा ग्राम पंचायत कुरुभाट एवं ग्राम खुर्सीपारखुर्द ग्राम पंचायत विकासखंड डोंगरगढ़ में सामग्री या उपकरण क्रय एवं निर्माण कार्य किया गया है? यदि हां तो किस मद के तहत, कितनी राशि व्यय की गयी है? किस एजेंसी को, कितनी राशि का भुगतान किया गया? कार्यवार, राशिवार, समितिवार मदवार जानकारी देवें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : संयुक्त वन प्रबंधन समिति खुर्सीपारखुर्द ग्राम पंचायत विकासखंड डोंगरगढ़ अंतर्गत सुरक्षा रखरखाव कार्य, बांस ट्री गार्ड निर्माण कार्य, फायर ब्लोवर, सीड बॉल निर्माण, उलट निर्माण कार्य,

एवं कम्प्यूटर सामग्री क्रय, वन प्रबंधन समिति के खाते में जमा राशि से 1263740/- रूपये व्यय किया गया है, जिसमें विभिन्न एजेंसियों को राशि 966527/- रूपये का भुगतान किया गया है। कार्यवार, राशिवार समितिवार, मदवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र में दर्शित है।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - पचास " \]](#)

फ्लाई ऐश पौंड भंडारण

[आवास एवं पर्यावरण]

44. (क्र. 1660) श्रीमती छत्री चंद्र साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** कोरबा जिले में 28 फरवरी 2023 तक की स्थिति में कुल कितने फ्लाई ऐश पौंड (राखड़ बांध) है और इनमें कितनी मात्रा में फ्लाई ऐश का भंडारण किया गया है ? संयंत्र के नाम सहित जानकारी दें ? **(ख)** क्या विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित फ्लाई ऐश को निचली भूमि या खदान के गड्ढों को पाटने हेतु एन.ओ.सी.ली गई है ? यदि हां तो वर्ष 2021-22 से 2022-23 में 28 फरवरी, 2023 तक कितनी एन.ओ.सी जारी की है ? **(ग)** क्या फ्लाई ऐश से भूभराव के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ तो क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण देवे?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** जानकारी संलग्न प्रपत्र - अ अनुसार है। **(ख)** जी हाँ । 26 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये है। **(ग)** जी हाँ। जानकारी संलग्न प्रपत्र - ब अनुसार है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन" \]](#)

वन समिति में शिकायत पर कृत कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

45. (क्र. 1661) श्रीमती छत्री चंद्र साहू : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह सही है कि सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में स्थित परसा कोल ब्लॉक की वन समिति में फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां तो उक्त शिकायत पर किस अधिकारी द्वारा कब जांच की गई और जांच में किन-किन ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए हैं ? जांच से संबंधित कोई प्रतिवेदन हो तो उसके प्रति प्रदान करें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : जी हां। प्राप्त जानकारी अनुसार तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उदयपुर के द्वारा दिनांक 30.10.2018 को जांच की गई। ग्राम पंचायत साल्ही तथा घाटबर्दा के तत्कालीन सचिवों का बयान दर्ज किया गया। प्रतिवेदन दिनांक 31.12.2018 की छायाप्रति संलग्न प्रपत्र में है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - बावन" \]](#)

बस्तर संभाग में कार्यरत नोटरी एवं नोटरी व्यवसाय का नवीनीकरण

[विधि एवं विधायी कार्य]

46. (क्र. 1667) श्री चंदन कश्यप : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बस्तर संभाग में दिनांक 1 जनवरी, 2022 की स्थिति में कुल कितने नोटरी कार्यरत हैं ? **(ख)** वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 08/02/2023 तक नोटरी व्यवसाय के नवीनीकरण हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए ? **(ग)** कितनों का नवीनीकरण किया गया, कितनों का नहीं ? वर्षवार बतावे ? नवीनीकरण नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** बस्तर संभाग में दिनांक 1 जनवरी, 2022 की स्थिति में कुल-84 नोटरी कार्यरत है।**(ख)** वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में दिनांक 08.02.2023 तक नोटरी व्यवसाय के नवीनीकरण हेतु क्रमशः 68, 24 एवं 78 आवेदन प्राप्त हुए है । **(ग)** वर्षवार क्रमशः 56, 23 एवं 40 का नवीनीकरण किया गया, वर्षवार क्रमशः 06, 00 एवं 00 का नवीनीकरण नहीं किया गया तथा तथा वर्षवार 06, 01 एवं 38 आवेदन विचाराधीन है। नोटरी अधिनियम एवं नियम का पालन नहीं किये जाने के कारण नवीनीकरण नहीं किया गया।

शुद्ध पेयजल व्यवस्था हेतु स्वीकृत कार्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

47. (क्र. 1670) श्री चंदन कश्यप : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में सत्र 2021-22 से फरवरी, 2023 तक शुद्ध पेयजल प्रदाय करने हेतु कौन-कौन सी योजना से, क्या-क्या कार्य स्वीकृत किए गए हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें। (ख) नलजल योजना एवं नलकूप खनन के कितने कार्य, किन-किन स्थानों पर स्वीकृत किए गए हैं एवं कितने कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सत्र 2021-22 से फरवरी 2023 तक शुद्ध पेयजल प्रदान करने हेतु ग्रामीण पेयजल प्रदाय योजनातर्गत हैण्डपम्प द्वारा पेयजल व्यवस्था तथा जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत हर घर नल कनेक्शन के कार्य स्वीकृत किये गये है, जिसकी विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। (ख) जल जीवन मिशन योजना के 474 एवं नलकूप खनन के 356 कार्य स्वीकृत किये गये है। स्वीकृत कार्यों में से 414 कार्य पूर्ण एवं 416 कार्य अपूर्ण है। जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार है।

जिला बस्तर अंतर्गत हैण्डपम्प सुधार कर्मचारियों द्वारा कृत कार्य
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

48. (क्र. 1674) श्री राजमन बेंजाम : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-
(क) जिला बस्तर में दिनांक 15.02.2023 तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत खनित हैण्डपम्पों के सुधार हेतु कितने प्रशिक्षित कर्मचारी कार्यरत हैं ? विकासखंडवार जानकारी दें? (ख) क्या कार्यरत कर्मियों केवल विभाग द्वारा खनित हैण्डपम्पों का ही सुधार कार्य करते हैं ? क्या कार्यरत कर्मचारी अन्य शासकीय मदों से खनित हैण्डपम्पों के सुधार व मरम्मत हेतु अधिकृत नहीं हैं ? बतावें?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क) जिला बस्तर में दिनांक 15.02.2023 तक विभाग अंतर्गत खनित हैण्डपम्पों के सुधार हेतु 16 प्रशिक्षित कर्मचारी कार्यरत है। विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र	विकासखण्ड का नाम	प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या
1	बस्तर	5
2	बकावण्ड	3
3	तोकापाल	2
4	बास्तानार	1
5	जगदलपुर	2
6	दरभा	2
7	लोहण्डीगुड़ा	1
	कुल	16

(ख) हाँ। उक्त कर्मचारी केवल विभाग द्वारा खनित हैण्डपंपों का ही सुधार कार्य करते है। हाँ। कार्यरत कर्मचारी अन्य शासकीय मदों में अन्य विभाग द्वारा खनित हैण्डपंपों के सुधार व मरम्मत हेतु अधिकृत नहीं है।

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वन विभाग द्वारा स्वीकृत कार्य
[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

49. (क्र. 1679) श्री राजमन बेंजाम : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग के द्वारा वर्ष 2021-22 से दिनांक 15.02.2023 तक कौन कौन से निर्माण कार्य किन - किन मदों से स्वीकृत किये गये हैं? कार्यों के विवरण सहित वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी दें?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग के द्वारा वर्ष 2021-22 से दिनांक 15/02/2023 तक विभिन्न मद अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य की वर्षवार, विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र में दर्शित है ।**

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन"]

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन में भुगतान की गई राशि
[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

50. (क्र. 1681) श्रीमती इंदू बंजारे : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत ग्रामों में वर्ष 2020-21 से 15.02.2023 तक भुगतान की गयी राशि की विकासखण्डवार जानकारी दें।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत ग्रामों में वर्ष 2020-21 से 15.02.2023 तक कुल 6387.84 लाख की राशि भुगतान की गयी है। विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	विकासखण्ड का नाम	भुगतान की गयी राशि (रु. लाख में)
1	पामगढ़	4946.17
2	नवागढ़	1441.67
योग :-		6387.84

धरसीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्रेडा द्वारा ग्रामों में रात्रिकालीन प्रकाश की व्यवस्था
[ऊर्जा]

51. (क्र. 1688) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) धरसीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्रेडा द्वारा जनवरी, 2020 से 15 फरवरी 2023 के मध्य कितने ग्रामों में रात्रिकालीन प्रकाश की व्यवस्था हेतु सोलर हाई मास्क लाइट की स्थापना की गई? (ख) इनमें से कितने हाई मास्क लाइट के बंद /खराब होने सम्बन्धी शिकायतें क्रेडा को प्राप्त हुई हैं? इनमे से कितनी शिकायतें आज पर्यंत तक लंबित हैं? लंबित होने के क्या कारण हैं?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) धरसीवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्रेडा द्वारा जनवरी, 2020 से 15 फरवरी, 2023 के मध्य 10 ग्रामों में रात्रिकालीन प्रकाश की व्यवस्था हेतु 10 नग सोलर हाई मास्ट लाइट की स्थापना की गई है। (ख) इनमें से सभी 10 हाई मास्ट लाइट के बंद/खराब होने सम्बन्धी शिकायतें क्रेडा को प्राप्त हुई हैं। सभी हाईमास्ट संयंत्रोंमें सुधार कार्य कर, कार्यशील किया जा चुका है। अतः हाई मास्ट लाइट के बंद/खराब होने सम्बन्धी कोई भी शिकायत आज पर्यंत तक लंबित नहीं है।

रायपुर जिले में उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 का परिपालन
[आवास एवं पर्यावरण]

52. (क्र. 1689) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या रायपुर जिले में उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 का परिपालन किया जा रहा है,

यदि नहीं तो वर्ष 2021 से 15 फरवरी 2023 तक किन किन उद्योगों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** रायपुर जिले में कितने प्रदूषण मापक यंत्र लगे हैं?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** कतिपय उद्योगों के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। प्रश्नाधीन अवधि में दोषी उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** कुल 13 ।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]

सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन ग्रामों में सौर उर्जा प्लांट की स्थापना [ऊर्जा]

53. (क्र. 1695) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 15.02.2023 तक की स्थिति में कितने वन ग्रामों में सौर उर्जा का प्लांट लगाया गया है ? **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में उक्त सौर उर्जा प्लांट के रख रखाव हेतु कितनी राशि खर्च की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत समस्त वनग्रामों को शासन द्वारा राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की अधिसूचना क्रमांक 41, रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 जनवरी, 2014- माघ, शक 1935 राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है। अतः सिहावा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020-21 से 15.02.2023 तक की स्थिति किसी भी वन ग्राम में स्थापित सौर ऊर्जा का प्लांट नहीं लगाया गया है। **(ख)** शेष प्रश्न उदभूत नहीं होता है।

राजधानी रायपुर में वायु गुणवत्ता [आवास एवं पर्यावरण]

54. (क्र. 1706) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** राजधानी रायपुर में दिनांक 15 फरवरी, 2023 की स्थिति में वायु गुणवत्ता "एयर क्वालिटी इंडेक्स" (ए. क्यू. आई.) कितना है ? वायु गुणवत्ता अनुकूल है अथवा प्रतिकूल ? यदि प्रतिकूल है तो इसमें सुधार हेतु क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं? **(ख)** क्या राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में एयर क्वालिटी इंडेक्स हेतु डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं ? यदि हां तो किन-किन जिलों में कहां-कहां लगाए गए हैं ? **(ग)** क्या प्रदेश के समस्त बस टर्मिनलों में वायु शुद्धिकरण यंत्र लगाने की योजना है ? यदि हाँ तो कब तक लगाए जाएंगे ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** एयर क्वालिटी इंडेक्स 69 से 115 के मध्य पाया गया है, जो वायु गुणवत्ता अनुकूल है। शेषांश उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं। शेषांश उपस्थित नहीं होता । **(ग)** जी नहीं। शेषांश उपस्थित नहीं होता ।

क्रेडा द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत स्थापित यूनिट/संयंत्र [ऊर्जा]

55. (क्र. 1707) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में 2020 -21 से 2022-23 में दिनांक 20 दिसम्बर 2022 तक क्रेडा द्वारा कितनी योजनाएं संचालित की जा रही है ? योजनांतर्गत क्या-क्या लाभ एवं कितनी सब्सिडी प्रदान की जा रही है? कितने यूनिट / संयंत्र की स्थापना की गई ? कितने की स्थापना शेष है? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें । **(ख)** प्रश्नांश 'क' की अवधि में क्रेडा द्वारा क्रयादेश जारी कर स्थापित किये गये संयंत्रों/यूनिट में से कितने वर्तमान में चालू है? एवं कितने किन कारणों से बंद है? बंद संयंत्रों को कब तक चालू कर दिया जायेगा? **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के कार्य में कार्य की गुणवत्ता में अनियमितता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** प्रदेश में 2020-21 से 2022-23 में दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 तक क्रेडा

द्वारा संचालित योजना एवं योजना के लाभ तथा सब्सिडी की जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र "अ" अनुसार है। कुल 54830 यूनिट/संयंत्र की स्थापना की गई है। 8260 यूनिट/संयंत्र प्रक्रियाधीन है। योजनावार स्थापित यूनिट/संयंत्र एवं प्रक्रियाधीन यूनिट/संयंत्र की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र "ब" अनुसार है।

(ख) उत्तरांश 'क' की अवधि मे कुल 54830 स्थापित संयंत्रों में से वर्तमान में कुल 53463 चालू एवं 1367 संयंत्र बंद है। संयंत्रों के बंद होने का कारण पुस्तकालय मे रखे प्रपत्र "स" अनुसार है। संयंत्रों का कार्यशील तथा अकार्यशील होना एक सतत् प्रक्रिया है। 1367 बंद संयंत्रों में से बोर कोलेप्स/धँस जाने, बोर सूखा होने, संयंत्र क्षतिग्रस्त होने, संयंत्र के सामग्रियों की चोरी तथा हितग्राहियों के द्वारा बायोगैस संयंत्रों में गोबर भराई नही करने के प्रकरणों को छोड़कर शेष समस्त सुधार योग्य संयंत्रों को क्रेडा के संचालन संधारण प्रोटोकाल नियमों के तहत तत्काल कार्यशील किये जाने का प्रयास है। इसके अलावा बोर कोलेप्स/धँस जाने, बोर सूखा होने के प्रकरणों में हितग्राही/हितग्राही विभाग द्वारा नवीन बोर किये जाने उपरांत संयंत्र तत्काल कार्यशील किया जावेगा। इसी प्रकार संयंत्र क्षतिग्रस्त होने, संयंत्र के सामग्रियों की चोरी होने के प्रकरणों में विधिवत् रूप से एफ.आई.आर. तथा बीमा क्लेम की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बीमा क्लेम की राशि प्राप्त होने पर संयंत्र मे सुधार कार्य कर तत्काल संयंत्र कार्यशील किया जावेगा। (ग) उत्तरांश 'ख' के कार्य में कार्य की गुणवत्ता मे अनियमितता की कोई भी शिकायत प्राप्त नही हुई है। शेष प्रश्न उद्भूत नही होता है।

आत्मसात किए गए जनघोषणा पत्र 2018 में घोषणाओं की अद्यतन स्थिति

[सामान्य प्रशासन]

56. (क्र. 1719) श्री डमरूधर पुजारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या यह सही है कि शासन द्वारा जन घोषणा पत्र 2018 को आत्मसात किया गया है ? यदि हाँ तो इसमें कुल कितनी घोषणाएं की गई है ? प्रश्न दिनांक की स्थिति में कौन-कौन सी घोषणाएं पूर्ण है व कौन-कौन सी अपूर्ण हैं तथा अपूर्ण घोषणाओं को कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : जी हां। जनघोषणा पत्र 2018 में कुल 36 घोषणाएं की गई है। प्रश्न दिनांक की स्थिति में पूर्ण एवं अपूर्ण घोषणाओं की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। अपूर्ण घोषणाओं को पूर्ण होने का निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लिया गया ऋण व ब्याज भुगतान

[वित्त]

57. (क्र. 1720) श्री डमरूधर पुजारी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** 01 दिसम्बर, 2018 से फरवरी, 2023 तक राज्य शासन द्वारा किन-किन संस्थाओं से, कितनी-कितनी राशि का, किन-किन ब्याज दरों पर ऋण लिया गया है ? वर्षवार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार ऋणों पर राज्य शासन द्वारा किन-किन संस्थाओं को, कितना-कितना ब्याज की राशि का भुगतान प्रदाय किया गया है ? **(ग)** वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर कुल कितना ऋण है तथा कितना ऋण ब्याज सहित भुगतान करना शेष है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** 1 दिसंबर 2018 से फरवरी, 2023 तक सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं से लिये गये ऋण की जानकारी "संलग्न प्रपत्र-अ" अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश अवधि में राज्य शासन द्वारा संस्थावार ब्याज भुगतान की जानकारी "संलग्न प्रपत्र-ब" अनुसार है। **(ग)** फरवरी 2023 की स्थिति में रू. 82,216 करोड़ शुद्ध ऋण शेष है एवं प्रश्न अवधि में रू. 23,356 करोड़ का ब्याज भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में ब्याज भुगतान हेतु रू. 7,222 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध फरवरी 2023 तक रू. 4,837 करोड़ ब्याज का भुगतान किया गया है तथा राशि रू. 2,385 करोड़ ब्याज भुगतान करना शेष अनुमानित है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]

प्रदेश में हाथी और मानव संघर्ष को रोकने के उपाय

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

58. (क्र. 1733) श्री शिवरतन शर्मा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में गजराज योजना अंतर्गत विगत 3 वर्षों में क्या-क्या प्रयास, कितने वन क्षेत्रों में किये गये हैं? इस हेतु वर्षवार कितनी-कितनी राशि का बजट प्रावधान था तथा कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी है? **(ख)** विगत 3 वर्षों में कितने स्थानों पर हाथी द्वारा जनहानि की गयी है? कितने लोगों की किस-किस वन क्षेत्र अंतर्गत हाथी के हमले में मृत्यु पर कितनी राशि प्रदाय की गई ? **(ग)** क्या छत्तीसगढ़ में लेमरू, कोरबा जैसे वन क्षेत्रों में हाथी और वन्यजीव अभ्यारण स्थापित किये गये हैं, यदि नहीं तो क्या कारण है? **(घ)** मानव तथा हाथी के संघर्षों को कम करने के लिये शासन द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये हैं और इसमें कितने प्रतिशत की सफलता वन विभाग को प्राप्त हुई है?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** प्रदेश में विगत 03 वर्षों में गजराज योजना नाम की कोई योजना लागू नहीं है। अतः व्यय का प्रश्न नहीं उठता। **(ख)** विगत 03 वर्षों में हाथियों द्वारा 199 जनहानि हुई है जिसकी वनमण्डलवार जनहानि एवं मुआवजा वितरण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ में दर्शित है ।** **(ग)** छत्तीसगढ़ राज्य में 02 हाथी रिजर्व की स्थापना की गई है। राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक/एफ 8-6/2007/10-2 दिनांक 07/10/2021 द्वारा कोरबा जिले के कोरबा एवं कटघोरा वनमण्डल, रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल एवं सरगुजा जिले के सरगुजा वनमण्डल के कुल क्षेत्रफल 1995.48 वर्ग किलोमीटर में लेमरू हाथी रिजर्व की स्थापना की गई है। इसके पूर्व राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-6/2007/10-2, दिनांक 15/09/2011 से वर्ष 2011 से सरगुजा-जशपुर हाथी रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 1143.24 वर्ग किलोमीटर स्थापित है। **(घ)** मानव-हाथी के संघर्ष को कम करने के लिये किये जा रहे प्रयासों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब में दर्शित है ।**

[\[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन" \]](#)

प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये ऋण तथा ब्याज के भुगतान

[वित्त]

59. (क्र. 1734) श्री शिवरतन शर्मा : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 में भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा एशियन डेवलपमेंट ऋण एवं अन्य संस्थाओं से राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण का राज्य शासन द्वारा कितनी राशि ब्याज के रूप में उक्त वर्षों में भुगतान किया जा चुका है तथा कितना भुगतान करना शेष है? **(ख)** राज्य सरकार पर 7 फरवरी, 2023 तक कुल कितना ऋण है तथा कुल देय ब्याज की राशि कितनी है? **(ग)** राज्य सरकार द्वारा लिये गये या लेने वाले ऋणों के भुगतान की समीक्षा हेतु कब-कब, किसकी-किसकी अध्यक्षता में बैठक की गयी है?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक तथा वर्ष 2022-23 में जनवरी, 2023 तक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं को ब्याज भुगतान की जानकारी "संलग्न प्रपत्र" अनुसार है। वर्ष 2022-23 के बजट में ब्याज भुगतान हेतु रू. 7,222.05 करोड़ के प्रावधान के विरुद्ध जनवरी 2023 तक रू. 4233.00 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है तथा रू 2989.05 करोड़ शेष अनुमानित है। **(ख)** 01 नवंबर 2000 को रू. 4,686 करोड़ मध्यप्रदेश से अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ था तत्पश्चात् वर्ष 2000-01 से जनवरी 2023 तक सरकार द्वारा रू. 1,05,535 करोड़ का ऋण लिया गया है। उक्त ऋणों के विरुद्ध जनवरी 2023 तक रू. 28,096 करोड़ का मूलधन भुगतान किया जा चुका है एवं जनवरी 2023 की स्थिति में रू. 82,125 करोड़ शुद्ध ऋण शेष है। इस वित्तीय वर्ष बजट में कुल रू 7222.05 करोड़ ब्याज भुगतान अनुमानित है। **(ग)** वित्त विभाग द्वारा दैनिक कैश प्रबंधन के आधार पर ऋण की आवश्यकता की समीक्षा की जाती है। लिये गये ऋण का समय पर पुनर्भुगतान करना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है।

[\[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन" \]](#)

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट


पारिशेष्य - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 1687) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जल जीवन मिशन के तहत जिला रायपुर में वर्ष 2021-22 से वर्ष 2022-23 (फरवरी 2023 तक) जारी किये गये वर्क आर्डर की विधानसभावार जानकारी

स.क्र	जिला	विधानसभा क्षेत्र	वर्क आर्डर (कार्यादेश) की संख्या	वर्क आर्डर की राशि (रु. लाख में)
1	रायपुर	बलौदाबाजार	54	6858.46
2	रायपुर	रायपुर ग्रामीण	14	1695.68
3	रायपुर	धरसीवा	120	12516.22
4	रायपुर	आरंग	94	12168.33
5	रायपुर	अभनपुर	93	13294.86
कुल			375	46533.55


 अनुमति अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

जल जीवन मिशन के तहत जिला रायपुर में निरस्त किये गये वर्क आर्डर की जानकारी

क्र.	जिला	अनुबंध क्रमांक	कार्यादेश क्रमांक/दिनांक	कार्य का विवरण	कार्यादेश में अनुबंधित राशि (रु. लाख में)	वर्क आर्डर निरस्त करने का कारण	रिमार्क
1	रायपुर	69/डी.एल. 21-22	4074/ 28.07.21	रायपुर जिले के विकासखण्ड अभनपुर के ग्राम पलौद रेट्रोफिटिंग जलप्रदाय योजना	78.59	ठेकेदार कार्य करने हेतु असमर्थ। धरोहर राशि राजसात किया गया।	-
2	रायपुर	71/डी.एल. 21-22	4084/ 30.07.21	रायपुर जिले के विकासखण्ड धरसीवा के ग्राम छपोरा रेट्रोफिटिंग जलप्रदाय योजना	84.53	ठेकेदार कार्य करने हेतु असमर्थ। धरोहर राशि राजसात किया गया।	-
3	रायपुर	170/डी.एल. 21-22	6573/ 18.11.21	रायपुर जिले के विकासखण्ड धरसीवा के ग्राम मुरेठी रेट्रोफिटिंग जलप्रदाय योजना	35.57	ठेकेदार कार्य करने हेतु असमर्थ। धरोहर राशि राजसात किया गया।	-
4	रायपुर	271/डी.एल. 21-22	94/ 05.01.22	रायपुर जिले के विकासखण्ड आरंग के ग्राम नरदहा रेट्रोफिटिंग जलप्रदाय योजना	116.42	पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नहीं होने के कारण	वर्तमान में सफल स्रोत प्राप्त। पुन निविदा आमंत्रित।
कुल					315.11	-	


अनुभाग अधिकारी
 जलिक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

पारोशेष्ट - दो

तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 1504) की जानकारी

प्रपत्र-अ

सी मार्ट के खोले जाने में अब तक व्यय की गई राशि की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	सी मार्ट का नाम	कुल सी मार्ट की संख्या	कितने और खोले जाने की तैयारी	कहां कहां खोले जायेंगे	अब तक व्यय की जा चुकी राशि
1.	रायपुर	सुभाष स्टेडियम सी-मार्ट रायपुर	02			1000000
2.		नालंदा परिसर सी-मार्ट रायपुर				1000000
3.				01	अग्रसेन भैंसथान चौक सी-मार्ट रायपुर	जिले के विभिन्न स्व.सहायता समूहों के द्वारा उत्पादित सामाग्री उत्पादों की बिक्री किये जाने हेतु व्यवस्था के लिये कार्यालय रायपुर जिला खनिज संस्थान न्यास द्वारा 12327010 (एक करोड़ तेईस लाख सत्ताईस हजार दस रुपये प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की गई है। जिसमें से 4930800 (उनचास लाख तीस हजार आठ सौ रुपये) प्रथम किस्त के रूप में निर्माण एजेन्सी रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को जारी किया गया है।


 अनुभाग अधिकारी
 ग्रामोद्योग विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

सामग्री कय एवं लाभ अथवा हानि की जानकारी

क.	जिला का नाम	सी मार्ट का नाम	शासन द्वारा कय की गई सामग्री की राशि	संस्था द्वारा कय की गई सामग्री की राशि	संचालन करने वाले निजी संस्था द्वारा आज दिनांक की स्थिति में लाभ अथवा हानि की स्थिति
1	2	3	4	5	6
		सी-मार्ट सुभाष स्टेडियम रायपुर	निरंक	772163	सी मार्ट द्वारा सामग्री विक्रय करने से कुल लाभांश 32009 रुपये प्राप्त हुई है, लेकिन सी मार्ट का परिचालन/संचालन व्यय भुगतान पश्चात् संस्था हानि की स्थिति में है।
	रायपुर	सी-मार्ट नालंदा परिसर रायपुर	निरंक	485054	सी मार्ट द्वारा सामग्री विक्रय करने से कुल लाभांश 27029 रुपये प्राप्त हुई है, लेकिन सी मार्ट का परिचालन/संचालन व्यय भुगतान पश्चात् संस्था हानि की स्थिति में है।
		सी-मार्ट अग्रसेन भैंसथान चौक रायपुर	निरंक	2860204	ओपनिंग नही हुई है।


अनुभाग अधिकारी
 प्रमोद्योग विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

परिशेष - तीन
तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 1619) की जानकारी

प्रपत्र "अ"


पाई गई अनियमितता का विवरण

क्र.	जांच प्रतिवेदन क्रमांक / दिनांक	पाई गई अनियमितताएं
1	290 दिनांक 05.03.2022	बेलगहना परिक्षेत्र अंतर्गत परिसर नवागांव के कक्ष क्रमांक 2406, 2408, 2409 एवं 2410 कैम्पा योजनांतर्गत एपीओ वर्ष 2019-20 में स्वीकृत नरवा विकास कार्य में ब्रशवुड एवं लूज बोल्डर चेकडेम निर्माण कार्य में फर्जी प्रमाणक तैयार कर भुगतान किया जाकर गलत लेखा समायोजन कर शासकीय राशि रु. 8,59,507/- की वित्तीय अनियमितता।
2	290 दिनांक 05.03.2022	राज्य कैम्पा अंतर्गत बेलगहना वन परिक्षेत्र में आमानारा एवं भालूपथरा नाला में ब्रशवुड चेकडेम एवं लूज बोल्डर चेकडेम निर्माण कार्य में कार्यरत वाहनों हेतु मेसर्स उमा पयूल्स बेलगहना से राशि रु. 1,23,115/- का 1,393.32 लीटर डीजल क्रय किया गया, परन्तु संबंधित फर्म को डीजल क्रय की राशि भुगतान न करते हुए कूटरचना कर फर्जी प्रमाणक तैयार कर भुगतान कर वित्तीय अनियमितता।
3	713 दिनांक 21.07.2022	राज्य कैम्पा मद के तहत बेलगहना वन परिक्षेत्र अंतर्गत परिसर छुईया कक्ष क्रमांक 1174 एवं 1175 कैम्पा योजनांतर्गत ए.पी.ओ. वर्ष 2019-20 में स्वीकृत नरवा विकास कार्य कहुआ नाला में स्टाप डेम क्रमांक-02 निर्माण कार्य में फर्जी प्रमाणक तैयार कर भुगतान किया जाकर गलत लेखा समायोजन कर राशि रु. 6,33,807/- की वित्तीय अनियमितता।
		कुल अनियमितता की राशि रु. 16,16,429/-

(Handwritten Signature)
16-3-23
उपस्थित अधिकारी
कक्ष क्र. 1619 परिसर नवागांव,
मंत्रालय, नवा रावपुर, अटावा जिला

प्रपत्र "ब"
निलंबित अधिकारी/कर्मचारियों पर की गई कार्यवाही का विवरण

क.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	की गई कार्यवाही का विवरण
1	श्री विजय कुमार साहू, वनक्षेत्रपाल	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के आदेश क्रमांक/561 दिनांक 05.08.2022 द्वारा निलंबित किया गया। पत्र क्रमांक/9171 दिनांक 13.09.2022 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया तथा आदेश क्रमांक/653 दिनांक 30.09.2022 के द्वारा विभागीय जांच संस्थित किया गया। विभागीय जांच अधिकारी वनमंडलाधिकारी कटघोरा को नियुक्त किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के आदेश क्रमांक/654 दिनांक 30.09.2022 के द्वारा निलंबन से बहाल कर विशेष कर्तव्य वृत्त कार्यालय बिलासपुर में पदस्थ किया गया है।
2	श्री सेवक राम बैगा, वनक्षेत्रपाल	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के आदेश क्रमांक/560 दिनांक 05.08.2022 द्वारा निलंबित किया गया। पत्र क्रमांक/9223 दिनांक 13.09.2022 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया तथा आदेश क्रमांक/722 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा विभागीय जांच संस्थित किया गया। विभागीय जांच अधिकारी वनमंडलाधिकारी कटघोरा को नियुक्त किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के आदेश क्रमांक/721 दिनांक 14.11.2022 के द्वारा निलंबन से बहाल कर विशेष कर्तव्य वृत्त कार्यालय कांकेर में पदस्थ किया गया है।
3	श्री मोहम्मद शमीम, वनपाल	मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर के आदेश क्रमांक/197 दिनांक 26.07.2022 द्वारा निलंबित किया गया। पत्र क्रमांक/6219 दिनांक 29.08.2022 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया तथा आदेश क्रमांक/264 दिनांक 10.10.2022 के द्वारा विभागीय जांच संस्थित किया गया। विभागीय जांच अधिकारी उप वनमंडलाधिकारी कोटा को नियुक्त किया गया है। मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर के आदेश क्रमांक/277 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा निलंबन से बहाल कर मरवाही वनमंडल में पदस्थ किया गया है।
4	श्री हित कुमार ध्रुव, वनरक्षक	मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर के आदेश क्रमांक/199 दिनांक 26.07.2022 द्वारा निलंबित किया गया। पत्र क्रमांक/6223 दिनांक 29.08.2022 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया तथा आदेश क्रमांक/265 दिनांक 10.10.2022 के द्वारा विभागीय जांच संस्थित किया गया। विभागीय जांच अधिकारी उप वनमंडलाधिकारी कोटा को नियुक्त किया गया है। मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर के आदेश क्रमांक/276 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा निलंबन से बहाल कर बिलासपुर वनमंडल में पदस्थ किया गया है।
5	श्री मुलेश कुमार जोशी, वनरक्षक	मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर के आदेश क्रमांक/198 दिनांक 26.07.2022 द्वारा निलंबित किया गया। पत्र क्रमांक/6221 दिनांक 29.08.2022 के द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया तथा आदेश क्रमांक/266 दिनांक 10.10.2022 के द्वारा विभागीय जांच संस्थित किया गया। विभागीय जांच अधिकारी उप वनमंडलाधिकारी कोटा को नियुक्त किया गया है। मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर के आदेश क्रमांक/275 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा निलंबन से बहाल कर बिलासपुर वनमंडल में पदस्थ किया गया है।


अनुभाग अधिकारी
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

परिशेष - चार
तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 1561) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	जिला का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षित का ज्ञान	वर्ष	कार्य का नाम	मद का नाम	स्थल का नाम	स्वीकृति का विवरण		व्यय राशि (लाख रु. में)	कार्य की अद्यतन स्थिति	
								नौतिक (रनिंग मीटर में)	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)		पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बस्तर	बस्तर	माचकोट	2020-21	वैश्लिक फेंसिंग कार्य	कैम्पा	छ.ग. एवं उद्योग सीमा	6000	107,640	97,038	1	0
योग: माचकोट परिक्षेत्र												
2	बस्तर	बस्तर	बकवण्ड	2020-21	प्रकृतिक बेलदारन सुरक्षावेडा का संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य	कैम्पा	बैतवरन झूराकावेडा	533	24,980	24,972	1	0
योग: बकवण्ड परिक्षेत्र												
योग: बस्तर प्रमण्डल												
3	बस्तर	कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर	कोटमसर	2020-21	वैश्लिक फेंसिंग कार्य	कैम्पा	शाकाहारी वन्यजान प्रजनन केंद्र, कोटमसर	2100	54,300	37,288	0	1
योग: कोटमसर परिक्षेत्र												
योग: कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर												
कुलयोग: बस्तर जिला वर्ष 2020-21												
4	बस्तर	बस्तर	बकवण्ड	2021-22	देवनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु वैश्लिक फेंसिंग कार्य	कैम्पा	1308 पी उलनार	167	3,000	2,332	1	0
5	बस्तर	बस्तर	बकवण्ड	2021-22	देवनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु वैश्लिक फेंसिंग कार्य	कैम्पा	1279 पी सोनपुर	167	3,000	2,332	1	0
6	बस्तर	बस्तर	बकवण्ड	2021-22	देवनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु वैश्लिक फेंसिंग कार्य	कैम्पा	1284 पी तोंगकोंगरा	167	3,000	2,332	1	0
7	बस्तर	बस्तर	बकवण्ड	2021-22	देवनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु वैश्लिक फेंसिंग कार्य	कैम्पा	1274 पी आबलानाटा	167	3,000	2,332	1	0

1/

क्र.	जिला का नाम	धनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	मद का नाम	स्थल का नाम	स्वीकृति का विवरण		व्यय राशि (लाख रु. में)	कार्य की अद्य स्थिति	
								भौतिक (रनिंग मीटर में)	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)		पूर्ण	आ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
8	बस्तर	बस्तर	बकावण्ड	2021-22	देवनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु चैनलिक फेसिंग कार्य	कैम्पा	1301 पी कोसमी	167	3.000	2.332	1	0
9	बस्तर	बस्तर	बकावण्ड	2021-22	देवनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु चैनलिक फेसिंग कार्य	कैम्पा	1281 पी गिरोला	167	3.000	2.332	1	0
10	बस्तर	बस्तर	बकावण्ड	2021-22	देवनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु चैनलिक फेसिंग कार्य	कैम्पा	1278 पी जैतगिरी	167	3.000	2.332	1	0
11	बस्तर	बस्तर	बकावण्ड	2021-22	देवनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु चैनलिक फेसिंग कार्य	कैम्पा	आरंज एरिया डुरकाबेड़ा	167	3.000	2.332	1	0
योग: बकावण्ड परिक्षेत्र												
								1336	24.000	18.656	8	0
12	बस्तर	बस्तर	करपावण्ड	2021-22	देवनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु चैनलिक फेसिंग कार्य	कैम्पा	आर.एफ. 1117 मोहलई	160	2.870	2.803	1	0
13	बस्तर	बस्तर	करपावण्ड	2021-22	देवनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु चैनलिक फेसिंग कार्य	कैम्पा	पी.एफ. 1178 पठारी	160	2.870	2.803	1	0
14	बस्तर	बस्तर	करपावण्ड	2021-22	देवनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु चैनलिक फेसिंग कार्य	कैम्पा	आर.एफ. 1141 भिरिडा	160	2.870	2.803	1	0
15	बस्तर	बस्तर	करपावण्ड	2021-22	देवनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु चैनलिक फेसिंग कार्य	कैम्पा	आर.एफ. 1153 धनपुर	160	2.870	2.803	1	0
16	बस्तर	बस्तर	करपावण्ड	2021-22	देवनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु चैनलिक फेसिंग कार्य	कैम्पा	पी.एफ. 1195 गारंगा	160	2.870	2.803	1	0
योग: करपावण्ड परिक्षेत्र												
								800	14.350	14.015	5	0
17	बस्तर	बस्तर	कोलेंग	2021-22	देवनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु चैनलिक फेसिंग कार्य	कैम्पा	कोलेंग (शुद्धरिन मालागुडी)	167	3.000	0.000	0	1
18	बस्तर	बस्तर	कोलेंग	2021-22	देवनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु चैनलिक फेसिंग कार्य	कैम्पा	कोलेंग (मावली माता मंदिर)	167	3.000	0.000	0	1

क्र.	जिला का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	मद का नाम	स्थल का नाम	स्वीकृति का विवरण		व्यय राशि (लाख रु. में)	कार्य की अद्य स्थिति	
								भौतिक (रनिंग मीटर में)	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)		पूर्ण	अपू
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	बस्तर	बस्तर	कोलेंग	2021-22	देववनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु दैनिक फेंसिंग कार्य	कैम्पा	कोलेंग (माता गुड़ी)	167	3.000	0.000	0	1
20	बस्तर	बस्तर	कोलेंग	2021-22	देववनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु दैनिक फेंसिंग कार्य	कैम्पा	कान्दानार (सावली माता मंदिर)	167	3.000	0.000	0	1
21	बस्तर	बस्तर	कोलेंग	2021-22	देववनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु दैनिक फेंसिंग कार्य	कैम्पा	कान्दानार (हिंगलाजिन माता मंदिर)	167	3.000	0.000	0	1
22	बस्तर	बस्तर	कोलेंग	2021-22	देववनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु दैनिक फेंसिंग कार्य	कैम्पा	कान्दानार (बामनदेई माता मंदिर)	167	3.000	0.000	0	1
23	बस्तर	बस्तर	कोलेंग	2021-22	देववनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु दैनिक फेंसिंग कार्य	कैम्पा	छिन्दपुर (लोहजारीन माता मंदिर)	167	3.000	0.000	0	1
24	बस्तर	बस्तर	कोलेंग	2021-22	देववनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु दैनिक फेंसिंग कार्य	कैम्पा	मुण्डागढ़ (बैरी माता गुड़ी)	167	3.000	0.000	0	1
योग: कोलेंग परिक्षेत्र								1336	24.000	0.000	0	8
योग: बस्तर वनमंडल								3472	62.350	32.671	13	8
25	बस्तर	कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर	कोलेंग	2021-22	फॉरेस्ट कॉलोनी, कोलेंग में दैनिक फेंसिंग कार्य	कैम्पा	कोलेंग	150	2.720	2.636	1	0
योग: कोलेंग परिक्षेत्र								150	2.720	2.636	1	0
26	बस्तर	कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर	कोटमसर	2021-22	फॉरेस्ट कॉलोनी कोटमसर में दैनिक फेंसिंग कार्य	कैम्पा	आर.एफ.-86 कोटमसर	250	4.530	1.407	0	1
27	बस्तर	कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर	कोटमसर	2021-22	फॉरेस्ट कॉलोनी नागलसर में दैनिक फेंसिंग कार्य	कैम्पा	नागलसर	280	5.070	1.568	0	1
28	बस्तर	कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर	कोटमसर	2021-22	फॉरेस्ट कॉलोनी कामानार में दैनिक फेंसिंग कार्य	कैम्पा	कामानार	350	6.180	1.961	0	1
योग: कोटमसर परिक्षेत्र								880	15.780	4.936	0	3
योग: कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर								1030	18.500	7.572	1	3
कुलयोग बस्तर जिला वर्ष 2021-22								4502	80.850	40.243	14	11

क्र.	जिला का नाम	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	मद का नाम	स्थल का नाम	स्वीकृति का विवरण		व्यय राशि (लाख रु. में)	कार्य की अद्य स्थिति	
								भौतिक (रनिंग मीटर में)	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)		पूर्ण	अपु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	बस्तर	बस्तर	बस्तर	2022-23	दंबवनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु चैनलिक फेसिंग कार्य	कैम्पा	कक्ष क्र. 1432	167	3.000	0.000	0	1
30	बस्तर	बस्तर	बस्तर	2022-23	दंबवनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु चैनलिक फेसिंग कार्य	कैम्पा	कक्ष क्र. 1430	167	3.000	0.000	0	1
31	बस्तर	बस्तर	बस्तर	2022-23	दंबवनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु चैनलिक फेसिंग कार्य	कैम्पा	कक्ष क्र. 1421	167	3.000	0.000	0	1
32	बस्तर	बस्तर	बस्तर	2022-23	दंबवनों का संरक्षण एवं संवर्धन कार्य हेतु चैनलिक फेसिंग कार्य	कैम्पा	कक्ष क्र. 1420	167	3.000	0.000	0	1
योग: हस्तर परिक्षेत्र								668	12.000	0.000	0	4
योग: बस्तर वनमंडल								668	12.000	0.000	0	4
33	बस्तर	अनु० एवं विस्तार वनमंडल जगदलपुर	तोकापाल	2022-23	हार्डटेक नर्सरी स्थापना कार्य के अंतर्गत चैनलिक फेसिंग कार्य	कैम्पा	सरगीपाल आर.एफ. 1024	1931	52.210	40.360	0	1
योग: तोकापाल परिक्षेत्र								1931	52.210	40.360	0	1
योग: अनु० एवं विस्तार वनमंडल जगदलपुर								1931	52.210	40.360	0	1
34	बस्तर	कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर	कोटमसर	2022-23	चैनलिक फेसिंग कार्य	कैम्पा	कोटमसर	60	1.090	0.000	0	1
योग: कोटमसर परिक्षेत्र								60	1.090	0.000	0	1
योग: कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर								60	1.090	0.000	0	1
कुलयोग बस्तर जिला वर्ष 2022-23								2659	65.300	40.360	0	6
महायोग: जिला बस्तर (विगत तीन वर्ष -2020-21, 2021-22 एवं 2022-23) तक								15794	333.070	239.901	16	18


6/11/23
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
धुल्लिसागढ़, नवा रायपुर अटल नगर

पारिशेष्ट - पाँच
तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 1509) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष	वनमण्डल का नाम	वनमार्ग का नाम जिसमें कार्य किया गया	स्वीकृत राशि (रूपये में)	
			नवीनीकरण	मरम्मत
1	2	3	4	5
2020-21	बालोद	तालगांव से सेमरकोना - 2.50 कि.मी.	0	10325
2020-21	बालोद	रानी मां से सियादेवी - 2.00 कि.मी.	0	11800
2020-21	बालोद	दैहान से भैसबोड - 4.40 कि.मी.	0	61997
2020-21	बालोद	रामनगर से अमलीडीह - 6.00 कि.मी.	0	15785
2020-21	बालोद	गोटाटोला से कंकालीन मंदिर-2.00 कि.मी.	0	8671
2020-21	बालोद	मरकाटोला से कंकालीन मंदिर -2.00 कि.मी.	0	33630
2020-21	बालोद	कोसमी से मंगचुवा - 8.00 कि.मी.	0	44250
2020-21	बालोद	चिरचारी से हितेकसा -10.00 कि.मी.	0	507843
2020-21	बालोद	मंगलतराई चौक से पेटेचुवा -2.00 कि.मी.	0	44250
2020-21	बालोद	बोरिदकला से आमापानी- 6.00 कि.मी.	0	53044
2020-21	बालोद	जगतरा से खैरडीगी - 6.00 कि.मी.	0	48574
2020-21	बालोद	करियाटोला से चुल्हापथरा -1.00 कि.मी.	0	6195
2020-21	बालोद	कोसमी से मंगचुवा 1.00 कि.मी. (डब्ल्यू.बी.एम.वनमार्ग उन्नयन)	1510000	0
2020-21	बालोद	चिरचारी से हितेकसा 1.00 कि.मी. (डब्ल्यू.बी.एम.वनमार्ग उन्नयन)	1510000	0
वर्ष 2020-21 का योग-			3020000	846364
2021-22	बालोद	तालगांव से सेमरकोना - 2.50 कि.मी.	0	10800
2021-22	बालोद	रानी मां से सियादेवी - 2.00 कि.मी.	0	116618
2021-22	बालोद	दैहान से भैसबोड -4.40 कि.मी.	0	74743
2021-22	बालोद	रामनगर से अमलीडीह - 6.00 कि.मी.	0	46050
2021-22	बालोद	नगबेलडीह से कंकालीन मंदिर -1.00 कि.मी.	0	105313
2021-22	बालोद	मरकाटोला से नगबेलडीह -2.00 कि.मी.	0	17499
2021-22	बालोद	चिरचारी से हितेकसा 10.00 कि.मी.	0	200541
2021-22	बालोद	कोसमी से मंगचुवा 8.00 कि.मी.	0	34608
2021-22	बालोद	जगतरा से खैरडीगी - 6.00 कि.मी.	0	34608
2021-22	बालोद	भेजा चौक से मंगलतराई -2.00 कि.मी.	0	17304
2021-22	बालोद	घानापुरी से ओडेनाडीह - 2.00 कि.मी.	0	17304
2021-22	बालोद	ओडेनाडीह से फुटहालारी-1.60 कि.मी.	0	13905
2021-22	बालोद	जगतरा से मड़वापथरा -2.00 कि.मी.	0	17304
2021-22	बालोद	बोरिदकला से आमापानी- 3.00 कि.मी.	0	368019
2021-22	बालोद	पेटेचुवा से मंगलतराई -2.50 कि.मी.	0	21630
2021-22	बालोद	भेजानाला से कंकालीन -2.00 कि.मी.	0	193434
2021-22	बालोद	रामनगर से अमलीडीह-4.00 कि.मी. (डब्ल्यू.बी.एम. वनमार्ग उन्नयन)	6031000	0
2021-22	बालोद	रानी मां से सियादेवी - 2.00 कि.मी. (डब्ल्यू.बी.एम. वनमार्ग उन्नयन)	3020000	0
2021-22	बालोद	बोरिदकला से आमापानी 3.50 कि.मी. (डब्ल्यू.बी.एम. वनमार्ग उन्नयन)	5285000	0
वर्ष 2021-22 का योग-			14336000	1289680

वर्ष	वनमण्डल का नाम	वनमार्ग का नाम जिसमें कार्य किया गया	स्वीकृत राशि (रूपये में)	
			नवीनीकरण	मरम्मत
1	2	3	4	5
2022-23	बालोद	दैहान से भैसबोड -4.40 कि.मी.	0	38735
2022-23	बालोद	रामनगर से अमलीडीह - 6.00 कि.मी.	0	75042
2022-23	बालोद	तालगांव से सेमरकोना - 2.50 कि.मी.	0	8398
2022-23	बालोद	रानी मां से सियादेवी - 2.00 कि.मी.	0	3876
2022-23	बालोद	चिरचारी से हितेकसा 10 कि.मी.	0	88302
2022-23	बालोद	भेजानाला से कंकालीन -3.00 कि.मी.	0	26186
2022-23	बालोद	मरकाटोला से नगबेलडीह -2.00 कि.मी.	0	17765
2022-23	बालोद	नगबेलडीह से कंकालीन मंदिर -1.00 कि.मी.	0	8721
2022-23	बालोद	ओडेनाडीह से फुटहालारी-1.60 कि.मी.	0	15304
2022-23	बालोद	धानापुरी से ओडेनाडीह-2.20 कि.मी.	0	19380
2022-23	बालोद	जगतरा से मड़वापथरा -2.00 कि.मी.	0	313208
2022-23	बालोद	जगतरा से खैरडिगी-2.00 कि.मी.	0	313208
वर्ष 2022-23 का योग-			0	921825


 संचालक (बजट)
 कार्यालय प्र.मु.व.सं. एवं वन बाल प्रमुख
 छत्तीसगढ़, रायपुर

पॉरीशेष्ट - छः

तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1731) की जानकारी

प्रपत्र

जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल कनेक्शन का लक्ष्य, 28 फरवरी 2023 तक प्रदाय

नल कनेक्शन एवं शेष नल कनेक्शन की जानकारी

क्र.	जिला	जल जीवन मिशन अंतर्गत लक्षित ग्रामीण परिवारों की	28 फरवरी 2023 तक प्रदाय घरेलू नल कनेक्शन	लक्ष्य के विरुद्ध शेष घरेलू नल कनेक्शन
1	2	3	4	5
1	रायपुर	184335	121527	62808
2	बलौदाबाजार	297175	97476	199699
3	गरियाबंद	153279	67627	85652
4	धमतरी	155130	112866	42264
5	महासमुंद	238617	86466	152151
6	दुर्ग	153476	85686	67790
7	बालोद	176003	72902	103101
8	बेमेतरा	175992	77294	98698
9	राजनांदगांव	294011	146238	147773
10	कबीधाम	195335	91023	104312
11	बिलासपुर	249304	84547	164757
12	जी.पी.एम.	79450	21734	57716
13	मुंगेली	168290	71815	96475
14	कोरबा	205380	54446	150934
15	जांजगीर-चांपा	410050	152558	257492
16	रायगढ	342869	108690	234179
17	सरगुजा	183290	46906	136384
18	बलरामपुर	186535	45037	141498
19	सूरजपुर	176383	45795	130588
20	कोरिया	133691	44905	88786
21	जशपुर	211728	54670	157058
22	बस्तर	164498	63213	101285
23	दंतेवाड़ा	51983	27709	24274
24	सुकमा	68868	22970	45898
25	बीजापुर	47090	27621	19469
26	कोण्डागांव	124482	47826	76656
27	कांकेर	151402	59291	92111
28	नारायणपूर	29364	12378	16986
योग		5008010	1951216	3056794


 अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 रायपुर, अटल नगर

परिशेष - सात
तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1617) की जानकारी

प्रपत्र

प्रदेश में दिनांक 28.02.2023 की स्थिति में कृषि पंप हेतु
औपचारिकतापूर्ण स्थायी कनेक्शन के लंबित आवेदनों के संख्या की
जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	औपचारिकतापूर्ण लंबित आवेदनों की संख्या
1	2	3
1	रायपुर	1077
2	बलौदाबाजार	2704
3	गरियाबंद	1609
4	धमतरी	1767
5	महासमुन्द	4070
6	दुर्ग	1890
7	बालोद	2504
8	बेमेतरा	4445
9	राजनांदगाँव	4246
10	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	2704
11	मानपुर-मोहला-अं. चौकी	1510
12	कबीरधाम	2838
13	बस्तर	201
14	दंतेवाड़ा	8
15	सुकमा	9
16	बीजापुर	4
17	कांकेर	4413
18	कोण्डागांव	4248
19	नारायणपुर	6

20	बिलासपुर	1597
21	पेन्द्रारोड	121
22	मुंगेली	1483
23	जांजगीर-चांपा	141
24	सक्ती	623
25	कोरबा	34
26	रायगढ़	2168
27	सांरगढ़-बिलाईगढ़	0
28	जशपुर नगर	64
29	सरगुजा	312
30	सूरजपुर	346
31	बलरामपुर	283
32	कोरिया	4
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	6
कुल योग :-		47435


 उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

पारिशेष्ट - आठ


तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 1502) की जानकारी

प्रयत्न

f

क्र.	वनमण्डल का नाम	हाथी द्वारा मारे गये मृत व्यक्ति का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी	घटना स्थल का नाम	मृत्यु दिनांक	पुरुष / महिला	वर्ष में	मुआवजा राशि भुगतान (राशि रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
वर्ष 2021							
1	रायगढ़	श्रीमती तीजमती भारती व. श्री शोभाराम भारती साकिन- मल्दा	मल्दा राजस्व क्षेत्र	26/02/2021	महिला	70	6.00
2	रायगढ़	श्री मनोहर पटेल पिता श्री रामेश्वर पटेल, साकिन- गुदयारी	गुडियारी राजस्व क्षेत्र	28/02/2021	पुरुष	21	6.00
3	रायगढ़	श्री राजेश व. समयलाल सूर्यवंशी, साकिन- छैड़ोरिया	छैड़ोरिया राजस्व क्षेत्र	03/04/2021	पुरुष	26	6.00
4	धरमजयगढ़	श्री कार्तिक राम वल्द भुजबल यादव,	वन क्षेत्र कक्ष क्र. 293 आर एफ	12.01.2021	पुरुष	65	6.00
5	धरमजयगढ़	श्री बोधीराम वल्द अमरसाय जा. कोरवा, ग्राम- टेढ़ासेमर	कक्ष क्र. 22 आर एफ, ग्राम टेढ़ासेमर	25.01.2021	पुरुष	62	6.00
6	धरमजयगढ़	श्री धनेश्वर वल्द चंदनराम जा. कोरवा, ग्राम- टेढ़ासेमर	कक्ष क्र. 22 आर एफ, ग्राम टेढ़ासेमर	25.01.2021	पुरुष	30	6.00
7	धरमजयगढ़	श्री राकेश वल्द रत्थूराम राठिया, साकिन- बहेरामार	कक्ष क्र. 549 पी एफ ग्राम बहेरामार	16.03.2021	पुरुष	18	6.00
8	धरमजयगढ़	श्री घासीराम व. डेरिहा साकिन क्रौंघा	कक्ष क्र. 454 पी एफ, क्रौंघा	12.04.2021	पुरुष	68	6.00
9	धरमजयगढ़	श्री धरमसिंह वल्द तिलक राम राठिया, ग्राम- गेरसा	ग्राम गेरसा	29.06.2021	पुरुष	34	6.00
10	धरमजयगढ़	श्री दिलीप सिंह वल्द श्री बैंगाराम राठिया जाति कंवर साकिन नरकालो	ग्राम कोलमार	12.07.2021	पुरुष	45	6.00
11	धरमजयगढ़	श्री रामबली व. दीनानाथ साकिन डांडकेसरा	कक्ष क्रमांक 707 आर. एफ. धरमजयगढ़ एंव सरगुजा वनमंडल के सीमा लाईन	28.07.2021	पुरुष	40	6.00
12	धरमजयगढ़	श्री लक्ष्मण व शिवनाथ साकिन परपटिया	कक्ष क्रमांक 707 आर. एफ. धरमजयगढ़ एंव सरगुजा वनमंडल के सीमा लाईन	28.07.2021	पुरुष	55	6.00
13	धरमजयगढ़	श्री सिफर कुजूर वल्द शनिराम कुजूर साकिन बलपेदा	ग्राम बलपेदा	03.08.2021	पुरुष	55	6.00
14	धरमजयगढ़	श्री मोहित राम वल्द पृथ्वी यादव, ग्राम- आंगना	ग्राम आंगना	11.08.2021	पुरुष	39	6.00
15	धरमजयगढ़	श्री जयनाथ वल्द ननका एक्का, ग्राम- आंगना	कक्ष क्र. 429 पी एफ	27.10.2021	पुरुष	65	6.00
योग:-							90.00
वर्ष 2022							
1	रायगढ़	आनंदराम यादव पिता श्री सिदार यादव, साकिन- कांटाझरिया	कांटाझरिया	24/05/2022	पुरुष	40	6.00
2	रायगढ़	दिरराजो पति बंधन राठिया, ग्राम- बटुराकछार	बटुराकछार	24/07/2022	महिला	55	0.25
3	रायगढ़	श्री जितेन्द्र कुमार पिता श्री संतोष कुमार राठिया उग्र साकिन नगोई तहसील खरसियां थाना जोबी जिला रायगढ़ (छ.ग.)	चारमार से लौटान कच्ची मार्ग नकाईनमुडा	04/12/2022	पुरुष	20	6.00
4	धरमजयगढ़	श्रीमती देवकुमारी जौ. सूरजमन यादव जा. अहिर साकिन- चापकछार	क.क्र. 699 आर एफ. स्थानीय नाम तेन्दूडीह जलडेगा	22.01.2022	महिला	67	6.00
5	धरमजयगढ़	श्री दिलीप सरकार व. मनोहर सरकार साकिन मेढरमार	ग्राम मेढरमार	02.03.2022	पुरुष	52	6.00
6	धरमजयगढ़	श्रीमती इंजोरीबाई जौ. सुखीराम साकिन	कक्ष क्रमांक 33 आर एफ, ग्राम	15.03.2022	महिला	70	6.00

क्र.	वनमण्डल का नाम	हाथी द्वारा मारे गये मृत व्यक्ति का नाम श्री/श्रीमती/कुमारी	घटना स्थल का नाम	मृत्यु दिनांक	पुरुष / महिला	वर्ष में	मुआवजा राशि भुगतान (राशि रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
7	धरमजयगढ़	श्रीमती सबिनाबाई पति बुधनराम, साकिन- उपरसलखेता	ग्राम उपरसलखेता	16.03.2022	महिला	30	6.00
योग:-							36.25
वर्ष 2023							
1	रायगढ़	-	-	-	-	-	0
2	धरमजयगढ़	-	-	-	-	-	0
योग:-							0
महायोग:-							126.25


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.)
 छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर

पॉरीशेट - नौ

तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 202) की जानकारी

प्रयत्न

क	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद पर कार्यरत का दिनांक
1	श्री किशन सिंह, लेखापाल	16/12/2022
2	श्री मनोज कुमार, निज सहायक	23/03/2021
3	श्री कुलदीप रावत, सत्कार सहायक-2	03/02/2023
4	श्री मुकेश खेरा, सत्कार सहायक	21/07/2014
5	श्री तरुण कुमार वर्मा, सत्कार सहायक	28/07/2014
6	श्री नंद कुमार गोंड, सत्कार सहायक	08/08/2014
7	श्री दीपक कुमार, आरक्षण लिपिक	01/07/2014
8	श्री संजीव कुमार, कौशियर	01/07/2014
9	श्री दीपक कुमार शर्मा, कम्प्यूटर ऑपरेटर	26/07/2014
10	श्री लोकेश कुमार ध्रुव, कम्प्यूटर ऑपरेटर	23/07/2014
11	सुश्री भावना, सहायक 3	01/07/2014
12	सुश्री सविता मिंज, सहायक-3	27/08/2018
13	सुश्री शशी सेठी, स्वागती	26/06/1989
14	श्री कन्हैया प्रसाद, स्वागती	24/05/2007
15	श्री बिहारी लाल, स्वागती	24/05/2007
16	श्री रमेश मीणा, स्वागती	01/09/2015
17	श्री नन्दन सिंह, स्वागती	29/12/2011
18	श्री अफाक अहमद, टेलीफोन ऑपरेटर	01/07/2014
19	श्री प्रताप सिंह वाहनचालक	01/10/1991
20	श्री मरतराम वाहनचालक	01/10/1991
21	श्री माइकल तिग्गा वाहनचालक	10/01/1995
22	श्री प्रमोद खाखा, वाहनचालक	24/07/2014
23	श्री सतपाल, वाहनचालक	21/07/2014
24	श्री अमरचंद, वाहनचालक	21/07/2014
25	श्री मिथलेश यादव, वाहनचालक	28/08/2014
26	श्री सुदेश कुमार, कुक	11/12/1989
27	श्री डोंगर सिंह चौहान, स्टोरकीपर	01/09/2015
28	श्री रमेश रावल, वेटर	01/09/1989
29	श्री प्रेमसिंह नेगी, वेटर	18/09/1989
30	श्री धनसिंह, वेटर	12/08/1992
31	श्री गोविन्द सिंह नेगी वेटर	24/05/2007
32	श्री आनन्द वल्लभ पंत वेटर	24/05/2007
33	श्री कुमार सी मडाली वेटर	25/05/2007
34	श्री बाल कुंवर राम, वेटर	31/07/2014
35	श्री वी0 बाबू, वेटर	21/07/2014
36	श्री गंगा रतन यादव, वेटर	24/07/2014
37	श्री रमेश मुंशी, भृत्य	07/04/2005
38	श्री हिमांशु नेगी, भृत्य	01/07/2014
39	श्री मानसिंह थापा किचिनमेट	01/09/1989
40	श्री के0 पांडीकाशी किचिनमेट	01/03/1994
41	श्री वेदपाल सिंह, वेटर	01/09/1989
42	श्री मधुकर सेन्दरे चौकीदार	19/10/1994

पारिशेष्ट - दस

तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 1651) की जानकारी

" प्रपत्र "

राजनांदगांव एवं खैरागढ़ वनमण्डल में पर्यावरण वानिकी योजना व कैम्पा के तहत सड़क निर्माण एवं पार्क उन्नयन कार्य की प्राप्त स्वीकृति अनुसार वर्षवार, कार्यवार व्यय, मदवार व्यय, कार्य पूर्ण, अपूर्ण की अद्यतन जानकारी

वर्ष	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	मद का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	जारी की गई राशि	व्यय राशि	कार्य पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
2020-21	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण कार्य खुज्जी से उमरवाही मार्ग	4848085	4742293	पूर्ण
2020-21	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण कार्य जंतर से पदगुडा मार्ग	4848085	4740956	पूर्ण
2020-21	राजनांदगांव	राजनांदगांव	कैम्पा	बायोडायवर्सिटी पार्क टप्पा चैनलिंग फॉसिंग कार्य	9329000	7429897	कार्य पूर्ण भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
2020-21	राजनांदगांव	राजनांदगांव	कैम्पा	बायोडायवर्सिटी पार्क टप्पा एंट्री गेट निर्माण कार्य	1293000	0	कार्य पूर्ण भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
				योग --	20318170	16913146	
2020-21	राजनांदगांव	राजनांदगांव	(2536) पर्यावरण वानिकी योजना	पार्क निर्माण कार्य नारंगी क्षेत्र डोंगरगांव	806000	806000	पूर्ण
				योग --	806000	806000	
2022-23 (15 फरवरी 23 तक)	राजनांदगांव	राजनांदगांव	(2536) पर्यावरण वानिकी योजना	औषधीय पौधों के प्रदर्शन प्लाट, वनमंडल कार्यालय परिसर	500000	0	कार्य पूर्ण भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
2022-23 (15 फरवरी 23 तक)	राजनांदगांव	राजनांदगांव	---	फलदार, शोभादार पौधा रोपण एवं पेंटिंगा कार्य, वनमंडल कार्यालय परिसर	300000	0	कार्य पूर्ण भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।

वर्ष	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	मद का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	जारी की गई राशि	व्यय राशि	कार्य पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
2022-23 (15 फरवरी 23 तक)	राजनांदगांव	राजनांदगांव	(2536) पर्यावरण वानिकी योजना	पेवर ब्लॉक मरम्मत कार्य, वनमंडल कार्यालय परिसर	300000	0	कार्य पूर्ण भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
"	राजनांदगांव	राजनांदगांव	"	चिल्ड्रन पार्क, वन कालोनी कौरिनभाठा	500000	124350	कार्य पूर्ण भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
"	राजनांदगांव	राजनांदगांव	"	पथवे निर्माण, वन कालोनी कौरिनभाठा	500000	235417	कार्य पूर्ण भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
"	राजनांदगांव	राजनांदगांव	"	विद्युतिकरण एवं सौंदर्यीकरण, वन कालोनी कौरिनभाठा	200000	177460	कार्य पूर्ण भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
"	राजनांदगांव	राजनांदगांव	"	फलदार/छायादार ग्राफ्टेड पौधारोपण, वन कालोनी कौरिनभाठा	500000	149917	कार्य पूर्ण भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
"	राजनांदगांव	राजनांदगांव	"	बोर खनन/पंप सहित, वन कालोनी कौरिनभाठा	300000	294370	पूर्ण
"	राजनांदगांव	राजनांदगांव	"	नेपियर घास तैयारी कार्य, वन चेतना केन्द्र मनगट्टा	822393	641950	कार्य पूर्ण भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।
"	राजनांदगांव	राजनांदगांव	"	पुराने बोर में पम्प फिटिंग कार्य, चेतना केन्द्र मनगट्टा	341000	341000	पूर्ण
"	राजनांदगांव	राजनांदगांव	"	चारागाह विकास कार्य, चेतना केन्द्र मनगट्टा	2846690	2846687	पूर्ण
"	राजनांदगांव	राजनांदगांव	"	तालाब उपचार कार्य, चेतना केन्द्र मनगट्टा	1567500	1566673	पूर्ण
				योग -	8677583	6377824	
				योग - राजनांदगांव वनमण्डल	29801753	24096970	

वर्ष	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	मद का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	जारी की गई राशि	व्यय राशि	कार्य पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
2021-22	खैरागढ़	उत्तर बोरतलाव	कैम्पा	सड़क निर्माण (बोरतलाव से कलघुरी वनमार्ग में डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण)	3473000	3165000	अपूर्ण
2021-22	खैरागढ़	दक्षिण बोरतलाव	कैम्पा	सड़क निर्माण (छिन्दीजोब से बुढ़ानछाप-भाग 01 वनमार्ग में डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण)	3020000	1625000	अपूर्ण
2021-22	खैरागढ़	दक्षिण बोरतलाव	कैम्पा	सड़क निर्माण (छिन्दीजोब से बुढ़ानछाप-भाग 02 वनमार्ग में डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण)	3020000	1490000	अपूर्ण
2021-22	खैरागढ़	दक्षिण बोरतलाव	कैम्पा	सड़क निर्माण (फत्तेगंज से मडियान वनमार्ग में डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग निर्माण)	3020000	0	अपूर्ण
योग - खैरागढ़ वनमण्डल					12533000	6280000	
कुलयोग -					42334753	30376970	


 अ.प्र.मु.व.सं. (विकास/योजना)
 छत्तीसगढ़, नवा रायपुर
 ५५१८७

परोशिए - ग्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1675) की जानकारी

प्रश्न-21

वर्ष 2021-22 से दिनांक 15.02.2023 की स्थिति में			
क्र.	विकासखण्ड का नाम	कुल खोले गये फड़ों की संख्या	शहीद महेन्द्र कर्मा संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4
1	बकावण्ड	88	9
2	बास्तानार	24	0
3	बस्तर	66	4
4	चित्रकोट	15	1
5	दरमा	21	0
6	जगदलपुर	31	3
	योग	245	17


 अपर प्रबंध संचालक (व्यापार)
 छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर

“पुपत्र-क”

शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली सहायता अनुदान राशि की जानकारी :-

अ. तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 18 वर्ष से अधिक किन्तु 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को लाभ देने का प्रावधान है। योजना का लाभ उसी संग्राहक परिवार के मुखिया को प्रदाय किया जावेगा, जो 02 वर्ष लगातार 500-500 गड्डी या उससे अधिक तेंदूपत्ता का संग्रहण किया हो। प्रदाय की जाने वाली सहायता राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	राशि (रु.में)
1	सामान्य मृत्यु	2,00,000.00
2	दुर्घटना से मृत्यु	4,00,000.00
3	दुर्घटना से पूर्ण विकलांगता	2,00,000.00
4	दुर्घटना से आंशिक विकलांगता	1,00,000.00

ब. तेंदूपत्ता संग्रहण में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया, जिसकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 पूर्ण से 59 वर्ष के बीच हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति/उत्तराधिकारी को लाभ देने का प्रावधान है। योजना का लाभ उसी संग्राहक परिवार के मुखिया को प्रदाय किया जावेगा, जो 02 वर्ष लगातार 500-500 गड्डी या उससे अधिक तेंदूपत्ता का संग्रहण किया हो। प्रदाय की जाने वाली सहायता राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	राशि (रु.में)
1	सामान्य मृत्यु	30,000.00
2	दुर्घटना से मृत्यु	75,000.00
3	दुर्घटना से पूर्ण विकलांगता	75,000.00
4	दुर्घटना से आंशिक विकलांगता	37,500.00


 अपर प्रबंध संचालक (व्यापार)
 छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर

पारोक्ष - बारह

तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 898) की जानकारी

"प्रपत्र"

"f

स. क्रं.	अनुज्ञा पत्रधारी / उत्खनिपट्टाधारी का नाम व पता	खनिज का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)	ग्राम / तहसील	भण्डारण अनुज्ञापत्र / उत्खननपट्टा	भण्डारण अनुज्ञापत्र / उत्खननपट्टा की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	मेसर्स सूरज स्टोन क्रेशर, प्रो. पवन कुमार सिंघानिया, निवासी लैलूंगा, जिला रायगढ़	चूनापत्थर	0.485	रूडकेला / लैलूंगा	भण्डारण अनुज्ञापत्र	10.06.2017 से 09.06.2022 तक
2	मेसर्स जय बालाजी क्रेशर उद्योग प्रो विंकल मित्तल निवासी मेन रोड लैलूंगा जिला रायगढ़(छ.ग.)	साधारण पत्थर	0.303	रूडकेला / लैलूंगा	भण्डारण अनुज्ञापत्र	10.03.2022 से 09.03.2032 तक
3	मेसर्स अनिल क्रेशर उद्योग खम्हार प्रो. श्री अनिल सिंघानिया आ. श्री मनीराम सिंघानिया निवासी लैलूंगा जिला रायगढ़	साधारण पत्थर	0.316	खम्हार / लैलूंगा	भण्डारण अनुज्ञापत्र	11.09.2017 से 10.09.2027
4	मेसर्स राजकुमार अग्रवाल स्टोन क्रेशर प्रो. श्री राजकुमार अग्रवाल, आ. स्व. श्री अमीलाल अग्रवाल, निवासी लैलूंगा, जिला रायगढ़	साधारण पत्थर	0.548	गहनाझरिया / लैलूंगा	भण्डारण अनुज्ञापत्र	18.01.2023 से 17.01.2033 तक
5	मेसर्स आशा क्रेशर उद्योग, प्रो श्रीमती आशादेवी सिंघानिया, पति श्री प्रदीप सिंघानिया निवासी लैलूंगा, तहसील लैलूंगा जिला रायगढ़ (छ.ग.)	साधारण पत्थर	1.949 हे. मे से 0.800	हीरापुर / लैलूंगा	भण्डारण अनुज्ञापत्र	28.09.2018 से 27.09.2023 तक
6	श्री भरत कुमार मिरानी आ. स्व. श्री धीरज कुमार मिरानी निवासी खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)	चूनापत्थर	0.432	बानीपाथर / खरसिया	भण्डारण अनुज्ञापत्र	31.10.2020 से 30.10.2030 तक
7	श्री राजेश कुमार अग्रवाल आ. श्री रामूलाल अग्रवाल निवासी खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)	चूनापत्थर	0.651	बानीपाथर / खरसिया	भण्डारण अनुज्ञापत्र	05.02.2018 से 04.02.2023 तक
8	मेसर्स श्री मंगल स्टोन क्रेशर प्राय. लिमि. डाय. श्री महेश कुमार गर्ग निवासी खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)	चूनापत्थर	0.202	बानीपाथर / खरसिया	भण्डारण अनुज्ञापत्र	29.04.2018 से 28.04.2023 तक
9	मेसर्स हनुमान क्रेशर उद्योग, प्रो. अनिल गोयल निवासी खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)	चूनापत्थर	0.255	भेलवाडीह / खरसिया	भण्डारण अनुज्ञापत्र	12.03.2019 से 11.03.2024 तक
10	मेसर्स बालाजी ट्रेडिंग कंपनी, पार्ट श्री गिरधर गुप्ता निवासी खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)	चूनापत्थर	1.024	चोढा / खरसिया	भण्डारण अनुज्ञापत्र	07.11.2020 से 06.11.2030 तक

स. क्रं.	अनुज्ञा पत्रधारी / उत्खननपट्टाधारी का नाम व पता	खनिज का नाम	रकबा (हेक्टेयर में)	ग्राम / तहसील	भण्डारण अनुज्ञापत्र / उत्खननपट्टा	भण्डारण अनुज्ञापत्र / उत्खननपट्टा की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
11	मेसर्स कुष्माण्डा ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, प्रो. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, रतनपुर, तहसील धरमजयगढ़ जिला रायगढ़(छ.ग.)	क्वार्टज	0.405 हे. मे से 0.200 हे.	रतनपुर / धरमजयगढ़	भण्डारण अनुज्ञापत्र	24.06.2018 से 23.06.2023 तक
12	मेसर्स मां शारदा मिनरल्स इंटरप्राइजेस, पार्ट श्री संस्कार सिंघानिया आ श्री आनंद सिंघानिया निवासी रायपुर (छ.ग.)	क्वार्टज	0.081 हेक्टेयर	रैरूमाखुर्द / धरमजयगढ़	भण्डारण अनुज्ञापत्र	23.12.2021 से 22.12.2031 तक
13	मेसर्स विजय कुमार अग्रवाल आ. स्व. जगताराम अग्रवाल निवासी पत्थलगांव जिला जशपुर (छ.ग.)	साधारण पत्थर	0.162	नोनाईजोर / धरमजयगढ़	भण्डारण अनुज्ञापत्र	10.05.2018 से 09.05.2023 तक
14	मेसर्स शौर्य मिनरल्स प्रा. लिमिटेड, युनिट-2, डायरेक्टर गौतम अग्रवाल	डोलोमाईट	0.639	छोटे हरदी / पुसौर	भण्डारण अनुज्ञापत्र	14.05.2021 से 13.05.2031 तक
15	मेसर्स शौर्य मिनरल्स प्रा. लिमिटेड, युनिट-1, डायरेक्टर गौतम अग्रवाल	डोलोमाईट	0.919	छोटे हरदी / पुसौर	भण्डारण अनुज्ञापत्र	15.05.2021 से 14.05.2031 तक
16	मेसर्स मां अम्बे मिनरल्स, प्रो श्री संतोष अग्रवाल, निवासी रेल्वे बंगलापारा रोड, रायगढ़	डोलोमाईट	0.202	छोटे हरदी / पुसौर	भण्डारण अनुज्ञापत्र	30.01.2022 से 29.01.2032 तक
17	मेसर्स अंशु ट्रेडर्स, प्रो. मंटु अग्रवाल, आ. श्री कैलाश अग्रवाल निवासी कालिदि कुंज रायगढ़	डोलोमाईट	0.591	छोटे हरदी / पुसौर	भण्डारण अनुज्ञापत्र	17.05.2022 से 16.05.2032 तक
18	मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल्स प्रो. श्री अमित अग्रवाल, निवासी गांधीगंज रायगढ़ (छ.ग.)	डोलोमाईट	1.714	साल्हेओना / पुसौर	भण्डारण अनुज्ञापत्र	21.08.2019 से 20.08.2024 तक
19	मंगल स्टोन क्रेशर प्राईवेट लिमिटेड, डायरेक्टर कमल गर्ग निवासी खरसियां तहसील खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)	चूनापत्थर	1.525	बानीपाथर / खरसिया	उत्खननपट्टा	30.01.2017 से 29.01.2047 तक
20	श्री राजेश अग्रवाल, आ. श्री रामूलाल अग्रवाल निवासी खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.) (अन्तरण) श्री ऋषभ अग्रवाल आ. स्व. श्री राजेश अग्रवाल निवासी खरसिया जिला रायगढ़ (छ.ग.)	चूनापत्थर	2.185	बानीपाथर / खरसिया	उत्खननपट्टा	27.02.2018 से 26.02.2048 तक

पारिशेष्य - तेरह

तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 1575) की जानकारों

प्रश्न

f

प्रदेश में सड़क किनारे वर्ष 2021 से आदनाक 31 जनवरी 2023 तक कुल स्वीकृत राशि, मरु/योजना, रोपित किए जाने वाले पाधे, रोपित किए गए पौधे तथा व्यय राशि का विवरण

वर्ष	मरु/योजना का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	रोपण का लक्ष्य (पौधा संख्या)	रोपित किए गए पौधों की संख्या	व्यय राशि (लाख में)
	4	5	6	7	8
2021	विभागीय	659.33	66790	66790	651.07
2021	मनरेगा	1079.05	66344	48509	274.26
2021	हरियर छ.ग.	528.50	47100	47100	386.79
2021	पी.डी.	607.66	53000	53000	533.90
2021	डिपोजिट रोपण	31.44	2000	2000	10.43
	योग :-	2905.98	235234.00	217399.00	1856.45
31 जनवरी 2023 तक	विभागीय मरु मनरेगा पी.डी. मरु	149.71 891.47 20.21	16500 69463 2080	46413 2080	146.67 76.98 11.45
	योग :-	1061.39	88043	48493	235.10
	महायोग :-	3967.37	323277.00	265892.00	2091.55

for

 14.3.22
 आ.प्र.मु.व.सं. (विकास/योजना)
 छत्तीसगढ़, अटल नगर
 छत्तीसगढ़

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

- परोक्ष - चौदह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 201) की जानकारी

प्रपत्र

बिलासपुर संभाग के अंतर्गत दिनांक 01/01/2022 से दिनांक 28/02/2023 तक की अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों को बंद खदानों में फ्लाइ ईश से भराव हेतु जारी अनुमति की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिला का नाम	संयंत्र का नाम एवं पता	खदान का विवरण जिसमें फ्लाइ ईश भराव की अनुमति दी गई है	भूमि स्वामी का विवरण
1	2	3	4	5
1.	जांजगीर-चांपा	मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	ग्राम-तरौद, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा, खसरा नंबर - 2111, रकबा-1.822 हेक्टेयर ग्राम-पौना, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा, खसरा नंबर- 11/1, रकबा-3.147 हेक्टेयर	शासकीय खदान शासकीय खदान
2.	सक्ती	मेसर्स एस.के.एस. पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम-बिंजकोट, दरामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ग्राम व पोस्ट-नहरपाली, तहसील- खरसिया, जिला-रायगढ़	ग्राम-जेठा, तहसील व जिला-सक्ती खसरा नंबर-301, 302, 303, 304, 308, 309, 326, 330, 333, 339, 340, 341 रकबा-3.820 हेक्टेयर	निजी खदान (श्री मुकेश बंसल पिता सागरमल बंसल)
3.	रायगढ़	मेसर्स टी.आर.एन. एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-भेगारी, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़	ग्राम-सोहनपुर, तहसील-लैलूंगा, जिला-रायगढ़, खसरा क्रमांक 517, 518, 519 & 520 कुल रकबा 2.460 हेक्टेयर	शासकीय खदान
4.	सारंगढ़-बिलाईगढ़	मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, जिला-रायगढ़	ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़, खसरा क्रमांक 1915/2, 1918/3 एवं 1918/1, कुल रकबा-0.590 हेक्टेयर ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़, खसरा क्रमांक 882, 883/1 ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़, खसरा क्रमांक 933, 942, 883/2 उपरोक्त भूमि का कुल रकबा 0.898 हेक्टेयर	निजी खदान (श्री गोविंद पिता दुलीचंद व कैलाश पिता दुलीचंद) निजी खदान (श्री राधेश्याम पिता गोपाल) निजी खदान (श्री देवचरण पिता राधेश्याम)
5.	सारंगढ़-बिलाईगढ़	मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, जिला -जांजगीर चांपा	ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़, खसरा क्रमांक 315/3 खसरा क्रमांक 317/2, उपरोक्त भूमि का कुल रकबा 0.198 हेक्टेयर ग्राम-गुढ़ेली, तहसील-सारंगढ़, जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़, के खसरा क्रमांक 518, 581, कुल रकबा 3.185 हेक्टेयर ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़, खसरा क्रमांक 882, 883/1 ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़, खसरा क्रमांक 933, 942, 883/2 उपरोक्त भूमि का कुल रकबा 0.898 हेक्टेयर	निजी खदान (श्री ब्रिजमोहन पिता कालीचरण) निजी खदान (श्री अमित कुमार पिता सुरेश अग्रवाल) शासकीय खदान निजी खदान (श्री राधेश्याम पिता गोपाल) निजी खदान (श्री देवचरण पिता राधेश्याम)
6.	सारंगढ़-बिलाईगढ़	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ति	ग्राम-टिमरलगा, तहसील-सारंगढ़, जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़, खसरा क्रमांक 1880, 1881, 1879/2 एवं 1879/2, कुल रकबा 0.429 हेक्टेयर	निजी खदान (श्री सुभाष कुमार अग्रवाल पिता किशन अग्रवाल)

(डी.आर.सोन्टापर)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशेष - पन्द्रह
परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 402) की जानकारी

ii = &V

सदस्य विधान सभा (वर्ष 2022-23)

क्र.	राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का नाम	Grade	संग्रहण दर (रु.प्रति मानक बोरा)
01	02	03	04
1	तेन्दूपत्ता	--	4000.00
क्र.	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का नाम	Grade	संग्रहण दर (रु.प्रति कि. ग्रा.)
01	02	03	04
2	बायबर्डिंग	--	94.00
3	मालकांगनी फल कच्चा (लाल रंग)	--	7.00
4	मालकांगनी बीज (सूखा)	--	100.00
5	रंगीनी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ)	--	275.00
6	रंगीनी लाख छिली लाख (सूखा)	--	220.00
7	कालमेघ/भूईनीम (कच्चा)	--	5.50
8	कालमेघ/भूईनीम (सूखा)	ग्रेड-1	35.00
	कालमेघ/भूईनीम (सूखा)	ग्रेड-2	31.50
9	आंवला फल (कच्चा)	--	28.00
10	आंवला (बीज रहित) (सूखा)	--	57.00
11	वन जीरा बीज	--	63.00
12	सतावर जड़ (सूखा)	--	70.00
13	माहुल पत्ता	--	15.00
14	सवई घास	--	15.00
15	सफेद मुसली कंद (सूखा)	--	50.00
16	तीखुर कंद (कच्चा)	--	17.00
17	हरा (कच्चा)	--	6.00
18	हरा साबूत (सूखा)	ग्रेड-1	15.00
	हरा साबूत (सूखा)	ग्रेड-2	13.50
19	हरा कचरिया	--	25.00
20	हरा बाल	--	30.00
21	बहेड़ा (कच्चा)	--	5.00
22	बहेड़ा साबूत (सूखा)	ग्रेड-1	17.00
	बहेड़ा साबूत (सूखा)	ग्रेड-2	15.30
23	बहेड़ा कचरिया	--	20.00

क्र.	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का नाम	Grade	संग्रहण दर (रु.प्रति कि. ग्रा.)
01	02	03	04
24	कुसुमी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ)	--	550.00
25	कुसुमी लाख छिली लाख (सूखा)	--	300.00
26	नागरमोथा (सूखा)	--	30.00
27	चरौटा बीज	ग्रेड-1	16.00
	चरौटा बीज	ग्रेड-2	14.50
28	वन तुलसी बीज	--	14.50
29	अश्वगंधा जड़ (सूखा)	--	180.00
30	कोदो	--	30.00
31	कुटकी (काला)	--	31.00
	कुटकी (भूरा)	--	31.00
32	रागी	--	35.78
33	शिकाकाई फल्ली (सूखा)	--	50.00
34	रीठा फल (सूखा)	--	14.00
35	गिलोय (कच्चा)	--	9.50
36	गिलोय (सूखा)	ग्रेड-1	40.00
	गिलोय (सूखा)	ग्रेड-2	36.00
37	पाताल कुम्हड़ा कंद (सूखा)	--	20.00
38	भेलवा	--	9.75
39	कोरिया बीज (इन्द्र जौ) (सूखा)	--	50.00
40	कुटज छाल (सूखा)	--	12.00
41	इमली आटी (बीज सहित)	ग्रेड-1	35.00
	इमली आटी (बीज सहित)	ग्रेड-2	33.00
42	इमली फूल (बीज रहित)	--	62.00
43	इमली फल	--	12.50
44	इमली बीज	--	11.00
45	महुआ फूल कच्चा (फूड ग्रेड)	--	10.00
46	महुआ फूल (सूखा)	--	30.00
47	महुआ बीज	--	29.00
48	कौंच बीज	--	21.00
49	धवई फूल (सूखा)	ग्रेड-1	37.00
	धवई फूल (सूखा)	ग्रेड-2	33.50
50	झाड़ू फूल (घास)	--	30.00
51	झाड़ू कांटा (घास)	--	25.00
52	झाड़ू छिंद (घास)	--	5.00
53	पलाश फूल (सूखा)	--	1.50

क्र.	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का नाम	Grade	संग्रहण दर (रु.प्रति कि. ग्रा.)
01	02	03	04
54	शहद	--	225.00
55	बेल फल (कच्चा)	--	10.00
56	बेलगुदा (सूखा)	ग्रेड-1	30.00
	बेलगुदा (सूखा)	ग्रेड-2	27.00
57	चिरोँजी गुठली	ग्रेड-1	126.00
	चिरोँजी गुठली	ग्रेड-2	115.00
58	करंज बीज	--	24.00
59	कुल्लू गोंद	--	125.00
60	काजू गुठली	ग्रेड-1	90.00
	काजू गुठली	ग्रेड-2	81.00
61	अमचूर सफेद	--	120.00
	अमचूर भूरा	--	80.00
62	सालबीज	ग्रेड-1	20.00
	सालबीज	ग्रेड-2	18.00
63	कुसुम बीज	ग्रेड-1	23.00
	कुसुम बीज	ग्रेड-2	20.70
64	नीम बीज (सूखा)	--	27.00
65	जामुन फल (कच्चा)	--	23.00
66	जामुन बीज (सूखा)	ग्रेड-1	42.00
	जामुन बीज (सूखा)	ग्रेड-2	38.00
67	रैली कोसा (साबुत) (दर प्रति नग)	ग्रेड-1	4.20 प्रति नग
	रैली कोसा (साबुत) (दर प्रति नग)	ग्रेड-2	3.60 प्रति नग
	रैली कोसा (साबुत) (दर प्रति नग)	ग्रेड-3	2.80 प्रति नग
68	रैली कोसा (पोली) (दर प्रति नग)	ग्रेड-1	1.50 प्रति नग
	रैली कोसा (पोली) (दर प्रति नग)	ग्रेड-2	1.25 प्रति नग
	रैली कोसा (पोली) (दर प्रति नग)	ग्रेड-3	0.70 प्रति नग

13/03/23
कार्यकारी संचालक

छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर

ii =&c

विधान

क्र.	राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का नाम	वानिकी वर्ष					
		2020-21		2021-22		2022-23	
		संग्रहित मात्रा (मा.बो. लाख में)	संग्रहण दर रु. में (प्रति मा. बो.)	संग्रहित मात्रा (मा.बो. लाख में)	संग्रहण दर रु. में (प्रति मा.बो.)	संग्रहित मात्रा (मा.बो. लाख में)	संग्रहण दर रु. (प्रति मा.बो.)
01	02	03	04	05	06	07	08
1	तेन्दूपत्ता	9.72	4,000.00	13.05	4,000.00	15.79	4,000.00
क्र.	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का नाम	वानिकी वर्ष					
		2020-21		2021-22		2022-23	
		संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहण दर (रु. प्रति क्विंटल)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहण दर (रु. प्रति क्विंटल)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहण दर (रु. प्रति क्विंटल)
		03	04	05	06	07	08
2	आंवला (बीज रहित) (सूखा)	23.430	5,200.00	11.520	5,700.00	1.200	5,700.00
3	इमली आटी (बीज सहित)	202358.325	3,600.00	27445.230	3,300.00	4562.040	3,300.00
4	इमली फूल (बीज रहित)	4981.022	6,900.00	21025.310	6,900.00	240.910	6,900.00
5	इमली फल	-	-	-	-	-	1,250.00
6	इमली बीज	1442.800	1,100.00	10730.200	1,100.00	21.270	1,100.00
7	करंज बीज	410.950	2,200.00	8.570	2,400.00	20.000	2,400.00
8	काजू गुठली	2068.750	9,000.00	46.300	9,000.00	118.800	9,000.00
9	कालमेघ / भूईनीम (सूखा)	7846.350	3,500.00	1904.920	3,150.00	19.760	3,150.00
10	कुल्लू गोंद	5.840	12,500.00	-	12,500.00	-	12,500.00
11	कुसुम बीज	171.780	2,300.00	-	2,300.00	13.100	2,300.00
12	कुसुमी लाख/ छिली लाख (सूखा)	20.045	30,000.00	0.890	30,000.00	-	30,000.00
13	काँच बीज	-	2,100.00	-	2,100.00	-	2,100.00
14	गिलोय (सूखा)	11816.545	4,000.00	1865.990	4,000.00	83.220	4,000.00
15	चरौटा बीज	1930.875	1,600.00	97.141	1,600.00	96.915	1,600.00
16	चिरौंजी गुठली	3071.030	12,600.00	254.280	12,600.00	24.100	12,600.00
17	जामुन बीज (सूखा)	612.840	4,200.00	18.880	4,200.00	46.330	4,200.00
18	झाड़ू फूल (घास)	1267.100	5,000.00	1104.120	5,000.00	6.400	5,000.00
19	धवई फूल (सूखा)	2572.530	3,700.00	499.970	3,700.00	53.080	3,700.00
20	नागरमोथा (सूखा)	1565.602	3,000.00	161.020	3,000.00	12.410	3,000.00

क्र.	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का नाम	वानिकी वर्ष					
		2020-21		2021-22		2022-23	
		संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहण दर (रु. प्रति क्विंटल)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहण दर (रु. प्रति क्विंटल)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहण दर (रु. प्रति क्विंटल)
01	02	03	04	05	06	07	08
21	नीम बीज	193.380	2,700.00	0.360	2,700.00	7.040	2,700.00
22	बहेड़ा कचरिया	1057.335	2,000.00	610.860	2,000.00	513.350	2,000.00
23	बहेड़ा साबूत (सूखा)	55448.120	1,700.00	8807.410	1,700.00	62.450	1,700.00
24	बायबडिंग	-	9,400.00	-	9,400.00	-	9,400.00
25	बेलगुदा (सूखा)	1209.280	3,000.00	167.110	3,000.00	43.500	3,000.00
26	भेलया	2281.205	900.00	857.480	975.00	109.320	975.00
27	महुआ फूल (सूखा)	24772.810	3,000.00	24.950	3,300.00	1099.180	3,000.00
28	महुआ बीज	1855.915	2,900.00	-	2,900.00	10.230	2,900.00
29	मालकांगनी बीज (सूखा)	-	10,000.00	1.940	10,000.00	0.500	10,000.00
30	माहुल पत्ता	1879.280	1,500.00	361.560	1,500.00	285.560	1,500.00
31	रंगीनी लाख/ छिली लाख (सूखा)	510.680	22,000.00	2.170	22,000.00	-	22,000.00
32	रीठा फल (सूखा)	-	1,400.00	0.700	1,400.00	-	1,400.00
33	वन जीरा बीज	27.020	7,000.00	4.330	7,000.00	0.200	6,300.00
34	वन तुलसी बीज	126.170	1,600.00	8.210	1,600.00	4.000	1,450.00
35	शहद	772.940	22,500.00	202.520	22,500.00	41.680	22,500.00
36	शिकाकाई फल्ली (सूखा)	2.720	5,000.00	0.700	5,000.00	-	5,000.00
37	सतावर जड़ (सूखा)	173.890	10,700.00	11.460	10,700.00	-	10,700.00
38	सालबीज	474142.900	2,000.00	50430.920	2,000.00	4230.920	2,000.00
39	हर्रा कचरिया	389.000	2,500.00	2860.110	2,500.00	421.380	2,500.00
40	हर्रा साबूत (सूखा)	26049.940	1,500.00	4480.250	1,500.00	49.930	1,500.00
41	अमचूर भूरा	-	-	-	8,000.00	6.100	8,000.00
	अमचूर सफेद	-	-	-	12,000.00	1.100	12,000.00
42	अश्वगंधा जड़ (सूखा)	-	-	-	35,000.00	2.090	18,000.00
43	आंयला फल (कच्चा)	99.160	2,800.00	21.940	2,800.00	53.850	2,800.00
44	कालमेघ / भूईनीम (कच्चा)	-	-	8.290	1,000.00	524.470	550.00
45	कुटकी (काला)	-	-	570.860	3,000.00	308.600	3,100.00
	कुटकी (भूरा)	-	-	1081.220	3,000.00	1114.580	3,100.00
46	कुटज छाल (सूखा)	483.590	1,200.00	36.020	1,200.00	31.860	1,200.00
47	कुसुमी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ)	-	-	-	55,000.00	-	55,000.00
48	कोदो	-	-	41384.000	3,000.00	32176.620	3,000.00

क्र.	अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज का नाम	वानिकी वर्ष					
		2020-21		2021-22		2022-23	
		संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहण दर (रु. प्रति क्विंटल)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहण दर (रु. प्रति क्विंटल)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहण दर (रु. प्रति क्विंटल)
01	02	03	04	05	06	07	08
49	कोरिया बीज (इन्द्र जौ) (सूखा)	21.000	15,000.00	262.200	15,000.00	-	5,000.00
50	गिलोय (कच्चा)	-	-	17.950	600.00	379.980	550.00
51	जामुन फल (कच्चा)	411.000	2,300.00	-	2,300.00	-	2,300.00
52	झाड़ू कांटा (घास)	391.860	2,000.00	152.250	2,500.00	-	2,500.00
53	झाड़ू छिंद (घास)	164.670	1,500.00	218.790	1,500.00	-	1,500.00
54	तीखुर कंद (कच्चा)	832.830	2,500.00	467.610	2,000.00	80.050	1,700.00
55	पलाश फूल (सूखा)	851.520	900.00	314.190	1,150.00	39.670	1,150.00
56	पाताल कुम्हड़ा कंद (सूखा)	160.690	3,000.00	15.270	2,100.00	19.810	2,000.00
57	बहेड़ा (कच्चा)	-	-	-	500.00	20.520	500.00
58	बेल फल (कच्चा)	2.500	1,000.00	94.460	1,000.00	-	1,000.00
59	महुआ फुल कच्चा (फूड ग्रेड)	-	-	58.580	1,000.00	748.110	1,000.00
60	मालकांगनी फल कच्चा (लाल रंग)	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
61	रंगीनी लाख बीहन (जीवित लाख कीट के साथ)	2.85	22,500.00	-	27,500.00	28.160	27,500.00
62	रागी	-	-	1176.610	3,377.00	5810.390	3,578.00
63	रैली कोसा (साबूत) (दर प्रति नग)	-	-	-	4.20 प्रति नग	1569278 नग	4.20 प्रति नग
64	रैली कोसा (पोली) (दर प्रति नग)	-	-	-	1.50 प्रति नग	274955 नग	1.50 प्रति नग
65	सफेद मुसली कंद (सूखा)	5.860	60,000.00	13.710	65,000.00	7.130	65,000.00
66	सवई घास	923.680	1,400.00	75.110	1,500.00	-	1,500.00
67	हरा (कच्चा)	-	-	-	600.00	-	600.00
68	हरा बाल	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00

13/03/2023
कार्यकारी संचालक

छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, नवा रायपुर

परिशेष - सोलह

परिवाहित अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 944) की जानकारी

प्रपत्र

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में विकासखण्ड वार बसाहटों की जानकारी जहां पेयजल स्रोत बसाहट के बाहर स्थित है एवं उन ग्रामों / बसाहटों में जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वीकृत योजना की जानकारी

क्र.	जिला	विधानसभा	विकासखण्ड	ग्राम	बसाहट (जहां पेयजल स्रोत बसाहट के बाहर स्थित है)	बसाहटों की जनसंख्या/परिवार	बसाहट की पेयजल स्रोत से औसत दूरी (मीटर में)	जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत ग्राम की स्वीकृत योजना की जानकारी					
								प्रशासकीय स्वी.क्र./दिनांक	स्वी.लागत (रु. लाख)	निविदा की वर्तमान स्थिति	कार्यदेश क्र. / दिनांक	योजना की वर्तमान प्रगति	रिमाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			पंडरिया	माराडबरा	मुख्य बस्ती	150/25	100	34379/6.3.2022	91.39	प्राप्तता निर्धारण	-	-	-
2	कबीरधाम	पंडरिया	पंडरिया	बागर	चाउरडोगरी	100/25	300	34377/6.3.2022	117.59	दर विश्लेषण	-	-	-
3			पंडरिया	बिरहुलडीह	छोटटोला	80/16	150	35487/23.6.2022	203.39	प्राप्तता निर्धारण	-	-	-
4			पंडरिया	बिरहुलडीह	नवाटोला	180/35	100						


अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य प्राधिकारी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - सत्रह
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 1117) की जानकारी

प्रपत्र - अ

वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 15 फरवरी 2023 तक की अवधि में रायगढ़ जिले में उद्योगों को फ्लायैश के अपवहन हेतु जारी अनापत्ति के संबंध में उद्योगवार जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व पता:	अनापत्ति जारी दिनांक	स्थल का नाम जहां फ्लायैश के अपवहन हेतु अनापत्ति जारी की गई है
01.	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)	21.12.2021	ग्राम-कुनकुनी, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ स्थित मेसर्स सार स्टील एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड के परिसर में
02.	मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड, ग्राम- बड़ादरहा, जिला-जांजगीर चांपा (छ.ग.)	22.02.2022	ग्राम-बंगुरसिया, तहसील व जिला-रायगढ़
		14.03.2022	ग्राम-घुटकूपाली, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़
03.	मेसर्स रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड, ग्राम-छोटे भण्डार, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़	21.03.2022	ग्राम-टपरदा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़
		18.04.2022	ग्राम-पटेलपाली, तहसील व जिला-रायगढ़
04.	मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड, ग्राम-नाहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	31.05.2022	ग्राम-पुंजीपथरा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़
05.	मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, तमनार, जिला-रायगढ़	18.08.2021	ग्राम-तमनार, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़,
			ग्राम-सलिहाभांटा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़
			ग्राम-टिहलीरामपुर, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़
		11.11.2021	ग्राम-टिहलीरामपुर, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़
		22.02.2022	ग्राम-बंगुरसिया, तहसील व जिला-रायगढ़
		25.04.2022	ग्राम-तमनार, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़
		20.05.2022	ग्राम-बंगुरसिया, तहसील व जिला-रायगढ़
18.01.2023	ग्राम-हमीरपुर, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़		
06.	मेसर्स एस.के.एस. पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम बिंजकोट एवं दरामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	24.08.2022	ग्राम-डुसेकेला, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़
		07.10.2022	ग्राम-कंजेमुरा, पटेलपाली, तहसील व जिला-रायगढ़
		07.02.2023	ग्राम-नावापारा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़
		10.02.2023	ग्राम-छोटे रामपुर, ग्राम पंचायत-गेजामुड़ा, तहसील व जिला-रायगढ़
07.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-पतरापाली, जिला -रायगढ़	29.06.2022	ग्राम-कोकड़ीतराई (किरोड़ीमल नगर), तहसील व जिला-रायगढ़
		18.10.2022	ग्राम-कोकड़ीतराई (किरोड़ीमल नगर), तहसील व जिला-रायगढ़
08.	मेसर्स सिंघल इन्टप्राईजेश प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, पोस्ट- गेरवानी, जिला-रायगढ़	21.06.2022	ग्राम-सामारूमा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़
		07.02.2023	ग्राम-पतरापाली/कोतरलिया, तहसील व जिला-रायगढ़
09.	मेसर्स एम.एस.पी. स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-जामगांव, जिला-रायगढ़	03.06.2022	ग्राम-बलभद्रपुर, तहसील व जिला-रायगढ़
		07.02.2023	ग्राम-बादपाली, तहसील व जिला-रायगढ़
		07.02.2023	ग्राम-सम्बलपुरी, तहसील व जिला-रायगढ़
10.	मेसर्स आर.आर. इनर्जी लिमिटेड, ग्राम-गड़उमरिया, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़	20.05.2022	ग्राम-दरामुड़ा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़

11.	मेसर्स टी.आर.एन. इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नवापारा (टेण्डा), तहसील-घरघोडा, जिला-रायगढ़	24.08.2022	ग्राम-पुंजीपथरा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़
		26.08.2022	ग्राम-झगरपुरी, तहसील-लैलुंगा, जिला-रायगढ़
		29.09.2022	ग्राम-झगरपुरी, तहसील-लैलुंगा, जिला-रायगढ़
		10.02.2023	ग्राम-सोहनपुर, तहसील-लैलुंगा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
		10.02.2023	ग्राम-कोटरीमाल, तहसील-घरघोडा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
12.	मेसर्स सालासर स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़	27.09.2022	ग्राम-बगबुडा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़
13.	मेसर्स महावीर इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन लिमिटेड, ग्राम-भेंगारी, घरघोडा, जिला-रायगढ़	19.01.2023	ग्राम-भेंगारी, तहसील-घरघोडा, जिला-रायगढ़
14.	मेसर्स नव दुर्गा फ्यूल्स (प्राईवेट) लिमिटेड, ग्राम-सराईपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़	24.01.2023	ग्राम-सराईपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़

(डी.आर.सोन्टापर)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र - 'ब'

वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 15 फरवरी 2023 तक की अवधि में फ्लाइ ऐश की अवैध डम्पिंग की प्राप्त लिखित शिकायत एवं की गई कार्यवाही संबंधी जानकारी:-

क्र.	प्राप्त शिकायत	संबंधित उद्योग का नाम व पता	की गई कार्यवाही
1.	एन.एच. रोड, चाराभांठा चौक स्थित ढावा के बगल स्थित हरीश पटेल के जमीन पर आदि में फ्लाइ ऐश अपवहन के संबंध में।	मेसर्स जे.एस.इव्यू. स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड, ग्राम-नाहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	मंडल के पत्र दिनांक 16.07.2021 द्वारा उद्योग को फ्लाइ ऐश हटाने एवं अपवहन हेतु समुचित व्यवस्था बनाने के संबंध में पत्र जारी कर समतलीकरण कार्य कराया गया।
	निजी स्वामित्व की भूमि में फ्लाइ ऐश पाटकर जमीन पर कब्जा करने की शिकायत बाबत		मंडल के पत्र दिनांक 22.07.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाइ ऐश हटाने एवं अपवहन हेतु समुचित व्यवस्था बनाने के संबंध में पत्र जारी कर समतलीकरण कार्य कराया गया।
2.	ग्राम-तुरकेला, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ आदि में फ्लाइ ऐश अपवहन के संबंध में।	मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम बिंजकोट एवं दरामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला रायगढ़	उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम की धारा 31 "क" के तहत दिनांक 28.10.2021 को नोटिस जारी किया गया।
3.	ग्राम-धनांगर नेशनल हाइवे के समीप जिला-रायगढ़ आदि में फ्लाइ ऐश अपवहन के संबंध में।	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पतरापाली, जिला-रायगढ़	मंडल के पत्र दिनांक 16.12.2021 एवं 03.02.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाइ ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु पत्र जारी किया गया।
4.	ग्रामपंचायत- उमरिया द्वारा फ्लाइ ऐश डालने के लिये एन.ओ.सी. दिया गया है। फ्लाइ ऐश डालने के बाद मिट्टी की परत नहीं बिछाई गई है जिससे मेन रोड में आ जाने से आने-जाने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़	मंडल के पत्र दिनांक 23.12.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाइ ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु पत्र जारी किया गया।
5.	ग्राम-बगबुड़ा में मेसर्स सालासर कंपनी के द्वारा बिना अनुमति के फ्लाइ ऐश की पटाई की जा रही है, की जाच कर उचित कार्यवाही करने बाबत	मेसर्स सालासर स्पज एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी, जिला-रायगढ़	मंडल के पत्र दिनांक 27.06.2022 एवं 08.09.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाइ ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु पत्र जारी किया गया।
6.	ग्राम-गेरवानी के जंगलों एवं किसानों के खेतों में उद्योग से निकलने वाले फ्लाइ ऐश का अवैध रूप से डालने की समस्या बाबत।	मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इण्डिया) प्रा. लि., ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़	मंडल के पत्र दिनांक 31.05.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाइ ऐश का अपवहन तत्काल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया।
7.	ग्राम-गेरवानी के जंगलों एवं किसानों के खेतों में उद्योग से निकलने वाले फ्लाइ ऐश का अवैध रूप से डालने की समस्या बाबत।	मेसर्स नवदुर्गा फ्युल्स प्रा. लि., ग्राम-सराईपाली, जिला-रायगढ़	मंडल के पत्र दिनांक 31.05.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाइ ऐश का अपवहन तत्काल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया।


 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 आवास एवं पर्यावरण विभाग
 मंत्रालय, रायपुर 4

8.	ग्राम-गेरवानी के जंगलों एवं किसानों के खेतों में उद्योग से निकलने वाले फ्लाई ऐश का अवैध रूप से डालने की समस्या बाबत।	मेसर्स माँ काली एलॉयस प्रा. लि., ग्राम-पाली, जिला-रायगढ़	मंडल के पत्र दिनांक 31.05.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का अपवहन तत्काल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया।
9.	ग्राम-गेरवानी के जंगलों एवं किसानों के खेतों में उद्योग से निकलने वाले फ्लाई ऐश का अवैध रूप से डालने की समस्या बाबत।	मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर प्रा. लि., ग्राम-देलारी, जिला-रायगढ़	मंडल के पत्र दिनांक 31.05.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का अपवहन तत्काल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया।
10.	अवैध रूप से फ्लाई ऐश डालने के संबंध में	शिकायतकर्ता द्वारा किसी उद्योग विशेष के नाम का उल्लेख नहीं किया गया।	मंडल के पत्र दिनांक 05.04.2022 द्वारा गेरवानी क्षेत्र के समीप स्थापित फ्लाई ऐश जनित करने वाले निम्न उद्योगों को पत्र प्रेषित किया गया है:- <ul style="list-style-type: none"> • मेसर्स सिंघल इनर्जी लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़, • मेसर्स एन .आर .इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-गौरमुड़ी, जिला-रायगढ़, • मेसर्स सिंघल इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़, • मेसर्स अंजनी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उज्जवलपुर, जिला-रायगढ़, • मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़, • मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पावर प्रा. लि., ग्राम-देलारी, जिला-रायगढ़, • मेसर्स माँ काली एलॉयस प्रा. लि., ग्राम-पाली, जिला-रायगढ़ • मेसर्स नवदुर्गा फ्युल्स प्रा. लि., ग्राम-सराईपाली, जिला-रायगढ़, • मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इण्डिया) प्रा. लि., ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़
11.	किरोडीमल नगर रायगढ़ मुख्य शहर में हो रहे फ्लाई ऐश डंप रोकने के संबंध में।	शिकायतकर्ता द्वारा किसी उद्योग विशेष के नाम का उल्लेख नहीं किया गया।	शिकायतकर्ता द्वारा फ्लाई ऐश का अपवहन किनके द्वारा किया गया है इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। अतः मंडल के पत्र दिनांक 02.12.2022 एवं दिनांक 09.03.2023 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ को अपवहित फ्लाई ऐश स्थल के भू-स्वामी का नाम, पता, खसरा क्रमांक एवं रकबा की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।
12.	सिद्धिविनायक कॉलोनी के पीछे गोकुलधाम कॉलोनी में अवैध रूप से फ्लाई ऐश डम्पिंग की शिकायत हेतु	शिकायतकर्ता द्वारा किसी उद्योग विशेष के नाम का उल्लेख नहीं किया गया।	शिकायतकर्ता द्वारा फ्लाई ऐश का अपवहन किनके द्वारा किया गया है इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। अतः गोकुलधाम कॉलोनी के कॉलोनाईजर को परिसर में डम्प फ्लाई ऐश का समतलीकरण एवं मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।

(डी.आर.सोन्टापर)

अवर सचिव,


छत्तीसगढ़ शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र - 'स'

दूसरे जिलों के उन उद्योगों की सूची जिन्हें जिला रायगढ़ में फ्लाईऐश अपवहन हेतु अनापत्ति प्रमाण जारी किया गया है

क्र.	उद्योग का नाम व पता
1.	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील- डभरा, जिला-जांजगीर चांपा
2.	मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड, ग्राम- बड़ादरहा, जिला-जांजगीर चांपा



(डी.आर.सोन्टाप्रर)

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र - ६

वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में 15 फरवरी 2023 तक की अवधि में बिना तिरपाल ढके फ्लाई ऐश का परिवहन करने की प्राप्त लिखित शिकायत एवं की गई कार्यवाही संबंधी जानकारी -

क्र.	प्राप्त शिकायत	शिकायत दिनांक एवं शिकायतकर्ता	संबंधित उद्योग का नाम व पता	की गई कार्यवाही
1.	विकासखण्ड तमनार के सलिहाभाठा बैंक से डोंगामहुआ तक ओवर लोडिंग फ्लाई ऐश डस्ट डंपर परिवहन से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में जांच करने बाबत।	श्रीमती सहोद्रादुर्गेश राठिया, सदस्य जिला पंचायत रायगढ़ क्षेत्र क्र. 18 तमनार-1 का शिकायत दिनांक 19.12.2022	मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड, ग्राम-तमनार, जिला-रायगढ़	मंडल के पत्र दिनांक 13.01.2023 द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।


(डी.आर.सोन्टापुर)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशेष - अट्टारह
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1503) की जानकारी

प्रपत्र

प्रदेश में दिनांक 31.01.2023 की स्थिति में विद्यमान अस्थायी पम्प कनेक्शनों की
जिलेवार संख्या

क्रमांक	जिले का नाम	कुल विद्यमान अस्थायी पम्प कनेक्शनों की संख्या
1	2	3
1	रायपुर	3682
2	बलौदाबाजार	4822
3	गरियाबंद	1644
4	धमतरी	2652
5	महासमुन्द	11440
6	दुर्ग	6024
7	बालोद	5752
8	बेमेतरा	5394
9	राजनांदगांव	12341
10	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	3268
11	मानपुर-मोहला-अंवागढ़ चौकी	2798
12	कबीरधाम	4023
13	बस्तर	1137
14	दंतेवाड़ा	2
15	सुकमा	7
16	बीजापुर	1
17	कांकेर	7322
18	कोण्डागांव	3276
19	नारायणपुर	47
20	बिलासपुर	3253
21	मुंगेली	1355
22	गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	1949
23	कोरबा	5342
24	जांजगीर चाम्पा	7677
25	सक्ती	6024
26	रायगढ़	9648
27	सारंगढ़-बिलाईगढ़	8629
28	कोरिया	43
29	जशपुर	4422
30	सरगुजा	2551
31	बलरामपुर	2645
32	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	211
33	सूरजपुर	3576
	योग	132957

परिशेष - उन्नीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1505) की जानकारी

प्रपत्र- अ

क.	जिला का नाम	सी मार्ट का नाम	सी मार्ट की संख्या	महिला स्व सहायता समूहों के उत्पादों को सी मार्ट में कय की जानकारी	महिला स्व सहायता समूहों को अब तक हुए लाभ की जानकारी	लाभ के संबंध विस्तृत जानकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	दुर्ग	सी मार्ट जनपद पंचायत परिसर दुर्ग	1	10908440	511558	5 प्रतिशत
2	दत्तेवाडा	सी मार्ट दत्तेवाडा	1	निरंक	निरंक	निरंक
3	महासमुंद	सी मार्ट महासमुंद	1	4234000	30000	4 प्रतिशत
4	जशपुर	सी मार्ट जशपुर	1	5200000	725000	10 से 15 प्रतिशत
5	सरगुजा	सी मार्ट जिला स्तरीय सरगुजा	1	12098000	6516300	10 से 15 प्रतिशत
6	धमतरी	सी मार्ट कुरुद (चर्टाद)	1	120000	12000	10 प्रतिशत
7	राजनादगांव	सी मार्ट धमतरी	1	213746	23174	10 प्रतिशत
		सी मार्ट राजनादगांव	1	8178642	118590	10 प्रतिशत
		सी मार्ट डोंगरगढ़	1	210566	2935	2 प्रतिशत
8	मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी	सी मार्ट अंबागढ़ चौकी	1	63550	8500	2.5 प्रतिशत
9	कांकर	सी मार्ट कांकर	1	3200000	320000	10 से 15 प्रतिशत
10	नारायणपुर	सी मार्ट नारायणपुर	1	248000	12000	5 से 10 प्रतिशत
11	कोरबा	सी मार्ट कोरबा	1	515715	51571	10 प्रतिशत
12	बिलासपुर	सी मार्ट बिलासपुर	1	4376000	515000	10 प्रतिशत
13	जाजगीर	सी मार्ट जाजगीर	1	1850000	210000	10 प्रतिशत
14	कोण्डागांव	सीमार्ट कोण्डागांव	1	1429241	142924	10 प्रतिशत
15	रायगढ़	सीमार्ट रायगढ़	1	4301262	167562	5 से 10 प्रतिशत
16	कबीरधाम	सी मार्ट कवर्धा	1	7601000	457000	10 से 15 प्रतिशत
17	बीजापुर	सी मार्ट बीजापुर	1	3947651	142414	4 प्रतिशत
18	सक्ती	सी मार्ट सक्ती	1	311000	-	10 प्रतिशत
19	सूरजपुर	सी मार्ट सूरजपुर	1	271000	27000	10 प्रतिशत
20	मुंगेली	सी मार्ट मुंगेली	1	800000	280000	7 प्रतिशत
21	सुकमा	सी मार्ट सुकमा	1	5049126	757368	10 से 15 प्रतिशत
22	बलरामपुर-रामानुजगंज	सी-मार्ट बलरामपुर	1	890055	169586	19 प्रतिशत
23	बस्तर	सी मार्ट हरिहर बस्तर, बाजार जगदलपुर	1	2705958	405182	17.47 प्रतिशत
		सी-मार्ट सभाग स्तरीय जगदलपुर	1	7220763	577661	5.78 प्रतिशत
24	बेमेतरा	सी-मार्ट बेमेतरा	1	3205000	471814	15 प्रतिशत
25	बालोद	सी-मार्ट बालोद	1	1287537	77098	5.98 प्रतिशत
26	रायपुर	सी मार्ट सुभाष स्टेडियम रायपुर	1	713884	32009	5 से 10 प्रतिशत
		सी मार्ट नालदा परिसर रायपुर	1	471601	27029	
		सी मार्ट अग्रसेन भैसथान चौक रायपुर	1	1675898	0	अभी ओपनिंग नहीं हुआ है
27	कोरिया	सी मार्ट कोरिया	1	7726000	396000	5.6 प्रतिशत
28	बलौदाबाजार	सी मार्ट बलौदाबाजार	1	1360558	98475	10 प्रतिशत
29	गरियाबंद	सी मार्ट गरियाबंद	2	1540000	185000	10 प्रतिशत
30	गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	सी मार्ट गौरेला-पेंड्रा-मरवाही	1	1214000	130000	10 प्रतिशत

अनुभाग अधिकारी
प्रमोदगोप विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

प्रपत्र- ब

क्र.	जिला का नाम	सी मार्ट का नाम	सी मार्ट की संख्या	महिला स्व सहायता समूहों से क्रय किये गये उत्पाद	कुल क्रय की राशि	महिला स्व सहायता समूहों के नाम सहित जानकारी
1	2	3	4	5	6	7
	रायपुर	सुभाष स्टेडियम सी-मार्ट रायपुर	01	आचार, लेवण्डर फेस एंड बेबी मसाज,एन्टी डैन्ड्रफ़ क्रीम,अश्वगंधा चूर्ण,एलोवीरा जेल,हर्बल मेहंदी,रोज वाटर,हेयर स्पा,उबटन, नीम फेस पैक, हेण्डमेड सोप,हेण्डमेड सोप केसर चंदन, चारकोल, सेन्डल, मास्क, कोकोनट मिल्क सोप, ओरेन्ज फेस पैक,सेन्डल फेस पैक,चारकोल फेस पैक,रोज फेस पैक, बाथ साल्ट,सोयाप्रोटीन कन्डीशनर,शैम्पू,हेयर स्पा जेल, ओनियन हेयर आयल, बाडी मसाज आयल, जडी बूटी, मेहंदी तुलसी हनी,करंजी हनी, घी,मस्टर्ड आयल,मोरकीटो डबल अगरबत्ती, टर्मरिक आयल,टर्मरिक साबुन,अगरबत्ती,पालमारोसा टर्मरिक सोप,लेमनग्रास अननाटु, सोप,डिटर्जेंट मटिक पावडर,डिटर्जेंट पावडर,देसी ब्लाक उरद दाल,देशी चना दाल,लेमन ग्रास हर्बल टी,देशी सेन्टेड जीराफुल राईस,देशी सेन्टेड राईस,लेमन ग्रास राईस,पालमारोसा आईल,फारेस्ट हनी	9310	करपुरी महिला स्व.सहायता समूह
				आर्गनिक चावल,तिखुर पावडर, धनिया पावडर,मिर्ची पावडर,हल्दी पावडर,तिखुर मिक्स,कोकोनट कुकिज,देवपूजा धूपबत्ती,कोकोनट आइल,तिखुर ज़ायफुटस,तिखुर चाकलेट,	16232	कोडानार, उडान महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी (महिला स्व. सहायता समूहों की कंपनी)
				लाल मिर्ची, देवा, ग्रीन चिल्ली आचार,लाईम पिकल	14705	लाडला महिला स्व.सहायता समूह
				आचार, मास्क, फलोर क्लीनर,	3330	बिहरा महिला स्व. सहायता समूह
				चना लौकी बडी,सोयाबीन मसाला बडी,उदय बडी	1300	महानदी महिला स्व.सहायता समूह
				लड्डू, टी मसाला,झाय चटनी, पानीपुरी खट्टा मीठा,गरम मसाला,जलजीरा	10078	मुस्कान महिला स्व.सहायता समूह
				ओयेस्टर मशरूम पावडर, मशरूम बडी,मशरूम मुस्कू,मशरूम पापड,चोकलेट आटा कुकिज, कोकोनट कुकिज, ईलायची आटा	9820	रामनजली महिला स्व.सहायता समूह


अनुभाष अधिकारी
 ग्रामोद्योग विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

पारेशिष्ट - बीस
पारिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 1513) की जानकारी

प्रपत्र

अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा कर्मचारियों की जानकारी

क्र	विभाग का नाम	अनियमित / दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या	संविदा कर्मचारियों की संख्या	
1	2	3	4	
1	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-1)	राज्यपाल सचिवालय	0	3
		छ.ग. लोक सेवा आयोग	23	0
	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-2)	0	0	
	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-3)	0	0	
	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-4)	0	0	
	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-5)	22	7	
	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-6)	0	0	
	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-7)	कार्यालय आयुक्त विभागीय जांच	3	0
		कार्यालय मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता)	5	0
		छ.ग. मानव अधिकार आयोग	0	0
		छ.ग. लोक आयोग	2	0
		राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, छ.ग.	0	0
		एन्टी करप्शन ब्यूरो, छ.ग.	2	0
	सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-8)	0	0	
	सामान्य प्रशासन विभाग (कर्मचारी कल्याण शाखा)	0	0	
सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा)	0	0		
सामान्य प्रशासन विभाग (लेखाशाखा)	0	0		

क्र	विभाग का नाम		अनियमित / दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या	संविदा कर्मचारियों की संख्या
1	2		3	4
	सामान्य प्रशासन विभाग (जनशिकायत निवारण)		0	0
	सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)	छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग	35	0
2	संसदीय कार्य विभाग		0	0
3	धार्मिक न्यास एवं धमस्व विभाग		0	0
4	इलेक्ट्रनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग		73	52
5	संस्कृति विभाग	दै.वे.भो.	118	0
		आउट सोर्सिंग	77	
6	समाज कल्याण विभाग		229	11
7	सार्वजनिक उपक्रम विभाग		0	0
8	पर्यटन विभाग	दै.वे.भो.	25	1
		आउट सोर्सिंग	213	0
9	जल संसाधन विभाग		908	1
10	गृह जेल विभाग		0	0
11	विधि एवं विधायी कार्य विभाग		0	7
12	जनसंपर्क विभाग		168	6
13	उर्जा विभाग		82	2685
14	ग्रामोद्योग विभाग	ग्रामोद्योग संचालनालय, हथकरघा प्रभाग	7	0
		भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान	9	9
		ग्रामोद्योग संचालनालय, रेशम प्रभाग	7	0
		छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग	52	0
		छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड	0	0
		छ.ग. माटी कला बोर्ड	0	0

क्र	विभाग का नाम		अनियमित / दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या	संविदा कर्मचारियों की संख्या
1	2		3	4
		छ.ग. राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ	278	10
15	लोक निर्माण विभाग		6052	2
16	विमानन विभाग		22	50
17	परिवहन विभाग		74	1
18	बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग		2	0
19	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग		74	44
20	खनिज साधन विभाग		0	0
21	कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग		4423	0
22	वन एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग	वन विभाग+औषधि पादप बोर्ड+संघ+निगम	6606	113
23	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		10466	5426
24	आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग		7744	22
25	लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग		1849	0
26	महिला एवं बाल विकास विभाग		452	637
27	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		5054	25738
28	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग		0	0
29	चिकित्सा शिक्षा आयुष विभाग		0	451
30	पशुधन विकास विभाग		0	183

क्र	विभाग का नाम		अनियमित / दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या	संविदा कर्मचारियों की संख्या
1	2		3	4
31	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग		0	0
32	आवास एवं पर्यावरण विभाग		10	30
33	उच्च शिक्षा विभाग		0	0
34	वित्त विभाग		62	12
35	खेल एवं युवा कल्याण विभाग		0	8
36	कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग		254	375
37	मछली पालन विभाग		0	0
38	श्रम विभाग		4	19
39	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग		2149	8
40	सहकारिता विभाग		24	1
41	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	उद्योग संचालनालय तथा अधीनस्थ कार्यालय	19	0
42	वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक)		14	1
43	वाणिज्यिक कर (आबकारी)		8	0
44	वाणिज्यिक कर (जी. एस.टी)		99	0
45	स्कूल शिक्षा विभाग		2294	925

क्र	विभाग का नाम	अनियमित / दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या	संविदा कर्मचारियों की संख्या	
1	2	3	4	
46	गृह (पुलिस) विभाग	नगर सेना, अग्निमिशन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ	27	0
		भा.पु.से. तथा संचालनालय सैनिक कल्याण	0	0
		संचालनालय लोक अभियोजन	10	0
		राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला	16	8
		पुलिस मुख्यालय	239	25
47	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	पुर्नवास आयुक्त कार्यालय	0	0
		राहत आयुक्त कार्यालय	0	7
		राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	45	46
कुल योग		50430	36924	


 अनुभाग अधिकारी
 छत्तीसगढ़ मंत्रालय
 सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-3)

पारिशेष - इक्कीस

पारिवाहक अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1515) की जानकारी

प्रपत्र- अ

पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जल जीवन मिशन से ग्रामवार स्वीकृत कार्य, पूर्ण कार्य, अपूर्ण होने का कारण

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	योजना का प्रकार	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	व्यय राशि (रु. लाख में)	कार्य की स्थिति		कार्य अपूर्ण होने का कारण
						पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पामगढ़	खैराडीह	सोलर अधारित योजना	48.34	34.30	पूर्ण	-	-
2	पामगढ़	हेइसपुर	सोलर अधारित योजना	49.70	32.58	-	अपूर्ण	01 नग पंप स्थापना शेष। हार्ड राक प्राप्त
3	पामगढ़	शुक्लाभांठा	सोलर अधारित योजना	49.60	42.84	पूर्ण	-	-
4	पामगढ़	बोहारडीह	सोलर अधारित योजना	49.06	43.37	पूर्ण	-	-
5	पामगढ़	डिघोरा	सोलर अधारित योजना	49.8	41.24	-	अपूर्ण	परीक्षण कार्य अपूर्ण
6	पामगढ़	हइहा	सोलर अधारित योजना	29.82	18.04	पूर्ण	-	-
7	पामगढ़	रिवापार	सोलर अधारित योजना	49.99	44.71	पूर्ण	-	-
8	पामगढ़	कुटराबोड़	रेट्रोफिटिंग योजना	48.87	46.5	पूर्ण	-	-
9	पामगढ़	बारगांव	एकल ग्राम योजना	157.00	0.00	-	अपूर्ण	सामग्री नहीं मिलने के कारण देरी
			सोलर अधारित योजना	24.61	21.27			-
10	पामगढ़	मेकरी	रेट्रोफिटिंग योजना	49.67	33.45	-	अपूर्ण	विद्युत कनेक्शन में विलंब
			सोलर अधारित योजना	25.91	22.38			-
11	पामगढ़	सिरी	रेट्रोफिटिंग योजना	49.87	0.00	-	अपूर्ण	सरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा विवाद
12	पामगढ़	बोरसी	रेट्रोफिटिंग योजना	141.09	74.42	-	अपूर्ण	नलकूप प्रदान करने हेतु ग्रामीणों द्वारा
			सोलर अधारित योजना	45.77	41.12			-
13	पामगढ़	पनगांव	रेट्रोफिटिंग योजना	132.10	66.86	-	अपूर्ण	सामग्री नहीं मिलने के कारण देरी
14	पामगढ़	धनगांव	एकल ग्राम योजना	67.45	65.27	-	अपूर्ण	मजदुर नहीं मिलने के कारण देरी
15	पामगढ़	भुईगांव	रेट्रोफिटिंग योजना	112.83	80.52	-	अपूर्ण	नलकूप प्रदान करने हेतु ग्रामीणों द्वारा विवाद
			सोलर अधारित योजना	49.55	23.34			हार्ड राक प्राप्त होने के कारण
16	पामगढ़	पचरी	रेट्रोफिटिंग योजना	54.65	52.17	-	अपूर्ण	मजदुर नहीं मिलने के कारण देरी
			सोलर अधारित योजना	24.46	26.05			-
17	पामगढ़	महका	रेट्रोफिटिंग योजना	68.41	47.91	-	अपूर्ण	सामग्री एवं मजदुर नहीं मिलने के कारण देरी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	योजना का प्रकार	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	व्यय राशि (रु. लाख में)	कार्य की स्थिति		कार्य अपूर्ण होने का कारण
						पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	पामगढ़	डुङगा	रेट्रोफिटिंग योजना	72.64	63.65	-	अपूर्ण	विद्युत कनेक्शन में देरी
19	पामगढ़	सिंघलदीप	रेट्रोफिटिंग योजना	49.84	17.72	-	अपूर्ण	मजदुर नहीं मिलने के कारण देरी
			सोलर आधारित योजना	24.37	20.29			-
20	पामगढ़	बुंदेला	रेट्रोफिटिंग योजना	198.00	135.21	-	अपूर्ण	टंकी स्थल चयन हेतु ग्रामीणों में विवाद
			सोलर आधारित योजना	49.99	37.98			-
			सोलर आधारित योजना	48.93	36.53			-
21	पामगढ़	धरदेई	रेट्रोफिटिंग योजना	254.08	162.09	-	अपूर्ण	टंकी स्थल चयन हेतु ग्रामीणों में विवाद
			सोलर आधारित योजना	28.21	28.83			-
22	पामगढ़	कोड़ाभांठ	रेट्रोफिटिंग योजना	175.09	102.62	-	अपूर्ण	सामग्री एवं मजदुर नहीं मिलने के कारण देरी
			सोलर आधारित योजना	25.03	21.21			-
23	पामगढ़	कोनारगढ़	रेट्रोफिटिंग योजना	282.91	93.42	-	अपूर्ण	सामग्री एवं मजदुर नहीं मिलने के कारण देरी
			सोलर आधारित योजना	47.15	40.83			-
			सोलर आधारित योजना	49.99	36.62			-
24	पामगढ़	भवतरा	रेट्रोफिटिंग योजना	167.47	95.35	-	अपूर्ण	विद्युत कनेक्शन में देरी
			सोलर आधारित योजना	49.48	42.71			-
25	पामगढ़	कोसला	रेट्रोफिटिंग योजना	182.02	96.67	-	अपूर्ण	विद्युत कनेक्शन में देरी
26	पामगढ़	कोहका	रेट्रोफिटिंग योजना	104.79	73.03	-	अपूर्ण	सामग्री नहीं मिलने के कारण देरी
27	पामगढ़	मेंहंदी	रेट्रोफिटिंग योजना	190.72	132.72	-	अपूर्ण	सामग्री नहीं मिलने के कारण देरी
			सोलर आधारित योजना	46.52	41.53			-
28	पामगढ़	चोरभंडी	रेट्रोफिटिंग योजना	189.6	0.00	-	अपूर्ण	सामग्री नहीं मिलने के कारण देरी
			सोलर आधारित योजना	26.60	21.74			-
29	पामगढ़	कोसा	रेट्रोफिटिंग योजना	486.91	56.41	-	अपूर्ण	सरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा विवाद
			सोलर आधारित योजना	49.28	37.87			-
			सोलर आधारित योजना	24.81	18.77			-
30	पामगढ़	ससहा	रेट्रोफिटिंग योजना	224.79	85.67	-	अपूर्ण	मजदुर नहीं मिलने के कारण देरी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	योजना का प्रकार	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	व्यय राशि (रु. लाख में)	कार्य की स्थिति		कार्य अपूर्ण होने का कारण
						पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			सोलर अधारित योजना	27.88	22.56			-
31	पामगढ़	मुड़पार-च	रेट्रोफिटिंग योजना	134.37	45.29	-	अपूर्ण	सरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा विवाद
			सोलर अधारित योजना	44.33	38.88			हार्ड राक प्राप्त होने के कारण
32	पामगढ़	लोहसी	रेट्रोफिटिंग योजना	254.10	58.38	-	अपूर्ण	सामग्री एवं मजदुर नहीं मिलने के कारण देरी
			सोलर अधारित योजना	29.10	25.59			-
33	पामगढ़	चेऊडीह	रेट्रोफिटिंग योजना	107.22	80.81	-	अपूर्ण	परीक्षण कार्य अपूर्ण
34	पामगढ़	रोझनडीह	रेट्रोफिटिंग योजना	91.77	50.38	-	अपूर्ण	मजदुर नहीं मिलने के कारण देरी
35	पामगढ़	केसला	रेट्रोफिटिंग योजना	136.31	81.38	-	अपूर्ण	मजदुर नहीं मिलने के कारण देरी
36	पामगढ़	चण्डीपारा	रेट्रोफिटिंग योजना	268.34	0.00	-	अपूर्ण	निविदा प्रक्रियाधीन
37	पामगढ़	डोंगाकोहरौद	रेट्रोफिटिंग योजना	269.88	38.01	-	अपूर्ण	पाइप मिलने में देरी
38	पामगढ़	पामगढ़	रेट्रोफिटिंग योजना	330.55	0.00	-	अपूर्ण	-
			सोलर अधारित योजना	48.98	36.07			-
39	पामगढ़	कोसीर	रेट्रोफिटिंग योजना	154.85	25.78	-	अपूर्ण	-
			सोलर अधारित योजना	25.37	24.61			हार्ड राक प्राप्त होने के कारण
40	पामगढ़	हिर्री	रेट्रोफिटिंग योजना	128.99	0.00	-	अपूर्ण	-
			सोलर अधारित योजना	25.62	22.66			-
41	पामगढ़	मुड़पार-ब	रेट्रोफिटिंग योजना	125.61	64.56	-	अपूर्ण	-
			सोलर अधारित योजना	22.83	22.58			-
42	पामगढ़	तनौद	एकल ग्राम योजना	199.98	100.17	-	अपूर्ण	मजदुर नहीं मिलने के कारण देरी
			सोलर अधारित योजना	49.87	43.54			-
43	पामगढ़	भिलौनी	एकल ग्राम योजना	172.91	139.16	-	अपूर्ण	मजदुर नहीं मिलने के कारण देरी
44	पामगढ़	झिलमिली	एकल ग्राम योजना	67.08	0.00	-	अपूर्ण	टंकी स्थल चयन हेतु ग्रामीणों में विवाद
45	पामगढ़	भदरा	एकल ग्राम योजना	91.67	88.61	-	अपूर्ण	मजदुर नहीं मिलने के कारण देरी
46	पामगढ़	पेण्डी	एकल ग्राम योजना	146.36	97.96	-	अपूर्ण	नलकूप प्रदान करने हेतु ग्रामीणों द्वारा विवाद
			सोलर अधारित योजना	26.00	20.10			-

क्रं.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	योजना का प्रकार	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	व्यय राशि (रु. लाख में)	कार्य की स्थिति		कार्य अपूर्ण होने का कारण
						पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	पामगढ़	पड़रिया	एकल ग्राम योजना	82.41	12.39	-	अपूर्ण	मजदुर नहीं मिलने के कारण देरी
48	पामगढ़	कमरीद	एकल ग्राम योजना	151.21	102.34	-	अपूर्ण	परीक्षण कार्य अपूर्ण
49	पामगढ़	चुरतेला	एकल ग्राम योजना	159.93	90.00	-	अपूर्ण	विद्युत कनेक्शन में देरी
50	पामगढ़	खरगहनी	एकल ग्राम योजना	115.07	65.64	-	अपूर्ण	नलकूप प्रदान करने हेतु ग्रामीणों द्वारा विवाद
			सोलर अधारित योजना	27.70	20.60			स्थल परिवर्तन
51	पामगढ़	पकरिया	एकल ग्राम योजना	146.82	55.41	-	अपूर्ण	नलकूप प्रदान करने हेतु ग्रामीणों द्वारा विवाद
			सोलर अधारित योजना	26.54	21.27			-
52	पामगढ़	देवरी	एकल ग्राम योजना	146.32	28.75	-	अपूर्ण	नलकूप नहीं देने हेतु ग्रामीणों द्वारा विवाद
			सोलर अधारित योजना	47.32	35.41			-
53	पामगढ़	खपरी	एकल ग्राम योजना	194.50	101.54	-	अपूर्ण	-
			सोलर अधारित योजना	49.99	43.97			स्थल परिवर्तन
54	पामगढ़	खोखरी	एकल ग्राम योजना	185.83	89.46	-	अपूर्ण	-
			सोलर अधारित योजना	48.21	37.59			-
55	पामगढ़	मुलमुला	एकल ग्राम योजना	272.81	199.11	-	अपूर्ण	विद्युत कनेक्शन में देरी
			सोलर अधारित योजना	49.11	36.11			-
56	पामगढ़	भैसों	एकल ग्राम योजना	334.97	235.18	-	अपूर्ण	नलकूप प्रदान करने हेतु ग्रामीणों द्वारा विवाद
			सोलर अधारित योजना	27.23	24.72			-
57	पामगढ़	जोगीडीपा	एकल ग्राम योजना	139.88	42.00	-	अपूर्ण	-
			सोलर अधारित योजना	24.95	22.04			-
58	पामगढ़	देवरघटा	एकल ग्राम योजना	99.77	0.00	-	अपूर्ण	-
59	पामगढ़	सेमरिया (बोहारडीह)	एकल ग्राम योजना	94.59	0.00	-	अपूर्ण	-
			सोलर अधारित योजना	29.04	23.38			हार्ड राक प्राप्त होने के कारण
60	पामगढ़	सेमरिया (भैसों)	एकल ग्राम योजना	197.97	0.00	-	अपूर्ण	-
			सोलर अधारित योजना	49.87	42.06			-
61	पामगढ़	मेऊ	एकल ग्राम योजना	388.70	0.00	-	अपूर्ण	निविदा प्रक्रियाधीन
62	पामगढ़	लगरा	एकल ग्राम योजना	331.59	0.00	-	अपूर्ण	निविदा प्रक्रियाधीन
63	पामगढ़	झूलन	एकल ग्राम योजना	239.09	0.00	-	अपूर्ण	निविदा प्रक्रियाधीन
64	पामगढ़	नंदेली	एकल ग्राम योजना	270.00	0.00	-	अपूर्ण	निविदा प्रक्रियाधीन
			सोलर अधारित योजना	47.59	39.63			-

क्रं.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	योजना का प्रकार	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	व्यय राशि (रु. लाख में)	कार्य की स्थिति		कार्य अपूर्ण होने का कारण
						पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	पामगढ़	खरखोद	एकल ग्राम योजना	257.95	0.00	-	अपूर्ण	निविदा प्रक्रियाधीन
66	पामगढ़	बिलारी	एकल ग्राम योजना	274.48	0.00	-	अपूर्ण	निविदा प्रक्रियाधीन
			सोलर आधारित योजना	49.99	35.95			-
67	पामगढ़	जेवरा	एकल ग्राम योजना	287.73	0.00	-	अपूर्ण	निविदा प्रक्रियाधीन
			सोलर आधारित योजना	29.27	34.63			-
68	पामगढ़	रसौटा	एकल ग्राम योजना	347.72	0.00	-	अपूर्ण	निविदा प्रक्रियाधीन
69	पामगढ़	खोरसी	एकल ग्राम योजना	296.64	0.00	-	अपूर्ण	निविदा प्रक्रियाधीन
			सोलर आधारित योजना	26.36	20.80			-
70	पामगढ़	सिरली	एकल ग्राम योजना	258.21	0.00	-	अपूर्ण	निविदा प्रक्रियाधीन
71	नवागढ़	कुक्कदा	रेट्रोफिटिंग योजना	113.72	55.60	-	अपूर्ण	नलकूप नहीं देने हेतु ग्रामीणों द्वारा विवाद
72	नवागढ़	नगारीडीह	रेट्रोफिटिंग योजना	76.21	35.18	-	अपूर्ण	विद्युत कनेक्शन में देरी
73	नवागढ़	मुड़पार	रेट्रोफिटिंग योजना	131.60	0.00	-	अपूर्ण	निविदा प्रक्रियाधीन
74	नवागढ़	खपराडीह	रेट्रोफिटिंग योजना	76.55	0.00	-	अपूर्ण	सरपंच एवं ग्रामीणों द्वारा विवाद
			सोलर आधारित योजना	22.90	17.52			-
75	नवागढ़	मिस्ता	रेट्रोफिटिंग योजना	192.46	120.27	-	अपूर्ण	विद्युत कनेक्शन में देरी
76	नवागढ़	तुस्मा	रेट्रोफिटिंग योजना	188.11	0.00	-	अपूर्ण	नलकूप नहीं देने हेतु ग्रामीणों द्वारा विवाद
			सोलर आधारित योजना	47.19	33.96			-
77	नवागढ़	कटौद	रेट्रोफिटिंग योजना	239.53	132.98	-	अपूर्ण	नलकूप नहीं देने हेतु ग्रामीणों द्वारा विवाद
78	नवागढ़	केरा	रेट्रोफिटिंग योजना	212.48	0.00	-	अपूर्ण	नलकूप नहीं देने हेतु ग्रामीणों द्वारा विवाद
79	नवागढ़	उदयभांठा	एकल ग्राम योजना	131.68	120.56	पूर्ण	-	-
80	नवागढ़	तुलसी	एकल ग्राम योजना	132.32	90.34	पूर्ण	-	-
			सोलर आधारित योजना	27.88	19.23			-
81	नवागढ़	खिसोरा	एकल ग्राम योजना	196.69	0.00	-	अपूर्ण	-
			सोलर आधारित योजना	47.02	31.62			-
82	नवागढ़	कुरियारी	एकल ग्राम योजना	234.60	0.00	-	अपूर्ण	टंकी स्थल चयन हेतु ग्रामीणों में विवाद
83	नवागढ़	कामता	एकल ग्राम योजना	113.11	0.00	-	अपूर्ण	टंकी स्थल चयन हेतु ग्रामीणों में विवाद

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	योजना का प्रकार	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	व्यय राशि (रु. लाख में)	कार्य की स्थिति		कार्य अपूर्ण होने का कारण
						पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	नवागढ़	दुरपा	एकल ग्राम योजना	185.15	40.23	-	अपूर्ण	पाइप लाइन बिछाने हेतु ग्रामीनों में विवाद
85	नवागढ़	रिंगनी	एकल ग्राम योजना	148.91	3.06	-	अपूर्ण	पाइप लाइन बिछाने हेतु ग्रामीनों में विवाद
86	नवागढ़	बोरदा	एकल ग्राम योजना	105.41	58.64	-	अपूर्ण	विद्युत कनेक्शन में देरी
87	नवागढ़	केसला	एकल ग्राम योजना	110.66	45.69	-	अपूर्ण	पाइप लाइन बिछाने हेतु ग्रामीनों में विवाद
			सोलर आधारित योजना	46.38	30.63			-
88	नवागढ़	करमंदी (के.)	एकल ग्राम योजना	93.88	28.27	-	अपूर्ण	टंकी स्थल चयन हेतु ग्रामीनों में विवाद
			सोलर आधारित योजना	22.21	18.51			-
89	नवागढ़	सिधुल	एकल ग्राम योजना	156.22	0.00	-	अपूर्ण	टंकी स्थल चयन हेतु ग्रामीनों में विवाद
			सोलर आधारित योजना	28.86	17.60			-
90	नवागढ़	गोधना	एकल ग्राम योजना	272.93	142.61	-	अपूर्ण	सामग्री एवं मजदुर नहीं मिलने के कारण देरी
91	नवागढ़	कचंदा	एकल ग्राम योजना	216.76	0.00	-	अपूर्ण	-
			सोलर आधारित योजना	47.91	32.60			-
92	नवागढ़	मोहतरा	एकल ग्राम योजना	89.86	70.34	पूर्ण	-	-
			सोलर आधारित योजना	47.91	31.5			-
93	नवागढ़	गंगाजल	एकल ग्राम योजना	111.26	0.00	-	अपूर्ण	टंकी स्थल चयन हेतु ग्रामीनों में विवाद
94	नवागढ़	भठली	एकल ग्राम योजना	137.49	85.84	-	अपूर्ण	-
95	नवागढ़	बर्दा	एकल ग्राम योजना	88.40	0.00	-	अपूर्ण	-
96	नवागढ़	कनस्टा	एकल ग्राम योजना	111.19	58.83	-	अपूर्ण	पाइप लाइन बिछाने हेतु ग्रामीनों में विवाद
97	नवागढ़	सलखन	एकल ग्राम योजना	394.53	72.83	-	अपूर्ण	टंकी स्थल चयन हेतु ग्रामीनों में विवाद
98	नवागढ़	मुडपार-खि.	एकल ग्राम योजना	173.98	0.00	-	अपूर्ण	-
99	नवागढ़	तेंदुवा	एकल ग्राम योजना	50.78	0.00	-	अपूर्ण	-
			सोलर आधारित योजना	49.77	31.55			-
100	नवागढ़	देवरी	एकल ग्राम योजना	88.13	0.00	-	अपूर्ण	-

क्रं.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	योजना का प्रकार	स्वीकृत लागत (रु. लाख में)	व्यय राशि (रु. लाख में)	कार्य की स्थिति		कार्य अपूर्ण होने का कारण
						पूर्ण	अपूर्ण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
101	नवागढ़	बेल्हा	एकल ग्राम योजना	104.27	0.00	-	अपूर्ण	-
			सोलर अधारित योजना	25.36	16.98			-
102	नवागढ़	पचरी	एकल ग्राम योजना	108.59	0.00	-	अपूर्ण	निविदा प्रक्रियाधीन
योग :-				18415.95	6387.84	9	93	


अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य की शिकायत एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

क्रमांक	प्राप्त पत्र का संदर्भ	प्राप्त शिकायतों का विवरण	की गई कार्यवाही
1	2	3	4
1	02229/ 2022 दिनांक 08 दिसंबर 2022	जल जीवन मिशन योजनांतर्गत पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकासखण्ड नवागढ़ के ग्राम मिस्ता, कटौद एवं दुरपा में पानी टंकी का निर्माण एवं पाईप लाईन का विस्तार कार्य में लापरवाही पूर्वक गुणवत्ता विहीन कार्य किये जाने की शिकायत	प्राप्त शिकायत अनुसार जांच की गई, जांच में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई। अतः प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।


अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - बाईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1518) की जानकारी

बालोद वनमंडल अंतर्गत पेड़ों के अवैध कटाई की जानकारी।

वर्ष	अवैध कटाई के दर्ज पी.ओ.आर. प्रकरणों की संख्या	काटे गये वृक्षों की संख्या/जप किये गये पेड़ों की संख्या	अवैध कटाई के दर्ज प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की जानकारी		जपत वनोपज की मात्रा			वसूल की गई भावजा- महसूल की राशि (राशि रु. में)
			अभिसंधानित / नस्तीबद्ध	प्रक्रियाधीन	लट्ठा (घ.मी. में)	बल्ली (नग में)	जलाह (घट्टे में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020-2021	1107	15108	1107	0	24.583	471	0	288186.00
2021-2022	1079	13335	549	530	12.332	464	13	224356.00
2022-23 (15 फरवरी 2023 तक)	983	13420	589	394	8.82	124	0	109691.00
योग :-	3169	41863	2245	924	45.735	1059	13	622233.00

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

पृष्ठ - 21

" प्रपत्र - बी "

बालोद वनमंडल अंतर्गत पेड़ों के अवैध परिवहन की जानकारी।

वर्ष	अवैध परिवहन के दर्ज पी.ओ.आर. प्रकरणों की संख्या	अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरणों पर की गई कार्यवाही की जानकारी		जप्त वनोपज की मात्रा			वसूल की गई मावजा-महसूल की राशि (राशि रु.में)
		अभिसंधानित / नस्तीबद्ध	प्रकियाधीन	लट्टा (घ.मी. में)	बल्ली (नग में)	जलार (बट्टे में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2020-2021	19	17	2	12.689	2	36	40000.00
2021-2022	6	6	0	51.665	0	0	15000.00
2022-23 (15 फरवरी 2023 तक)	13	11	2	6.854	0	15	20000.00
योग :-	38	34	4	71.208	2	51	75000.00

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

पारिशेष - तेईस
पारिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1576) की जानकारी

प्रपत्र

लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत स्वच्छ पेयजल की सुविधा हेतु वर्ष 2021 से 1 जनवरी 2023 तक केन्द्र पोषित एवं राज्य पोषित योजनाओं की जानकारी

(अ) जल जीवन मिशन योजना

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत कार्यों की संख्या	व्यय राशि (रु. लाख में)
1	2021	जल जीवन मिशन	रेट्रोफिटिंग नलजल योजना, एकल ग्राम नलजल योजना, सोलर पंप नलजल योजना, रनिंग वाटर कार्य	लुण्ड्रा	49	82	640.31
				अम्बिकापुर	20	29	240.406
				लखनपुर	22	42	337.05
2	2022	जल जीवन मिशन	रेट्रोफिटिंग नलजल योजना, एकल ग्राम नलजल योजना, सोलर पंप नलजल योजना, रनिंग वाटर कार्य	लुण्ड्रा	64	106	1089.82
				अम्बिकापुर	30	43	538.52
				लखनपुर	21	42	273.29
				योग	206	344	3119.396

(ब) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन अन्तर्गत क्लस्टर ग्राम में नलजल योजना कार्य

1	2022	रुर्बन मिशन योजना	नलजल योजना बटवाही जोन 01	लुण्ड्रा	1	1	22.932
			नलजल योजना बटवाही जोन 02			1	18.614
			नलजल योजना बटवाही जोन 03			1	12.774
				योग	1	3	54.32

(स) नलकूप खनन योजना

1	2021	नलकूप खनन योजना	नलकूप खनन कार्य	लुण्ड्रा, अम्बिकापुर, लखनपुर	46	79	97.19
2	2022	नलकूप खनन योजना	नलकूप खनन कार्य	लुण्ड्रा, अम्बिकापुर, लखनपुर	25	42	47.50
				योग	71	121	144.69


अनुभाग अधिकारी
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - चौबीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1643) की जानकारी

प्रपत्र

जनघोषणा पत्र 2018 की अपूर्ण घोषणाओं की जानकारी:—

क्र.	जन घोषणा क्रं.	जनघोषणा का विवरण		रिमार्क	अपूर्णता के कारण
1	1	सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। किसानों को दो वर्ष के धान का बकाया बोनस भुगतान किया जाएगा।	(अ) सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। (ब) किसानों को दो वर्ष के धान का बकाया बोनस भुगतान किया जाएगा।	भाग (अ) पूर्ण है	
2	4	घर-घर रोजगार, हर घर रोजगार-छत्तीसगढ़ के युवाओं को राजीव मित्र योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा। इसके अन्तर्गत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सामुदायिक विकास और समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति माह न्यूनतम राशि रु. 2500 रूपए प्रदान किया जाएगा।		अपूर्ण	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधान किया गया है।
3	8	ग्रामीण और शहरी आवास का अधिकार-सरकार आने के एक वर्ष के भीतर होमस्टेड अधिनियम लाया जाएगा, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को घर एवं बाड़ी हेतु भूमि प्रदान की जाएगी एवं शहरी क्षेत्र में आवास विहीन परिवारों को 2 कमरों का मकान प्रदान किया जाएगा, भूमिहीन कब्जाधारी परिवारों को नियत अवधि के भीतर पट्टा प्रदान किया जाएगा।	(अ) ग्रामीण और शहरी आवास का अधिकार-सरकार आने के एक वर्ष के भीतर होमस्टेड अधिनियम लाया जाएगा, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को घर एवं बाड़ी हेतु भूमि प्रदान की जाएगी। (ब) शहरी क्षेत्र में आवासहीन परिवारों को 2 कमरों का मकान प्रदान किया जाएगा। (स) भूमिहीन कब्जाधारी परिवारों को नियत अवधि में पट्टा प्रदान किया	भाग (अ) एवं (ब) पूर्ण है	— कार्यवाही प्रक्रियाधीन है

			जाएगा।		
4	11	समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किया जाएगा। अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रिक्त पदों में नियमितिकरण की कार्यवाही की जाएगी एवं किसी की भी छंटनी नहीं की जाएगी। शिक्षाकर्मियों को 2 वर्ष पूर्ण करने पर नियमितिकरण की कार्यवाही की जाएगी।	(अ) समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किया जाएगा। (ब) अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रिक्त पदों पर नियमितिकरण की कार्यवाही की जाएगी एवं किसी की भी छंटनी नहीं की जाएगी। (स) शिक्षाकर्मियों को 2 वर्ष पूर्ण करने पर नियमितिकरण की कार्यवाही की जाएगी।	भाग (स) पूर्ण है	परीक्षणाधीन प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। संख्यात्मक जानकारी एकत्रित की जा रही है। —
5	12	सर्व वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1000 रूपए प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1500 रूपए प्रतिमाह पेंशन के रूप प्रदान किया जाएंगे। सर्व विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सभी विधवा महिलाओं को रू. 1000 रूपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।		आंशिक पूर्ण	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है
6	14	राज्य में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। बस्तर, सरगुजा जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा को शराबबंदी का अधिकार होगा।		—	इस हेतु गठित समितियों द्वारा अन्य राज्यों की आबकारी नीति का समग्र रूप से अध्ययन उपरांत उनकी रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत की जावेगी। समितियों की अनुशंसा अनुसार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किये जाने के संबंध में यथेष्ट निर्णय लिया जाएगा
7	18	लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर 5 वर्षों में सिंचित क्षेत्र को दोगुना किया जाएगा। सिंचाई	(अ) लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर 5 वर्षों में सिंचित क्षेत्र को दोगुना	भाग (स) पूर्ण है	सीमित वित्तीय संसाधन उपलब्धता के कारण

		शुल्क को समाप्त कर पुरानी बकाया राशि माफ की जाएगी।	किया जाएगा।		
			(ब) सिंचाई शुल्क को समाप्त		परीक्षणाधीन
			(स) पुरानी बकाया राशि माफ की जाएगी।		---
8	19	प्रदेश में 200 फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक फूड पार्क स्थापित किया जाएगा।		---	प्रक्रियाधीन
9	22	नक्सल समस्या के समाधान के लिए नीति तैयार की जाएगी और वार्ता शुरू करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायत को सामुदायिक विकास के लिए एक करोड़ रूपए दिए जाएंगे, जिससे कि विकास के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा में जोड़ा जा सके।	(अ) नक्सल समस्या के समाधान के लिए नीति तैयार की जाएगी और वार्ता शुरू करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किए जाएंगे।	भाग (अ) पूर्ण है	
			(ब) प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायत को सामुदायिक विकास के लिए एक करोड़ रूपए दिए जाएंगे, जिससे कि विकास के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा में जोड़ा जा सके।		इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
10	23	राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाए जाएंगे।		---	प्रक्रियाधीन है।
11	24	ऐसे सभी गांवों और पारा, टोला, जो किसी अन्य मौजूदा योजना में शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा।		---	प्रक्रियाधीन है।
12	25	छत्तीसगढ़ में लेमरू कोरबा, जैसे वन क्षेत्रों में हाथी और अन्य वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापित किए जाएंगे और मानव, हाथी के संघर्षों को कम करने के लिए जंगलों को वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा।		---	प्रक्रियाधीन है।
13	27	प्राकृतिक संसाधनों को आगामी पीढ़ी के लिए सुरक्षित करने के लिए इंटरजेनरेशन इंक्विटी के सिद्धांतों के आधार पर नीति बनाई जाएगी। इसके लिए वैज्ञानिक आयोग की स्थापना की जाएगी, जिसमें अर्थशास्त्री और समाजसेवी संगठन भी सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे।		---	---
14	28	छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके, रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें और उन पर्यटन स्थलों को सुगम बनाया जा सके, इस मास्टर प्लान के अंतर्गत 3 वर्ष के भीतर इन पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा एवं पर्यटन को उद्योग को स्वरूप दिया जाएगा।		आंशिक पूर्ण	कार्यवाही पूर्णता की ओर है।
15	30	राज्य सरकार की नौकरियों में आउटसोर्सिंग पूर्णतः समाप्त		---	प्रक्रियाधीन है।

		कर दी जाएगी। सभी शासकीय विभागों के एक लाख रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा।			
16	31	प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में जाने वाले सभी छात्र-छात्रा दोनों को मुफ्त साइकिले दी जाएगी। कॉलेज एवं स्कूली छात्र-छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा दी जाएगी।	प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में जाने वाले सभी छात्र-छात्रा दोनों को मुफ्त साइकिले दी जाएगी। कॉलेज एवं स्कूली छात्र-छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा दी जाएगी।	अपूर्ण	प्रक्रियाधीन है।
				अपूर्ण	परीक्षाधीन
17	33	संपत्तिकर को शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तक कम किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा।		—	प्रक्रियाधीन है।


अनुभाग अधिकारी
 सामान्य प्रशासन विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर,
 नवा रायपुर (छ.ग.)

परिशेष - पच्चीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 1652) की जानकारी

ii =

वर्ष	वनमंडल का नाम	परिक्षेत्र का नाम	सद का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	कार्य पूर्ण / अपूर्ण / अप्रारम्भ	अपूर्ण / अप्रारम्भ का कारण	अपूर्ण / अप्रारम्भ कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिये जायेगा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020-21	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	डब्ल्यू.बी.एस. मार्ग निर्माण कार्य खुज्जी से उमरवाही मार्ग	4848085	पूर्ण	-	-
2020-21	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	डब्ल्यू.बी.एस. मार्ग निर्माण कार्य जतर से मद्रगुडा मार्ग	4848085	पूर्ण	-	-
2020-21	राजनांदगांव	खुज्जी	10-2406-6723 संयुक्त वन प्रबंधन सुदृढीकरण विकास योजना	सापुदाधिक भवन निर्माण, जतर	750000	पूर्ण	-	-
2020-21	राजनांदगांव	राजनांदगांव	कैम्पा	बायोबायवसिटी पार्क टप्पा वैयक्तिक कोसिंग कार्य	9329000	पूर्ण	-	-
2020-21	राजनांदगांव	राजनांदगांव	कैम्पा	बायोबायवसिटी पार्क टप्पा स्ट्रीटो गेट निर्माण कार्य	1283000	पूर्ण	-	-
2020-21	राजनांदगांव	राजनांदगांव	(2536) पर्यावरण बानिजी योजना	पार्क निर्माण कार्य नारंगी क्षेत्र डोंगरसांघ	806000	पूर्ण	-	-
2020-21	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	सू-जल संरक्षण कार्य जॉकरा नाला	1721087	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।
2020-21	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	दरी हाईटेक रोपणी स्थापना मस्टीफोसिलिटी भवन। कार्यालय, शीड स्टोर रूम, कटीलाईजर स्टोर रूम	2429000	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।
2020-21	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	दरी हाईटेक रोपणी स्थापना जोकर हेड टेक	300000	पूर्ण	-	-
2020-21	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	दरी हाईटेक रोपणी स्थापना शीड ट्रीटमेंट प्लांट	10600	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।
2020-21	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	दरी हाईटेक रोपणी स्थापना वर्ना कम्पोस्ट यूनिट	649000	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।
2020-21	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	दरी हाईटेक रोपणी स्थापना बीरवेला 150 एन.एन.	198000	पूर्ण	-	-
2020-21	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	दरी हाईटेक रोपणी स्थापना पोटिय मिक्सचर यूनिट	738000	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020-21	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	दर्री हाईटेक रोपणी स्थापना लेबर शेंड	532000	पूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण लिया जावेगा।
2020-21	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	दर्री हाईटेक रोपणी स्थापना लेबर शेंड	441000	पूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण लिया जावेगा।
2020-21	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	भू-जल संरक्षण कार्य खोलीनार नाला	4802000	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण लिया जावेगा।
2020-21	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	भू-जल संरक्षण कार्य कारुटोला नाला	2842596	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण लिया जावेगा।
2020-21	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	भू-जल संरक्षण कार्य बीजा नाला	5344323	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण लिया जावेगा।
2020-21	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	भू-जल संरक्षण कार्य बडभूम नाला	3597422	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण लिया जावेगा।
2020-21	राजनांदगांव	राजनांदगांव	कैम्पा	भू-जल संरक्षण कार्य खन्हेरा नाला	4423650	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण लिया जावेगा।
2021-22	राजनांदगांव	राजनांदगांव	10-2406-0792 कर्मचारी कल्याण योजना	योग - महिला कर्मचारियों के लिये भवन एवं बाथरूम, शौचालय निर्माण	49602848	पूर्ण	-	-
2021-22	राजनांदगांव	राजनांदगांव	10-2406-6723 संयुक्त वन प्रबंधन सुदृढीकरण विकास योजना	मोटर सायकल स्टैंड शेंड निर्माण	200000	पूर्ण	-	-
2021-22	राजनांदगांव	राजनांदगांव	10-2406-6723 संयुक्त वन प्रबंधन सुदृढीकरण विकास योजना	पुलिया निर्माण कार्य	1000000	पूर्ण	-	-
2021-22	राजनांदगांव	राजनांदगांव	कैम्पा	पेयजल व्यवस्था	250000	पूर्ण	-	-
2021-22	राजनांदगांव	राजनांदगांव	कैम्पा	पेयजल व्यवस्था आवासी परिसर डोंगरगांव	691000	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण लिया जावेगा।
2021-22	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	दर्री हाईटेक रोपणी स्थापना मुरुम रोड 4 कि.मी.	2600000	पूर्ण	-	-
2021-22	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	दर्री हाईटेक रोपणी स्थापना ओड्डर हेड टेक विथ पम्प हाउस कैपेसिटी 6000 लिटर	300000	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण लिया जावेगा।
2021-22	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	दर्री हाईटेक रोपणी स्थापना चैनलिक फेंसिंग	5772000	पूर्ण	-	-
2021-22	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	दर्री हाईटेक रोपणी स्थापना ग्रीन हाउस विथ फैन एण्ड पेड	7478600	पूर्ण	-	-
2021-22	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	दर्री हाईटेक रोपणी स्थापना नेचुरल वेन्टीलेटेड शेंड नेट	1952700	पूर्ण	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021-22	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	दर्री हाईटेक रोपणी स्थापना ड्रेनेज सिस्टम	1495000	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण न लिया जावेगा।
2021-22	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	दर्री हाईटेक रोपणी स्थापना मुरुम रोड 2 कि.मी.	1300000	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण न लिया जावेगा।
2021-22	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	दर्री हाईटेक रोपणी स्थापना पाईप लाईन 1 कि.मी.	1400000	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण न लिया जावेगा।
2021-22	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	दर्री हाईटेक रोपणी स्थापना स्टोर रूम 1 नम	1000000	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण न लिया जावेगा।
2021-22	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	परिक्षेत्र राहायक भवन अम्बागढ चौकी	805000	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण न लिया जावेगा।
2021-22	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	भू-जल संरक्षण कार्य घुपसाल नाला	2207447	पूर्ण	-	-
2021-22	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	भू-जल संरक्षण कार्य केकतीनार नाला	5492846	पूर्ण	-	-
2021-22	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	भू-जल संरक्षण कार्य खोलीनार नाला	4802000	पूर्ण	-	-
2021-22	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	भू-जल संरक्षण कार्य कारुटोला नाला	2842596	पूर्ण	-	-
2021-22	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	भू-जल संरक्षण कार्य बडूम नाला	3597422	पूर्ण	-	-
				योग -	46686611			
2022-23 (15 फरवरी 23 तक)	राजनांदगांव	राजनांदगांव	(2536) पर्यावरण वानिकी योजना	चिल्ड्रन पार्क, वन कालोनी कौरिनमाटा	500000	पूर्ण	-	-
	राजनांदगांव	राजनांदगांव		पथवे निर्माण, वन कालोनी कौरिनमाटा	500000	पूर्ण	-	-
	राजनांदगांव	राजनांदगांव	कैम्पा	भू-जल संरक्षण कार्य खम्हरा नाला	4423650	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण न लिया जावेगा।
	राजनांदगांव	राजनांदगांव	कैम्पा	नाली निर्माण वन परिसर राजनांदगांव	1483000	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर होने के कारण	जून 2023 तक पूर्ण न लिया जावेगा।
	राजनांदगांव	खुज्जी	कैम्पा	भू-जल संरक्षण कार्य बीजा नाला	5344323	पूर्ण	-	-
				योग -	12250973			
				कुल योग :-	108540432			

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(संयुक्त वन प्रबंधन/नीति विश्लेषण)

परिशेष - छब्बीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 1659) की जानकारी
"प्रपत्र अ"

क्र.	नाम व पता	ग्राम	विकासखण्ड	वर्तमान जिला	खसरा नम्बर	रकबा (हे० में)	खनिज का नाम	अवधि	भण्डारण अनुज्ञप्ति / उत्खनिपट्टा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वित्तीय वर्ष 2020-21									
1	मेसर्स जिन कुशल कंस्ट्रक्शन	कलडबरी	राजनांदगांव	राजनांदगांव	194/2, 195/1, 195/2 में से, 195/3 में से, 196/1, 196/3, 199/1, 199/2, 200/1, 200, 215/1, 215/2, 228/1	3.536	चूना पत्थर	17.12.2020 से 16.12.2050	उत्खनिपट्टा
2	श्री गिरधारी लाल तलरेजा	चवेली	राजनांदगांव	राजनांदगांव	345/2, 345/3, 345/4,	3.740	चूना पत्थर	24.03.2021 से 23.03.2051	उत्खनिपट्टा
3	श्री भावेश बैद	भरकाटोला	राजनांदगांव	राजनांदगांव	388/3	1.416	चूना पत्थर	25.04.2020 से 24.04.2030	भण्डारण अनुज्ञप्ति
4	श्री अभिनव तिवारी	ईरा	राजनांदगांव	राजनांदगांव	688 का भाग	4.850	रेत	06.06.20 से 05.06.22	उत्खनिपट्टा
5	मेसर्स श्रीमिनरल्स	पड़रामटोला	छुरिया	राजनांदगांव	273 का भाग	5.000	क्वार्टज	12.02.2021 से 11.02.2071	उत्खनिपट्टा
6	श्री मनिन्दर सिंह गरचा	देवरी	छुरिया	राजनांदगांव	553 का भाग	2.700	रेत	03.06.2020 से 02.06.2022	उत्खनिपट्टा
7	श्री मनिन्दर सिंह गरचा	चांदो	छुरिया	राजनांदगांव	634 का भाग	2.897	रेत	03.06.2020 से 02.06.2022	उत्खनिपट्टा
8	श्री चेतन आनंद चौधरी	कोटरासरार	डोंगरगांव	राजनांदगांव	616 का भाग	2 ^ण 600	रेत	16.12.2020 से 15.12.2022	उत्खनिपट्टा
9	मेसर्स बालाजी सीमेंट	खुर्सीपार	खैरागढ़	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	57, 161/2, 161/3, 62/1	1.174	चूना पत्थर	25.06.2020 से 24.06.2030	भण्डारण अनुज्ञप्ति
10	मेसर्स अमृत मिनरल्स	बल्देवपुर	खैरागढ़	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	1140/11	0.4610	चूना पत्थर	14.10.2020 से 13.10.2030	भण्डारण अनुज्ञप्ति

क.	नाम व पता	ग्राम	विकासखण्ड	वर्तमान जिला	खसरा नम्बर	रकबा (हे० में)	खनिज का नाम	अवधि	भण्डारण अनुज्ञप्ति / उत्खनिपट्टा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	श्रीमती अरुणा जोगेवार	कलकसा	खैरागढ़	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	264/2	0.583	चूना पत्थर	29.07.2020 से 28.07.2030	भण्डारण अनुज्ञप्ति
12	शंकर लाल ज्ञानचंदानी	बल्देवपुर	खैरागढ़	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	1140/8, 9,10	0.666	चूना पत्थर	15.03.2021 से 14.03.2031	भण्डारण अनुज्ञप्ति
13	पदमा एसोसिएट्स	साल्हेभरी	खैरागढ़	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	484, 480/1, 480/2	1.56	चूना पत्थर	26.08.2021 से 25.08.2031	भण्डारण अनुज्ञप्ति
वित्तीय वर्ष 2021-22									
14	मेसर्स नवकार स्टोन्स	डुमरडीहकला	राजनांदगांव	राजनांदगांव	118/1 में से 118/2 में से	4.448	चूना पत्थर	18.06.2021 से 17.06.2051	उत्खनिपट्टा
15	श्री समीर पोददार	खुर्सीपार	खैरागढ़	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	34, 35, 36/3, 37/2	1.393	चूना पत्थर	25.08.2021 से 24.08.2051	उत्खनिपट्टा
16	श्रीमती जया मण्डावी	शेरपार	मोहला	मोहला-मानपुर-अं. चौकी	27/1, 27/3	2.104	साधारण पत्थर	08.03.2022 से 07.03.2052	उत्खनिपट्टा
17	मेसर्स जैन केशर	सालिकझिटिया	डोंगरगांव	राजनांदगांव	66/2	0.485	फर्शी पत्थर	23.03.2022 से 22.03.2032	भण्डारण अनुज्ञप्ति
वित्तीय वर्ष 2022-23 (28 फरवरी 2023 तक)									
18	श्री हितेन्द्र सिंग बग्गा	डुमरडीहकला	राजनांदगांव	राजनांदगांव	117 का भाग	2.773	चूना पत्थर	31.01.2023 से 30.01.2053	उत्खनिपट्टा
19	लैण्डमार्क रॉयल इंजीनियरिंग (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	चिरचारीकला	छुरिया	राजनांदगांव	1033 में से, 1031/1 में से, 1031/2, 1036/7, 1036/5 में से, 1036/1, 1036/3 में से, 1036/9	1.121	साधारण पत्थर	19.12.2022 से 18.12.2052	उत्खनिपट्टा
20	महानिधि माईन्स एण्ड मिनरल्स प्रा० लिमिटेड	विचारपुर नवागांव	डोंगरगांव	राजनांदगांव	235/3 का भाग	1.214	साधारण पत्थर	27.02.2023 से 26.02.2053	उत्खनिपट्टा
21	अईम माईनिंग पार्टनर भावेश बैद	शेरपार	मोहला	मोहला-मानपुर-अं. चौकी	14	0.725	साधारण पत्थर	29.04.2022 से 28.04.2032	भण्डारण अनुज्ञप्ति

Handwritten signature

"प्रपत्र ब"

स. क.	विकासखण्ड	वर्तमान जिला	दर्ज प्रकरणों की संख्या	वसूल किया गया समझौता राशि (रूपये में)
वित्तीय वर्ष 2020-21				
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	98	1788740
2	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	27	308530
3	डोंगरगांव	राजनांदगांव	50	765830
4	छुरिया	राजनांदगांव	22	502492
5	खैरागढ़	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	39	746600
6	छुईखदान	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	10	218600
7	मोहला	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	26	376000
8	मानपुर	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	24	479580
9	अम्बागढ़ चौकी	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	18	197150
योग			314	5383522
वित्तीय वर्ष 2021-22				
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	88	1672610
2	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	6	70040
3	डोंगरगांव	राजनांदगांव	34	569880
4	छुरिया	राजनांदगांव	16	317364
5	खैरागढ़	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	20	305040
6	छुईखदान	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	22	475180
7	मोहला	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	13	114400
8	मानपुर	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	12	123800
9	अम्बागढ़ चौकी	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	18	157400
योग			229	3805714
वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिनांक 28.02.2023 तक)				
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	57	1164516
2	डोंगरगढ़	राजनांदगांव	10	174720
3	डोंगरगांव	राजनांदगांव	15	279724
4	छुरिया	राजनांदगांव	4	119520
5	खैरागढ़	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	9	200040
6	छुईखदान	खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई	8	188720
7	मोहला	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	16	262360
8	मानपुर	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	7	89900
9	अम्बागढ़ चौकी	मोहला-मानपुर-अं.चौकी	8	121600
योग			134	2601100
महायोग			677	11790336

परिशेष - सत्ताईस
परिवातित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 1690) की जानकारी

प्रपत्र

जिला रायपुर में स्थापित उद्योगों के विरुद्ध दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 31.01.2023 तक की अवधि में प्राप्त शिकायतें, प्रदूषण नियंत्रण यंत्र की स्थापना एवं की गई कार्यवाही संबंधी जानकारी-

क्र.	शिकायत से संबंधित उद्योग का नाम एवं पता	प्रदूषण नियंत्रण यंत्र स्थापित होने की स्थिति (हाँ/नहीं)	की गई कार्यवाही
1	2	3	4
1.	मेसर्स गैलेक्सी रिसाईकिलिंग प्राईवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, जिला-रायपुर	हाँ	इकाई को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16.02.2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31क के तहत नोटिस पत्र प्रेषित किया गया। तदोपरान्त उद्योग द्वारा नियत समय में जवाब प्राप्त नहीं होने के दृष्टिगत उद्योग को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12.05.2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31क के तहत निर्देश पत्र प्रेषित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
2.	मेसर्स जी.डी. स्टोन, ग्राम-धनसुली, बाराडेरा, तहसील आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
3.	मेसर्स त्रिमुला स्पंज ऑयरन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- चरोदा, धरसीवा, जिला-रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पावर लि. ग्राम-सिलतरा, जिला-रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
4.	मेसर्स जे.पी. वायर इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, जिला-रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
5.	मेसर्स श्री श्याम आयरन एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, फेस-2, सिलतरा, रायपुर	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 01.04.2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क ' के तहत नोटिस प्रेषित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
6.	मेसर्स पोरवाल इण्डस्ट्रीज ग्राम-कुंरा, धरसीवा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	नहीं	उद्योग को पत्र दिनांक 09.06.2021 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क ' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क ' के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र जारी किया गया।
		हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 06.07.2021 के माध्यम से उत्पादन पुनः आरंभ करने/विद्युत संयोजन बाबत संशोधित निर्देश पत्र जारी किया गया।
7.	मेसर्स घनकुन स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सोण्डा, धरसीवा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
8.	मेसर्स सार्थक इस्पात प्राईवेट लिमिटेड ग्राम-उरला-सरोरा, औद्योगिक क्षेत्र उरला के पास, जिला-रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
9.	मेसर्स विश्व भारती मिनरल्स ग्राम- मुरा, तिल्दा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
10.	अष्टधातु फेरोमेटल प्रा.लि., गैतरा रोड, ताराशिव, तह.-तिल्दा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
11.	मेसर्स आनंद स्टील्स, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, जिला-रायपुर	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 09.06.2021 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33'क ' के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र प्रेषित किया गया।
		हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 18.06.2021 के माध्यम से उत्पादन प्रारंभ करने/विद्युत संयोजन हेतु संशोधित निर्देश पत्र जारी किया गया।

	मेसर्स शांति स्टील्स, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, जिला-रायपुर	हाँ	उक्त उद्योग को पत्र दिनांक 11.06.2021 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33क के तहत नोटिस पत्र प्रेषित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स लक्ष्मीकृपा स्टील्स एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, (वायर ड्राईंग एण्ड गैल्वेनाईजिंग यूनिट) ग्राम-सोण्ड्रा, जिला-रायपुर	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 22.06.2021 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33'क ' के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र प्रेषित
		हाँ	उक्त उद्योग को पत्र दिनांक 02.07.2021 के माध्यम से उत्पादन प्रारंभ करने/विद्युत संयोजन हेतु संशोधित निर्देश पत्र जारी किया गया।
	मेसर्स धरम इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, जिला-रायपुर	हाँ	उक्त उद्योग को पत्र दिनांक 22.06.2021 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33'क ' के तहत नोटिस पत्र प्रेषित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मे0 महालक्ष्मी इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेज-2, जिला रायपुर	हाँ	उक्त उद्योग को पत्र दिनांक 22.06.2021 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33'क ' के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र प्रेषित किया गया।
		हाँ	उक्त उद्योग को पत्र दिनांक 30.06.2021 के माध्यम से उत्पादन प्रारंभ करने/विद्युत संयोजन हेतु संशोधित निर्देश पत्र जारी किया गया।
12.	मेसर्स गोयल एग्रो इण्डस्ट्रीज सड्डू, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
13.	मेसर्स विजय ट्रांसमिशन प्रा.लि., ग्राम-कन्हैरा, तह. एवं जिला-रायपुर (छ.ग.) मेसर्स सौरभ रोलिंग मिल प्रा.लि., ग्राम-कन्हैरा, तह. एवं जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 07.08.2021 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क ' के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र जारी किया गया।
		हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 17.08.2021 के माध्यम से उत्पादन पुनः आरंभ करने/विद्युत संयोजन बाबत संशोधित निर्देश पत्र जारी किया गया।
14.	मेसर्स महेश्वरी एण्ड कंपनी, रावाभाठा, बीरगाव, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
15.	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 23.12.2021 के माध्यम से सुधार की कार्यवाही किये जाने बाबत निर्देशित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
16.	मे0 फॉर्चून मेटैलिकस लिमिटेड, कपसदा, धरसीवा, जिला रायपुर	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 20.12.2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क ' के तहत नोटिस पत्र प्रेषित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
17.	मे0 शिल्फी स्टील्स प्रा. लिमिटेड ग्राम सरोरा, आर.आई. सर्किल- धरसीवा-1, तहसील एवं जिला रायपुर	हाँ	उद्योग मे प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।
18.	मेसर्स श्री नकोड़ा इस्पात लिमिटेड प्लाट नं. 109, फेज-2, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, सिलतरा, तहसील एवं जिला रायपुर	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 28.10.2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क ' के तहत नोटिस पत्र प्रेषित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

19.	मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, फेज-1, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	निरंक	उद्योग को पत्र क्रमांक 2296 दिनांक 13.10.2021 के माध्यम से सुधार की कार्यवाही बाबत निर्देशित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स देवी ऑयरन एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-टांडा एवं मोहदी रोड, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स इंडियन स्टील एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-चरौदा, मोहदी रोड, सिलतरा, जिला-रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स जे.सी. रिक्लेमेशन्स प्लाट नं.-13 (पार्ट), औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, जिला रायपुर	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 25.10.2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क ' के तहत नोटिस पत्र प्रेषित किया गया।
			उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स बिटुबॉय ओवरसीज, ग्राम-अकौली, मांडर, तहसील व रायपुर (छ.ग.)	नहीं	उद्योग को पत्र दिनांक 25.10.2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क ' के तहत नोटिस पत्र प्रेषित किया गया।
		नहीं	उद्योग को पत्र दिनांक 23.11.2021 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क ' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क ' के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र जारी किया गया।
		हाँ	उद्योग को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 07.12.2021 के माध्यम से उत्पादन पुनः आरंभ करने/विद्युत संयोजन बाबत संशोधित निर्देश पत्र जारी किया गया।
	मेसर्स पीरामल पेट्रोलियम रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
मेसर्स शूभ उर्जा प्रा.लि., ग्राम-कुथरेल, धरसीवा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 25.10.2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क ' के तहत नोटिस पत्र प्रेषित किया गया।	
	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 23.11.2021 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क ' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क ' के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र जारी किया गया।	
	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 21.02.2023 के माध्यम से उत्पादन पुनः आरंभ करने/विद्युत संयोजन बाबत संशोधित निर्देश पत्र जारी किया गया।	
20.	मेसर्स हरीश वायर यूनिट-2, टिम्बर मार्केट, भनपुरी जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स प्रोग्रेसिव एंजिम लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स कविता पालीमर्स यूनिट-2, औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स महामाया स्टील, धनलक्ष्मी नगर भनपुरी, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स गोल्ड स्टार स्टील्स लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी, जिला-रायपुर (छ.ग.)	नहीं	उद्योग को पत्र दिनांक 22.12.2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क ' के तहत नोटिस पत्र प्रेषित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स उडीसा कांक्रिट एण्ड एलाईड प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

21.	मेसर्स रामनिवास इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, फेस-2, सिलतरा, रायपुर	हाँ	उद्योग को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 11.11.2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क ' के तहत नोटिस पत्र प्रेषित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स श्री श्याम आयरन एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, फेस-2, सिलतरा, रायपुर	हाँ	उक्त उद्योगों को पत्र दिनांक 11.11.2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क ' के तहत नोटिस पत्र प्रेषित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स मारुती फेरस प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सोण्डरा, सिलतरा, जिला-रायपुर	हाँ	उक्त उद्योग को पत्र दिनांक 12.11.2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क ' के तहत नोटिस पत्र प्रेषित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स वासवानी इण्डस्ट्रीज, ग्राम - सोण्ड्रा, सिलतरा, जिला-रायपुर	हाँ	उक्त उद्योग को पत्र दिनांक 15.11.2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क ' के तहत नोटिस पत्र प्रेषित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स महेन्द्रा स्पंज एण्ड पॉवर लिमिटेड, सिलतरा, फेस-2, जिला-रायपुर	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 15.11.2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क ' के तहत नोटिस पत्र प्रेषित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
22.	मेसर्स प्रोटेक शाईन एंड केयर एलएलपी प्लाट नं. 37 से 43, एवं 62 से 68, औद्योगिक क्षेत्र बरतौरी, तिल्दा, जिला रायपुर	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 20.12.2021 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क ' के तहत नोटिस पत्र प्रेषित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
23.	मेसर्स गोयल एग्रो इण्डस्ट्रीज सड्डू, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 28.12.2021 के माध्यम से आवश्यक सुधार की कार्यवाही की जाने बाबत निर्देशित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
24.	मेसर्स गोयल एग्रो इण्डस्ट्रीज सड्डू, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 28.12.2021 के माध्यम से आवश्यक सुधार की कार्यवाही की जाने बाबत निर्देशित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स सत्यम बालाजी राईस इण्डस्ट्रीज, आमासिवनी, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स श्री जगन्नाथ राईस मिल प्रा.लि., ग्राम-आमासिवनी, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स जय बाबा इण्डस्ट्रीज, ग्राम- आमासिवनी, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
25.	मेसर्स शुभ रिफायनरी मुथा तालपत्री के पास, भनपुरी, रायपुर (छ.ग.)	नहीं	उद्योग को पत्र दिनांक 15.02.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33'क ' तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क ' के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन बाबत निर्देश पत्र प्रेषित किया गया।

26.	मेसर्स जय माता दी रिफायनरी, मेटल पार्क, रावाभाटा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	नहीं	उद्योग को पत्र दिनांक 18.04.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33'क ' तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क ' के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन बाबत निर्देश पत्र प्रेषित किया गया।
27.	मेसर्स कीर्ति मेटालिक्स, भनपुरी, रायपुर (छ.ग.)	निरंक	निरंक
28.	मेसर्स निशा ट्रेडर्स, मेटल पार्क, फेज-2, अछोली, उरला, जिला- रायपुर (छ.ग.)	नहीं	उद्योग को पत्र दिनांक 07.04.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33'क ' तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क ' के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन बाबत निर्देश पत्र प्रेषित किया गया।
		हाँ	उद्योग को पत्र क्रमं।क 671 दिनांक 27.05.2022 के माध्यम से जल एवं वायु सम्मति जारी की गई तथा पत्र क्रमांक 713 दिनांक 31.05.2022 के माध्यम से उत्पादन पुनः आरंभ करने/विद्युत संयोजन बाबत संशोधित निर्देश पत्र जारी किया गया।
29.	मेसर्स हीरा फेरो एलॉय यूनिट - 1, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला - रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स हीरा फेरो एलॉय यूनिट - 2, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला - रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स आर.आर.इस्पात (यूनिट ऑफ गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड) औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
30.	मेसर्स शांति इण्डस्ट्रीज, ग्राम-गुमा, जिला- रायपुर (छ.ग.)	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 29.04.2022 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क ' के तहत नोटिस पत्र प्रेषित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
31.	मेसर्स शिल्फी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र उरला, सरोरा, जिला-रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
32.	मेसर्स गोल्डन रिफ्रेक्टरी प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स राम प्रकाश रिफ्रेक्ट्रीज (पूर्व नाम-मेसर्स लुनार इन्टरप्राईजेस), अछोली, कन्हारा रोड, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स गणपति रिफ्रेक्ट्रीज एण्ड मिनरल्स प्रा.लि., सेक्टर सी, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स राजश्री मिनरल्स, फेस-1, सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स रसिका मिनरल्स, ग्राम-कुरा, धरसीवा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स गरुडा इस्पात सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	निरंक	निरंक

33.	मेसर्स संकल्प इस्पात (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-टाडा, तहसील व जिला-रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स जे.सी. रिक्लेमेशन्स, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, जिला-रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स शुभ उर्जा प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-कुठरेल, धरसीवा, जिला-रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स नर्मदा इण्डस्ट्रीज, ग्राम-मुनरेठी, सिलतरा, फेज-2, जिला-रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
34.	मेसर्स श्री किशन इण्डस्ट्रीज, ग्राम-सोण्डोंगरी, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
35.	मेसर्स हीरा पॉवर एण्ड स्टील यूनिट-1, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स हीरा पॉवर एण्ड स्टील यूनिट-2, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स आलोक फेरो एलॉयज लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स हीरा फेरो एलॉय यूनिट - 1, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला - रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स हीरा फेरो एलॉयज लिमिटेड यूनिट- 2, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
36.	मेसर्स पोरवाल इण्डस्ट्रीज ग्राम-कुंरा, धरसीवा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
37.	मेसर्स शांति इण्डस्ट्रीज, ग्राम-गुमा, जिला- रायपुर (छ.ग.)	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 29.11.2022 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क ' के तहत नोटिस पत्र प्रेषित किया गया।
		हाँ	उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क ' के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र जारी किया गया।
38.	मेसर्स बिटुबाँय ओवरसीज, ग्राम-अकोली, मांढर, तहसील व रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
39.	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लि., सिलतरा, रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
40.	मेसर्स ईंडियन आयल टैंकिंग लिमिटेड, ग्राम- लखौली, गुजरा एवं देवदा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
41.	मेसर्स मोहन फीड्स एण्ड केमिकल्स प्रा.लि. सेक्टर अ, इण्डस्ट्रीयल एरिया उरला, जिला- रायपुर (छ.ग.)	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 23.09.2022 के माध्यम से दुर्गंध नियंत्रण हेतु समाधानकारक कार्यवाही किये जाने बाबत निर्देशित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
42.	मेसर्स आदया केमिकल्स एण्ड वायर्स प्रा.लि., बरोण्डा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	उद्योग को वैध जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण न होने के कारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क ' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क ' के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र जारी किया गया है।

43.	मेसर्स हीरा फेरो एलॉय यूनिट - 1, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला - रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स हीरा फेरो एलॉय यूनिट - 2, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला - रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स हीरा फेरो एलॉय यूनिट - 1, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला - रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स हीरा फेरो एलॉय यूनिट - 2, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला - रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
44.	मेसर्स नूतन इस्पात एण्ड पाँवर प्रा.लि., ग्राम- जरौदा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
45.	मेसर्स नूतन इस्पात एण्ड पाँवर प्रा.लि., ग्राम- जरौदा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
46.	मेसर्स संकल्प इस्पात (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-टाडा, तहसील व जिला-रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स जे.सी. रिक्लेमेशन्स, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, जिला-रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स शुभ उर्जा प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-कुठरेल, धरसीवा, जिला-रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स नर्मदा इण्डस्ट्रीज, ग्राम-मुनरेठी, सिलतरा, फेज-2, जिला-रायपुर	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
47.	मेसर्स गोल्डन रिफ्रेक्टरी प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स राम प्रकाश रिफ्रेक्ट्रीज (पूर्व नाम-मेसर्स लुनार इन्टरप्राइजेस), अछोली, कन्हैरा रोड, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 11.01.2023 के माध्यम से आवश्यक सुधार की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स गणपति रिफ्रेक्ट्रीज एण्ड मिनरल्स प्रा.लि., सेक्टर सी, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स राजश्री मिनरल्स, फेस-1, सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	निरंक	निरंक
	मेसर्स रसिका मिनरल्स, ग्राम-कुरा, धरसीवा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स गरुडा इस्पात सिलतरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	निरंक	निरंक
48.	मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशियल प्रोडक्ट लिमिटेड, मंदिर-हसौद, रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
49.	मेसर्स गोयल एग्रो इण्डस्ट्रीज, सड्डू, जिला- रायपुर (छ.ग.)	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 06.12.2022 के माध्यम से आवश्यक समाधानकारक कार्यवाही किये जाने बाबत निर्देशित किया गया।

		हाँ	उद्योग द्वारा सामाधानात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
50.	मेसर्स मोहन फीड्स एण्ड केमिकल्स प्रा.लि., सेक्टर अ, इण्डस्ट्रीयल एरिया उरला, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
51.	मेसर्स आर्या मैनेबल कास्टिंग प्रा.लि., गोंदवारा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
52.	मेसर्स रायका इस्पात उद्योग प्रा.लि., रिंग रोड नं.-2, गोंदवारा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
53.	मेसर्स शर्मा इण्डस्ट्रीज, सदर बाजार, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
54.	मेसर्स ए.पी.एल. अपोलो ट्यूब्स लि., ग्राम-बेन्द्री, तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
55.	मेसर्स मंगलम स्टील, ग्राम-गुमा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
56.	मेसर्स उषा स्टील, ग्राम-गुमा, तह. एवं जिला-रायपुर (छ.ग.) प्रो.-श्री विशाल पाण्डेय	हाँ	उद्योग को जल एवं वायु सम्मति न होने के कारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क ' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क ' के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र जारी किया गया है।
		हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 02.02.2023 के माध्यम से उत्पादन पुनः आरंभ करने/विद्युत संयोजन बाबत संशोधित निर्देश पत्र जारी किया गया।
	मेसर्स धरम इंटरप्राइजेस, ग्राम-गुमा, तह. एवं जिला-रायपुर (छ.ग.) प्रो.-श्री संतोष तिवारी	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
57.	मेसर्स न्यू क्रियेटिव फाईबर ग्लास, सुमीत बाजार के पीछे, महादेव घाट रोड, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 17.01.2023 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क ' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क ' के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र जारी किया गया।
58.	मेसर्स महावीर आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र गोंदवारा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 09.03.2023 के माध्यम से दुर्गंध नियंत्रण हेतु समाधानकारक कार्यवाही किये जाने बाबत निर्देशित किया गया।
59.	मेसर्स रसिका मिनरल्स, ग्राम-कुरा, धरसीवा, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	मेसर्स पोरवाल इण्डस्ट्रीज, ग्राम-कुरा, तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
60.	मेसर्स ब्रीज ट्रेक एण्ड टावर प्रा.लि., (फैब्रिकेशन एण्ड गैल्वेनाईजिंग डिवीजन), उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला-रायपुर (छ.ग.)	हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 10.02.2023 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33'क ' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क ' के तहत उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश पत्र जारी किया गया।
		हाँ	उद्योग को पत्र दिनांक 21.02.2023 के माध्यम से उत्पादन पुनः आरंभ करने/विद्युत संयोजन बाबत संशोधित निर्देश पत्र जारी किया गया।

(डी.आर.सोन्टपूर)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशेष - अट्टाईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 1732) की जानकारी

प्रपत्र

प्रदेश में दिनांक 28.02.2023 की स्थिति में कृषि पंप के स्थायी कनेक्शन हेतु प्रदाय किये गये, लंबित तथा डिमांड राशि जमा किये गये कृषकों के संख्या की वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	दिनांक 31.03.2021 की स्थिति में विद्युत लाईन विस्तार हेतु लंबित (औपचारिकता पूर्ण)	स्वीकृत औपचारिकतापूर्ण आवेदनों की संख्या			कार्यपूर्ण (विस्तार कार्य + विद्यमान लाईन से)			औपचारिकतापूर्ण लंबित आवेदन			
			वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	कुल	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	कुल	2020-21 में लंबित आवेदन	2021-22 में लंबित आवेदन	2022-23 में लंबित आवेदन	कुल
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (10+11+12)
1	रायपुर	751	886	679	1565	838	476	1314	0	581	496	1077
2	बलौदाबाजार	2157	1761	959	2720	1241	1001	2242	916	1118	670	2704
3	गरियाबंद	2175	1125	488	1613	1415	735	2150	0	1218	391	1609
4	धमतरी	1945	1550	659	2209	1697	824	2521	0	1177	590	1767
5	महासमुन्द	3767	2812	1430	4242	2627	1540	4167	239	2314	1517	4070
6	दुर्ग	1589	2084	896	2980	1525	1271	2796	0	1024	866	1890
7	बालोद	2485	2380	624	3004	2355	712	3067	0	1895	609	2504
8	बेमेतरा	4742	3316	1324	4640	3554	1514	5068	0	3232	1213	4445
9	राजनांदगाँव	7270	6744	2130	8874	5769	1302	7071	0	3551	695	4246
10	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	0					783		0	2157	547	2704
11	मानपुर-मोहला-अं. चौकी	0					457		0	1263	247	1510
12	कबीरधाम	2283	2457	501	2958	1896	805	2701	297	2018	523	2838
13	बस्तर	29	467	320	787	281	416	697	0	88	113	201
14	दत्तेवाड़ा	1	0	2	2	0	8	8	0	0	8	8
15	सुकमा	254	0	10	10	254	4	258	0	0	9	9
16	बीजापुर	0	0	6	6	0	10	10	0	0	4	4
17	कांकेर	2209	3980	914	4894	2106	802	2908	489	3155	769	4413
18	कोण्डागाव	4720	4234	1149	5383	3446	2457	5903	0	3458	790	4248
19	नारायणपुर	2	22	31	53	0	49	49	0	0	6	6
20	बिलासपुर	2377	1288	225	1513	1559	806	2365	0	1486	111	1597
21	पेन्द्रारोड	549	337	181	518	717	340	1057	0	9	112	121
22	मुंगेली	1382	1577	119	1696	1243	363	1606	0	1390	93	1483
23	जांजगीर-चांपा	819	735	241	976	788	116	904	0	89	52	141
24	सक्ती	0					179		88	415	120	623
25	कोरबा	11	23	60	83	18	42	60	0	0	34	34
26	रायगढ़	3544	1459	645	2104	2487	1104	3591	0	1934	234	2168
27	सांरगढ़-बिलाईगढ़	0										0
28	जशपुर नगर	0	123	16	139	10	75	85	0	48	16	64
29	सरगुजा	320	381	265	646	436	277	713	0	223	89	312
30	सूरजपुर	27	231	316	547	49	331	380	0	139	207	346
31	बलरामपुर	242	511	100	611	343	231	574	0	234	49	283
32	कोरिया	2	74	95	169	76	45	121	0	0	4	4
33	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	0					46		0	0	6	6
कुल योग :-		45652	40557	14385	54942	36730	19121	54386	2029	34216	11190	47435

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
पारिशेष्य - उन्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 404) की जानकारी

प्रपत्र—अ

प्रदेश में वर्ष 2020—21, 2021—22 एवं 2022—23 में स्थायी कृषि पंप कनेक्शन के ऊर्जाकरण के लक्ष्य, प्राप्त औपचारिकता पूर्ण आवेदन, प्रदाय किए गए कनेक्शन तथा लंबित आवेदनों की अवधिवार, वर्षवार जानकारी

क.	विवरण	दिनांक 31.03.2020 की स्थिति में लाइन विस्तार कार्य हेतु लंबित आवेदन	वर्ष 2020—21	वर्ष 2021—22	वर्ष 2022—23 (दिनांक 28.02.23 तक)	कुल
1	वर्ष में प्राप्त औपचारिकतापूर्ण आवेदन (विस्तार कार्य+विद्यमान लाइन)	32,446	28,667	41,419	16,215	1,18747
2	लाइन विस्तार कार्य हेतु वर्षवार लक्ष्य	—	10000	31932	20550	62482
3	वर्ष में प्राप्त आवेदन में से विद्यमान लाइन से कार्यपूर्ण	—	5,094	,4913	5,025	15032
4	प्राप्त/लंबित आवेदनों में से 2020—21 में कार्य पूर्ण	10,367	0	0	0	10367
5	प्राप्त/लंबित आवेदनों में से 2021—22 में कार्य पूर्ण	22,079	9,738	0	0	31817
6	प्राप्त/लंबित आवेदनों में से 2022—23 में (दिनांक 28.02.23 तक) कार्य पूर्ण	0	12,507	1589	0	14096
7	दिनांक 28.02.2023 की स्थिति में लाइन विस्तार कार्य हेतु लंबित	0	1328	34917	11190	47435

b

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर.

परिशेष - तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 459) की जानकारी

प्रपत्र

बिलासपुर संभाग के अंतर्गत वर्ष 2021, 2022 व 2023 में दिनांक 06/02/2023 तक बिना अनुमति राखड़ डालने की प्राप्त शिकायत एवं उन पर की गयी कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम/माध्यम	उद्योग का नाम	शिकायत का बिन्दु	की गयी कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	श्री केवल साहू, ग्राम-टुण्डी एवं अन्य जिला-सक्ती	मेसर्स डी. बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	ग्राम-टुण्डी में कृषि भूमि में पुनः फ्लाई ऐश डम्प किये जाने और लगातार डी.बी. पावर प्लांट द्वारा फ्लाई ऐश के अपवहन हेतु जारी अधिसूचना एवं गाईड लाईन साथ ही कंसेन्ट्रू आपरेट की शर्तों का उल्लंघन कर किये जा रहे पर्यावरण प्रदूषण पर तत्काल कार्यवाही बाबत।	मेसर्स डी. बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती को फ्लाई ऐश डम्पिंग की प्राप्त शिकायत के संबंध में पत्र दिनांक 11/01/2021 के माध्यम से उद्योग को सुधार कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 23/01/2021 को किये गये निरीक्षण में उद्योग द्वारा आवश्यक सुधार कार्य किया जाना पाया गया। अतः समाधान कारक कार्यवाही पूर्ण होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
2.	जिला प्रशासन, रायगढ़ से दूरभाष पर प्राप्त मौखिक शिकायत दिनांक 28.08.2021	मेसर्स डी. बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	ग्राम-गुडेली, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़ में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में	मंडल के पत्र दिनांक 02.09.2021 एवं दिनांक 08.09.2021 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश के अवैध अपवहन के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण दिनांक 25.09.2021 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 8,40,000/- रुपये अधिरोपित की गई। उद्योग प्रबंधन द्वारा दिनांक 20.10.2021 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि रुपये 8,40,000/- जमा की गई एवं अपवहित फ्लाई ऐश का समतलीकरण किया जाकर मिटटी की परत बिछाई गई। अतः समाधानकारक कार्यवाही पूर्ण होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
3.	श्री माखनलाल एवं अन्य, ग्राम-केनापाली, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	मेसर्स डी. बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	डी.बी. पावर प्लांट लिमिटेड द्वारा कंसेन्ट्रू आपरेट की शर्त क्रमांक 6 एवं फ्लाई ऐश अधिसूचना 1999 एवं पश्चावर्ती संशोधनों की गलत व्याख्या कर किये गये फ्लाई ऐश डंपिंग से उत्पन्न समस्या पर कार्यवाही बाबत।	शिकायत के परिपेक्ष्य में उद्योग मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड, जिला-सक्ती का दिनांक 29/10/2021 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा राखड़ को कृषि भूमि में डंप किया जाना नहीं पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
4.	श्री धनीराम राठिया, ग्राम-टुण्डी एवं अन्य, जिला-सक्ती			
5.	क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़	मेसर्स डी. बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	ग्राम-गुडेली में राखड़ के अवैध अपवहन के संबंध में।	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 02/09/2021 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फ्लाई ऐश का अवैध डंपिंग पाई गई। उद्योग को पत्र दिनांक 14/09/2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया। साथ ही पत्र दिनांक 08/10/2021 के माध्यम से 8,40,000/- रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई। उक्त स्थल का पुनः दिनांक 01/10/2021 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। साथ ही दिनांक 29/10/2021 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा कर दी गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
6.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला-जांजगीर-चांपा	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-अमझर, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	ग्राम-सिवनी में राष्ट्रीय राजमार्ग में राखड़ डम्प किये जाने के संबंध में।	मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-अमझर, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा को स्थल निरीक्षण उपरांत पत्र दिनांक 29/09/2021 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के धारा 31 'क' के तहत नोटिस दिया गया। नोटिस के परिपेक्ष्य में दिनांक 29/10/2021 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
7.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला-जांजगीर-चांपा	मेसर्स शांति जी.डी. इस्पात एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-महुदा, तहसील-चांपा, जिला-जांजगीर-चांपा	ग्राम-कुरदा के गौठान में राखड़ डम्प किये जाने एवं राखड़ पानी प्राकृतिक नाले के माध्यम से कुदरी बैराज के पास हसदेव नदी में प्रवाहित होने बाबत।	दिनांक 27/09/2021 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समय उद्योग मेसर्स शांति जी.डी. इस्पात एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा अवैध फ्लाई ऐश डम्पिंग किया जाना पाया गया। उद्योग को पत्र दिनांक 29/09/2021 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया। साथ ही 27,90,000/- रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई। उक्त स्थल का दिनांक 24/02/2022 को पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं की गई है। अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा न


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

				किये जाने के कारण उद्योग के विरूद्ध दिनांक 03/06/2022 को माननीय जिला न्यायालय, जिला-जांजगीर-चांपा में वाद दायर किया गया है।
8.	मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जिला-रायपुर के माध्यम से प्राप्त।	मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-नरियरा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	फ्लाई ऐश का नियमानुसार निपटान न किये जाने के संबंध में।	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 08/10/2021 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फ्लाई ऐश की अवैध डंपिंग पाई गई। उद्योग मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड, जिला-जांजगीर-चांपा को पत्र दिनांक 08/10/2021 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया। साथ ही दिनांक 12/10/2021 को रूपये 38,70,000/- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई। पुनः निरीक्षण दिनांक 29/10/2021 को स्थल पर डंप किये गये फ्लाई ऐश को मिट्टी से पाटा जाना पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई। उद्योग दिनांक 31/12/2021 को अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा कर दी गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
9.	श्री तुलेश जायसवाल, सरपंच ग्राम-हरेठी, तहसील-सक्ती, जिला-सक्ती	अज्ञात	राखड़ (डस्ट) परिवहन व डम्पिंग से होने वाले समस्या के निराकरण हेतु पत्र।	उक्त शिकायत पत्र के परिपेक्ष्य में दिनांक 28/12/2021 को शिकायतकर्ता श्री तुलेश जायसवाल, सरपंच ग्राम-हरेठी, तहसील-सक्ती, जिला-सक्ती की उपस्थिति में शिकायत में उल्लेखित स्थल ग्राम-हरेठी, तहसील-सक्ती, जिला-सक्ती का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डम्प किये गये राखड़ को समतल कर मिट्टी से कव्हर किया जाना पाया गया एवं उक्त स्थल पर वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गयी। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
10.	मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जिला-रायपुर के माध्यम से प्राप्त।	मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा	मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा द्वारा राखड़ का नियमानुसार निपटान किये जाने के संबंध में।	शिकायत के परिपेक्ष्य में उद्योग मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, चांपा का दिनांक 04/01/2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा राखड़ का नियमानुसार निपटान किया जाना पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई। अतः प्रकरण नस्ती बद्ध किया गया है।
11.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के. एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	ग्राम सारसकेला, तहसील-मालखरोदा में फ्लाई ऐश की डम्पिंग किये जाने के संबंध में।	दिनांक 05/01/2022 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समय मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा अवैध फ्लाई ऐश डम्पिंग किया जाना पाया गया। उद्योग को पत्र दिनांक 06/01/2022 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया। साथ ही 89,40,000/- रूपये पर्यावरणीय क्षति पूर्ति राशि अधिरोपित की गई। उक्त स्थल का दिनांक 25/02/2022 को पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में समाधानात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। उद्योग द्वारा दिनांक 23/02/2022 को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई। अतः प्रकरण नस्ती बद्ध किया गया है।
12.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	ग्राम चरौदी, तहसील-मालखरोदा में फ्लाई ऐश की डम्पिंग किये जाने के संबंध में।	
13.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	ग्राम चंदेलाडीह, कटारी, सुलौनी, सुकलीपाली, पोता तहसील-मालखरोदा में फ्लाई ऐश की डम्पिंग किये जाने के संबंध में।	
14.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	ग्राम-रनपोटा, तहसील-मालखरोदा में तालाब में राखड़ पाटे जाने एवं फ्लाई ऐश की अवैध डम्पिंग के संबंध में।	
15.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	ग्राम पंचायत किरकार, तहसील-मालखरोदा में फ्लाई ऐश की डम्पिंग किये जाने के संबंध में।	
16.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-	ग्राम चिखलरोदा, तहसील-जैजैपुर में फ्लाई ऐश की डम्पिंग किये जाने के संबंध में।	



अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

		उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती		
17.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	ग्राम पंचायत कलमी के गौठान के किनारे फ्लाई ऐश की अवैध डंपिंग के संबंध में।	उद्योग को दिनांक 09/02/2022 को फ्लाई ऐश के ऊपर मिट्टी डाले जाने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण दिनांक उद्योग द्वारा उक्त फ्लाई ऐश के ऊपर मिट्टी डाला जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
18.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	ग्राम गुरुदकला एवं कैथा के गौठान के किनारे फ्लाई ऐश की अवैध डंपिंग के संबंध में।	उद्योग को पत्र दिनांक 10/02/2022 को फ्लाई ऐश के ऊपर मिट्टी डाले जाने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण दिनांक 25/02/2022 को उद्योग द्वारा उक्त फ्लाई ऐश के ऊपर मिट्टी डाला जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्ती बद्ध किया गया है।
19.	श्री देवनारायण साहू एवं समस्त ग्रामवासी, ग्राम- किरारी, जिला- जांजगीर-चांपा	मेसर्स एम.व्ही.के. इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- अमरताल, तहसील- अकलतरा जिला- जांजगीर-चांपा	मेसर्स एम.व्ही.के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-अमरताल/ किरारी, विकासखंड- अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा के द्वारा निकलने वाले वेस्ट मटेरियल से जनजीवन प्रभावित होने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।	मेसर्स एम.व्ही.के. इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-अमरताल, तहसील- अकलतरा जिला-जांजगीर-चांपा को शिकायत के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु दिनांक 12/01/2022 को पत्र प्रेषित किया गया। उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 21/01/2022 के माध्यम से सूचित किया गया कि उद्योग द्वारा आस-पास के इलाकों में और रोड किनारे फ्लाई ऐश नहीं फेंकी जाती है। साथ ही फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण इकाई को जनित फ्लाई ऐश दिया जाता है। दिनांक 24/01/2022 को उद्योग के आस-पास के क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश आस-पास के इलाकों में और रोड किनारे नहीं फेंका जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
20.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला- जांजगीर-चांपा	मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड, ग्राम-नरियरा, तहसील- अकलतरा, जिला-जांजगीर- चांपा	ग्राम पंचायत भैसो, पामगढ़, जिला- जांजगीर-चांपा में फ्लाई ऐश की अवैध डंपिंग के संबंध में।	उद्योग मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी लिमिटेड, जिला-जांजगीर- चांपा को पत्र दिनांक 24/02/2022 के माध्यम से फ्लाई ऐश के ऊपर मिट्टी डाले जाने अथवा हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण दिनांक 14/03/2022 को उद्योग द्वारा उक्त फ्लाई ऐश को स्थल से उठाया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
21.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा, जिला-सक्ती द्वारा श्री शिवचंद नारंगे एवं समस्त ग्रामवासी, ग्राम- सूखापाली, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	मेसर्स डी. बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	ग्राम-सूखापाली की भूमि पर अवैध रूप से डस्ट गिराये जाने पर शिकायत पत्र।	उद्योग को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 04/04/2022 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया। शिकायत के संबंध में दिनांक 24/05/2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फ्लाई ऐश का नियमानुसार निपटान किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
22.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	ग्राम-धमनी के गौठान में फ्लाई ऐश डंप करने के संबंध में।	उद्योग को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 04/04/2022 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया। शिकायत के संबंध में दिनांक 24/05/2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फ्लाई ऐश का नियमानुसार निपटान किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
23.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम- उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	ग्राम-ओडेकेरा द्वारा शमशान घाट की भूमि पर राखड़ डंप किये जाने के संबंध में।	उद्योग को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 08/04/2022 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया। शिकायत के संबंध में दिनांक 24/05/2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फ्लाई ऐश का नियमानुसार निपटान किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
24.	श्री रोशन कुमार सिंह, अग्रसेन चैक, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर	अज्ञात	फ्लाई ऐश का असंवैधानिक रूप से नियम विरुद्ध तरीके से पाटने के संदर्भ बाबत।	शिकायत के परिपेक्ष्य में स्थल का दिनांक 12/04/2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल पर फ्लाई ऐश पाटा जाना पाया गया, जिस हेतु उद्योग मेसर्स श्री श्याम फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण इकाई, ग्राम-घौराभाठा, बिलासपुर-रायपुर रोड, जिला-बिलासपुर को पाटे गये फ्लाई ऐश को मिट्टी से कव्हर करने हेतु दिनांक 02/05/2022 को पत्र

				प्रेषित किया गया। उद्योग द्वारा दिनांक 04/05/2022 को उक्त स्थल को मिट्टी से पाटे जाने के संबंध में पत्र प्रेषित कर सूचित किया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
25.	श्री धनीराम राठिया, ग्राम-टूणड़ी एवं अन्य, जिला-सक्ती	मेसर्स डी. बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	डी.बी. पावर प्लांट लिमिटेड द्वारा कंसेंट टू आपरेट की शर्त क्रमांक 6 एवं फ्लाइ ऐश अधिसूचना 1999 एवं पश्चावर्ती संशोधनों की गलत व्याख्या कर किये गये फ्लाइ ऐश डंपिंग से उत्पन्न समस्या पर कार्यवाही बाबत।	शिकायत के परिपेक्ष में स्थल का दिनांक 01/06/2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डंप किये गये फ्लाइ ऐश को हटाया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
26.	मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जिला-रायपुर के माध्यम से प्राप्त श्री कौशल साहू एवं अन्य ग्रामवासी, ग्राम-केनापाली, जिला-सक्ती की शिकायत।	मेसर्स डी. बी. पावर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	केनापाली गांव में खरसिया से चंद्रपुर मेन रोड के किनारे मेसर्स डी.बी. पावर लिमिटेड द्वारा कंसेंट टू आपरेट की शर्त एवं फ्लाइ ऐश उपयोगिता अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन कर भारी मात्रा में बिना अनुमति डंप किये गये फ्लाइ ऐश के मामले में अब तक कंपनी द्वारा कोई भी सुधारात्मक कार्यवाही न किये जाने के संबंध में आपको अवगत कराने और तत्काल कार्यवाही बाबत।	उद्योग को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 21/06/2022 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया। शिकायत के संबंध में दिनांक 18/07/2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फ्लाइ ऐश का नियमानुसार निपटान किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
27.	श्रीमति गीता चौहान एवं समस्त ग्रामवासी, ग्राम-सेरो, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा कंसेंट टू आपरेट की शर्त क्रमांक 11 एवं 12 एवं अतिरिक्त शर्त क्रमांक 4 का उल्लंघन कर खुले में अवैध रूप से किये जा रहे फ्लाइ ऐश डंप से हो रही समस्या पर तत्काल कार्यवाही बाबत।	उद्योग को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 23/08/2022 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया। शिकायत के संबंध में दिनांक 14/10/2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फ्लाइ ऐश का नियमानुसार निपटान किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
28.	खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	आम जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण हेतु आयोजित शिविर में प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में। (ग्राम पंचायत बाघपाली में उद्योग द्वारा फ्लाइ ऐश डंप किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत)	उद्योग को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 23/08/2022 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया। शिकायत के संबंध में दिनांक 14/10/2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फ्लाइ ऐश का नियमानुसार निपटान किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
29.	श्रीमति गीता चौहान एवं समस्त ग्रामवासी, ग्राम-सेरो, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड द्वारा कंसेंट टू आपरेट की शर्त क्रमांक 11 एवं 12 एवं अतिरिक्त शर्त क्रमांक 4 का उल्लंघन कर खुले में अवैध रूप से किये जा रहे फ्लाइ ऐश डंप से हो रही समस्या पर तत्काल कार्यवाही बाबत।	शिकायत पूर्व में प्राप्त हो चुकी थी। अतः पुनः पत्र प्रेषित नहीं किया गया। उद्योग को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 23/08/2022 के माध्यम से पत्र प्रेषित किया गया। शिकायत के संबंध में दिनांक 14/10/2022 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फ्लाइ ऐश का नियमानुसार निपटान किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
30.	श्री सुनील कुमार बर्मन, ग्राम-नवागांव, पोस्ट-आमनदुला, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	सकर्री (मालखरौदा) के बस्ती अंदर रहवासी इलाका का तालाब एवं टिकरा (खेत) में फ्लाइ ऐश (डस्ट) डंप किये जाने के कार्य में पावर प्लांट का संबंधितों सहित संलिप्त समस्त व्यक्तियों के खिलाफ पर्यावरण विभाग की ओर से नियमानुसार उचित सख्त कार्यवाही करने के संबंध में पत्र।	शिकायत पत्र के परिपेक्ष में दिनांक 03/01/2023 व 15/02/2023 को शिकायत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डम्प किये फ्लाइ ऐश के ऊपर मिट्टी की परत बिछाया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
31.	श्री सुनील कुमार बर्मन, ग्राम-नवागांव, पोस्ट-आमनदुला, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	बड़ेसीपत (मालखरौदा) का मनरेगा के तहत गहरीकरण कार्य किए गए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से जुड़े करीब 10 एकड़ क्षेत्र के भूमि में फ्लाइ ऐश (डस्ट) डंप किए जाने का कार्य में पावर प्लांट का संबंधितों सहित संलिप्त समस्त व्यक्तियों के खिलाफ पर्यावरण विभाग की ओर से नियमानुसार उचित सख्त कार्यवाही करने के संबंध में पत्र।	शिकायत पत्र के परिपेक्ष में दिनांक 03/01/2023 व 15/02/2023 को शिकायत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डम्प किये फ्लाइ ऐश के ऊपर मिट्टी की परत बिछाया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
32.	श्री सुनील कुमार बर्मन, ग्राम-नवागांव, पोस्ट-आमनदुला, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	बड़ेसीपत (मालखरौदा) का मनरेगा के तहत गहरीकरण कार्य किए गए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से जुड़े करीब 10 एकड़ क्षेत्र के भूमि में फ्लाइ ऐश (डस्ट) डंप किए जाने का कार्य में पावर प्लांट का संबंधितों सहित संलिप्त समस्त व्यक्तियों के खिलाफ पर्यावरण विभाग की ओर से नियमानुसार उचित सख्त कार्यवाही करने के संबंध में पत्र।	शिकायत पत्र के परिपेक्ष में दिनांक 03/01/2023 व 15/02/2023 को शिकायत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डम्प किये फ्लाइ ऐश के ऊपर मिट्टी की परत बिछाया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है।
33.	श्री सुनील कुमार बर्मन, ग्राम-नवागांव, पोस्ट-आमनदुला, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	बासीन (मालखरौदा) का भांठागांव मुहल्ला के खेत उपजाऊ भूमि से जुड़े करीब 07 एकड़ क्षेत्र का भूमि में फ्लाइ ऐश (डस्ट) डंप किए जाने का कार्य में पावर प्लांट का	शिकायत पत्र के परिपेक्ष में दिनांक 03/01/2023 व 15/02/2023 को शिकायत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डम्प किये फ्लाइ ऐश के ऊपर मिट्टी की परत बिछाया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी। वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं
34.	श्री सुनील कुमार बर्मन, ग्राम-नवागांव, पोस्ट-आमनदुला,	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-	बासीन (मालखरौदा) का भांठागांव मुहल्ला के खेत उपजाऊ भूमि से जुड़े करीब 07 एकड़ क्षेत्र का भूमि में फ्लाइ ऐश (डस्ट) डंप किए जाने का कार्य में पावर प्लांट का	शिकायत पत्र के परिपेक्ष में दिनांक 03/01/2023 व 15/02/2023 को शिकायत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डम्प किये फ्लाइ ऐश के ऊपर मिट्टी की परत बिछाया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी। वायु प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं

	जिला-सक्ती	उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	संबंधितों सहित संलिप्त समस्त व्यक्तियों के खिलाफ पर्यावरण विभाग की ओर से नियमानुसार उचित सख्त कार्यवाही करने के संबंध में पत्र।	किया गया। अतः प्रकरण नस्ती बद्ध किया गया है।
35.	श्री सुनील कुमार बर्मन, ग्राम-नवागांव, पोस्ट-आमनदुला, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	आपके द्वारा जीवित तालाब को फलाई ऐश से क्यों पाटा जा रहा है।	शिकायत पत्र के परिपेक्ष्य में दिनांक 03/01/2023 व 15/02/2023 को शिकायत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान डम्प किये फलाई ऐश के ऊपर मिट्टी की परत बिछाया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी। उक्त शिकायत स्थल ग्राम-बड़ेसीपत का स्थल निरीक्षण पटवारी, प.ह.न. -12, तहसील-मालखरौदा, जिला-सक्ती द्वारा पूर्व में दिनांक 08/02/2023 को किया गया। निरीक्षण पंचनामा में उक्त शिकायत स्थल राजस्व रिकॉर्ड में घास, छोटे झाड़ु के जंगल मद में दर्ज होना बताया गया है। अतः प्रकरण नस्ती बद्ध किया गया है।
36.	श्री छगन लाल खुराना, ग्राम-बड़ेसीपत, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	ग्राम पंचायत भातमाहुल में अवैध राखड़ डम्पिंग कर नया पैठू तालाब को पटाई करने वाले के खिलाफ जांच कर रोक लगाते हुये दोसियों के खिलाफ कार्यवाही बाबत।	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती को फलाई ऐश डम्पिंग को बंद करने तथा डंप किये गये फलाई ऐश का उठाव किये जाने हेतु पत्र दिनांक 27/01/2023 के माध्यम से निर्देशित किया गया। स्थल का दिनांक 15/02/2023 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल से फलाई ऐश का उठाव किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्ती बद्ध किया गया है।
37.	कार्यालय कलेक्टर, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	पैठू तालाब में अवैध राखड़ डम्पिंग पर कार्यवाही करने बाबत।	पूर्व में उक्त शिकायत प्राप्त हो चुकी थी, जिस पर मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती को फलाई ऐश डम्पिंग को बंद करने तथा डंप किये गये फलाई ऐश का उठाव किये जाने हेतु पत्र दिनांक 27/01/2023 के माध्यम से निर्देशित किया गया। स्थल का दिनांक 15/02/2023 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थल से फलाई ऐश का उठाव किया जाना पाया गया। अतः प्रकरण नस्ती बद्ध किया गया है।
38.	श्रीमति सरिता मिरेन्द्र एवं श्री भरत लाल चंद्रा, ग्राम-भातमाहुल, जिला-सक्ती	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	आर.के.एम एवं डी.बी.पी. कम्पनी के द्वारा अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्र में अवैध रूप से राखड़ डम्प करने वाले पर तत्काल रोक लगाने बाबत।	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 17/01/2023 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायत स्थलों पर डंप किये गये फलाई ऐश हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना पाया गया। अवैध डंपिंग की स्थिति नहीं पाई गई। फलाई ऐश निपटान का कार्य प्रगतिरत होना पाया गया। अतः प्रकरण नस्ती बद्ध किया गया है।
39.	श्री विजय कुमार, सक्ती जिला प्रभारी, नेशनल ह्यूमन राईट्स एंटी क्राईम एण्ड एंटी करप्शन ब्यूरो, नई दिल्ली	मेसर्स आर.के.एम. पावरजेन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती एवं मेसर्स डी.बी.पावर लिमिटेड, ग्राम-बड़ादरहा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	एन.एच. रोड़ चाराभाठा चौक स्थित ढाबा के बगल स्थित हरीश पटेल के जमीन पर आदि में फलाई ऐश अपवहन के संबंध में।	दिनांक 16.07.2021 को स्थल निरीक्षण किया गया। मंडल के पत्र दिनांक 16.07.2021 द्वारा उद्योग को फलाई ऐश हटाने एवं अपवहन हेतु समुचित व्यवस्था बनाने के संबंध में पत्र जारी कर समतलीकरण कार्य कराया गया। उद्योग द्वारा फलाई ऐश डंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गयी। उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्ती बद्ध किया गया।
40.	कार्यालय थाना प्रभारी भुपदेवपुर जिला-रायगढ़ का पत्र दिनांक 06.07.2021	मेसर्स जे.डब्ल्यू.एस. स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड, ग्राम-नाहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	ग्राम-चिराईपानी में स्थित निजी स्वामित्व की भूमि में फलाई ऐश पाटकर जमीन पर कब्जा करने की शिकायत बाबत।	दिनांक 13.07.2022 को स्थल निरीक्षण किया गया। मंडल के पत्र दिनांक 22.07.2022 द्वारा उद्योग को फलाई ऐश हटाने एवं अपवहन हेतु समुचित व्यवस्था बनाने के संबंध में पत्र जारी कर समतलीकरण कार्य कराया गया। उद्योग द्वारा फलाई ऐश डंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गयी। उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्ती बद्ध किया गया।
41.	श्रीमती बेबी ठाकुर किरोड़ीमाल से प्राप्त शिकायत दिनांक 11.07.2022	मेसर्स एस.एस.के पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम-बिंजकोट एवं दरामुड़ा, तहसील खरसिया, जिला	ग्राम-तुरकेला, तहसील -खरसिया, जिला-रायगढ़ आदि में फलाई ऐश अपवहन के संबंध में।	दिनांक 26.10.2021 को स्थल निरीक्षण किया गया। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, की धारा 31'क' के तहत दिनांक 28.10.2021 को नोटिस जारी किया गया है। उद्योग द्वारा फलाई ऐश डंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गयी। उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्ती बद्ध किया गया।
42.	श्री उमेश जायसवाल ग्राम तुरकेला, तहसील खरसिया, जिला रायगढ़ का शिकायत दिनांक 26.10.2021	मेसर्स एस.एस.के पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम-बिंजकोट एवं दरामुड़ा, तहसील खरसिया, जिला		

क्र.	विवरण	रायगढ़	विवरण	विवरण
43.	न्यायालय नायब तहसीलदार रायगढ़ का पत्र दिनांक 06.12.2021	मेसर्स ज़िंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पतरापाली, जिला-रायगढ़	ग्राम-धनांगर नेशनल हाईवे के समीप जिला-रायगढ़ आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	दिनांक 08.12.2021 को स्थल निरीक्षण किया गया। मंडल के पत्र दिनांक 16.12.2021 एवं 03.02.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु जारी किया गया। उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश डंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गयी। उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
44.	श्री दीपक अग्रवाल, उमरिया द्वारा ऑनलाईन में प्राप्त शिकायत दिनांक 05.11.2022.	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़	ग्राम पंचायत उमरिया द्वारा फ्लाई ऐश डालने के लिये एन.ओ.सी. दिया गया है। फ्लाई ऐश डालने के बाद मिट्टी की परत नहीं बिछाई गई है जिससे मेन रोड में आ जाने से आने-जाने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।	दिनांक 15.12.2022 को स्थल निरीक्षण किया गया। मंडल के पत्र दिनांक 23.12.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु जारी किया गया। उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश डंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गयी। उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
45.	ग्रामवासी बगबुड़ा से प्राप्त शिकायत दिनांक 17.06.2022.	मेसर्स सालासर स्पज एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी, जिला-रायगढ़	ग्राम-बगबुड़ा में मेसर्स सालासर कंपनी के द्वारा बिना अनुमति के फ्लाई ऐश की पटाई की जा रही है, की जाच कर उचित कार्यवाही करने बाबत।	दिनांक 23.06.2022 एवं 06.09.2022 को स्थल निरीक्षण किया गया। मंडल के पत्र दिनांक 27.06.2022 एवं 08.09.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश डंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गयी। उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
46.	जन समस्या निवारण शिविर के तहत प्राप्त शिकायत दिनांक 05.05.2022	मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इंडिया) प्रा.लि., ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़	ग्राम-गेरवानी के जंगलो एवं किसानों के खेतों में उद्योग से निकलने वाले फ्लाई ऐश का अवैध रूप से डालने की समस्या बाबत।	दिनांक 31.05.2022 को स्थल निरीक्षण किया गया। मंडल के पत्र दिनांक 31.05.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का अपवहन तत्काल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया। निर्देश उपरांत उक्त स्थल पर फ्लाई ऐश का अपवहन बंद किया जाना पाया गया। उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
47.	जन समस्या निवारण शिविर के तहत प्राप्त शिकायत दिनांक 05.05.2022	मेसर्स नवदुर्गा फ्युल्स प्रा.लि., ग्राम-सराईपाली, जिला-रायगढ़	ग्राम-गेरवानी के जंगलो एवं किसानों के खेतों में उद्योग से निकलने वाले फ्लाई ऐश का अवैध रूप से डालने की समस्या बाबत।	दिनांक 31.05.2022 को स्थल निरीक्षण किया गया। मंडल के पत्र दिनांक 31.05.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का अपवहन तत्काल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया। निर्देश उपरांत उक्त स्थल पर फ्लाई ऐश का अपवहन बंद किया जाना पाया गया। उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
48.	जन समस्या निवारण शिविर के तहत प्राप्त शिकायत दिनांक 05.05.2022	मेसर्स माँ काली एलॉयस प्रा.लि., ग्राम-पाली, जिला-रायगढ़	ग्राम-गेरवानी के जंगलो एवं किसानों के खेतों में उद्योग से निकलने वाले फ्लाई ऐश का अवैध रूप से डालने की समस्या बाबत।	दिनांक 31.05.2022 को स्थल निरीक्षण किया गया। मंडल के पत्र दिनांक 31.05.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का अपवहन तत्काल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया। निर्देश उपरांत उक्त स्थल पर फ्लाई ऐश का अपवहन बंद किया जाना पाया गया। उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
49.	जन समस्या निवारण शिविर के तहत प्राप्त शिकायत दिनांक 05.05.2022	मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्रा.लि., ग्राम-देलारी, जिला-रायगढ़	ग्राम-गेरवानी के जंगलो एवं किसानों के खेतों में उद्योग से निकलने वाले फ्लाई ऐश का अवैध रूप से डालने की समस्या बाबत।	दिनांक 31.05.2022 को स्थल निरीक्षण किया गया। मंडल के पत्र दिनांक 31.05.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का अपवहन तत्काल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया। निर्देश उपरांत उक्त स्थल पर फ्लाई ऐश का अपवहन बंद किया जाना पाया गया। उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
50.	सरपंच ग्राम पंचायत गेरवानी से प्राप्त शिकायत दिनांक 02.12.2021	शिकायतकर्ता द्वारा किसी उद्योग विशेष के नाम का उल्लेख नहीं किया गया।	अवैध रूप से फ्लाई ऐश डालने के संबंध में	मंडल के पत्र दिनांक 05.04.2022 द्वारा गेरवानी क्षेत्र के समीप स्थापित फ्लाई ऐश जनित करने वाले निम्न उद्योगों को पत्र प्रेषित किया गया है:- <ul style="list-style-type: none"> मेसर्स सिंघल इनर्जी लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़, मेसर्स एन.आर. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गौरमुड़ी, जिला-रायगढ़, मेसर्स सिंघल इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़, मेसर्स अंजनी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उज्जवलपुर, जिला-रायगढ़, मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़, मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्रा.लि., ग्राम-देलारी, जिला-रायगढ़, मेसर्स माँ काली एलॉयस प्रा.लि., ग्राम-पाली, जिला-रायगढ़ मेसर्स नवदुर्गा फ्युल्स प्रा.लि., ग्राम-सराईपाली, जिला-रायगढ़, मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इंडिया) प्रा.लि., ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़ निर्देश उपरांत उक्त स्थल में फ्लाई ऐश का अपवहन बंद किया जाना पाया गया। शिकायत के संबंध में समाधानकारक कार्यावाही पूर्ण होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

51.	श्रीमती सुनिता उत्तम चौहान (पार्श्व वार्ड नंबर 10), नगर पंचायत किरोड़ीमल नगर का प्राप्त शिकायत दिनांक 22.11.2022	शिकायतकर्ता द्वारा किसी उद्योग विशेष के नाम का उल्लेख नहीं किया गया।	किरोड़ीमल नगर रायगढ़ मुख्य शहर में हो रहे फ्लाइंग ऐश डंप रोकने के संबंध में।	दिनांक 29.11.2022 को स्थल निरीक्षण किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा फ्लाइंग ऐश का अपवहन किनके द्वारा किया गया है इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। अतः मंडल के पत्र दिनांक 02.12.2022 एवं दिनांक 09.03.2023 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ को अपवहित फ्लाइंग ऐश स्थल के भू-स्वामी का नाम, पता, खसरा क्रमांक एवं रकबा की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। निरीक्षण दिवस पर फ्लाइंग ऐश का अपवहन नहीं किया जाना पाया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ़ से जानकारी प्राप्त होने के उपरांत कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
52.	समस्त निवासी सिद्धिविनायक कॉलोनी रायगढ़ से प्राप्त शिकायत दिनांक 07.02.2023.	शिकायतकर्ता द्वारा किसी उद्योग विशेष के नाम का उल्लेख नहीं किया गया।	सिद्धिविनायक कॉलोनी के पीछे गोकुलधाम कॉलोनी में अवैध रूप से फ्लाइंग ऐश डम्पिंग की शिकायत हेतु	दिनांक 09.02.2023 को स्थल निरीक्षण किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा फ्लाइंग ऐश का अपवहन किनके द्वारा किया गया है इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। अतः गोकुलधाम कॉलोनी के कॉलोनाईजर को परिसर में डम्प फ्लाइंग ऐश का समतलीकरण एवं मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। निर्देश उपरांत फ्लाइंग ऐश डम्प स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गई। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
53.	समस्त प्रभावित कृषक, ग्राम-बरबसपुर करनाला, जिला कोरबा	आवेदक द्वारा विद्युत संयंत्र के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है।	बरबसपुर (करनाला) में अवैध राखड डालने पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने एवं किसानों के खेतों में पटे राखड को हटवाने बाबत।	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 18.10.2022 को स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान किसानों के खेत में जमा राखड को तत्काल हटवाया गया। शिकायत के संबंध में समाधानकारक कार्यवाही पूर्ण होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
54.	समस्त ग्रामवासी कुदुरमाल व सरपंच ग्राम पंचायत कुदुरमाल, जिला-कोरबा	आवेदक द्वारा विद्युत संयंत्र के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है।	फ्लाइंग ऐश भराव से निस्तार तथा पानी भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है।	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 19.10.2022 को स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान अनुमति प्राप्त पर फ्लाइंग ऐश भराव किया जाना पाया गया। फ्लाइंग ऐश भराव से आम निस्तार तथा पानी निकासी की व्यवस्था बंद होना नहीं पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
55.	श्री अब्दुल नफीस खान अधिवक्ता, कोरबा, जिला-कोरबा	आवेदक द्वारा विद्युत संयंत्र के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है।	जिला मुख्यालय से 500 मीटर दूर डेगुरनाला पुल के पास मुख्य मार्ग में राखड फ़ैलाने के संबंध में।	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 12.10.2022 को स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान डेगुरनाला पुल के दोनों तरफ रोड़ में कहीं भी फ्लाइंग ऐश का जमाव व बिखराव होना नहीं पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
56.	डॉ गुंजलाल राठिया ग्राम सोनपुरी तहसील व जिला कोरबा	आवेदक द्वारा विद्युत संयंत्र के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है।	ग्राम सोनपुर विकासखण्ड कोरबा जिला कोरबा के मेरे निजी भूमि तालाब के पास राखड फेकने बाबत।	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 14.11.2022 को स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान पाया गया की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तालाब के समीप दो से तीन हाइवा फ्लाइंग ऐश डंप की गई थी, जिसे हटवा लिया गया है। शिकायत के संबंध में समाधानकारक कार्यवाही पूर्ण होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया।
57.	श्री लक्ष्मण दास वैष्णव ग्राम-उरगा, तहसील व जिलाकोरबा -	आवेदक द्वारा विद्युत संयंत्र के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है।	निजी कास्तकारी भूमि से राखड हटाये जाने के संबंध में शिकायत।	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 01.02.2023 को स्थल निरीक्षण किया गया। शिकायतकर्ता श्री लक्ष्मण दास वैष्णव के निजी भूमि पर एकत्रित फ्लाइंग ऐश को कृषि भूमि से हटवाया गया। शिकायत के संबंध में समाधानकारक कार्यवाही पूर्ण होने के कारण नस्तीबद्ध किया गया।

(डी.आर.सोन्टार)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

पारिशेष - इक्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 629) की जानकारी

“प्रपत्र”

जांजगीर-चांपा जिले में पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 15/02/2023 तक जिला खनिज न्यास मद से नवीन स्कूल भवन एवं स्कूल भवन मरम्मत के निर्माण कार्य की स्वीकृति की जानकारी

(राशि लाख रुपये में)

क्र.	नवीन स्कूल भवन एवं स्कूल भवन मरम्मत के निर्माण कार्य का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	भौतिक स्थिति
1	2	3	4
वित्तीय वर्ष 2019-20		निरंक	निरंक
वित्तीय वर्ष 2020-21			
1	शास.प्रा.शाला भवन निर्माण पोंच	पोंच	पूर्ण
2	माडल बालक हायर सेकेण्ड्री स्कूल जीर्णोद्धार कार्य (पुराना स्कूल भवन) सक्ती	सक्ती	प्रगतिपर
3	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्र 01 जांजगीर का जीर्णोद्धार कार्य जांजगीर	जांजगीर	प्रगतिपर
4	इंग्लिस मिडियम स्कूल भवन निर्माण सक्ती	सक्ती	प्रगतिपर
5	शा. महामाया उ.मा. विद्या पामगढ़ में उन्नयन कार्य पामगढ़	पामगढ़	पूर्ण
6	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्या कन्या चन्द्रपुर में उन्नयन कार्य डभरा	डभरा	पूर्ण
7	स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्या कन्या जैजैपुर में उन्नयन कार्य जैजैपुर	जैजैपुर	पूर्ण
8	शा. बालक उच्च माध्य. विद्या अकलतरा में उन्नयन कार्य अकलतरा	अकलतरा	पूर्ण
9	प्रा.शा. भवन निर्माण कार्य मोहगांव	मोहगांव	प्रगतिपर
10	पूर्व माध्य. शा. भवन में अतिरिक्त 3 कक्ष निर्माण	हनुमंता दरीबंजर	पूर्ण
11	शासकीय बी.डी.एम बालक उच्च मा. विद्यालय सारागांव मरम्मत कार्य	सारागांव	प्रगतिपर
वित्तीय वर्ष 2021-22			
1	शास. बालक माध्य.विद्या बम्हनीडीह में जीर्णोद्धार कार्य बम्हनीडीह	बम्हनीडीह	पूर्ण
2	शास. बालक माध्य.विद्या मालखरौदा में जीर्णोद्धार कार्य मालखरौदा	मालखरौदा	पूर्ण
3	शास. बालक माध्य.विद्या बलौदा में जीर्णोद्धार कार्य बलौदा	बलौदा	पूर्ण
4	शास. बालक माध्य.विद्या डभरा में जीर्णोद्धार कार्य डभरा	डभरा	पूर्ण
5	स्वामी आत्मा नन्द उत्कृष्ट विद्यालय जांजगीर में के भवन में पेटिंग एव उन्नयन कार्य	जांजगीर	प्रगतिपर
6	हाई स्कूल पंतोरा का उन्नयन जीर्णोद्धार कार्य	पंतोरा	पूर्ण
वित्तीय वर्ष 2022-23			
1	समग्र शिक्षा कन्वर्जेंस मद से 105 प्राथ/पूर्व मा. शालाओ के अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य समस्त ब्लाक	समस्त ब्लाक	प्रगतिपर
2	अतिरिक्त कक्ष निर्माण स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मा. स्कूल पामगढ़	पामगढ़	प्रगतिपर
3	स्वामी आत्मानंद शास. बहुउद्देशीय उत्कृष्ट मा. विद्यालय क्र. 02 खोखराभाठा जांजगीर	जांजगीर	प्रगतिपर
4	शास.प्राथ.भवन निर्माण कनस्दा	कनस्दा	प्रगतिपर
5	शास.प्राथ.भवन निर्माण मेकरी	मेकरी	प्रगतिपर
6	शास.प्राथ.भवन निर्माण अमरुवा	अमरुवा	प्रगतिपर

क्र.	नवीन स्कूल भवन एवं स्कूल भवन मरम्मत के निर्माण कार्य का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	भौतिक स्थिति
1	2	3	4
7	जिले में संचालित आत्मानंद भागोडीह बम्हनीडीह उन्नतीकरण कार्य जांजगीर	जांजगीर	पूर्ण
8	स्वामी आत्मानंद स्कूल अकलतरा	अकलसरा	प्रगतिपर
9	स्वामी आत्मानंद स्कूल बलौदा	बलौदा	प्रगतिपर
10	माध्य.शाला भवन निर्माण कापन	कापन	प्रगतिपर
11	वार्ड 14 गट्टानी स्कूल रेनोवेशन कार्य जांजगीर	जांजगीर	प्रगतिपर
12	शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल के रंगरोगन एवं मरम्मत कार्य सेमरा	सेमरा	पूर्ण
13	हाई स्कूल का मरम्मत एवं रंगरोगन एवं उन्नयन कार्य	सिवनी	पूर्ण
14	शास. उच्च.माध्य विद्या. में मरम्मत एवं पेंटिंग कार्य केरा	केरा	प्रगतिपर
15	रिपेयरिंग आफ स्कूल बिल्डींग पेंटिंग प्रायमरी स्कूल कोनारगढ़	कोनारगढ़	पूर्ण
16	शा.पूर्व मा.शाला भवन निर्माण मुलमुला	मुलमुला	प्रगतिपर
17	प्राथ.शाला भवन निर्माण हरदीपारा मेंहदी	मेंहदी	प्रगतिपर
18	प्राथ.शाला भवन निर्माण अमहापारा कोसा	कोसा	प्रगतिपर
19	शास. पूर्व माध्यमिक शाला भवन निर्माण पाली	पाली	प्रगतिपर
20	स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम स्कूल भवन निर्माण भैंसों	भैंसों	प्रगतिपर
21	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल भवन निर्माण नवागढ़	नवागढ़	प्रगतिपर
22	प्रा.शा. भवन निर्माण कार्य	पासीद	पूर्ण
23	प्रा.शा. भवन निर्माण कार्य	बासीन	पूर्ण



अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

परोशेष्ट - बत्तोस

अतारोकेत प्रश्न संख्या 8 (क्र. 841) की जानकारी

क्र.	योजनाफल का नाम	जनहानि प्रकरण संख्या	दाहिपूति शोशे	जनघायल प्रकरण संख्या	दाहिपूति शोशे	फसल हानि प्रकरण संख्या	रकबा (हे.से)	दाहिपूति शोशे	यसु हानि प्रकरण संख्या	दाहिपूति शोशे	मकान हानि प्रकरण संख्या	शोशेपूति शोशे	अन्य संपत्ति हानि प्रकरण संख्या	दाहिपूति शोशे	कुल प्रकरण संख्या	शोशे रूपये में
वर्ष जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक																
1	सरगुजा	0	0	0	0	237	35,668	793220	0	0	37	491278	0	0	274	12,84,498
2	सुरजपुर	1	600000	6	267269	1523	222,770	4954238	7	80000	86	1421342	99	504618	1,722	78,27,467
3	बलसामपुर	1	600000	2	118200	67	12,456	277013	2	130000	32	924038	37	152519	141	22,01,770
4	कोरिया	0	0	0	0	115	67,326	1114618	0	0	3	50950	2	20790	120	11,86,358
5	जयपुर	5	3000000	7	123220	1984	344,713	116676092.4	1	60000	165	1171806	24	0	2,186	12,10,31,118
6	गुणधारासोडो बैकुण्ठपुर	0	0	0	0	52	19,725	208541	0	0	4	74583	0	0	56	2,83,124
7	एलीफेंट रिजर्व सरगुजा	0	0	0	0	38	14,099	313550	0	0	28	1239163	15	173941	81	17,26,654
8	रायगढ	0	0	0	0	188	39,852	906657	0	0	4	75627	3	4170	195	9,86,454
9	धराज्यगढ	0	0	1	9691	1119	377,858	8403186	0	0	24	647390	29	209940	1,173	92,70,207
10	कोरवा	0	0	0	0	209	54,570	1210663	0	0	4	12660	9	34200	222	12,57,523
11	कटघोरा	0	0	0	0	468	209,843	4666704	0	0	99	1301464	37	306731	604	62,74,899
12	मरवाही	1	600000	0	0	78	30,960	713121	0	0	0	0	0	0	79	13,13,121
13	गरियाबद	1	600000	0	0	0	0,000	0	0	0	2	4200	2	5000	3	6,05,000
14	महासमुन्द	0	0	0	0	503	188,946	4313136	0	0	2	4200	35	435383	540	47,52,719
15	उ.सी.टारि. गरियाबद	0	0	0	0	25	9,082	201983	0	0	8	36000	2	2800	35	2,40,783
वर्ष 2020-21																
1	सरगुजा	0	0	1	4780	531	146,690	3262238	0	0	121	3892951	0	0	653	71,59,969
2	सुरजपुर	12	7200000	2	59818	5413	975,965	21704482	15	222000	284	3858082	286	1667719	6,012	3,47,12,101
3	बलसामपुर	0	0	0	0	927	216,203	4745465	3	61000	122	3190397	96	550700	1,148	85,47,562
4	कोरिया	0	0	0	0	66	38,650	561457	0	0	7	180307	6	82197	79	8,23,961
5	मनेन्दगढ	0	0	0	0	75	14,019	316354	0	0	10	267508	14	54303	99	6,38,165
6	जयपुर	16	9600000	2	92469	2052	350,469	7796302.403	0	0	350	3268094	93	407941	2,513	2,11,64,866
7	गुणधारासोडो बैकुण्ठपुर	0	0	0	0	42	20,611	262826	0	0	6	145390	1	8000	49	4,16,216
8	एलीफेंट रिजर्व सरगुजा	1	0	0	0	273	99,374	2143039	0	0	53	1322851	28	92632	355	35,58,522

सुपुन-अ

w
20

क्र.	वसमहल का नाम	जनहानि प्रकरण संख्या	हातिपूति राशि	जनभायल प्रकरण संख्या	हातिपूति राशि	फसल हानि प्रकरण संख्या	रकबा (हे.से)	हातिपूति राशि	पपु हानि प्रकरण संख्या	हातिपूति राशि	मकान हाति प्रकरण संख्या	हातिपूति राशि	अन्य संपर्कित हानि प्रकरण संख्या	हातिपूति राशि	कुल प्रकरण संख्या	कुल हातिपूति राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	रायगढ़	3	1800000	0	0	352	66,270	1518688	2	58000	7	45111	14	118946	378	35,41,145
10	धरमजयगढ़	14	8400000	2	10000	1563	569,117	12656734	0	0	108	2207801	120	704088	1,807	2,39,78,623
11	कोरबा	1	600000	0	0	601	156,830	3680602	0	0	8	35000	23	91197	633	44,06,799
12	कटघोसा	9	5400000	2	90646	1,398	633,971	14098889	0	0	513	6440536	158	1243288	2,080	2,72,73,359
13	मरवाही	0	0	0	0	28	6,130	137891	0	0	1	14800	0	0	29	1,52,691
14	मुन्दी	0	0	0	0	4	1,300	17550	0	0	0	0	0	0	4	17,550
15	गरियाबद	4	2400000	0	0	244	105,650	2283098	0	0	21	649675	0	0	269	53,32,773
16	महासमुन्द	3	1800000	4	60600	584	161,436	3831686	4	56000	1	3000	45	211101	641	59,62,387
17	बलौदा बाजार	1	600000	1	59100	739	243,511	4786960	0	0	2	30000	27	180436	770	56,56,496
18	रायपुर	0	0	1	4858	268	13,461	534460	1	20000	0	0	0	0	270	5,59,318
19	धनहरा	0	0	0	0	91	26,820	604050	0	0	0	0	14	96362	105	7,00,412
20	स.सी.दा.रि. गरियाबद	0	0	0	0	189	82,091	1825640	0	0	35	570121	3	24500	227	24,20,261
21	बालोद	1	600000	0	0	359	153,248	2839081	3	16000	21	173600	12	92150	396	37,20,831
22	काकर	0	0	0	0	292	103,300	2598781	0	0	0	0	14	70100	306	26,68,881
23	पूर्व भाउगलपुर	0	0	0	0	46	7,155	79356	0	0	0	0	4	19432	50	98,788
योग:-		65	3,84,00,000	15	3,82,271	16,137	4,192,271	9,22,85,689	28	4,33,000	1,670	2,62,95,624	958	57,15,092	18,873	16,35,11,676
वर्ष 2021-22																
1	सरगुजा	7	3625000	0	0	3150	764,854	17009586	5	139000	386	12595413	0	0	3,548	3,33,68,999
2	शूरजपुर	11	6600000	5	87112	5363	1006,751	22389137	8	93000	301	6738211	221	1217458	5,909	3,71,24,918
3	दलरामपुर	3	1800000	0	0	1179	261,093	5951635	0	0	126	3733928	140	787975	1,448	1,22,73,538
4	कोरिया	0	0	0	0	154	103,500	2111414	1	3000	41	695730	58	803055	254	36,13,219
5	मनन्दगढ़	0	0	0	0	30	5,145	100313	0	0	8	64993	4	9450	42	1,74,756
6	जशपुर	10	6000000	8	260926	1824	395,029	8790518,692	0	0	390	4779541	84	534279	2,316	2,03,65,265
7	गुणारोडोडो बैकुण्ठपुर	1	600000	0	0	34	17,134	309627	0	0	1	66660	0	0	36	9,76,287
8	एलफेन्ट रिजर्व सरगुजा	1	1200000	0	0	222	91,750	2024164	0	0	23	360595	32	182637	278	37,67,396
9	रायगढ़	1	600000	0	0	378	77,498	1726499	0	0	11	195983	18	145714	408	26,68,196
10	धरमजयगढ़	10	6000000	1	14427	2025	694,981	15464732	0	0	124	2369409	102	673578	2,262	2,45,22,146
11	कोरबा	1	600000	0	0	466	109,190	2431254	0	0	2	14630	13	72536	482	31,18,420

क्र	समापन का नाम	जनहानि प्रकरण संख्या	क्षतिपूर्ति राशि	जनघात प्रकरण संख्या	क्षतिपूर्ति राशि	रकबा (रु. में)	क्षतिपूर्ति राशि	पशु हानि प्रकरण संख्या	क्षतिपूर्ति राशि	मकान क्षति प्रकरण संख्या	क्षतिपूर्ति राशि	अन्य संपत्ति हानि प्रकरण संख्या	क्षतिपूर्ति राशि	कुल प्रकरण संख्या	कुल क्षतिपूर्ति राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	कटघोसा	3	1800000	0	0	1590	735,285	1635,198	15	171088	478	5746124	98	814708	2,184	2,48,83,918
13	मरवाही	1	600000	1	12322	177	65,430	1523,489	6	50390	71	589380	43	241150	299	30,16,731
14	बिलासपुर	0	0	0	0	7	2,944	20019	0	0	0	0	0	0	7	20,019
15	अचानकमार टायगर रिजर्व, लोरभी	0	0	0	0	4	2,000	13600	0	0	3	16300	0	0	7	29,900
16	मरियाबंद	0	0	0	0	311	103,290	2382,466	0	0	7	98195	52	352082	370	28,32,743
17	महासमुन्द	9	5400000	0	0	44	6,650	190757	1	16000	1	21333	30	142510	85	57,70,600
18	बलोदा बाजार	2	1200000	1	49733	206	59,332	127,4927	0	0	1	10960	7	34319	217	25,69,939
19	धमतरी	2	1200000	0	0	218	90,260	1999079	0	0	5	18000	34	335942	259	35,53,021
20	उ.सी.टा.रि. मरियाबंद	1	600000	0	0	151	67,820	1508255	0	0	6	314552	2	48000	160	24,70,807
21	बलोद	2	1200000	1	28091	552	216,260	483,3094	0	0	77	1345900	107	1138640	739	85,45,725
22	राजगादगांव	0	0	0	0	78	31,919	719700	0	0	33	151600	2	7000	113	8,78,300
23	कवर्वा	0	0	0	0	61	26,803	603087	0	0	2	16052	0	0	63	6,19,139
24	कांवर	0	0	0	0	206	85,725	1768264	0	0	0	0	94	1029586	300	27,97,850
25	सूरी मारुजातपुर	0	0	0	0	15	19,700	177300	0	0	63	677320	81	1720455	159	25,75,075
योग:-		65	3,90,25,000	17	4,52,611	18,445	5,040,343	11,16,74,915	36	4,72,478	2,160	4,06,20,829	1,222	1,02,91,074	21,945	20,25,36,907
वर्ष 2022-23 (दिनांक 15 फरवरी 2023 की स्थिति में)																
1	सरगुजा	7	4200000	3	80049	1295	303,207	6743021	0	0	301	10600720	0	0	1,606	2,16,23,790
2	सुरजपुर	6	3600000	0	0	3138	726,190	16149719	12	144000	200	4110955	177	1091590	3,533	2,50,96,264
3	बलरामपुर	2	1200000	0	0	924	227,682	5127510	6	140000	127	3242428	96	433992	1,155	1,01,43,930
4	कोरिया	0	0	1	34000	163	102,741	2115039	4	40000	47	830376	26	204620	241	32,24,035
5	मनेन्द्रगढ़	2	1200000	1	4899	24	1,659	45361	0	0	13	99745	9	32443	49	13,82,048
6	जयपुर	15	9000000	2	48756	1899	495,315	11030437.58	0	0	511	4464055	124	666018	2,551	2,52,09,267
7	गुधाराखंडो देकुलपुर	0	0	0	0	32	16,493	277380	0	0	8	111905	1	1008	41	3,90,293
8	एलफिंट रिजर्व सरगुजा	0	0	0	0	119	28,527	596966	0	0	10	110405	11	65900	140	7,73,271
9	रायगढ़	3	1225000	0	0	218	50,898	1100568	0	0	9	42802	7	56108	237	24,24,478
10	धरमजगदाढ़	3	1800000	1	59100	2598	810,452	18023636	0	0	187	2347267	245	1156455	3,034	2,33,86,458
11	कोरवा	0	0	1	200000	558	149,730	3285013	0	0	0	0	35	255719	594	37,40,732

Handwritten signature or initials.

क्र.	वनाम	जनानि प्रकरण संख्या	शक्तिपूर्ति राशि	जनशायल प्रकरण संख्या	शक्तिपूर्ति राशि	फसल हांनि प्रकरण संख्या	रकबा (हे.मै)	शक्तिपूर्ति राशि	पशु हांनि प्रकरण संख्या	शक्तिपूर्ति राशि	मकान शक्ति प्रकरण संख्या	शक्तिपूर्ति राशि	अन्य संपत्ति हांनि प्रकरण संख्या	शक्तिपूर्ति राशि	कुल प्रकरण संख्या	कुल शक्तिपूर्ति राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	कटपौरा	6	3600000	5	24256	2088	590.596	13134265	49	524615	373	3726690	115	1219149	2636	2,22,28,975
13	मरवाही	4	2400000	1	70446	143	0.000	1238166	1	14000	75	633261	20	120925	244	44,76,798
14	बिलासपुर	0	0	0	0	15	2.402	27037	0	0	0	0	0	0	15	27,037
15	जालगीर चांपा	2	1200000	0	0	0	0.000	0	0	0	0	0	0	0	2	12,00,000
16	अखानकमार टायगर रिजर्व, लोसरी	1	600000	2	8000	24	10.797	73420	0	0	10	80146	0	0	37	7,67,566
17	गरियाबंद	2	1200000	0	0	139	53.659	1092654	0	0	25	254594	19	174316	185	27,21,564
18	महारसुन्द	0	0	0	0	5	2.256	50753	0	0	0	0	0	0	5	50,753
19	बलौदा बाजार	1	600000	0	0	114	42.349	800947	0	0	0	0	9	131185	124	15,32,132
20	रायपुर	0	0	0	0	35	3.142	40075	1	20000	1	5200	2	29888	39	95,163
21	धमसरी	5	3000000	0	0	282	95.878	2162057	0	0	2	18000	115	752195	404	59,32,252
22	उ.सी.टारि, गरियाबंद	5	3000000	0	0	350	132.706	2951257	1	25000	12	174819	30	590411	398	67,41,487
23	बालोद	2	1200000	0	0	174	59.819	1405803	0	0	12	278215	35	355400	223	32,39,418
24	रजनादगाव	2	1200000	0	0	88	26.514	604791	0	0	18	595000	8	34042	116	24,33,833
25	कवर्चा	0	0	0	0	80	21.872	492091	0	0	51	989252	31	395706	162	18,77,049
26	कांकर	0	0	1	0	139	42.838	1574477	0	0	0	0	66	1007710	206	25,82,187
	योग:-	68	4,02,25,000	18	5,29,106	14,644	3,997,722	9,01,42,444	74	9,07,615	1,992	3,27,21,835	1,181	87,74,780	17,977	17,33,00,780
	महायोग :-	207	12,30,50,000	66	18,82,368	55,832	14,858,204	43,88,55,770	148	20,83,093	6,318	10,70,88,789	3,655	2,66,31,038	66,226	69,95,91,058

टीप :- 1. एलीमेंट रिजर्व सरगुजा में वर्ष 2020-21 में 01 जनहानि की घटना मार्च 2021 के अंतिम सप्ताह में हुई थी जिसका मुआवजा मुगलान वितीय वर्ष 20021-22 में कर दिया गया है।
 2. सरगुजा वनमण्डल में वितीय वर्ष 2020-21 में जनहानि के 01 प्रकरण में तत्कालिक सहायता राशि रु. 25000/- का मुगलान किया गया है। शेष राशि रु. 575000/- का मुगलान उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र हेतु प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारधीन होने के कारण लंबित है।
 3. रायगढ़ वनमण्डल में वितीय वर्ष 2022-23 में जनहानि के 01 प्रकरण में तत्कालिक सहायता राशि रु. 25000/- का मुगलान किया गया है। शेष राशि रु. 575000/- का मुगलान उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र हेतु प्रकरण माननीय न्यायालय में विचारधीन होने के कारण लंबित है।

मुख्य वन संरक्षक (ईको-टूरिज्म)
 छ.ग., नवा रायपुर, जटल नगर

(उप-क)
जन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन

विभाग का नाम - वन विभाग {कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़}

स.क्र.	जन घोषणा में दर्शित विषय	विषयवार क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति	विषयवार क्रियान्वयन पूर्ण/अपूर्ण	क्रियान्वयन अपूर्ण होने के संबंध में रिमार्क	अंतर्विभागीय समन्वय के बिन्दुओं के संबंध में रिमार्क
1	2	3	4	5	6
10	हाथी प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए राशि को 10 लाख तक बढ़ाया जाएगा। घर एवं फसलों के वास्तविक नुकसान के अनुरूप मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी।	छ.ग. शासन वन विभाग मंत्रालय के आदेश दिनांक 29.6.2019 से जनहानि क्षतिपूर्ति राशि रू. 4.00 लाख से बढ़ाकर 6.00 लाख कर दी गयी है। घर एवं फसलों के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही राजस्व विभाग से संबंधित है। इसलिए इस संबंध में पत्र दिनांक 18.10.2019 से छ.ग. शासन वन विभाग से अनुरोध किया गया है कि राजस्व विभाग को लिखा जाये तथा इस पत्र का पृष्ठांकन सूचनार्थ राजस्व विभाग को किया गया है।	इस विभाग से अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण।	घर एवं फसलों के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही राजस्व विभाग से संबंधित है।	घर एवं फसलों के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही राजस्व विभाग से है।
11	छत्तीसगढ़ के लेमरू, कोरबा जैसे वन क्षेत्रों में हाथी एवं वन्य जीवन अभ्यारण्य का निर्माण किया जाएगा तथा इसे संरक्षित वन्यजीवन गलियारों से जोड़ कर नुकसान को कम किया जा सकेगा।	छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक/एफ 8-6/2007/10-2 दिनांक 07/10/2021 द्वारा कोरबा जिले के कोरबा एवं कटघोरा वनमण्डल, रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वनमण्डल एवं सरगुजा जिले के सरगुजा वनमण्डल के अंतर्गत 1995.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लेमरू हाथी रिजर्व की स्थापना की गई है।	इस विभाग से अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण।	-	-


मुख्य वन संरक्षक (ईको-टूरिज्म)
छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष्य - तैतीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 853) की जानकारी

प्रपत्र-अ

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण (बाजार उधार)				राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण			केन्द्र सरकार के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट ऋण/ विश्व बैंक से ऋण/ जीएसटी ऋण/ अन्य ऋण	
माह	राशि	ब्याज दर	अवधि	राशि	ब्याज दर	अवधि	राशि	ब्याज दर
दिसंबर-2018	-	-	-	202.24	5.25	प्रत्येक तिमाही ब्याज भुगतान 7 वर्ष तक तथा ऋण प्राप्ति के 2 वर्ष पश्चात् मूलधन का भुगतान पांच समान किश्तों में पांच वर्ष तक	156.76	Libor Rate
जनवरी-2019	1,500.00	7.64	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 02 जनवरी 2021 को मूलधन भुगतान	10.55	5.25		0.10	
	2,000.00	7.94	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 16 जनवरी 2023 को मूलधन भुगतान					
फरवरी-2019	1,000.00	8.14	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 06 फरवरी 2025 को मूलधन भुगतान	41.19	5.00		8.03	
	1,000.00	7.93	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 13 फरवरी 2024 को मूलधन भुगतान					
	1,000.00	8.18	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 27 फरवरी 2025 को मूलधन भुगतान					
मार्च-2019	750.00	7.48	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 06 मार्च 2022 को मूलधन भुगतान	303.02	5.00			
	750.00	7.43	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 13 मार्च 2022 को मूलधन भुगतान					
	500.00	7.68	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 20 मार्च 2024 को मूलधन भुगतान					
	700.00	8.04	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 20 मार्च 2026 को मूलधन भुगतान					
	700.00	7.57	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 27 मार्च 2023 को मूलधन भुगतान					
	500.00	7.69	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 27 मार्च 2024 को मूलधन भुगतान					
योग-	10400.00			557.00			164.89	
अप्रैल-2019			निरंक			निरंक	56.92	उपरोक्तानुसार
मई-2019			निरंक			निरंक	-	
जून-2019			निरंक			निरंक	0.59	
जुलाई-2019			निरंक	17.97	4.50	उपरोक्तानुसार	28.08	
अगस्त-2019	1000.00	7.03	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 28 अगस्त 2026 को मूलधन भुगतान	29.65	4.15		20.04	
सितंबर-2019	1000.00	7.28	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 25 सितंबर 2027 को मूलधन भुगतान	45.91	4.15		3.61	
अक्टूबर-2019			निरंक	19.30	3.90		2.98	
नवंबर-2019			निरंक	89.91	3.90		13.57	
दिसंबर-2019	2000.00	7.18	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 04 दिसंबर 2027 को मूलधन भुगतान	104.79	3.90		107.35	
जनवरी-2020	1000.00	7.17	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 08 जनवरी 2030 को मूलधन भुगतान	69.84	3.90			
	1000.00	7.18	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 28 जनवरी 2030 को मूलधन भुगतान					
फरवरी-2020			निरंक	322.70	3.90		-	
मार्च-2020	1000.00	7.08	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 04 मार्च 2030 को मूलधन भुगतान	151.32	3.90		46.04	
	1000.00	7.11	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 18 मार्च 2030 को मूलधन भुगतान					
	1000.00	7.59	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 25 मार्च 2030 को मूलधन भुगतान					
	2680.00	7.35	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 31 मार्च 2030 को मूलधन भुगतान					
योग-	11680.00			969.68			279.18	
अप्रैल-2020			निरंक			निरंक	0.98	उपरोक्तानुसार
मई-2020			निरंक			निरंक	-	
जून-2020			निरंक	57.22	2.75	उपरोक्तानुसार	2.03	
जुलाई-2020			निरंक	38.98	2.75		77.60	
अगस्त-2020	1300.00	5.40	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 12 अगस्त 2024 को मूलधन भुगतान	50.31	2.75		-	
सितंबर-2020	700.00	5.09	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 09 सितंबर 2023 को मूलधन भुगतान	22.44	2.75		21.61	
अक्टूबर-2020	1000.00	5.94	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 07 अक्टूबर 2025 को मूलधन भुगतान	34.44	2.75			
	1000.00	5.38	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 28 अक्टूबर 2025 को मूलधन भुगतान					
नवंबर-2020	1000.00	5.35	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 04 नवंबर 2025 को मूलधन भुगतान	112.95	2.75		* 143.00	

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण (बाजार उधार)				राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण			केन्द्र सरकार के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट ऋण/ विश्व बैंक से ऋण/ जीएसटी ऋण/ अन्य ऋण	
माह	राशि	ब्याज दर	अवधि	राशि	ब्याज दर	अवधि	राशि	ब्याज दर
दिसंबर-2020	1000.00	5.93	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 09 दिसंबर 2026 को मूलधन भुगतान	71.21	2.75		715.73	
	1000.00	5.88	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 30 दिसंबर 2026 को मूलधन भुगतान					
जनवरी-2021	1000.00	5.97	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 13 जनवरी 2027 को मूलधन भुगतान	80.21	2.75		677.04	
	1000.00	6.10	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 27 जनवरी 2027 को मूलधन भुगतान					
फरवरी-2021	1000.00	7.08	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 23 फरवरी 2029 को मूलधन भुगतान	116.14	2.75		789.67	
मार्च-2021	1000.00	7.06	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 17 मार्च 2029 को मूलधन भुगतान	350.96	2.75		1,049.65	
	1000.00	6.94	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 24 मार्च 2029 को मूलधन भुगतान				* 143.00	
योग-	13000.00			934.85			3,620.31	
अप्रैल-2021			निरंक			निरंक	59.65	
जून-2021			निरंक			निरंक	10.64	
जुलाई-2021	1000.00	6.82	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 07 जुलाई 2028 को मूलधन भुगतान			निरंक	2,444.28	
अगस्त-2021	1000.00	6.53	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 15 सितंबर 2028 को मूलधन भुगतान	115.60	2.75	उपरोक्तानुसार	* 141.00	
सितम्बर-2021	1000.00	6.59	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 06 अक्टूबर 2028 को मूलधन भुगतान	26.62	2.75		65.32	
अक्टूबर-2021	1000.00	6.62	प्रत्येक छःमाही ब्याज भुगतान एवं 27 अक्टूबर 2028 को मूलधन भुगतान	100.21	2.75		2,624.94	
नवम्बर-2021			निरंक	1.77	2.75		* 141.00	
दिसम्बर-2021			निरंक	125.58	2.75		49.45	
जनवरी-2022			निरंक			निरंक	2.64	
फरवरी-2022			निरंक	43.00	2.75	उपरोक्तानुसार	* 213.27	
मार्च-2022			निरंक	691.49	2.75		24.30	
योग-	4,000.00			1104.27			5,776.50	
अप्रैल- 2022			निरंक			निरंक	91.54	
मई- 2022			निरंक			निरंक	133.99	
जून-2022			निरंक	13.45	3.65		25.95	
जुलाई-2022			निरंक	-			83.12	
अगस्त-2022			निरंक	35.24	4.15		52.36	
सितम्बर-2022			निरंक	44.07	4.15		21.13	
अक्टूबर-2022			निरंक	8.72	4.65	उपरोक्तानुसार	* 921.89	
नवम्बर-2022			निरंक	162.36	4.65		* 357.18	
दिसम्बर-2022			निरंक	146.78	5.00		* 201.58	
जनवरी-2023			निरंक	9.39	5.00		54.55	
योग-	-			420.01			1,943.29	
अवधि का योग-	39,080.00			3985.79			11,784.17	
महायोग:-	54,849.96							

* उक्त ऋणों में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत व्यय/निवेश हेतु विशेष सहायता योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा वर्ष 2022-23 (जनवरी, 2023 तक) में प्रदत्त ऋण राशि क्रमशः 286 करोड़ रुपये, 423 करोड़ रुपये तथा 1333 करोड़ भी शामिल है। केन्द्र सरकार द्वारा योजनातर्गत 50 वर्षों के लिये ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया गया है। यह ऋण विमुक्ति के 50 वर्षों बाद एकमुश्त चुकाया जाना है।

प्रपत्र-ब

(राशि करोड़ में)

प्रश्नांकित अवधि में वर्षवार ब्याज भुगतान का विवरण

वर्ष	राशि
1 दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक	1,772
वर्ष 2019-20	4,970
वर्ष 2020-21	5,633
वर्ष 2021-22	6,144
वर्ष 2022-23 (01 फरवरी 2023 तक)	4,233
योग	22,753

पारिशेष - चौतौस

अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 946) की जानकारी

प्रपत्र- अ

जल जीवन मिशन अंतर्गत जिला कबीरधाम में जनवरी 2023 तक विकासखंडवार व्यय राशि, कार्य पूर्णता एवं शेष कार्य की जानकारी

स.क्र.	जिला	विकासखंड	जल जीवन मिशन अंतर्गत जनवरी 2023 तक		
			व्यय राशि (जनवरी 2023 तक रु. लाख में)	कार्य पूर्णता का प्रतिशत	शेष कार्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	कबीरधाम	कवर्धा	3374.09	55.34	44.66
2		सहसपुर लोहारा	2278.57	41.40	58.60
3		पंडरिया	4702.44	50.31	49.69
4		बोडला	4452.03	47.01	52.99
कुल योग:-			14807.13	48.98	51.02


अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

जिला कबीरधाम में वर्ष 2021-2022 से जनवरी 2023 तक विकासखंडवार घरेलू नल कनेक्शन एवं उपलब्धि की जानकारी

स.क्रं.	विकासखंड	घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य	नल कनेक्शन उपलब्धि	पूर्ण कार्यों का प्रतिशत
1	कवर्धा	50,137	23,264	45.26
2	स.लोहारा	38,377	26,750	53.35
3	पंडरिया	55,417	26,622	48.04
4	बोडला	51,404	15,379	40.07
योग:-		195,335	92,015	47.11


 अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष्य - पेंतीस

अतारोकेत प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1400) की जानकारी

प्रपत्र

बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 01 जनवरी 2020-21 से 31 दिसम्बर 2022 तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बिलासपुर द्वारा संपादित किये गये कार्य

क्र.	स्वीकृत कार्य का विवरण	स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	स्वीकृति दिनांक	मद	स्वीकृत कार्य वर्तमान स्थिति			रिमांक
					पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कोविड-19 अस्पताल बिलासपुर में एस.टी.पी., ई.टी.पी. एवं 60 कि.मी. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में पंप स्थापना का कार्य	24.76	01.05.2020	अन्य विभाग डिपॉजिट मद	पूर्ण	-	-	-
2	पारिजात एक्वेशन में नलकूप खनन कार्य	1.363	21.07.2020	विभागीय मद	पूर्ण	-	-	-
3	छत्तीसगढ़ भवन में 01 नग नलकूप खनन कार्य	1.363	21.07.2020	विभागीय मद	पूर्ण	-	-	-
4	वाई क्रमांक 54 में 01 नग नलकूप खनन	1.363	21.07.2020	विभागीय मद	पूर्ण	-	-	-
5	वाई क्रमांक 53 में 01 नग नलकूप खनन	1.363	21.07.2020	विभागीय मद	पूर्ण	-	-	-
6	दीनदयाल कालोनी के पास 01 नग नलकूप खनन	1.363	21.07.2020	विभागीय मद	पूर्ण	-	-	-
7	कपिल नगर जबड़ापारा में 01 नग नलकूप खनन कार्य	1.363	29.07.2020	विभागीय मद	पूर्ण	-	-	-
8	जिला अस्पताल में 01 नग नलकूप खनन	1.198	16.10.2020	विभागीय मद	पूर्ण	-	-	-
9	शासकीय आवास ई-2/4 में 01 नग नलकूप खनन	1.363	07.12.2020	विभागीय मद	पूर्ण	-	-	-
10	बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न स्थानों में 150 मि.मी. व्यास के 90 मीटर गहरे कांभेशन मशीन से 15 नग नलकूप का खनन	23.87	26.12.2020	सी.एस.आर. मद	10 नग	05 नग	-	-

क्र.	स्वीकृत कार्य का विवरण	स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	स्वीकृति दिनांक	मद	स्वीकृत कार्य वर्तमान स्थिति			रिमांक
					पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	नगर निगम बिलासपुर स्थित व्यापार विहार, मालधक्का, पानी टंकी वार्ड 29 में पेयजल आपूर्ति हेतु आर.ओ. प्लांट एवं स्वीच रूम स्थापना का कार्य ।	25.00	11.08.2021	खनिज न्यास मद	-	स्वीच रूम कार्य प्रगतिरत	आर.ओ. प्लांट,	स्वीकृत राशि अंतर्गत आबंटन अप्राप्त, आर.ओ. प्लांट की निविदा स्वीकृत, कार्यादेश स्वीच रूम का कार्य पूर्ण होने के उपरांत किया (1) व्यापार विहार पानी टंकी वार्ड 29 में स्विच रूम का कार्य 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण (2) मालधक्का में स्विच रूम हेतु स्थल विलम्ब से मिलने के कारण
12	आवासीय फारेस्ट कालोनी में आर.सी.सी. उच्च स्तरीय टंकी एवं पाईप लाईन का कार्य	17.00	02.03.2022	अन्य विभाग डिपार्जिट मद	-	प्रगतिरत	-	35% कार्य पूर्ण


अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य प्रांजिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

परिशेष - छत्तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 1500) की जानकारी

प्रपत्र -

क्र.	वनमण्डल का नाम	कैलेण्डर वर्ष	मद का नाम	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत कार्य संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)	लागत राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति		
								पूर्ण कार्य संख्या	प्रगतिरत कार्य संख्या	अप्रारंभ कार्य संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रायगढ़	2021	विभागीय	वन मार्ग उन्नयन सड़क निर्माण	3	31.17	31.17	3	0	0
2	रायगढ़	2021	कैम्पा मद	मुरुम सड़क निर्माण कार्य	1	10.80	10.29	1	0	0
3	रायगढ़	2021	कैम्पा मद	डब्ल्यू.डी.एम. सड़क निर्माण कार्य	4	104.19	103.18	4	0	0
4	रायगढ़	2021	मनरेगा मद	मिट्टी मुरुम सड़क निर्माण कार्य	16	603.15	302.50	0	15	1
				रायगढ़ वनमंडल योग:-	24	749.31	447.138	8	15	1
5	धरमजयगढ़	2021	कैम्पा	सड़क (डब्ल्यू.डी.एम. सीमेंट कांक्रिट)	12	259.70	166.50	7	5	0
6	धरमजयगढ़	2021	मनरेगा	मिट्टी मुरुम सड़क निर्माण कार्य	6	106.98	13.07	0	6	0
				धरमजयगढ़ वनमंडल योग:-	18	366.68	179.57	7	11	0
				कैलेण्डर वर्ष 2021 कुलयोग:-	42	1115.99	626.71	15	26	1
7	रायगढ़	2022	विभागीय	वन मार्ग उन्नयन सड़क निर्माण	1	3.00	2.88	1	0	0
8	रायगढ़	2022	कैम्पा मद	डब्ल्यू.डी.एम. सड़क निर्माण कार्य	4	110.23	0.00	0	4	0
9	रायगढ़	2022	कैम्पा मद	मुरुम सड़क निर्माण कार्य	2	26.00	26.00	2	0	0
				रायगढ़ वनमंडल योग:-	7	139.23	28.88	3	4	0
10	धरमजयगढ़	2022	कैम्पा	सड़क (डब्ल्यू.डी.एम. सीमेंट कांक्रिट सड़क)	3	75.50	0.00	0	0	3
11	धरमजयगढ़	2022	मनरेगा	मिट्टी मुरुम सड़क निर्माण कार्य	2	50.99	0.00	0	0	2
				धरमजयगढ़ वनमंडल योग:-	5	126.49	0.00	0	0	5
				कैलेण्डर वर्ष 2022 कुलयोग:-	12	265.72	28.88	3	4	5

क्र.	वनमण्डल का नाम	कैलेण्डर वर्ष	मद का नाम	कार्य का नाम	कुल स्वीकृत कार्य संख्या	स्वीकृत राशि (लाख में)	लागत राशि (लाख में)	कार्य की अद्यतन स्थिति		
								पूर्ण कार्य संख्या	प्रगतिरत कार्य संख्या	अप्रारंभ कार्य संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	रायगढ़	2023 (31 जनवरी 23)	विभागीय	वन मार्ग उन्नयन सड़क निर्माण	3	12.00	11.97	3	0	0
				रायगढ़ वनमंडल योग:-	3	12.00	11.97	3	0	0
				कैलेण्डर वर्ष 2023 कुलयोग:-	3	12.00	11.97	3	0	0
				महायोग:-	57	1393.71	667.56	21	30	6

टीप :- प्रश्नाधीन अवधि में रायगढ़ एवं धरमजयगढ़ वनमंडल के अंतर्गत पुल-पुलिया एवं स्टापडेम का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

परिशेष - सेंटोस

अतारोकेत प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1501) की जानकारी

प्रपत्र

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर स्थापना के पूर्ण कार्यों की ग्रामवार जानकारी

क्र.	वितरण केन्द्र का नाम	ग्राम का नाम	ट्रांसफार्मर की क्षमता (केव्हीए)	ट्रांसफार्मर स्थापना की दिनांक
1		बेहरामुडा	63	11.02.23
2		चुहकीमार	63	16.12.22
3	ऐडू	तरेकेला	63	14.02.22
4		छाल	63	09.02.23
5		पोटिया	63	12.12.22
6		बरतापाली	63	11.11.22
7		ओंगना	63	23.12.22
8		सिसरिंगा-02नग	2x63	09.03.23
9		प्रेमनगर	63	10.01.23
10	धरमजयगढ़	बायसी कालोनी	63	15.01.23
11		दुर्गापुर	63	20.01.23
12		तराईमार	63	20.01.23
13		अमृतपुर	63	05.12.22
14		लक्ष्मीनगर	63	10.01.23
15	चरखापारा	चरखापारा	63	09.03.23
16	खम्हार	खम्हार	63	12.01.23
17		खड़गांव	63	08.02.23
18		बंसाझार	63	17.11.22
19		सेमीपाली	63	10.01.23
20	हाटी	सिथरा	63	10.01.23
21		हाटी	63	10.01.23
22		पुरुंगा	63	28.02.23


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, जटल नगर

पारिशेष्य - अड़तीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1506) की जानकारी

प्रपत्र

क.	सी मार्ट का नाम	सी मार्ट के संचालन में रूचि की अभिव्यक्ति ई.ओ.आई. के माध्यम से किन किन संस्थाओं को संचालन की जिम्मेदारी दी गई है	सी मार्ट के संचालन में रूचि की अभिव्यक्ति ई.ओ.आई. के माध्यम से किन किन संस्थाओं को कहां कहां संचालन की जिम्मेदारी दी गई है
1	2	3	4
1	सी मार्ट सुभाष स्टेडियम रायपुर	अवनि आयुर्वेदा प्रा.लि. (गौरव पथ) रायपुर	सुभाष स्टेडियम सी मार्ट रायपुर
1	सी मार्ट नालंदा परिसर रायपुर		नालंदा परिसर सी मार्ट रायपुर
	सी मार्ट अग्रसेन चौक भैसथान रायपुर		अभी ओपनिंग नहीं हुआ है।
2	सी मार्ट धमतरी	श्री दीपक नागवानी सिहावा रोड धमतरी	सी मार्ट धमतरी
3	सी मार्ट राजनांदगांव	होम प्राइवेट 33, वर्धमान नगर राजनांदगांव, 491441	सी मार्ट राजनांदगांव
4	सी मार्ट मुंगेली	पलक इंटरप्राइजेस कोरबा	सी मार्ट मुंगेली
5	सी मार्ट कोरबा	मे. राम सॉ एलाइड प्राइ.लिमि. रायपुर	सी मार्ट कोरबा
6	सी मार्ट जांजगीर	स्टेलेक्स इंडस्ट्रीज, दुर्ग	सी मार्ट कचहरी चौक जांजगीर
7	सी मार्ट बालोद	ज्योति शक्ति स्व सहायता समूह ग्राम-चिचलगाँदी, तह0-गुण्डरदेही, जिला-बालोद	सी मार्ट बालोद
8	सी मार्ट बलरामपुर	उपजाऊ महिला किसान उत्पादक कम्पनी लिमिटेड द्वारा सी मार्ट का संचालन	सी मार्ट बलरामपुर
9	सी मार्ट संभाग स्तरीय जगदलपुर	अवनि आयुर्वेदा प्रा.लि.रायपुर छ0ग0	संभाग स्तरीय सी मार्ट जगदलपुर
10	सी मार्ट गरियाबंद	अवनि आयुर्वेदा प्रा.लि.रायपुर छ0ग0	सी मार्ट वन मण्डल परिसर गरियाबंद


अनुभाग अधिकारी
 प्रामोद्योग विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

पारिशेष - उनतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1538) की जानकारी

प्रपत्र-अ

वर्ष 2022-23 में 15 फरवरी, 2023 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अन्तर्गत गरियाबंद जिला में "डी" श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से कराए गए कार्य की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु. लाख)	कायदेश क्रमांक	दिनांक	अनुबंध का वर्ष	अनुबंध क्रमांक	ठेकेदारों का नाम	भुगतान राशि (रु. लाख में)
1	फिंगेश्वर	पोखरा रेट्रोफिटिंग नलजल	88.78	440	04-04-2022	2022-2023	1	मेसर्स लोकल वेन्चर्स	12.120
2	देवभोग	सोलर आधारित योजना - झाखरपारा (गोड़ीपारा, मालीपारा, पटेलपारा एण्ड पोडपारा)	25.02	442	04-04-2022	2022-2023	2	मेसर्स ए.एस. कन्स्ट्रक्शन	20.772
3	छुरा	गिधनी एकल ग्राम जलप्रदाय	49.99	494	06-04-2022	2022-2023	8	मेसर्स मान्या कन्स्ट्रक्शन	20.031
4	गरियाबंद	कांटीदादर एकल ग्राम जलप्रदाय	66.51	496	07-04-2022	2022-2023	9	मेसर्स एन.डी.	44.395
5	गरियाबंद	डगरीगाँव एकल ग्राम जलप्रदाय	73.44	640	17-05-2022	2022-2023	33	मेसर्स अनुराग केला	41.685
6	देवभोग	गाहेकेला एकल ग्राम जलप्रदाय	92.07	678	25-05-2022	2022-2023	44	मेसर्स नोवा इंटरप्राइजेस	24.00
योग :-			395.81	-	-	-	-	-	163.00

Handwritten Signature
अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

निविदा आमंत्रण सूचना की नियम एवं शर्तें -

1. विभागीय निविदाओं में नियमानुसार भाग लेने वाले ठेकेदार यदि किसी निजी/सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्य किये हैं, तो वे अपने अनुभव प्रमाण पत्र संपादित कार्यक्षेत्र के, संबंधित अधीक्षण अभियंता या उच्च स्तर के कार्यालय में जमा करें। इस प्रकार प्रस्तुत किये गये अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यता की पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा आवश्यक कर लिया जावे तथा यथासंभव जिन कार्यों के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, स्थल निरीक्षण द्वारा इसका सत्यापन भी कर लिया जावे ताकि कार्य की गुणवत्ता एवं आंकलन हो सके। इस प्रकार निजी/सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्रों में किये गये कार्य हेतु विभागीय अधिकारी अधीक्षण अभियंता या उच्च स्तर द्वारा जारी प्रमाण पत्र को संबंधित ठेकेदार निविदा की प्रक्रिया में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे, जिसे निविदा प्रक्रिया में मान्य किया जावेगा।

1. लोक निर्माण विभाग छ.ग. में एकीकृत पंजीयन व्यवस्था-ई रजिस्ट्रेशन में उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन आवश्यक है। तथा ई-टेंडरिंग में भाग लेने हेतु छ.ग. शासन के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल में भी पंजीयन आवश्यक है।

2. कार्य निष्पादन क्षमता:-

- दिनांक 25.08.2021 के पूर्व रु. 100.00 लाख तक के कार्य हेतु बिड कंपैसिटी की गणना की आवश्यकता नहीं होगी।
 - दिनांक 25.08.2021 के पश्चात केवल प्रथम बार निविदा में भाग लेने पर रु. 100.00 लाख तक के कार्य हेतु बिड कंपैसिटी की गणना की आवश्यकता नहीं होगी।
- रु. 100.00 लाख से अधिक अनुमानित लागत हेतु कार्य निष्पादन क्षमता निम्नानुसार होगी

कार्य निष्पादन क्षमता = $3 \times ए \times (एत/12)$ - सी

जहां पर

ए- पिछले 10 वित्तीय वर्षों में किये गये कार्य के वार्षिक टर्न ओवर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी किये गये टर्न ओवर में 10 प्रतिशत अधिभार प्रतिवर्ष सहित में अधिकतम। विगत 10 वर्षों के टर्नओवर की जानकारी सी.ए. द्वारा घोषणा के रूप में जारी किया गया होना चाहिए।

एत- निविदा में कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि महीनों में निविदा में कार्य की अवधि ; वर्षा ऋतु सहित का उल्लेख करते हुए निर्धारित की जावे।

सी- निविदा जारी होने की तिथि तक निविदाकार द्वारा समस्त अनुबंधित ठेकों के शेष कार्यों की लागत 20 प्रतिशत अधिभार प्रतिवर्ष सहित कुल लागत।

किसी भी अनुबंध में माप पुस्तिका में निविदा जारी होने की तिथि तक दर्ज कार्यों को

शेष कार्यों की लागत को अनुबंधवार विवरण, ठेकेदार निविदा हेतु आवेदन करते समय, निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु कार्यवाही इंटेण्डरिंग प्रोसेस में उपयुक्त स्टेज में, न्यूनतम रु. 100.00 राशि के नोटराइज्ड शपथ पत्र जिसकी तिथि निविदा जारी होने के बाद की तिथि में हो। शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से निविदा क्रमांक एवं दिनांक के उल्लेख के साथ दिया जावे एवं फर्म द्वारा समस्त अनुबंधित ठेकों के शेष कार्यों की लागत की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। वह पूरी तरह जांच पड़ताल कर दी जा रही है एवं कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है एवं गलती पाये जाने पर निविदाकार की निविदा हेतु पात्रता निरस्त मानी जावेगी। जिसे वे स्वीकार करने हेतु बाध्य होंगे। निविदाकार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्क इन हैंड की राशि अनिवार्य रूप से उल्लेखित किया गया हो। वर्क इन हैंड की सूची अनुबंधवार लागत सहित नोटरी द्वारा प्रमाणित हो।

2. स्वयं के नाम पर अथवा फर्म/कंपनी के नाम पर कार्य का निविदाकार को अनुभव होना चाहिए। जिस कार्य का अनुभव निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, उस कार्य का कार्यदेश की तिथि, निविदा जारी होने की तिथि से विगत 10 वित्तीय वर्ष के भीतर का हो।

अनुभव के परीक्षण हेतु अनुभव प्रमाण पत्र ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की जावेगी।

निविदा में दर्शित कार्यों की मात्रा के राणना का आंकलन निम्नानुसार होगा:-

विगत दस वर्षों में:-

पाईप लाईन कार्य:-

2.1 यू.पी.व्ही.सी. पाईप लाईन:

- (1) 7500 मी. तक की लंबाई के कार्य हेतु केवल उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन आवश्यक होगा।
- (2) 7500 मी. से अधिक लंबाई के कार्य हेतु यू.पी.व्ही.सी. पाईप लाईन की कुल लंबाई के 25 प्रतिशत कार्य का अनुभव किसी एक अनुबंध में सफलतापूर्वक टेस्टिंग सहित किया जाना आवश्यक होगा।

2.2 डी.आई./सी.आई./एम.एस.पाईप:

- (1) उपरोक्त प्रकार के पाईप लाइन कार्य हेतु अधिकतम 1500 मी. लंबाई एवं अधिकतम 150 मि.मी. व्यास तक के कार्य हेतु केवल उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन आवश्यक होगा।
- (2) 150 मि.मी. से अधिक व्यास के उपरोक्त प्रकार के पाईप लाईन कार्य हेतु निविदा में दर्शित उपरोक्त प्रकार के अधिकतम व्यास के पाईप के आधे व्यास एवं आधी लंबाई के कार्य का सफलता पूर्वक टेस्टिंग सहित अनुभव किसी एक अनुबंध अंतर्गत आवश्यक होगा। इसके साथ ही, निविदा में दर्शित कुल लंबाई के पाईप लाईन कार्य का 25 प्रतिशत कार्य किसी भी एक अनुबंध के अंतर्गत सफलता पूर्वक टेस्टिंग सहित किया जाना अनिवार्य होगा।

2.3 जी.आई.पाईप:

- (1) जी.आई.पाईप लाईन के कार्य हेतु केवल उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन आवश्यक है।

(2) जी.आई.पाईप लाइन के कार्य का अनुभव को किसी अन्य पाईप के कार्य की निविदा हेतु मान्य नहीं किया जावेगा।

वितरण प्रणाली हेतु न्यूनतम व्यास 63 मि.मी. होगा

उच्चस्तरीय जलागार:-

1) उच्चस्तरीय जलागार हेतु निविदा में दर्शित अधिकतम क्षमता के उच्चस्तरीय जलागार की क्षमता का 50 प्रतिशत क्षमता तथा 50 प्रतिशत स्टेजिंग अथवा 10 मीटर दोनों में जो भी अधिक हो, के निर्माण का सफलता पूर्वक पूर्ण करने का अनुभव आवश्यक है।

2) सम्पवेल हेतु निविदा में दर्शित अधिकतम क्षमता के सम्पवेल की क्षमता का 50 प्रतिशत क्षमता के निर्माण अथवा 50 प्रतिशत क्षमता के उच्चस्तरीय जलागार निर्माण का सफलतापूर्वक पूर्ण करने का अनुभव आवश्यक है।

3) 75 कि.ली. तक की क्षमता, 12 मी स्टेजिंग के उच्चस्तरीय जलागार के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन पर्याप्त होगा।

विशेष टीप:-

1. उपरोक्त समस्त कार्यों के लिए निविदाकार द्वारा निविदा में दर्शित अनुसार डिप्लोमा/डिग्री धारी अभियंता के नियुक्ति का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कार्य संपादन की अवधि के दौरान उन्हें किये गये भुगतान से संबंधित बैंक एकाउंट की छायाप्रति प्रत्येक देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

2. विशेष परिस्थितियों में निविदाओं में अर्हता, मापदंड एवं शर्तें शासन से अनुमति पश्चात एस.डब्ल्यू.एस.एम. द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

3. उपरोक्त पात्रता निर्धारण की शर्तों के अनुरूप रुपये 5.00 करोड़ तक की निविदाओं में डी.डब्ल्यू.एस.एम. पात्रता निर्धारण करने में सक्षम होंगे।


अनुभाग अधिकारी
लोक स्वास्थ्य प्राधिकारी विभाग
मंत्रालय, महामंदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशेष - चालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1539) की जानकारी

प्रपत्र-अ

गरियाबंद जिलांतर्गत वर्ष 2022-23 में दिनांक 15.02.2023 तक सीएसपीडीसीएल पेट्रोलिंग कार्य हेतु व्यय राशि की कार्यवार जानकारी

क्रमांक	जिला	संभाग का नाम	वाहन/मेन पावर	आबंटित राशि	व्यय की गई राशि	कार्य का विवरण
1	गरियाबंद	गरियाबंद	वाहन 407 एवं 207	10455000.00	8234729.00	33 एवं 11 के.व्ही. लाईनों के संधारण हेतु उपयोग भण्डार गृह से ट्रांसफॉर्मर आहरण करने हेतु एवं फ्यूज कॉल एवं 11 के.व्ही. लाईनों के संधारण हेतु उपयोग
2			1+2, 1+3, 04	10036397.00	9728021.00	33 एवं 11 के.व्ही. लाईनों के पेट्रोलिंग एवं संधारण हेतु ट्रीकटिंग में उपयोगिता
योग				20491397.00	17962750.00	
1			वाहन 407 एवं 207	2595685.00	2595685.00	नयापारा राजिम संभाग के अंतर्गत गरियाबंद जिला में 06 न. वाहन किराये से उपलब्ध कराने संबंधी कार्य
2	गरियाबंद	नयापारा राजिम	1+2, 1+3, 04	3630385.00	3630385.00	नयापारा राजिम संभाग के अंतर्गत गरियाबंद जिला में 11 न. कुशल एवं 25 न. अकुशल श्रमिक बाह्य स्रोत से उपलब्ध कराने संबंधी
योग				6226070.00	6226070.00	
महायोग				26717467.00	24188820.00	

br
उप सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग
 मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

ii =&c

प्रपत्र-

गरियाबंद जिलातर्गत वर्ष 2022-23 में दिनांक 15.02.2023 तक सीएसपीडीसीएल द्वारा फिल्ड कार्य हेतु व्यय राशि की कार्यवार जानकारी

क्र मां क	संभाग का नाम	योजना	स्वीकृत कार्य						कार्य पूर्ण						
			संख्या			राशि			संख्या			राशि			
			जर्जर/ टूटे पोल बदलने हेतु	मीड स्वान पोल लगाने हेतु	मीटर बदलने हेतु	जर्जर/टूटे पोल बदलने हेतु	मीड स्वान पोल लगाने हेतु	मीटर बदलने हेतु	जर्जर/टूटे पोल बदलने हेतु	मीड स्वान पोल लगाने हेतु	मीटर बदलने हेतु	जर्जर/टूटे पोल बदलने हेतु	मीड स्वान पोल लगाने हेतु	मीटर बदलने हेतु	जर्जर/टूटे पोल बदलने हेतु
1	गरियाबंद	028	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2	गरियाबंद	32D	0	0	1617	0.00	0.00	2686811.00	0	0	1617	0.00	0.00	0.00	26868
3	गरियाबंद	32P	329	146	0	4061715.00	2707810.00	0.00	329	5	0	4061715.00	38998.00	0.00	
4	गरियाबंद	32T	0	0	298	0.00	0.00	14081661.00	0	0	298	0.00	0.00	14081661.00	
	योग		329	146	298	4061715.00	2707810.00	2686811.00	329	5	298	4061715.00	38998.00	14081661.00	26868
1	न. राजिम	028	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2	न. राजिम	32D	0	0	1960	0.00	0.00	800749.05	0	0	1960	0.00	0.00	0.00	8007
3	न. राजिम	32P	175	354	0	625742.01	2729249.00	0.00	175	354	0	625742.01	2729249.00	0.00	
4	न. राजिम	32T	0	0	231	0.00	0.00	5676436.00	0	0	231	0.00	0.00	5676436.00	
	योग		175	354	231	625742.01	2729249.00	800749.05	175	354	231	625742.01	2729249.00	5676436.00	8007
	महायोग		504	500	529	4687457.01	5437059.00	3487560.05	504	359	529	4687457.01	2768247.00	19758097.00	3487
				5110			33370173		4969				30701361		

bh

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उर्जा विभाग
भद्रासय, नवा रायपुर, अटल नगर

पारिशिष्ट - इकतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 1541) की जानकारी

ii =&v

धमतरी जिले अंतर्गत 01 अप्रैल 2021 से 30 जनवरी 2023 तक प्राप्त राशि, व्यय राशि एवं लैप्स राशि की मदवार/वित्तीय वर्षवार जानकारी

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	कार्य का विवरण	प्राप्त राशि	व्यय राशि	लैप्स राशि	रिमाके
1	2	3	4	5	6	7	8
		जल जीवन मिशन	पेयजल प्रदाय योजनाएं, सपोर्ट एवं पेयजल गुणवत्ता एवं निगरानी कार्यक्रम	4804.90	4235.40	0.00	जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्राप्त राशि लैप्स नहीं होता, अपितु आगामी वित्तीय वर्ष में समाहित होता है।
			नलकूप खनन एवं हैण्डपंप स्थापना	586.19	573.79	12.40	
			हैण्डपंप संभारण	170.20	169.04	1.16	
			रनिंग वाटर शाला/आंगनवाड़ी	115.28	115.28	0.00	
			नलजल प्रदाय योजना कार्य	158.24	146.06	12.18	
			भिनीमाता नल कनेक्शन कार्य	6.63	5.75	0.88	
			मेला स्थल में पेयजल व्यवस्था कार्य	8.54	8.53	0.01	
			आई.आर.पी. एवं एफ.आर.पी. स्थापना कार्य	12.00	11.81	0.19	
			योग :-	1057.08	1030.26	26.82	
		नलजल पोषित मद	नलजल योजना	84.13	79.51	0.00	राशि लैप्स नहीं होती, अपितु समाप्त की जाती है।
			नलकूप खनन		25.00	0.00	
			पाईप लाईन	19.58	354.84	0.00	निक्षेप मद के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में रु. 19.58 लाख प्राप्त हुआ है एवं रु. 379.84 लाख व्यय की गई है। जो कि पूर्व वर्षों में प्राप्त राशि से व्यय की गई है। निक्षेप मद के अंतर्गत प्राप्त राशि लैप्स नहीं होता, फलस्वरूप शेष राशि आगामी वित्तीय वर्ष में समाहित है।
			योग :-	19.58	379.84	0.00	
		योग :-		5965.69	5725.01	26.82	

क्र.	वित्तीय वर्ष	मद का नाम	कार्य का विवरण	प्राप्त राशि	व्यय राशि	लेख राशि	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8
		जल जीवन मिशन	पेयजल प्रदाय योजनाएं, सफाई एवं पेयजल गुणवत्ता एवं निगरानी कार्यक्रम	10913.78	10235.90	0.00	-
			नलकूप खनन एवं हैण्डपंप स्थापना	226.59	188.45	0.00	-
			हैण्डपंप संधारण	118.66	104.03	0.00	-
			रनिंग वाटर शाला/आंगनवाडी	181.00	144.7	0.00	-
		राज्य मद	नलजल प्रदाय योजना कार्य	7.00	1.25	0.00	-
			रैन वाटर हार्विस्टिंग कार्य	3.72	0.00	0.00	-
			मेला स्थल में पेयजल व्यवस्था कार्य	8.90	8.75	0.00	-
			योग :-	545.87	447.18	0.00	-
		नलकूप खनन			72.84	0.00	
		पाईप लाईन		50.68	230.63	0.00	
		योग :-		50.68	303.47	0.00	
		योग:-		11510.33	10986.55	0.00	
		महायोग:-		17476.02	16711.56	26.82	

निकषेप मद के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में रु. 50.68 लाख प्राप्त हुआ है एवं रु. 303.47 लाख व्यय की गई है। जो कि पूर्व वर्षों में प्राप्त शेष राशि से व्यय की गई है।


अनुभाग अधिकारी
 लोक स्वास्थ्य सार्विकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र - ब

01 अप्रैल 2021 से 30 जनवरी 2023 तक की अवधि में एजेंसी एवं विभागीय मशीन (मैकनिकल संकाय) द्वारा किये गये बोर खनन की जानकारी

क्र.	खनित किये गये बोर एजेंसी का नाम	कुल खनित बोर की संख्या	खनित किये गये बोर में सफल की संख्या	खनित किये गये बोर में असफल की संख्या	एजेंसी को व्यय/भगतान की गई राशि (रु. लाख में)	खनित बोर में कम से कम गहराई का प्रावधान (फिट में)
1	2	3	4	5	6	7
1	मे. शंखेश्वर ड्रीलर्स, रायपुर	6	5	1	5.13	
2	मे. धमतरी बोरवेल्स, धमतरी	1	1	0	0.74	
3	मे. आशीष न्यूमेटिक ड्रीलर्स, रायपुर	14	13	1	10.51	
4	मे. दुबे ड्रीलर्स, रायपुर	4	4	0	3.72	295
5	मे. रजा बोरवेल्स, नगरी	10	7	3	6.42	
6	मे. हाइड्रो ड्रीलर्स एण्ड कम्पनी, रायपुर	8	5	3	6.24	
	योग:-	43	35	8	32.76	
7	निक्षेप मद में विभागीय मशीन के माध्यम से खनित किये गये बोर	119	88	31	122.00	250
8	राज्य मद में विभागीय मशीन के माध्यम से खनित किये गये बोर	467	368	99	509.44	
	योग:-	586	456	130	631.44	
	महायोग:-	629	491	138	664.20	


अनुराग अधिकारी
 शीक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन,
 नवा रायपुर, अटल नगर


पॉरीशेष्ट - बयालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 1555) की जानकारी

प्रपत्र

जन सामान्य से प्राप्त शिकायतें, उनके निराकरण तथा लंबित शिकायतों की जिलेवार जानकारी

सं.क्र.	जिला का नाम	प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	लंबित प्रकरणों की संख्या
1	रायपुर	84	14	70
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	33	23	10
3	धमतरी	29	11	18
4	गरियाबंद	127	66	61
5	महासमुंद	264	51	213
6	बिलासपुर	27	26	1
7	जांजगीर-चाम्पा	101	101	0
8	कोरबा	106	40	66
9	मुंगेली	भेंट मुलाकात कार्यक्रम नहीं हुआ है।		
10	रायगढ़	157	148	9
11	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	199	191	8
12	सारंगढ़-बिलाईगढ़	57	50	7
13	सक्ती	11	7	4
14	दुर्ग	18	15	3
15	राजनांदगांव	123	104	19
16	बालोद	186	183	3
17	बेमेतरा	125	91	34
18	कबीरधाम	306	161	145
19	खैरागढ़-छुई खदान -गंडई	भेंट मुलाकात कार्यक्रम नहीं हुआ है।		



20	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी	55	17	38
21	बस्तर	149	132	17
22	नारायणपुर	27	27	0
23	सुकमा	9	8	1
24	कांकेर (उत्तर बस्तर)	185	185	0
25	बीजापुर	1	0	0
26	कोण्डागांव	39	39	0
27	दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर)	407	310	97
28	सरगुजा	171	171	0
29	बलरामपुर	220	220	0
30	जशपुर	483	471	12
31	कोरिया	344	293	51
32	चिरमीरी-मनेन्द्रगढ़ -भरतपुर	143	117	26
33	सूरजपुर	809	809	0


 अनुभाग अधिकारी
 सामान्य प्रशासन विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर,
 नवा रायपुर (छ.ग.)

परोशिष्ट - तिरालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 1562) की जानकारी

५५५

बस्तर वनमंडल, जगदलपुर

जिला बस्तर अंतर्गत धित्रकोट गा. में बनाए गए ऑक्सीजन जोन ग्राम टेकामेटा

क्र	वर्ष	मद	कार्य का नाम	कार्य मात्रा	स्वीकृत राशि	व्यय राशि
1	2007-08	मनरेगा	ऑक्सीजन टेकामेटा पौधारोपण कार्य प्रथम वर्ष	36.215 Hect	1414000.00	1145950.00
2	2007-08	मनरेगा	पहुँच मार्ग निर्माण कार्य	2143 Rmt	519000.00	318950.00
3	2008-09	मनरेगा	ऑक्सीजन टेकामेटा पौधारोपण कार्य द्वितीय वर्ष	36.215 Hect	190000.00	190000.00
4	2010-11	मनरेगा	ऑक्सीजन जोन टेकामेटा पौधारोपण कार्य तृतीय वर्ष	36.215 Hect	650000.00	649143.00
5	2018-19	मनरेगा	ऑक्सीजन जोन टेकामेटा का पुनरुद्धार कार्य	18.323 Hect	440000.00	384172.00
6	2018-19	मनरेगा	लेण्टाना उन्मूलन कार्य	18.323 Hect	68900.00	0.00
7	2018-19	जिला खनिज संस्थान न्यास	प्रवेश द्वार निर्माण कार्य	01 Nos	430000.00	344000.00
8	2018-19	जिला खनिज संस्थान न्यास	पैगोडा निर्माण कार्य क्र 01	01 Nos	151000.00	121000.00
9	2018-19	जिला खनिज संस्थान न्यास	पैगोडा निर्माण कार्य क्र 02	01 Nos	151000.00	121000.00
10	2018-19	जिला खनिज संस्थान न्यास	पैगोडा निर्माण कार्य क्र 03	01 Nos	151000.00	121000.00
11	2018-19	जिला खनिज संस्थान न्यास	पैगोडा निर्माण कार्य क्र 04	01 Nos	151000.00	121000.00
12	2018-19	जिला खनिज संस्थान न्यास	चेनलिक फेंसिंग कार्य	3000 Rmt	5992000.00	4794000.00
13	2018-19	जिला खनिज संस्थान न्यास	सीमेंट कॉंक्रीट पाथवे निर्माण	2 K.m.	2837000.00	2270000.00
14	2018-19	जिला खनिज संस्थान न्यास	तालाब निर्माण	01 Nos	3173000.00	2538000.00
			योग :-		16317900.00	13118215.00

D. S. S.
वन मंडलाधिकारी
बस्तर वनमंडल, जगदलपुर

परोशिष्ट - चवालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 1568) की जानकारी

प्रपत्र-अ

स.क्र.	विधानसभा क्षेत्र	विकासखंड	ग्राम पंचायत	ग्राम	ठेकेदार का नाम	प्रस्तावित घरेलू नल कनेक्शन	प्रदायित घरेलू नल कनेक्शन	वर्ष 2019 से फरवरी 2023 तक व्यय (रु. लाख में)	रिमार्क
1	पंडरिया	कवर्धा	पनेका	पनेका	सोनी टेडर्स कवर्धा	312	312	30.96	पूर्ण
2	पंडरिया	कवर्धा	बिटकुलीखुर्द	फांदातोड	भाविश दुबे कवर्धा	75	30	34.34	प्रगतिरत
3	पंडरिया	कवर्धा	हीरापुर	चुचरंगपुर	भाविश दुबे कवर्धा	78	78	39.97	पूर्ण
4	पंडरिया	कवर्धा	हीरापुर	हीरापुर	हिमालया कन्सट्रक्शन कंपनी बिलासपुर	258	202	18.84	प्रगतिरत
5	पंडरिया	कवर्धा	घिरघोसा	घिरघोसा	हिमालया कन्सट्रक्शन कंपनी बिलासपुर	221	160	13.75	प्रगतिरत
6	पंडरिया	कवर्धा	खपरी	खपरी	हिमालया कन्सट्रक्शन कंपनी बिलासपुर	317	210	7.64	प्रगतिरत
7	पंडरिया	कवर्धा	झिरोनी	झिरोनी	महेन्द्र सिंह खनूजा कवर्धा	337	268	36.64	प्रगतिरत
8	पंडरिया	कवर्धा	कोसमंदा	कोसमंदा	महेन्द्र सिंह खनूजा कवर्धा	476	354	37.70	प्रगतिरत
9	पंडरिया	कवर्धा	बहरमुडा	बहरमुडा	महेन्द्र सिंह खनूजा कवर्धा	463	237	20.00	प्रगतिरत
10	पंडरिया	कवर्धा	झलमला	गोपालभावना	वनीत सिंह छाबडा कवर्धा	220	185	31.57	प्रगतिरत
11	पंडरिया	कवर्धा	झलमला	झलमला	वनीत सिंह छाबडा कवर्धा	376	218	46.43	प्रगतिरत
12	पंडरिया	कवर्धा	गुढा	गुढा	पूरन प्रजापति कवर्धा	188	164	17.62	प्रगतिरत
13	पंडरिया	कवर्धा	बानो	बानो	इंजीनियर कम्बाईन दुर्ग	207	106	11.73	प्रगतिरत
14	पंडरिया	कवर्धा	डेहरी	डेहरी	डी के एस कार्मसियल प्रा.लि.	245	245	36.75	प्रगतिरत
15	पंडरिया	कवर्धा	मरका	मरका	डी के एस कार्मसियल प्रा.लि.	326	308	46.82	प्रगतिरत
16	पंडरिया	कवर्धा	लघान	लघान	पुरूषोत्तम लाल अग्रवाल	240	224	39.54	प्रगतिरत
17	पंडरिया	कवर्धा	दशरंगपुर	दशरंगपुर	संजय अग्रवाल रायपुर	663	500	45.34	प्रगतिरत
18	पंडरिया	कवर्धा	धौराबंद	धौराबंद	संजय अग्रवाल रायपुर	364	200	21.09	प्रगतिरत
19	पंडरिया	कवर्धा	कृतबांधा	कृतबांधा	फोज बिल्डकान	228	150	0.00	प्रगतिरत
20	पंडरिया	कवर्धा	चचेडी	चचेडी	राजेन्द्र कुमार गुप्ता	130	125	31.54	प्रगतिरत
21	पंडरिया	कवर्धा	कोयलारी	कोयलारी	इंजीनियर कम्बाईन दुर्ग	270	260	37.21	प्रगतिरत
22	पंडरिया	कवर्धा	धरमपुरा	धरमपुरा	संजय अग्रवाल रायपुर	400	400	10.41	प्रगतिरत
23	पंडरिया	कवर्धा	ज्ञानपुर	ज्ञानपुर	तुलसी एगो	196	12	0.00	प्रगतिरत
24	पंडरिया	कवर्धा	इंदौरी	इंदौरी	घनश्याम अग्रवाल राजनांदगांव	1582	996	219.72	प्रगतिरत
25	पंडरिया	कवर्धा	बिपतरा	बिपतरा	एगोटैक एजेंसी	196	168	32.77	प्रगतिरत
26	पंडरिया	कवर्धा	बिपतरा	डुनुपार	देवा कन्सट्रक्शन	164	121	35.86	प्रगतिरत
27	पंडरिया	कवर्धा	लिटीपुर	खडसरा	जानेला कलेक्टशन बिलासपुर	107	86	60.89	प्रगतिरत
28	पंडरिया	कवर्धा	बिटकुलीखुर्द	बिटकुलीखुर्द	तिलक राम चंद्रवंशी	228	228	0.00	प्रगतिरत
29	पंडरिया	कवर्धा	तमरुवा	तमरुवा	हिमालय कन्सट्रक्शन कंपनी बिलासपुर	282	70	0.00	प्रगतिरत
30	पंडरिया	कवर्धा	पेड़ा	खैरा	इंजीनियर कम्बाईन दुर्ग	147	106	35.00	प्रगतिरत
31	पंडरिया	कवर्धा	बिरनपुर	बिरनपुर	सोनी टेडर्स कवर्धा	221	197	0.00	प्रगतिरत
32	पंडरिया	कवर्धा	हीरापुर	चोरभडी	महक इन्टरप्राइजेस	172	5	0.69	प्रगतिरत
33	पंडरिया	कवर्धा	घिरघोसा	घोरेवारा	तिलक राम चंद्रवंशी	126	25	0.00	प्रगतिरत
योग						9815	6950	1000.82	
34	पंडरिया	स लोहारा	उडियाकला	उडियाकला	सोनी टेडर्स कवर्धा	65	65	7.52	प्रगतिरत
35	पंडरिया	स लोहारा	बबई	बबई	विजय शुक्ला माकरी कवर्धा	198	176	24.66	प्रगतिरत
36	पंडरिया	स लोहारा	सिधनगढ	सिधनगढ	सुनील कुमार अग्रवाल जांजगीर	301	265	27.76	प्रगतिरत
37	पंडरिया	स लोहारा	गोरखपुरकला	देवदहरा	भाविश दुबे कवर्धा	41	35	20.39	पूर्ण (शेष की आवश्यकता नहीं)
38	पंडरिया	स लोहारा	दैहानडीह	दैहानडीह	भाविश दुबे कवर्धा	81	78	35.06	पूर्ण (शेष की आवश्यकता नहीं)
39	पंडरिया	स लोहारा	हरदी	भीखमपुर	भाविश दुबे कवर्धा	47	47	22.19	पूर्ण
40	पंडरिया	स लोहारा	गोरखपुरखुर्द	उसलापूर	भाविश दुबे कवर्धा	30	30	22.59	पूर्ण
41	पंडरिया	स लोहारा	सिधौरी	रुसे	भाविश दुबे कवर्धा	42	10	23.63	प्रगतिरत
42	पंडरिया	स लोहारा	गोरखपुरकला	गोरखपुरकला	राधेश्याम अग्रवाल धानखम्हरिया	240	187	50.32	प्रगतिरत
43	पंडरिया	स लोहारा	मोहगांव	मोहगांव	राधेश्याम अग्रवाल धानखम्हरिया	288	180	51.84	प्रगतिरत
44	पंडरिया	स लोहारा	रणवीरपुर	रणवीरपुर	राधेश्याम अग्रवाल धानखम्हरिया	111	80	10.41	प्रगतिरत
45	पंडरिया	स लोहारा	भाठकुडेरा	भाठकुडेरा	राधेश्याम अग्रवाल धानखम्हरिया	302	70	5.95	प्रगतिरत

स.क्र.	विधानसभा क्षेत्र	विकासखंड	ग्राम पंचायत	ग्राम	ठेकेदार का नाम	प्रस्तावित घरेलू नल कनेक्शन	प्रदायित घरेलू नल कनेक्शन	वर्ष 2019 से फरवरी 2023 तक व्यय (रु. लाख में)	टिप्पणी
46	पंडरिया	स लोहारा	गेदपुर	गेदपुर	संजय अग्रवाल रायपुर	397	156	22.18	प्रगतिरत
47	पंडरिया	स लोहारा	धरमगढ	धरमगढ	एस.जी.ए. कन्सट्रक्शन कंपनी राजनादगांव	363	231	35.60	प्रगतिरत
48	पंडरिया	स लोहारा	बीरेन्द्रनगर	बीरेन्द्रनगर	एस.जी.ए. कन्सट्रक्शन कंपनी राजनादगांव	265	262	50.67	प्रगतिरत
49	पंडरिया	स लोहारा	लाखाटोला	लाखाटोला	रत्ना खनिज उद्योग रायपुर	219	130	27.69	प्रगतिरत
50	पंडरिया	स लोहारा	कोसमंदा	कोसमंदा	रत्ना खनिज उद्योग रायपुर	180	170	23.90	प्रगतिरत
51	पंडरिया	स लोहारा	बाजार चारभाठा	बाजार चारभाठा	मारुति कन्सट्रक्शन रायपुर	491	470	110.56	पूर्ण (शेष की आवश्यकता नहीं)
52	पंडरिया	स लोहारा	अचानकपुर	अचानकपुर	हादिक कन्सट्रक्शन	273	230	70.02	प्रगतिरत
53	पंडरिया	स लोहारा	डोगरिया	डोगरिया	रिचा कन्सट्रक्शन	309	262	52.14	प्रगतिरत
54	पंडरिया	स लोहारा	दनियाखुर्द	दनियाखुर्द	रामविलास चंद्रवंशी	229	220	24.99	प्रगतिरत
55	पंडरिया	स लोहारा	गांगीबहरा	बुधवारा	लक्ष्मण चंद्रवंशी पंडरिया	109	84	27.68	प्रगतिरत
56	पंडरिया	स लोहारा	नवघटा	नवघटा	सप्तगिरी कन्सट्रक्शन	102	30	0.00	प्रगतिरत
57	पंडरिया	स लोहारा	गगारियाखम्हरिया	गगारियाखम्हरिया	हादिक कन्सट्रक्शन	250	220	58.57	प्रगतिरत
58	पंडरिया	स लोहारा	सेमरिया	सेमरिया	संजय अग्रवाल रायपुर	285	255	0.00	प्रगतिरत
59	पंडरिया	स लोहारा	भगवताटोला	भगवताटोला	अरविद शर्मा	112	110	38.00	प्रगतिरत
60	पंडरिया	स लोहारा	जमुनिया	जमुनिया	विनोद अग्रवाल कवर्धा	288	15	0.00	प्रगतिरत
61	पंडरिया	स लोहारा	भंडारपुर	भंडारपुर	फोर्ज बिल्डकान	142	100	0.00	प्रगतिरत
62	पंडरिया	स लोहारा	गौरमाटी	गौरमाटी	सोनी टेडर्स कवर्धा	365	365	57.51	प्रगतिरत
63	पंडरिया	स लोहारा	रामपुरठाठापुर	रामपुरठाठापुर	राधेश्याम अग्रवाल थानखम्हरिया	864	10	0.00	प्रगतिरत
64	पंडरिया	स लोहारा	गोछिया	गोछिया	राधेश्याम अग्रवाल थानखम्हरिया	483	40	0.00	प्रगतिरत
65	पंडरिया	स लोहारा	सुकतरा	सुकतरा	प्रवीण इलेक्ट्रीकल वर्क	282	256	24.86	प्रगतिरत
66	पंडरिया	स लोहारा	कुरुवा	अमलीडीह	प्रवीण इलेक्ट्रीकल वर्क	70	60	22.01	प्रगतिरत
67	पंडरिया	स लोहारा	बंधी	बंधी	ईजीनियर कम्बाईन दुर्ग	113	100	29.64	प्रगतिरत
68	पंडरिया	स लोहारा	हथलेवा	हथलेवा	राधेश्याम अग्रवाल थानखम्हरिया	419	30	0.00	प्रगतिरत
69	पंडरिया	स लोहारा	सिघौरी	सिघौरी	सोनी टेडर्स कवर्धा	237	100	0.99	प्रगतिरत
70	पंडरिया	स लोहारा	दानीघठोली	दानीघठोली	शंकरा इन्टरप्राइजेस कवर्धा	460	380	1.37	प्रगतिरत
71	पंडरिया	स लोहारा	बीजाबैरागी	बीजाबैरागी	अदिति कन्सट्रक्शन	190	185	65.35	प्रगतिरत
72	पंडरिया	स लोहारा	बगदई	उलट	जय श्री राम कन्सट्रक्शन	95	64	21.70	प्रगतिरत
73	पंडरिया	स लोहारा	दरिगवा	दारगांव	रामविलास चंद्रवंशी	165	165	41.64	प्रगतिरत
74	पंडरिया	स लोहारा	कोसमंदा	मगरवाह	गेन्डे सप्लायर	183	183	0.00	प्रगतिरत
75	पंडरिया	स लोहारा	बडौदाखुर्द	बिसाटोला	प्रकाश चंद्रवंशी	94	90	0.00	प्रगतिरत
76	पंडरिया	स लोहारा	कारेसरा	चिलमखोदरा	मंगल टाईल्स एंड सेनेटरी कवर्धा	83	72	17.32	प्रगतिरत
77	पंडरिया	स लोहारा	बीजाबैरागी	डोमाटोला	रोमन साव	86	60	0.00	प्रगतिरत
78	पंडरिया	स लोहारा	पटपर	रेगाटोला	प्रवीण इलेक्ट्रीकल वर्क	160	100	0.00	प्रगतिरत
79	पंडरिया	स लोहारा	दरिगवा	बिरनपुरखुर्द	मंगल टाईल्स एंड सेनेटरी कवर्धा	180	62	0.00	प्रगतिरत
80	पंडरिया	स लोहारा	गौरझूमर	कोटगांव	राजेन्द्र सिंह सलूजा	132	30	0.00	प्रगतिरत
योग						10421	6520	1126.71	
81	पंडरिया	पंडरिया	सुरजपुरकला	दुल्लापुर	प्रीति कन्सट्रक्शन विलासपुर	110	105	25.48	प्रगतिरत
82	पंडरिया	पंडरिया	बोडतराखुर्द	बोडतराखुर्द	संजय टेडर्स एंड कन्सट्रक्शन	153	136	35.03	पूर्ण (शेष की आवश्यकता नहीं)
83	पंडरिया	पंडरिया	खम्हरिया	खम्हरिया	संजय टेडर्स एंड कन्सट्रक्शन	170	165	10.57	पूर्ण (शेष की आवश्यकता नहीं)
84	पंडरिया	पंडरिया	देवसरा	देवसरा	विजय शुक्ला माकरी कवर्धा	220	215	29.82	पूर्ण (शेष की आवश्यकता नहीं)
85	पंडरिया	पंडरिया	सुकलीगोविंद	सुकलीगोविंद	विजय शुक्ला माकरी कवर्धा	395	150	19.37	प्रगतिरत
86	पंडरिया	पंडरिया	खैरातुलसी	खैरातुलसी	विजय शुक्ला माकरी कवर्धा	181	180	35.01	प्रगतिरत
87	पंडरिया	पंडरिया	नेउरगांव	तोरला	विजय शुक्ला माकरी कवर्धा	208	55	0.00	प्रगतिरत
88	पंडरिया	पंडरिया	पुसेरा	पुसेरा	पी एन इन्टरप्राइजेस बिलासपुर	246	150	9.63	प्रगतिरत
89	पंडरिया	पंडरिया	जंगलपुर	जंगलपुर	पी एन इन्टरप्राइजेस बिलासपुर	380	110	10.70	प्रगतिरत
90	पंडरिया	पंडरिया	सैगोनाडीह	सैगोनाडीह	सप्तगिरी कन्सट्रक्शन	300	150	12.51	प्रगतिरत
91	पंडरिया	पंडरिया	दामापुर	पंचधार	अर्चना इन्टरप्राइजेस बिलासपुर	25	25	20.85	पूर्ण

स.क्र.	विधानसभा क्षेत्र	विकासखंड	ग्राम पंचायत	ग्राम	ठेकेदार का नाम	प्रस्तावित घरेलू नल कनेक्शन	प्रदायित घरेलू नल कनेक्शन	वर्ष 2019 से फरवरी 2023 तक व्यय (रु. लाख में)	रिमांक
92	पंडरिया	पंडरिया	कोयलारीकला	आमादाह	अर्चना इन्टरप्राइजेस बिलासपुर	27	27	20.99	पूर्ण
93	पंडरिया	पंडरिया	अमानिया	बसुलालोट	अर्चना इन्टरप्राइजेस बिलासपुर	19	19	26.64	प्रगतिरत
94	पंडरिया	पंडरिया	झिरियाखुर्द	सारूपारा	अर्चना इन्टरप्राइजेस बिलासपुर	11	11	18.38	पूर्ण
95	पंडरिया	पंडरिया	गांगपुर	पडरीपथरा	अर्चना इन्टरप्राइजेस बिलासपुर	70	54	23.23	प्रगतिरत
96	पंडरिया	पंडरिया	झिगराडोगरी	बिरेनवाह	अर्चना इन्टरप्राइजेस बिलासपुर	34	34	21.50	पूर्ण
97	पंडरिया	पंडरिया	लिम्हईपुर	करपीगोडान	अर्चना इन्टरप्राइजेस बिलासपुर	57	57	11.84	प्रगतिरत
98	पंडरिया	पंडरिया	बाघामुडा	बाघामुडा	महामाया कन्सट्रक्शन कंपनी पंडरिया	337	330	50.69	प्रगतिरत
99	पंडरिया	पंडरिया	धुदुरकुंडी	धुदुरकुंडी	महामाया कन्सट्रक्शन कंपनी पंडरिया	261	240	52.60	प्रगतिरत
100	पंडरिया	पंडरिया	सैहामालगी	सैहामालगी	महामाया कन्सट्रक्शन कंपनी पंडरिया	330	310	46.77	प्रगतिरत
101	पंडरिया	पंडरिया	दुल्लापुर	दुल्लापुर	महामाया कन्सट्रक्शन कंपनी पंडरिया	188	185	34.67	पूर्ण (शेष की आवश्यकता नहीं)
102	पंडरिया	पंडरिया	नेउरगांव	नेउरगांव	महामाया कन्सट्रक्शन कंपनी पंडरिया	194	180	30.83	प्रगतिरत
103	पंडरिया	पंडरिया	कुंवामालगी	कुंवामालगी	महामाया कन्सट्रक्शन कंपनी पंडरिया	143	130	27.73	प्रगतिरत
104	पंडरिया	पंडरिया	डोगरियाखुर्द	डोगरियाखुर्द	संजय अग्रवाल रायपुर	307	257	29.86	प्रगतिरत
105	पंडरिया	पंडरिया	दामापुर	दामापुर	संजय अग्रवाल रायपुर	258	170	0.00	प्रगतिरत
106	पंडरिया	पंडरिया	रेगाबोड	रेगाबोड	संजय अग्रवाल रायपुर	271	171	22.27	प्रगतिरत
107	पंडरिया	पंडरिया	ओडाडबरी	ओडाडबरी	आरना कन्सट्रक्शन बिलासपुर	261	220	29.66	प्रगतिरत
108	पंडरिया	पंडरिया	रेहुटाखुर्द	रेहुटाखुर्द	आरना कन्सट्रक्शन बिलासपुर	321	270	35.77	प्रगतिरत
109	पंडरिया	पंडरिया	प्रतापपुर	प्रतापपुर	आरना कन्सट्रक्शन बिलासपुर	258	245	29.88	प्रगतिरत
110	पंडरिया	पंडरिया	रांपा	पीपरमाटी	चंद्रकुमार चंद्रसेन सिल्हाटी कवर्था	260	220	37.14	प्रगतिरत
111	पंडरिया	पंडरिया	घोरपेन्डी	घोरपेन्डी	वैभव इन्टरप्राइजेस	216	189	42.90	प्रगतिरत
112	पंडरिया	पंडरिया	महली	महली	वैभव इन्टरप्राइजेस	289	250	31.60	प्रगतिरत
113	पंडरिया	पंडरिया	सुरजपुराकला	सुरजपुराकला	वैभव इन्टरप्राइजेस	200	182	52.87	प्रगतिरत
114	पंडरिया	पंडरिया	कोलेगांव	कोलेगांव	रत्ना खनिज उद्योग रायपुर	197	170	39.02	प्रगतिरत
115	पंडरिया	पंडरिया	कोदवाकला	कोदवाकला	रत्ना खनिज उद्योग रायपुर	271	254	67.56	प्रगतिरत
116	पंडरिया	पंडरिया	रैतापारा	रैतापारा	श्रीवा पम्प रायपुर	400	360	67.82	प्रगतिरत
117	पंडरिया	पंडरिया	गिरधारीकांपा	गिरधारीकांपा	श्रीवा पम्प रायपुर	269	250	36.19	प्रगतिरत
118	पंडरिया	पंडरिया	सेन्हाभाठा	सेन्हाभाठा	सुलभ अग्रवाल राजनादगांव	259	249	46.72	प्रगतिरत
119	पंडरिया	पंडरिया	सोढा	सोढा	सुलभ अग्रवाल राजनादगांव	447	400	95.29	प्रगतिरत
120	पंडरिया	पंडरिया	दशरंगपुर	दशरंगपुर	सुलभ अग्रवाल राजनादगांव	262	242	60.00	प्रगतिरत
121	पंडरिया	पंडरिया	छिरपानी	छिरपानी	सुलभ अग्रवाल राजनादगांव	506	300	20.00	प्रगतिरत
122	पंडरिया	पंडरिया	कामठी	बकेला	गोयल बोरवेलस सूरजपुर	29	29	21.72	पूर्ण
123	पंडरिया	पंडरिया	माठपुर	नागाडबरा	गोयल बोरवेलस सूरजपुर	45	45	18.88	पूर्ण
124	पंडरिया	पंडरिया	कुकदूर	लखनपुर	गोयल बोरवेलस सूरजपुर	83	80	37.87	पूर्ण (शेष की आवश्यकता नहीं)
125	पंडरिया	पंडरिया	चरखुराकला	नवागांवकला	गोयल बोरवेलस सूरजपुर	28	25	17.27	प्रगतिरत
126	पंडरिया	पंडरिया	भेडागढ	पंडरीखार	गोयल बोरवेलस सूरजपुर	35	30	21.43	प्रगतिरत
127	पंडरिया	पंडरिया	सैगोनाडीह	बोधीपारा	गोयल बोरवेलस सूरजपुर	15	15	19.05	प्रगतिरत
128	पंडरिया	पंडरिया	भेडागढ	परसेलखार	गोयल बोरवेलस सूरजपुर	47	47	23.22	पूर्ण
129	पंडरिया	पंडरिया	मोतिमपुर	कुबाखुर्द	गोयल बोरवेलस सूरजपुर	36	32	23.99	प्रगतिरत
130	पंडरिया	पंडरिया	कांदावानी	रुखमोदादर	गोयल बोरवेलस सूरजपुर	89	40	26.64	प्रगतिरत
131	पंडरिया	पंडरिया	माकरी	माकरी	ओम इन्टरप्राइजेस कोरबा	308	280	42.91	पूर्ण (शेष की आवश्यकता नहीं)
132	पंडरिया	पंडरिया	अतारियाखुर्द	अतारियाखुर्द	ओम इन्टरप्राइजेस कोरबा	345	220	44.55	प्रगतिरत
133	पंडरिया	पंडरिया	पलानसरी	पलानसरी	ओम इन्टरप्राइजेस कोरबा	792	682	81.75	प्रगतिरत
134	पंडरिया	पंडरिया	नवागांव हडा	नवागांव हडा	रामविलास चंद्रवंशी	360	350	77.86	प्रगतिरत
135	पंडरिया	पंडरिया	घोरपेन्डी	बसनी	इंजीनियर कम्बाईन दुर्ग	230	219	55.74	प्रगतिरत
136	पंडरिया	पंडरिया	केशलीगोडान	केशलीगोडान	प्रीति कन्सट्रक्शन बिलासपुर	195	183	68.50	प्रगतिरत
137	पंडरिया	पंडरिया	कुम्ही	कुम्ही	संजय अग्रवाल रायपुर	492	240	0.00	प्रगतिरत
138	पंडरिया	पंडरिया	रेगाबोड	बनियानकुबा	चंद्रकुमार चंद्रसेन सिल्हाटी कवर्था	220	45	37.83	प्रगतिरत
139	पंडरिया	पंडरिया	धोबभडी	धोबभडी	संजय अग्रवाल रायपुर	361	145	0.00	प्रगतिरत
140	पंडरिया	पंडरिया	कोदवागोडान	कोदवागोडान	संजय अग्रवाल रायपुर	350	64	0.00	प्रगतिरत

स.क्र.	विधानसभा क्षेत्र	विकासखंड	ग्राम पंचायत	ग्राम	ठेकेदार का नाम	प्रस्तावित घरेलू नल कनेक्शन	प्रदायित घरेलू नल कनेक्शन	वर्ष 2019 से फरवरी 2023 तक व्यय (रु. लाख में)	रिमार्क
141	पंडरिया	पंडरिया	परसवारा	परसवारा	संजय अग्रवाल रायपुर	321	311	0.00	प्रगतिरत
142	पंडरिया	पंडरिया	पडकीकला	बेलमुडा	इंजीनियर कम्बाईन दुर्ग	150	140	30.54	प्रगतिरत
143	पंडरिया	पंडरिया	छितापारकला	छितापारकला	प्रीति कन्सट्रक्शन बिलासपुर	195	175	32.09	प्रगतिरत
144	पंडरिया	पंडरिया	खन्हरिया	अखरा	प्रीति कन्सट्रक्शन बिलासपुर	145	135	30.60	प्रगतिरत
145	पंडरिया	पंडरिया	पाढी	पाढी	महामाया कन्सट्रक्शन कंपनी पंडरिया	450	441	114.02	प्रगतिरत
146	पंडरिया	पंडरिया	किशुनगढ	किशुनगढ	वैभव इन्टरप्राइजेस	610	181	46.83	प्रगतिरत
147	पंडरिया	पंडरिया	मोहगांव	मोहगांव	जैनम कन्सट्रक्शन	320	318	16.15	प्रगतिरत
148	पंडरिया	पंडरिया	बघरा	बघरा	मां दुर्गा कन्सट्रक्शन	300	203	33.34	प्रगतिरत
149	पंडरिया	पंडरिया	खन्हरिया	गुझेटा	करण मिश्रा	120	97	31.89	प्रगतिरत
150	पंडरिया	पंडरिया	पंडरीकला	पंडरीकला	डी के एस कार्मसियल प्रा.लि.	348	302	43.90	प्रगतिरत
151	पंडरिया	पंडरिया	कापादाह	कापादाह	संजय अग्रवाल रायपुर	385	300	63.07	प्रगतिरत
152	पंडरिया	पंडरिया	बदना	बदना	एस.जी.ए. कन्सट्रक्शन कंपनी राजनादगांव	407	180	47.85	प्रगतिरत
153	पंडरिया	पंडरिया	भरेवापारा	भरेवापारा	जलवा स्टोन क्रसिंग इन्डस्ट्रीज	250	207	29.77	प्रगतिरत
154	पंडरिया	पंडरिया	चतरी	मंगली	महामाया कन्सट्रक्शन कंपनी पंडरिया	190	100	72.27	प्रगतिरत
155	पंडरिया	पंडरिया	कुई	कुई	सोनी टेडर्स कवर्धा	428	90	51.75	प्रगतिरत
156	पंडरिया	पंडरिया	चतरी	चतरी	विनय कुमार	230	50	0.00	प्रगतिरत
157	पंडरिया	पंडरिया	रुसे	रुसे	एस.जी.ए. कन्सट्रक्शन कंपनी राजनादगांव	790	502	101.61	प्रगतिरत
158	पंडरिया	पंडरिया	पौनी	पौनी	एस.जी.ए. कन्सट्रक्शन कंपनी राजनादगांव	450	292	71.10	प्रगतिरत
159	पंडरिया	पंडरिया	खेरझिटीपुराना	खेरझिटीपुराना	जलेश्वर साहू	250	150	0.00	प्रगतिरत
160	पंडरिया	पंडरिया	कुकदर	कुकदर	संजय अग्रवाल रायपुर	350	182	0.00	प्रगतिरत
161	पंडरिया	पंडरिया	अमलडीहा	अमलडीहा	मां दुर्गा कन्सट्रक्शन	426	303	45.61	प्रगतिरत
162	पंडरिया	पंडरिया	मोहतराकला	मोहतराकला	जय बाबा बैजनाथ कन्सट्रक्शन	398	389	60.59	प्रगतिरत
163	पंडरिया	पंडरिया	खरहडा	केशलमरा	आई पी पटेल	195	150	31.28	प्रगतिरत
164	पंडरिया	पंडरिया	छितापारकला	केशलीखुर्द	प्रीति कन्सट्रक्शन बिलासपुर	150	144	55.06	प्रगतिरत
165	पंडरिया	पंडरिया	कुंडा	कुंडा	संजय अग्रवाल रायपुर	710	509	76.13	प्रगतिरत
166	पंडरिया	पंडरिया	लाडंगपुर	लाडंगपुर	महामाया कन्सट्रक्शन कंपनी पंडरिया	172	160	60.59	प्रगतिरत
167	पंडरिया	पंडरिया	मोहतराखुर्द	मोहतराखुर्द	महामाया कन्सट्रक्शन कंपनी पंडरिया	246	200	0.00	प्रगतिरत
168	पंडरिया	पंडरिया	चारभाठाखुर्द	चारभाठाखुर्द	महामाया कन्सट्रक्शन कंपनी पंडरिया	282	50	0.83	प्रगतिरत
169	पंडरिया	पंडरिया	मैनपुरा	मैनपुरा	सनसाईन इन्टरप्राइजेस रायपुर	257	200	37.68	प्रगतिरत
170	पंडरिया	पंडरिया	सेमरकोना	सेमरकोना	प्रीति कन्सट्रक्शन बिलासपुर	213	202	70.16	प्रगतिरत
171	पंडरिया	पंडरिया	पवरजली	पवरजली	प्रीति कन्सट्रक्शन बिलासपुर	186	191	36.70	प्रगतिरत
172	पंडरिया	पंडरिया	सोमनापुरा	सोमनापुरा	प्रीति कन्सट्रक्शन बिलासपुर	271	252	50.69	प्रगतिरत
173	पंडरिया	पंडरिया	अमनिया	अमनिया	ओम इन्टरप्राइजेस कोरबा	291	250	84.14	प्रगतिरत
174	पंडरिया	पंडरिया	अधियाखोर	अधियाखोर	शंकरा इन्टरप्राइजेस कवर्धा	480	300	83.13	प्रगतिरत
175	पंडरिया	पंडरिया	मझोली	मझोली	सनसाईन इन्टरप्राइजेस रायपुर	280	150	35.15	प्रगतिरत
176	पंडरिया	पंडरिया	सोमनापुर	मोतेसरा	संजय टेडर्स एंड कन्सट्रक्शन	89	70	0.00	प्रगतिरत
177	पंडरिया	पंडरिया	कामठी	कामठी	शंकरा इन्टरप्राइजेस कवर्धा	318	300	85.10	प्रगतिरत
178	पंडरिया	पंडरिया	बाघरायटोला	बाघरायटोला	लक्ष्मण चंद्रवंशी पंडरिया	211	202	68.27	प्रगतिरत
179	पंडरिया	पंडरिया	बूचीपारा	दलपी	महामाया कन्सट्रक्शन कंपनी पंडरिया	134	110	0.00	प्रगतिरत
180	पंडरिया	पंडरिया	सोनपुरी	तेदुवाडीह	रसीद अहमद खान	230	100	0.00	प्रगतिरत
181	पंडरिया	पंडरिया	पुटपूटा	पुटपूटा	रसीद अहमद खान	228	60	0.00	प्रगतिरत
182	पंडरिया	पंडरिया	कोयलारीकांपा	कोयलारीकांपा	डी के एस कार्मसियल प्रा.लि.	307	100	22.00	प्रगतिरत
183	पंडरिया	पंडरिया	पोलमी	पोलमी	शंकरा इन्टरप्राइजेस कवर्धा	559	489	82.05	प्रगतिरत
184	पंडरिया	पंडरिया	खेलटुकरी	खेलटुकरी	महालक्ष्मी टेडर्स	190	180	42.43	प्रगतिरत
185	पंडरिया	पंडरिया	अमरपुर	मदनपुर	साहू कन्सट्रक्शन	157	157	52.89	प्रगतिरत
186	पंडरिया	पंडरिया	बाघरायटोला	निहालपुर	सौरभ इन्फ्राटेकर प्रायवेट लिमिटेड	116	50	0.00	प्रगतिरत
187	पंडरिया	पंडरिया	झिरियाकला	झिरियाकला	आकाश बिल्डकान	180	100	37.98	प्रगतिरत
188	पंडरिया	पंडरिया	डवरी	बीजाभाठा	विष्णु प्रसाद अग्रवाल बिलासपुर	212	211	48.16	प्रगतिरत
189	पंडरिया	पंडरिया	रमतला	रमतला	ओम इन्टरप्राइजेस कोरबा	309	32	0.90	प्रगतिरत
190	पंडरिया	पंडरिया	दमगढ	दमगढ	शंकरा इन्टरप्राइजेस कवर्धा	337	300	69.56	प्रगतिरत
191	पंडरिया	पंडरिया	सुकलीगोविंद	खुंटा	रिचा कन्सट्रक्शन	218	147	27.49	प्रगतिरत
192	पंडरिया	पंडरिया	दुल्हापुर	बिड़ौरी	पंचराम चंद्रवंशी	110	110	22.29	प्रगतिरत
193	पंडरिया	पंडरिया	दुल्हापुर	भदराली	रिचा कन्सट्रक्शन	95	90	21.04	प्रगतिरत
194	पंडरिया	पंडरिया	प्राणखैरा	प्राणखैरा	श्री सिंगा जी इन्फ्राक्चर सर्विसेस एंड कंपनी	167	167	50.97	प्रगतिरत

स.क्र.	विधानसभा क्षेत्र	विकासखंड	ग्राम पंचायत	ग्राम	ठेकेदार का नाम	प्रस्तावित घरेलू नल कनेक्शन	प्रदायित घरेलू नल कनेक्शन	वर्ष 2019 से फरवरी 2023 तक व्यय (रु. लाख में)	रिमार्क
195	पंडरिया	पंडरिया	सरईसेत	सरईसेत	शुभम टेडिंग कंपनी	236	33	0.85	प्रगतिरत
196	पंडरिया	पंडरिया	दशरंगपुर	पुतकीकला	लक्ष्मण चंद्रवंशी पंडरिया	150	105	36.22	प्रगतिरत
197	पंडरिया	पंडरिया	झिरियाखुर्द	झिरियाखुर्द	लक्ष्मण चंद्रवंशी पंडरिया	345	340	68.18	प्रगतिरत
198	पंडरिया	पंडरिया	पोनी	तिलईभाठ	शंकरा इन्टरप्राइजेस कवर्धा	175	170	0.00	प्रगतिरत
199	पंडरिया	पंडरिया	उदका	उदका	पंचराम चंद्रवंशी	201	201	35.03	प्रगतिरत
200	पंडरिया	पंडरिया	पटुवा	जैतपुरी	महालक्ष्मी टेडर्स	92	72	27.74	प्रगतिरत
201	पंडरिया	पंडरिया	पड़कीकला	पड़कीकला	महामाया कन्सट्रक्शन कंपनी पंडरिया	181	15	0.00	प्रगतिरत
202	पंडरिया	पंडरिया	माकरी	दुल्लीपार	स्ट्रक्चर्स	105	100	61.19	प्रगतिरत
203	पंडरिया	पंडरिया	सोनपुरी	सोनपुरी	महामाया कन्सट्रक्शन कंपनी पंडरिया	166	152	47.33	प्रगतिरत
204	पंडरिया	पंडरिया	मुनमुना	मुनमुना	एस एस बिल्डकान	240	203	38.22	प्रगतिरत
205	पंडरिया	पंडरिया	डालामोहा	चियाडांड	शंकरा इन्टरप्राइजेस कवर्धा	157	130	0.00	प्रगतिरत
206	पंडरिया	पंडरिया	डबरी	भैसबोड	श्री सिंगा जी इन्फ्राक्चर सर्विसेस एंड कंपनी	132	125	31.63	प्रगतिरत
207	पंडरिया	पंडरिया	निंगपुर	निंगपुर	स्ट्रक्चर्स	129	80	0.00	प्रगतिरत
208	पंडरिया	पंडरिया	रेहुटाकला	रेहुटाकला	विष्णु प्रसाद अग्रवाल बिलासपुर	211	200	0.00	प्रगतिरत
209	पंडरिया	पंडरिया	पुसेरा	बांधा	विष्णु प्रसाद अग्रवाल बिलासपुर	148	120	0.00	प्रगतिरत
210	पंडरिया	पंडरिया	सिंगपुर	सिंगपुर	महामाया कन्सट्रक्शन कंपनी पंडरिया	130	90	0.00	प्रगतिरत
211	पंडरिया	पंडरिया	खैरझिटीपुराना	घोघराकला	मंगल टाईल्स एंड सेनेटरी कवर्धा	140	90	0.00	प्रगतिरत
212	पंडरिया	पंडरिया	कारीमाटी	कारीमाटी	लक्ष्मण चंद्रवंशी पंडरिया	147	100	0.70	प्रगतिरत
213	पंडरिया	पंडरिया	रोहरा	चारभाठाकला	राजेन्द्र सिंह सलूजा	134	10	0.00	प्रगतिरत
214	पंडरिया	पंडरिया	मोतिमपुर	अलीपुर	संदीप शर्मा	61	50	0.00	प्रगतिरत
215	पंडरिया	पंडरिया	पटुवा	पटुवा	महालक्ष्मी टेडर्स	175	100	0.00	प्रगतिरत
216	पंडरिया	पंडरिया	देवगडिया	देवगडिया	राजेन्द्र सिंह सलूजा	152	75	0.00	प्रगतिरत
217	पंडरिया	पंडरिया	भरेवापारा	करपीकला	देवा कन्सट्रक्शन	87	87	20.46	प्रगतिरत
218	पंडरिया	पंडरिया	खैरडोगरी	खैरडोगरी	शंकरा इन्टरप्राइजेस कवर्धा	215	210	0.00	प्रगतिरत
219	पंडरिया	पंडरिया	झिरियाकला	पुतकीखुर्द	आदि अवि टेडिंग सेन्टर	104	100	0.00	प्रगतिरत
220	पंडरिया	पंडरिया	मोहताराखुर्द	सिरमाडबरी	संदीप शर्मा	91	70	0.00	प्रगतिरत
221	पंडरिया	पंडरिया	रौहा	रौहा	बाला जी कन्सट्रक्शन	113	80	0.00	प्रगतिरत
222	पंडरिया	पंडरिया	रापा	रापा	चंद्रवंशी टेडिंग कंपनी	119	89	0.68	प्रगतिरत
223	पंडरिया	पंडरिया	मलकछरा	मलकछरा	महामाया कन्सट्रक्शन कंपनी पंडरिया	173	90	0.00	प्रगतिरत
224	पंडरिया	पंडरिया	रौहा	देवपुरा	चंद्रवंशी टेडिंग कंपनी	141	35	0.00	प्रगतिरत
225	पंडरिया	पंडरिया	कोयलारीकला	कोयलारीकला	महालक्ष्मी टेडर्स	296	60	0.00	प्रगतिरत
योग						33730	24351	4482.48	
कुल योग:-						53966	37821	6610.01	


अनुभाग अधिकारी
श्रीक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-ब

पंडरिया विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2019 से फरवरी 2023 तक विकासखण्ड वार
व्यय की जानकारी

स.क्र.	विधानसभा क्षेत्र	विकासखंड	वर्ष 2019 से फरवरी 2023 तक व्यय (रु. लाख में)
1	पंडरिया	कवर्धा	1000.82
2		सहसपुर लोहारा	1126.71
3		पंडरिया	4482.48
कुल योग:-			6610.01


अनुभाग अधिकारी
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर

परोशेष्ट - पेंतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 1584) की जानकारी

प्रपत्र

चिप्स में पंजीकृत फर्म/संस्था/वेंडर का नाम एवं भुगतान राशि एवं शेष भुगतान राशि विवरण				
राशि रू. में				
			जनवरी 2020 से फरवरी 2023 तक	
क्रमांक	फर्म/संस्था/वेंडर का नाम	कार्य का नाम	भुगतान की गई राशि	भुगतान हेतु शेष राशि
1	2	3	4	5
1	मेसर्स ई.एण्ड.वाय एल.एल.पी	तकनीकी सलाहकार	14,84,912	-
			3,35,79,689	22,04,558
			8,40,24,135	1,77,49,095
			5,56,842	2,78,421
			59,68,202	32,42,923
			48,09,176	-
			75,03,478	4,94,798
			4,78,92,150	24,84,862
			1,17,40,182	24,94,984
			76,68,335	7,11,857
			-	11,03,949
			20,31,337	1,12,27,379
			7,42,456	-
			-	1,35,75,049
			2,37,03,610	2,16,06,363
			2,64,50,813	2,52,41,093
23,78,810	82,99,718			
59,95,295	-			
26,22,310	64,28,290			
योग			26,91,51,732	11,71,43,339
2	मेसर्स के.पी.एम.जी	तकनीकी सलाहकार	3,63,10,559	17,08,692
			8,63,238	21,762
योग			3,71,73,797	17,30,454
3	मेसर्स पी.डब्ल्यू.सी प्रा. लि.	तकनीकी सलाहकार	18,73,759	7,21,691
			21,00,000	21,05,520
			4,81,61,156	7,99,083
			3,64,22,744	2,93,53,170
योग			8,85,57,659	3,29,79,464

			जनवरी 2020 से फरवरी 2023 तक	
क्रमांक	फर्म/संस्था/वेंडर का नाम	कार्य का नाम	भुगतान की गई राशि	भुगतान हेतु शेष राशि
1	2	3	4	5
4	मेसर्स डेलाईट लिमिटेड	तकनीकी सलाहकार	1,37,96,425	6,32,973
			18,56,140	-
योग			1,56,52,565	6,32,973
5	मेसर्स जी.टी.भारत एल.एल.पी	तकनीकी सलाहकार	3,23,86,696	51,25,976
			2,40,06,403	4,78,77,407
			61,33,996	14,78,420
			1,24,81,764	30,09,276
			42,30,990	43,08,446
			2,62,845	18,39,915
			6,49,227	15,58,671
			1,20,44,108	25,36,942
योग			9,21,96,029	6,77,35,053
6	मेसर्स बी.डी.ओ इन्डिया एल.एल.पी	तकनीकी सलाहकार	44,33,781	47,47,209
			61,46,706	10,39,494
			-	2,57,21,640
योग			1,05,80,487	3,15,08,343
7	मेसर्स फिडबैक इन्फ्रा लिमिटेड	तकनीकी सलाहकार	-	-
			-	-
8	मेसर्स गैल्मैक्स टेक प्रा. लि.	मानव संसाधन	1,15,984	2,91,824
			4,83,43,853	30,39,955
			-	5,50,541
			2,13,112	26,79,982
			27,04,244	12,92,274
			5,74,218	8,93,891
			22,52,152	6,02,504
			1,21,683	6,93,933
1,35,936	2,71,872			
योग			5,44,61,182	1,03,16,776
9	मेसर्स ए.बी.एम कॉलेजवेयर प्रा. लि.	मानव संसाधन	2,78,229	4,55,825
			37,57,855	1,03,52,302
			12,40,750	19,34,630
			-	52,19,940
योग			52,76,834	1,79,62,697

			जनवरी 2020 से फरवरी 2023 तक	
क्रमांक	फर्म/संस्था/वेंडर का नाम	कार्य का नाम	भुगतान की गई राशि	भुगतान हेतु शेष राशि
1	2	3	4	5
10	मेसर्स ओआसीस टेक प्रा. लि.	मानव संसाधन	70,234	3,37,574
			-	12,23,424
योग			70,234	15,60,998
11	मेसर्स ए.ए.ए. टेक्नोलॉजिस लिमिटेड	आई.टी.सर्विसेस	-	-
12	मेसर्स ए.क्यू.एम. टेक्नोलॉजिस प्रा. लि.	आई.टी.सर्विसेस	-	-
13	मेसर्स अतिषय लिमिटेड	आई.टी.सर्विसेस	-	-
14	मेसर्स सी-नेट इन्फोटेक प्रा. लि.	आई.टी.सर्विसेस	-	-
15	मेसर्स सायबर स्वीफ्ट इन्फोटेक प्रा. लि.	आई.टी.सर्विसेस	-	-
16	मेसर्स दिव्याल टेक्नोलॉजिस प्रा. लि.	आई.टी.सर्विसेस	-	-
17	मेसर्स फॉर्बिनरिस टेक्नोलॉजिस प्रा. लि.	आई.टी.सर्विसेस	-	-
18	मेसर्स फ्यूचरसापेट टेक्नोलॉजिस प्रा. लि.	आई.टी.सर्विसेस	-	-
19	मेसर्स गैलमैक्स टेक प्रा. लि.	आई.टी.सर्विसेस	-	-
20	मेसर्स लरनिंग स्पाईरल प्रा. लि.	आई.टी.सर्विसेस	-	-
21	मेसर्स नेटलिंग सोफ्टवेयर प्रा. लि.	आई.टी.सर्विसेस	-	-
22	मेसर्स सिध्दार्थ इन्फोसोफ्ट ओ.पी.सी. प्रा. लि.	आई.टी.सर्विसेस	-	-
23	मेसर्स स्कीलमाईन टेक्नोलॉजि कनसल्टिंग प्रा. लि.	आई.टी.सर्विसेस	-	-
24	मेसर्स स्पैरो सोफ्टेक प्रा. लि.	आई.टी.सर्विसेस	-	-
25	मेसर्स फॉस्टीजीयम टेक्नोलॉजिस	आई.टी.सर्विसेस	-	-
26	मेसर्स रम्मैया टेक्नोलॉजिस	आई.टी.सर्विसेस	-	-
27	मेसर्स नील डाटा प्रो आई.टी सॉल्युषन्स प्रा. लि.	आई.टी.सर्विसेस	6,18,38,075	1,19,09,361
योग			6,18,38,075	1,19,09,361
28	मेसर्स सीलवर टच टेक्नोलॉजिस लि.	आई.टी.सर्विसेस	9,27,787	-
योग			9,27,787	-
कुल योग			63,58,86,381	29,34,79,458


अनुभाग अधिकारी
 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
 मंत्रालय, नवा रावपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - छियालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 1605) की जानकारी

प्रपत्र -अ

(राशि करोड़ में)

ऋण के स्रोत/ संस्था का नाम	16 दिसंबर 2018 की स्थिति में शेष ऋण
भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार उधार	29,052
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	20
भारतीय सामान्य बीमा निगम से ऋण	2
राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	4,021
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बाण्ड	919
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	8
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि	5,073
केन्द्र सरकार के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट ऋण/ विश्व बैंक से ऋण/ जीएसटी ऋण/ अन्य ऋण	2,601
योग-	41,695

प्रपत्र- ब

(राशि करोड़ में)

प्रश्नांकित अवधि में लिये गये ऋणों का संस्थावार विवरण

ऋण के स्रोत/ संस्था का नाम	लिया गया ऋण				
	जनवरी- मार्च, 2019	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (फरवरी 2023 तक)
भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार उधार	10,400	11,680	13,000	4,000	-
राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	355	970	935	1,104	597
केन्द्र सरकार के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट ऋण/ विश्व बैंक से ऋण/ जीएसटी ऋण/ अन्य ऋण	8	279	3,620	5,777	1,997
योग-	10,763	12,929	17,555	10,881	2,594

प्रपत्र-स

(राशि करोड़ में)

ऋण के स्रोत/ संस्था का नाम	1 जनवरी 2019 से मार्च 2019 तक	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (फरवरी 2023 तक)
बाजार से ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से) का ब्याज	790	3,335	4,103	4,697	3,804
राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण का ब्याज	0	288	686	200	140
केन्द्र सरकार के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट ऋण/ विश्व बैंक से ऋण/ जीएसटी ऋण/ अन्य ऋणों का ब्याज	31	142	119	86	126
अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋणों का ब्याज	762	1,206	725	1,160	767
योग-	1,583	4,970	5,633	6,144	4,837
महायोग-	23,168				

परिशिष्ट - सैतालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 1618) की जानकारी

प्रपत्र

दिनांक 01/04/2020 से फरवरी, 2023 तक बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के उद्योगों की पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन की जांच के संबंध में जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	निरीक्षण दिनांक	जांच के दौरान पायी गयी स्थिति	की गयी कार्यवाही
1	2	3	4	5
1.	मेसर्स संभवी एनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नवागांव गतौरी, तहसील-बिलासपुर, जिला-बिलासपुर	28/11/2022	उद्योग का बाउण्ड्रीवाल कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाया गया, गारलेण्ड ड्रेन का उचित रख-रखाव नहीं किया जाना पाया गया। हाऊस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को सुधारात्मक कार्यवाही हेतु दिनांक 28/11/2022 को नोटिस प्रेषित किया गया।
		20/02/2023	उद्योग बंद पाया गया। उद्योग द्वारा पत्र के परिपेक्ष्य में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया।	उद्योग को आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही के उपरांत ही उद्योग पुनः आरंभ किये जाने हेतु पत्र दिनांक 20/02/2023 के द्वारा निर्देशित किया गया।
2.	मेसर्स सत्या पावर एण्ड इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-गतौरी, जिला-बिलासपुर	06/01/2021	निरीक्षण के दौरान स्पंज आयरन यूनिट-01 व 02 दोनों के आपटर बर्निंग चेंबर (ए.बी.सी.) में प्लु गैस का लिकेज एवं हेवी एमीशन अवलोकित किया गया। कोल का स्टार्किंग अच्छी स्थिति में नहीं पायी गई। कोल स्टार्क की ऊंचाई बाउण्ड्री का ऊंचाई से अधिक पायी गई। हाऊसकीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पायी गई।	उद्योग को दिनांक 07/01/2021 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
		20/01/2021	उद्योग को जारी नोटिस के तहत निरीक्षण के दौरान सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	-
		23/02/2022	अपशिष्ट का उचित भण्डारण किया जाना नहीं पाया गया। दूषित जल उपचार संयंत्र का उचित रख-रखाव किया जाना नहीं पाया गया। हाऊसकीपिंग असंतोषजनक पाई गई।	उद्योग को दिनांक 23/02/2022 को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
		14/03/2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	-
3.	मेसर्स इन्दरमणी कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व नाम-फिल मिनरल्स बेनीफिकेशन) ग्राम व पोस्ट-बेलतरा, जिला-बिलासपुर	08/10/2020	मौके पर स्थल में लगभग 40000 टन कोल भण्डारित पाया गया। विंड ब्रेकिंग वाल नहीं बनाया जाना पाया गया। हाऊसकीपिंग व्यवस्था अच्छी नहीं पाई गई। उद्योग के आंतरिक मार्ग का पक्कीकरण किया जाना नहीं पाया गया। स्थल पर लगभग 8-10 नग बैरल (बर्न आयल) में खुले में रखा देखा गया। उद्योग परिसर में कोल तथा ठोस अपशिष्ट के भण्डारण उचित तरीके से नहीं किया जाना पाया गया।	उद्योग को दिनांक 13/10/2020 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस प्रेषित किया गया।
		27/10/2020	कोयले के भण्डारण की ऊंचाई बाण्ड्रीवाल का ऊंचाई से ज्यादा पायी गई। बाण्ड्रीवाल के ऊपर विंड ब्रेकिंग वाल निर्माणाधीन पाया गया। हाऊसकीपिंग व्यवस्था असंतोषजनक पाई गई।	उद्योग को दिनांक 27/10/2020 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत उत्पादन बंद करने बाबत निर्देश प्रेषित किया गया।
		23/12/2020	निरीक्षण दौरान उद्योग बंद पाया गया।	-
		17/05/2021	निरीक्षण दौरान उद्योग बंद पाया गया।	-
		15/06/2021	निरीक्षण दौरान उद्योग बंद पाया गया।	-
		17/06/2022	निरीक्षण दौरान उद्योग बंद पाया गया।	-

(डी.आर.सोन्दापर)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

पारिशिष्ट - अड़तालीस

अतारॉकेत प्रश्न संख्या 38 (क्र. 1622) की जानकारी

प्रपत्र-3

क्र.	जिला का नाम	मद का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृति का विवरण			कार्य की अद्यतन स्थिति		
					कुल स्वीकृत कार्य संख्या	उपलब्ध राशि (लाख में)	पूर्ण कार्य संख्या	अपूर्ण कार्य संख्या	अग्रिम कार्य संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य	31	577.62	30	0	1	
2	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	बिगाडे बांस वनों का सुधार कार्य प्रथम वर्ष	6	16.68	6	0	0	
3	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	सहायक प्राकृतिक पुनरोत्थान कार्य	10	146.05	10	0	0	
4	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	नदीतट वृक्षारोपण कार्य	14	84.44	14	0	0	
5	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	लेप्टाना उन्मूलन कार्य	10	12.96	10	0	0	
6	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	अग्नि सुरक्षा कार्य	74	27.26	74	0	0	
7	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	अग्नि बचाव उपकरण	334	157.39	334	0	0	
8	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	स्ट्राईक फोर्स वाहनों के रखरखाव कार्य	4	12.00	4	0	0	
9	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य	10	9.64	10	0	0	
10	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	मृदा एवं भू-जल संरक्षण कार्य	6	214.37	0	6	0	
11	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	नरवा विकास कार्य (विभिन्न संवहनों का निर्माण)	558904	1751.01	356479	202425	0	
12	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	हाईटेक बेरियर स्थापना	1	7.00	1	0	0	
13	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	ग्राम पंचायत स्तर पर जैव-विविधता पंजी निर्माण कार्य	150	172.50	15	135	0	

क्र.	जिला का नाम	भद का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृति का विवरण		कार्य की अद्यतन स्थिति		
					कुल स्वीकृत कार्य संख्या	उपलब्ध राशि (लाख में)	पूर्ण कार्य संख्या	अपूर्ण कार्य संख्या	आधारम कार्य संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	जियोमेट्रिक सेंटर में कार्यरत जी.आई.एस. एवं काम्यूटर आपरेटर का पारिश्रमिक एवं रखरखाव कार्य	3	6.19	3	0	0
15	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	स्पटा निर्माण कार्य	16	92.00	16	0	0
16	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	वनपाल आवास भवन निर्माण कार्य	2	18.52	0	0	2
17	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	वनरक्षक आवास भवन निर्माण कार्य	1	6.29	0	0	1
18	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	मूलभूत सुविधा विकास कार्य	6	49.30	6	0	0
19	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	प्राकृतिक रूप से हवादार ग्रीन हाउस एवं पीली हाउस का निर्माण कार्य	1	94.41	1	0	0
20	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	मुरुम मार्ग निर्माण कार्य	1	13.00	0	1	0
21	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य	1	31.50	0	1	0
22	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	पानी पाईप लाईन निर्माण कार्य	1	19.56	0	1	0
23	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	150000 मिश्रित पौधा तैयारी	1	30.00	1	0	0
24	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	बीज उत्पादन क्षेत्र में रखरखाव कार्य	4	26.60	4	0	0
25	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण	1	29.07	1	0	0
26	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	घारागाह विकास द्वितीय वर्ष रखरखाव कार्य	3	4.14	3	0	0
27	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	सीसी रोड निर्माण कार्य	1	5.66	1	0	0
28	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	खरपतवार उन्मूलन कार्य	8	27.18	8	0	0
					559004	3642.35	357031	202569	4
कुलयोग बिलासपुर जिला (01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक)									

क्र.	जिला का नाम	मद का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृति का विवरण		कार्य की अद्यतन स्थिति		
					कुल स्वीकृत कार्य संख्या	उपलब्ध राशि (लाख में)	पूर्ण कार्य संख्या	अपूर्ण कार्य संख्या	अप्रारम्भ कार्य संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2022 से दिनांक 15/02/2023 तक	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य	26	203.03	26	0	0
30	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2022 से दिनांक 15/02/2023 तक	सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य	10	24.79	10	0	0
31	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2022 से दिनांक 15/02/2023 तक	नदीतट वृक्षारोपण कार्य	14	11.49	14	0	0
32	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2022 से दिनांक 15/02/2023 तक	लेण्टाना उन्मूलन रखरखाव कार्य	10	2.65	5	5	0
33	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2022 से दिनांक 15/02/2023 तक	अग्नि सुरक्षा कार्य	74	24.86	0	74	0
34	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2022 से दिनांक 15/02/2023 तक	स्ट्राइक फोर्स वाहनों के रखरखाव कार्य	4	12.00	0	4	0
35	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2022 से दिनांक 15/02/2023 तक	संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कार्य	10	10.78	0	10	0
36	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2022 से दिनांक 15/02/2023 तक	नरसा विकास कार्य (विभिन्न संरचनाओं का निर्माण)	131386	938.45	28798	102588	0
37	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2022 से दिनांक 15/02/2023 तक	जियोमेटिक सेंटर में कार्यरत जी.आई.एस. एवं कम्प्यूटर अपरेटर का पारिश्रमिक एवं रखरखाव कार्य	2	4.14	0	2	0
38	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2022 से दिनांक 15/02/2023 तक	पुनर्धर्या अधिकारी कर्मचारी का प्रशिक्षण कार्य	1	21.30	0	1	0
39	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2022 से दिनांक 15/02/2023 तक	लेमरु हथी परियोजना के तहत मिश्रित फलदार वृक्षारोपण	1	35.83	0	1	0
40	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2022 से दिनांक 15/02/2023 तक	वन मितान "जागृति" कार्यक्रम के तहत जागरूकता/प्रशिक्षण कार्य	23	8.25	23	0	0
41	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2022 से दिनांक 15/02/2023 तक	सिंचित मिश्रित वृक्षारोपण रखरखाव कार्य	4	27.44	4	0	0

क्र.	जिला का नाम	मद का नाम	वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृति का विवरण		कार्य की अद्यतन स्थिति			
					कुल स्वीकृत कार्य संख्या	उपलब्ध राशि (लाख में)	पूर्ण कार्य संख्या	अपूर्ण कार्य संख्या	अप्रारंभ कार्य संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
42	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2022 से दिनांक 15/02/2023 तक	100000 मिश्रित पौधा तैयारी	1	20.00	0	1	0	
43	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2022 तक	मूलभूत सुविधा विकास कार्य	4	21.99	0	0	4	
44	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2022 से दिनांक 15/02/2023 तक	खरपतवार उन्मूलन रखरखाव कार्य द्वितीय वर्ष	8	8.80	8	0	0	
45	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2022 से दिनांक 15/02/2023 तक	चारगाह विकास तृतीय वर्ष रखरखाव कार्य	3	4.29	3	0	0	
46	बिलासपुर	कैम्पा	01 अप्रैल 2022 से दिनांक 15/02/2023 तक	निरीक्षण पथ निर्माण कार्य	2	19.50	0	0	2	
कुलयोग : बिलासपुर जिला (01 अप्रैल 2022 से दिनांक 15/02/2023 तक)					131583	1399.59	28891	102686	6	
महायोग : जिला बिलासपुर 01 अप्रैल 2021 से दिनांक 15/02/2023 तक					691187	5041.94	385922	305255	10	

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

क्र.	जिला का नाम	वनमंडल का नाम	मद का नाम	कार्य का नाम	नाला का नाम	शिकायत की तिथि	कार्यवाही का विवरण
							<p>2) मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के आदेश क्र./स्था./197 दि 26.07.2022 के द्वारा श्री मोहम्मद शमीम, वनपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सह बेलगहना एवं आदेश क्रमांक/स्था./198 दिनांक 26.07.2022 के द्वारा श्री र कुमार जोशी, वनरक्षक तत्कालीन परिसर रक्षक छुईया तथा आदेश क्रमांक/स्था./199 दिनांक 26.07.2022 के द्वारा श्री हित कुमार धुव, वनरक्षक तत्कालीन परिसर रक्षक, नवागांव, बेलगहना परिक्षेत्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।</p> <p>मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त के पत्र क्रमांक/स्था./6219 दिनांक 29.08.2022 के द्वारा श्री मोहम्मद शमीम, वनपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक बेलगहना एवं पत्र क्रमांक/स्था./6221 दिनांक 29.08.2022 के द्वारा श्री मुलेश कुमार जोशी, वनरक्षक तत्कालीन परिसर रक्षक छुईया तथा पत्र क्रमांक/स्था./6223 दिनांक 29.08.2022 के द्वारा श्री हित कुमार धुव, वनरक्षक तत्कालीन परिसर रक्षक नवागांव, बेलगहना परिक्षेत्र के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया गया है, जिसे संबंधित दोषी अधिकारी/कर्मचारियों को आरोप पत्र की प्रति प्रदाय कर दिया गया है।</p> <p>दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के द्वारा आरोप पत्र का प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत किया गया है जिस पर निम्नानुसार कार्यवाही किया गया है :-</p> <p>वनमंडल बिलासपुर के क्रमांक/स्था./5007 दिनांक 22.09.2022 माध्यम से श्री विजय कुमार साहू, वनक्षेत्रपाल द्वारा दिनांक 16.09.2022 को प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर मूलतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख रायपुर के द्वारा मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त को प्रेषित किया गया है। वनमंडलाधिकारी बिलासपुर के पत्र क्रमांक/स्था./5189 दिनांक 06.10.2022 के माध्यम से सेवक राम बैगा, वनक्षेत्रपाल (से.नि.) द्वारा दिनांक 23.09.2022 को प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर, वनमंडलाधिकारी बिलासपुर के पत्र क्रमांक/स्था./7277 दिनांक 06.10.2022 के माध्यम से श्री मोहम्मद शमीम, वनपाल (से.नि.) द्वारा दिनांक 16.09.2022 को प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर, वनमंडलाधिकारी बिलासपुर के पत्र क्रमांक/स्था./7281 दिनांक 06.10.2022 के माध्यम से श्री मुलेश कुमार जोशी, वनरक्षक (से.नि.) द्वारा दिनांक 16.09.2022 को प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर एवं वनमंडलाधिकारी बिलासपुर के पत्र क्रमांक/स्था./7279 दिनांक 06.10.2022 के माध्यम से श्री हित कुमार धुव, वनरक्षक (से.नि.) द्वारा दिनांक 15.09.2022 को प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर</p>

प्रपत्र- 1

क्र.	जिला का नाम	वनमंडल का नाम	मद का नाम	कार्य का नाम	नाला का नाम	शिकायत की तिथि	कार्यवाही का विवरण
1	बिलासपुर	बिलासपुर	कैम्पा	नरवा विकास कार्य	कहुआ नाला एवं आमानारा नाला	01/10/2021	<p>राज्य कैम्पा मद अंतर्गत स्वीकृत एपीओ वर्ष 2019-20 व 2020-21 में स्वीकृत नरवा विकास कार्य अंतर्गत कहुआ नाला एवं आमानारा नाला कार्यों में दिनांक 01/10/2021 को भ्रष्टाचार की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त के पत्र क्र. दिनांक 06/10/21 के द्वारा वनमण्डलाधिकारी कोटा को जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया। जिसके तारतम्य में उप वनमण्डलाधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 05/03/22 माध्यम से जाँच प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त शिकायत की जाँच उपरान्त सही पाए जाने पर निम्नानुसार कार्यवाही की गयी :-</p> <p>1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर के आदेश क्रमांक/561 दिनांक 05.08.2022 द्वारा श्री विजय कुमार साहू, वनक्षेत्रपाल तत्कालीन वन परिक्षेत्र अधिका बेलगहना एवं आदेश क्रमांक/560 दिनांक 05.08.2022 के द्वारा श्री सेवक र बैगा, वनक्षेत्रपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक टेगनमाडा, बेलगहना परिक्षेत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन प्रमुख, नया रायपुर के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/9223 दिनांक 13.09.2022 द्वारा श्री सेवक राम बैगा, वनक्षेत्रपाल तत्कालीन परिक्षेत्र सहायक टेगनमाडा बेलगहना परिक्षेत्र एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक/9171 दिनांक 13.09.2022 द्वारा विजय कुमार साहू, वनक्षेत्रपाल तत्कालीन वन परिक्षेत्राधिकारी, बेलगहना विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया गया है। श्री विजय कुमार साहू, वनक्षेत्रपाल प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख नया रायपुर के आदेश क्रमांक/6 दिनांक 30.09.2022 द्वारा निलंबन से बहाल कर वृत्त कार्यालय बिलासपुर आगामी आदेश तक पदस्थ किया गया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक रायपुर के आदेश क्रमांक/653 दिनांक 30.09.2022 द्वारा श्री विजय कुमार साहू, वनक्षेत्रपाल विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु विभागीय जाँच संस्थित करते हैं वनमण्डलाधिकारी कटघोरा को प्रकरण में जांचकर्ता अधिकारी एवं उ वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है।</p>

क्र.	जिला का नाम	वनमंडल का नाम	मद का नाम	कार्य का नाम	नाला का नाम	शिकायत की तिथि	कार्यवाही का विवरण
							<p>पर असहमत होते हुये उनके विरुद्ध विभागीय जांच की अनुशंसा कर मुख्य संरक्षक, विलासपुर वृत्त की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया मुख्य वन संरक्षक विलासपुर वृत्त के आदेश क्रमांक/264 दि. 10.10.2022 द्वारा मोहम्मद शमीम, वनपाल, आदेश क्रमांक/266 दिनांक 10.10.2022 द्वारा श्री मुल् कुमार जोशी, वनरक्षक तथा आदेश क्रमांक/265 दिनांक 10.10.2022 द्वारा हित कुमार धुव, वनरक्षक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु विभागीय ज संस्थित किया गया है।</p>

14/3
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट - उन्चास

अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 1646) की जानकारी

"प्रपत्र-अ"

क्र.	जिला का नाम	राशि (रु. करोड़ में)
(1)	(2)	(3)
1	रायपुर	74.56
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	158.98
3	गरियाबंद	17.71
4	धमतरी	53.15
5	महासमुन्द	39.68
6	राजनांदगांव	117.63
7	कबीरधाम	62.22
8	दुर्ग	171.65
9	बेमेतरा	64.39
10	बालोद	229.12
11	बस्तर	395.57
12	नारायणपुर	140.18
13	उत्तर बस्तर कांकेर	272.40
14	कोण्डागांव	134.34
15	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	642.56
16	सुकमा	243.87
17	बीजापुर	319.40
18	बिलासपुर	262.52
19	मुंगेली	67.42
20	कोरबा	1304.78
21	जांजगीर-चाम्पा	342.28
22	रायगढ़	161.65
23	जशपुर	123.70
24	सरगुजा	52.60
25	बलरामपुर-रामानुजगंज	60.53
26	सूरजपुर	58.65
27	कोरिया	103.94
28	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	61.27


अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग

"प्रपत्र-ब"

क्र.	जिला का नाम	प्राप्त राशि (रु. करोड़ में)	व्यय राशि (रु. करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रायपुर	74.56	45.19
2	बलौदाबाजार-भाटापारा	158.98	158.13
3	गरियाबंद	28.35	13.67
4	धमतरी	53.20	41.46
5	महासमुन्द	39.68	30.44
6	राजनांदगांव	117.75	61.36
7	कबीरधाम	62.23	36.21
8	दुर्ग	171.65	166.24
9	बेमेतरा	64.39	16.01
10	बालोद	229.12	204.79
11	बस्तर	395.57	297.12
12	नारायणपुर	140.18	93.59
13	उत्तर बस्तर कांकेर	272.40	245.33
14	कोण्डागांव	134.34	134.34
15	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	642.56	565.62
16	सुकमा	243.87	141.62
17	बीजापुर	319.40	337.24
18	बिलासपुर	262.52	123.93
19	मुंगेली	67.42	73.16
20	कोरबा	1304.78	1105.41
21	जांजगीर-चाम्पा	342.28	302.35
22	रायगढ़	188.54	159.57
23	जशपुर	123.70	108.35
24	सरगुजा	52.60	44.91
25	बलरामपुर-रामानुजगंज	64.31	64.07
26	सूरजपुर	58.65	62.92
27	कोरिया	106.03	99.95
28	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	62.17	52.15



अनुभाग अधिकारी
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, अटल नगर-492002

परिशेष - पचास

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 1654) की जानकारी

क्र.	समिति का नाम	वर्ष	सामग्री या उपकरण का नाम	निर्माण वर्ष	मद का नाम	कितनी राशि व्यय	एजेंसी का नाम	एजेंसी को कितनी राशि मुगतान किया गया	रिमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राजकट्टा								
			बांस ट्री गार्ड निर्माण			363000.00	53 कडवा श्रमिक	363000.00	—
			मास्क निर्माण कार्य (सिलाई मशीन, कैंची कय)			8720.00	पिताम्बर सेल्स, फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स डोंगरगढ़	8720.00	—
			मास्क निर्माण कार्य (कपडा कय)			600.00	डुकुमचंद मोहनलाल जैन कटपीस केन्द्र डोंगरगढ़	600.00	—
			फायर ब्लोवर कय			81420.00	दीप ट्रेडर्स जनरल आर्टर सत्यायर्स चापा	81420.00	—
2	खुर्सीपार खुर्द	2020-21	सीड बॉल निर्माण (सब्जी प्रजाति के बीजों का कय)	2020-21	वन प्रबंधन समिति के जमा राशि से	89400.00	देवांगन सब्जी बीज मंडार डोंगरगढ़	40000.00	सीडबॉल निर्माण एवं रोपण में मजदूरी व्यय 39400 /—
			उलट निर्माण कार्य (छड, सीमेंट, गिट्टी, रेत कय)			249983.00	विपली एग्रो फारेस्ट्री शेडेपार, महाराष्ट्र	10000.00	—
			योग -			793123.00	लक्ष्मी नारायण डोंगरगढ़	249983.00	—
								753723.00	
		2021-22							
			उलट निर्माण कार्य (छड, सीमेंट, गिट्टी, रेत कय)	2022-23	वन प्रबंधन समिति के जमा राशि से	422384.00	लक्ष्मी नारायण डोंगरगढ़	164571.00	सामग्री परिवहन एवं उलट निर्माण कार्य में मजदूरी व्यय 257813 /—
3	खुर्सीपार खुर्द	2022-23	कम्प्यूटर कय			48233.00	प्रगति कम्प्यूटर एवं मोबाइल डोंगरगढ़	48233.00	
			योग -			470617.00		212804.00	
			कुलयोग -			1263740.00		966527.00	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
संयुक्त वन प्रबंधन नीति विश्लेषण

पारोशेष्ट - इनक्यावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 1660) की जानकारी

प्रपत्र - अ

जिला कोरबा के अंतर्गत स्थापित ताप विद्युत् संयंत्र एवं उनके राखड बाँध तथा राखड बाँध में भण्डारित राखड की मात्रा संबंधी जानकारी

क्र.	ताप विद्युत् संयंत्र का नाम	राखडबाँध का स्थल	राखडबाँध में भण्डारित कुल ऐश की मात्रा
1.	मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड, ताप विद्युत् संयंत्र, जमनीपाली, जिला-कोरबा(छ.ग.)	धनरास राखडबाँध	1056 लाख मीट्रिक टन
2	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, 540 मेगावॉट, ताप विद्युत् संयंत्र बालको नगर, जिला-कोरबा(छ.ग.)	परसाभांठा राखडबाँध	38.97 लाख मीट्रिक टन
	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, 1200 मेगावॉट, ताप विद्युत् संयंत्र बालको नगर, जिला-कोरबा(छ.ग.)	परसाभांठा राखडबाँध	3.29 लाख मीट्रिक टन
4	मेसर्स छ.ग.राज्य विद्युत् उत्पादन कंपनी लि. , कोरबा (पूर्व) डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत् गृह 500 मेगावॉट विद्युत् संयंत्र, कोरबा, जिला-कोरबा(छ.ग.)	पण्डरीपानी राखडबाँध	192.557 लाख मीट्रिक टन
5	मेसर्स छ.ग.राज्य विद्युत् उत्पादन कंपनी लि., 840 मेगावॉट विद्युत् संयंत्र, कोरबा(पश्चिम) कोरबा(छ.ग.)	डगनियाखार, लोतलोता एवं झाबू राखडबाँध	520.12 लाख मीट्रिक टन
	मेसर्स छ.ग.राज्य विद्युत् उत्पादन कंपनी लि., 500 मेगावॉट विद्युत् संयंत्र, कोरबा(पश्चिम) कोरबा(छ.ग.)	डिंडोलभांठा	71.47 लाख मीट्रिक टन
6	मेसर्स लैंको अमरकंटक पावर प्राईवेट लिमिटेड, 600 मेगावॉट विद्युत् संयंत्र, ग्राम-पतादी, तहसील- कोरबा, जिला-कोरबा(छ.ग.) विद्युत् (600 मेगावॉट)	उदयोग परिसर के अंदर ही निर्मित राखडबाँध	63.5 लाख मीट्रिक टन
7	मेसर्स ए.सी.बी.(इंडिया) लि., 270 मेगावॉट विद्युत् संयंत्र, ग्राम- चाकाबुड़ा/ कसईपाली, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा(छ.ग.) विद्युत्	उदयोग परिसर के अंदर ही निर्मित राखडबाँध	6.87 लाख मीट्रिक टन
	मेसर्स ए.सी.बी.(इंडिया) लि., 50+50 मेगावॉट विद्युत् संयंत्र, ग्राम- चाकाबुड़ा/ कसईपाली, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा(छ.ग.) विद्युत्	उदयोग परिसर के अंदर ही निर्मित राखडबाँध	4.10 लाख मीट्रिक टन
8	मेसर्स मारूति क्लीन कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड, 300 मेगावॉट विद्युत् संयंत्र, ग्राम-बांधाखार, तहसील-पाली, जिला-कोरबा(छ.ग.)	उदयोग परिसर के अंदर ही निर्मित राखडबाँध	3.28 लाख मीट्रिक टन
9	मेसर्स एस.व्ही. पावर प्राईवेट लिमिटेड, 60 मेगावॉट विद्युत् संयंत्र, ग्राम-रैकी, तहसील-पाली, जिला- कोरबा(छ.ग.)	राखडबाँध	2.39 लाख मीट्रिक टन

(डी.आर.सोन्टापर)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र - ब

फ्लाई ऐश से भू-भराव के संबंध में प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम एवं पता	शिकायत के संबंध में विवरण	शिकायत प्राप्ति दिनांक	शिकायत के संबंध में की गई कार्यवाही
1	समस्त प्रभावित कृषक, ग्राम-बरबसपुर करर्नाला, जिला-कोरबा	बरबसपुर(करर्नाला) में अवैध राखड डालने पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने एवं किसानों के खेतों में पटे राखड को हटवाने बाबत।	31/05/2022	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 18/10/2022 को स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान किसानों के खेत में जमा राखड को तत्काल हटवाया गया। शिकायत के संबंध में समाधानकारक कार्यवाही पूर्ण होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
2	समस्त ग्रामवासी कुदुरमाल व सरपंच ग्राम पंचायत कुदुरमाल, जिला-कोरबा	फ्लाई ऐश भराव से निस्तार तथा पानी भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है।	20/09/2022	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 19/10/2022 को स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान अनुमति प्राप्त स्थल पर फ्लाई ऐश भराव किया जाना पाया गया। फ्लाई ऐश भराव से आम निस्तार तथा पानी निकासी की व्यवस्था बंद होना नहीं पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
3	श्री अब्दुल नफीस खान अधिवक्ता, कोरबा, जिला-कोरबा	जिला मुख्यालय से 500 मीटर दूर डेगुरनाला पुल के पास मुख्य मार्ग में राखड फैलाने के संबंध में।	27/09/2022	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 12/10/2022 को स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान डेगुरनाला पुल के दोनों तरफ रोड में कहीं भी फ्लाई ऐश का जमाव व बिखराव होना नहीं पाया गया। अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
4	डॉ गुंजलाल राठिया ग्राम सोनपुरी तहसील व जिला कोरबा	ग्राम सोनपुर विकासखण्ड कोरबा जिला कोरबा के मेरे निजी भूमि तालाब के पास राखड फेकने बाबत।	18/10/2022	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 14/11/2022 को स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान पाया गया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा तालाब के समीप दो से तीन हाइवा फ्लाई ऐश डम्प की गई थी, जिसे हटवा लिया गया है। शिकायत के संबंध में समाधानकारक कार्यवाही पूर्ण होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
5	श्री लक्ष्मण दास वैष्णव ग्राम- उरगा, तहसील व जिला- कोरबा	निजी कास्तकारी भूमि से राखड हटाये जाने के संबंध में शिकायत।	13/12/2022	शिकायत के परिपेक्ष्य में दिनांक 01/02/2023 को स्थल निरीक्षण किया गया। शिकायतकर्ता श्री लक्ष्मण दास वैष्णव के निजी भूमि पर एकत्रित फ्लाई ऐश को कृषि भूमि से हटवाया गया। शिकायत के संबंध में समाधानकारक कार्यवाही पूर्ण होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

(डी.आर.सोन्दापर)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

पारिशेष्य - बावन

अतारांकित पत्र संख्या 45 (क्र. 1661) की जानकारी

i z =

// कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, उदयपुर, सरगुजा, छ.ग. //

:: ज्ञापन ::

क्रमांक / 1378 / मु.लि. / 2018 उदयपुर दिनांक 31.12.2018.

प्रति,

कलेक्टर,
सरगुजा।

विषय :- पांचवी अनुसूचित सरगुजा जिले में परसा कोल ब्लॉक हेतु ग्रामसभा की सहमति के बिना गैर कानूनी रूप से किए जा रहे भू-अधिग्रहण को रद्द करने और ग्रामसभा का फर्जी प्रस्ताव तैयार करवाने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही बावत्।

--0--

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ अटल नगर रायपुर से प्राप्त पत्र के अनुक्रम में विषयांकित शिकायत की जानकारी प्राप्त की गई।

जांच के अनुक्रम में सचिव ग्राम पंचायत साल्ही का कथन अंकित किया गया तथा अभिलेख प्राप्त किए गए। पंचायत सचिव श्री छत्रपाल सिंह के द्वारा अपने कथन में बताया गया है कि वह ग्राम पंचायत साल्ही के सचिव के पद पर वर्ष 2009 से पदस्थ है। ग्राम पंचायत साल्ही के अश्रित ग्राम ग्राम हरिहरपुर में दिनांक 24.01.2018 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया था। इस ग्रामसभा में कुल 22 (बाईस) प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जिनमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला खदान के लिए वन/राजस्व भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव भी सामिल है। ग्राम सभा में प्रस्तुत समस्त 22 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

इसी प्रकार श्री छत्रपाल, सचिव ग्राम पंचायत साल्ही के द्वारा बताया गया है कि ग्राम साल्ही में दिनांक 23.01.2018 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया था किन्तु गणपूर्ति नहीं होने के कारण ग्रामसभा स्थगित किया गया। पुनः दिनांक 27.01.2018 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया था। इस ग्रामसभा में कुल 23 प्रस्ताव प्रस्तुत हुए थे जिसमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला खदान के लिए वन/राजस्व भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव भी सामिल था। प्रस्तुत समस्त 23 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

इसी प्रकार पंचायत सचिव श्री गोपाल प्रसाद का कथन भी अंकित किया गया। श्री गोपाल प्रसाद के द्वारा अपने कथन में बताया है कि वह ग्राम पंचायत घाटबर्सा में वर्ष 2016 से पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ है। ग्राम पंचायत घाटबर्सा के आश्रित ग्राम फत्तेपुर में दिनांक 20.07.2017 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया था। किन्तु आवश्यक गणपूर्ति नहीं होने के कारण ग्रामसभा स्थगित किया गया। पुनः दिनांक 26.08.2017 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया तथा इस ग्रामसभा में कुल दो प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। जिनमें वन अधिकार मान्यता पत्रों का अनुमोदन एवं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला खदान के लिए वन/राजस्व भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव रखा गया था। उक्त दोनों ही प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया है।

इसी प्रकार ग्राम घाटबर्सा में दिनांक 24.03.2018 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया था किन्तु गणपूर्ति नहीं होने के कारण ग्रामसभा स्थगित की गई। पुनः दिनांक 22.04.2018 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया था जिसमें मात्र राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला खदान के लिए वन/राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव रखा गया था और प्रस्तुत प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया है।

पंचायत सचिवों का कथन अनुलग्नक- एक के रूप में संलग्न है।

पंचायत सचिवों से आक्षेपित ग्रामसभा के प्रस्ताव पंजी की प्रति प्राप्त की गई। जो अनुलग्नक- दो के रूप में संलग्न है।

तथ्यात्मक प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सन्निहित है।

(प्रभाकर पाण्डेय)
अनुविभागीय दण्डाधिकारी
उदयपुर, सरगुजा

अनुमोदन - संकेत

: : शपथपूर्वक कथन : :

दिनांक 31.12.2018

नाम : श्री छत्रपाल सिंह, आ. श्री घूरसाय, जाति गोंड,
निवासी ग्राम परसा, तहसील उदयपुर,
पेशा- पंचायत सचिव ग्राम पंचायत सालही,
जनपद पंचायत उदयपुर,
जिला सरगुजा, छ.ग.

—0—

मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैं ग्राम पंचायत सालही में दिसम्बर 2009 से पंचायत जघिय के पद पर कार्यरत हूँ। ग्राम सालही के आश्रित ग्राम हरिहरपुर में दिनांक 24.01.2018 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया था। इस ग्रामसभा में कुल 196 व्यक्ति उपस्थित थे। इस ग्रामसभा में कुल बाईस प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जिसमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला खदान के लिए वन/राजस्व भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव भी शामिल था। ग्रामसभा में प्रस्तुत समस्त 22 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

इसी प्रकार ग्राम सालही में दिनांक 23.01.2018 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया था। इस ग्रामसभा में भी गणपूर्ति नहीं होने के कारण ग्रामसभा स्थगित किया गया था। पुनः दिनांक 27.01.2018 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया था। इस ग्रामसभा में कुल तीस प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला खदान के लिए वन/राजस्व भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव भी शामिल था और प्रस्तुत सभी तीस प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया है।

पढ़कर सुनाया / सही स्वीकार।


अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
उदयपुर,
जिला-सरगुजा (छ.ग.)


31/12/18

अनुक्रमणिका - २००

: : शपथपूर्वक कथन : :

दिनांक 31.12.2018

नाम : श्री गोपाल प्रसाद यादव, आ. जाति बरगाह,
 निवासी ग्राम महेशपुर, तहसील उदयपुर,
 देश- पंचायत सचिव ग्राम पंचायत घाटबर्सा,
 जिला सरगुजा, छ.ग.

--0--

मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मैं ग्राम पंचायत घाटबर्सा में जुलाई 2016 से पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। ग्राम घाटबर्सा के आश्रित ग्राम फत्तेपुर में दिनांक 20.07.2017 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया था किन्तु आवश्यक गणपूर्ति न होने के कारण ग्रामसभा स्थगित किया गया। पुनः दिनांक 26.08.2017 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया था। इस ग्रामसभा में कुल 465 व्यक्ति उपस्थित थे। इस ग्रामसभा में दो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जिनमें इन अधिकार मान्यता पत्रों का अनुमोदन तथा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला खदान के लिए वन/राजस्व भूमि के व्यवर्तन का प्रस्ताव भी रखा गया था। उक्त दोनों ही प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

इसी प्रकार ग्राम घाटबर्सा में दिनांक 24.03.2018 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया था। इस ग्रामसभा में भी गणपूर्ति नहीं होने के कारण ग्रामसभा स्थगित किया गया था। पुनः दिनांक 22.04.2018 को ग्रामसभा का आयोजन किया गया था। इस ग्रामसभा में मात्र राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के कोयला खदान के लिए वन/राजस्व भूमि के व्यवर्तन का प्रस्ताव रखा गया था और प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

अनुमोदित अधिकारी (स)
 उदयपुर
 जिला-सरगुजा

ग्राम सभा
ग्राम सभा के

1. ग्राम पंचायत का नाम शोले
 3. समित्तन का स्थान पंचायतघर, पारखरगे

अनुक्रमांक (1)	ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय (2)
	<p>प्रस्ताव क्रमांक - 31 वन अधिकार कृषि जाप हेतु अनुमोदन कीबत ।</p>
	<p>प्रस्ताव क्रमांक - 32 कोल्लमालु छात्राश्रम किने जाये वतुत, अनुपति के सम्बन्धमे ।</p>
	<p>प्रस्ताव क्रमांक - 33 कोल्लमालु - कुलकार एवं औपचारिक शिष्टाचार एवं के उद्देश्य कोल्लमालु -</p>

(Handwritten signature)

स्वान :
 मारीख :

वर्गवाही पंजी
कार्यवृत्त अभिलेख

2. समित्तन की तारीख 27/01/2023 4. समित्तन का समय 09:00
 5. उपस्थित ग्राम सदस्यों की संख्या 50

समित्तन के कार्यवृत्त (3)
<p>31 परतन की जा गयी कि तन अधिकार अनुमोदन, राजन आवाहन प्रकृत अनुपति वन अधिकारी का कारा अनुपति विभागाण निशाने पात्र विभागाण पात्र विभागाण अनुपति बायी के कारा वहा अनुपति शिष्टाचार के जोताई नई ले जा रहा है करत वन अधिकार कृषि जाप के निर्णय हेतु एवं शिष्टाचार अनुपति को स्थल जोराने ली हुयी है अतः उचित कार्यवाही हेतु अनुपति अनुपति प्रस्ताव प्रस्तुत है ।</p>
<p><i>(Handwritten signature)</i> प्रस्तावकर्ता आवाहन अनुपति अनुपति</p>
<p><i>(Handwritten signature)</i> अनुपति अनुपति</p>
<p>ग्राम सभा के वन अधिकार कृषि जाप के का संचालन कर प्रस्ताव के अनुपति अनुपति के लिए अनुपति की अनुपति विभागाण अनुपति अनुपति के वहा अनुपति अनुपति</p>

परिशेष - तेरपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 1679) की जानकारी

प्रपत्र-

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	वनमंडल का नाम	वर्ष	मद का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति का विवरण	
							भौतिक	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	बस्तर	2021-22	कैम्पा	नया विकास कार्य - (छाटेबहार नाला)	1 नाला	68.360
2	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	बस्तर	2021-22	कैम्पा	नया विकास कार्य - (कांगेर नाला)	1 नाला	361.130
3	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	बस्तर	2021-22	कैम्पा	वाटर हार्वस्टिंग कार्य - कक्ष क्र. 1606	01 नग	20.330
4	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	बस्तर	2021-22	सांसद निधि	पावेल से बोदली पहुँच मार्ग - भाग - 01 (सड़क उन्नयन कार्य)	400 रमी.	4.990
5	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	बस्तर	2021-22	सांसद निधि	पावेल से बोदली पहुँच मार्ग - भाग - 02 (सड़क उन्नयन कार्य)	400 रमी.	4.990
6	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	लघु वनापज संघ बस्तर	2021-22	40.2 गोदाव्र निर्माण (50 में टन क्षमता)	वर्किंग शेड निर्माण (मारडुसा बदेरगा)	3 नग	9.750
7	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	लघु वनापज संघ बस्तर	2021-22	40.1 हाट बाजार उन्नयन (25 में टन क्षमता)	वर्किंग शेड निर्माण (लामडागुड़ा)	4 नग	20.000
योग : लोहण्डीगुड़ा विकासखण्ड								489.550
8	चित्रकोट	तोकापाल	बस्तर	2021-22	कैम्पा	नया विकास कार्य - (चित्रघारा नाला)	1 नाला	31.400
योग : तोकापाल विकासखण्ड								31.400
योग : बस्तर वनमंडल								520.950

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	वनमंडल का नाम	वर्ष	मद का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति का विवरण	
							भौतिक	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	चित्रकोट	दरना	अनु० एवं वि० जगदलपुर	2021-22	कैम्पा मद	नरवा विकास योजना - पेदावाड़ा नाला	1 नाला	154.919
योग : अनु० एवं विस्तार वनमंडल जगदलपुर								
कुलयोग : वर्ष 2021-22								
10	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	बस्तर	2022-23 (15.02.2023 तक)	41-4406-4342 सड़के तथा मकान निर्माण कार्य	नारीकोडेर से निरीपारा (डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण कार्य)	2 कि.मी.	30.200
11	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	बस्तर	2022-23 (15.02.2023 तक)	41-4406-4342 सड़के तथा मकान निर्माण कार्य	नारीकोडेर से सांवगेल (डब्ल्यू.बी.एम. सड़क निर्माण कार्य)	1 कि.मी.	15.100
12	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	बस्तर	2022-23 (15.02.2023 तक)	41-2406-6886 वनमार्गों पर सपटा तथा पुलिया निर्माण	नारीकोडेर से निरीपारा (2मी. स्थान पुलिया निर्माण कार्य)	1 नग	6.430
13	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	बस्तर	2022-23 (15.02.2023 तक)	41-2406-6886 वनमार्गों पर सपटा तथा पुलिया निर्माण	नारीकोडेर से सांवगेल (2मी. स्थान पुलिया निर्माण कार्य)	2 नग	12.860
14	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	बस्तर	2022-23 (15.02.2023 तक)	कैम्पा	रायगौदी से सुलेंगा वनमार्ग (04 मी. स्थान पुलिया निर्माण कार्य)	02 नग	13.680
15	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	बस्तर	2022-23 (15.02.2023 तक)	कैम्पा	सुलेंगा से गरवापारा वनमार्ग (04 मी. स्थान पुलिया निर्माण कार्य)	01 नग	6.840
16	चित्रकोट	लोहण्डीगुड़ा	बस्तर	2022-23 (15.02.2023 तक)	कैम्पा	रेखा से बेंगलूर वनमार्ग (04 मी. स्थान पुलिया निर्माण कार्य)	01 नग	6.840

क्र.	विधानसभा क्षेत्र का नाम	विकासखण्ड का नाम	वनमंडल का नाम	वर्ष	मद का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृति का विवरण	
							भौतिक	स्वीकृत राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	बस्तर	2022-23 (15.02.2023 तक)	कैम्पा	घाटर हार्वीस्टिंग कार्य - कक्ष क्र. 1612	01 नग	27.320
18	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	बस्तर	2022-23 (15.02.2023 तक)	कैम्पा	नया विकास कार्य - (छिन्दवहार नाला)	1 नाला	30.920
19	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	बस्तर	2022-23 (15.02.2023 तक)	सांसद निधि	नारायणपुर मुख्यमार्ग से हितामेटा पहुँच मार्ग भाग 01 (सड़क उन्नयन कार्य)	400 र.मी.	5.000
20	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	बस्तर	2022-23 (15.02.2023 तक)	सांसद निधि	नारायणपुर मुख्यमार्ग से हितामेटा पहुँच मार्ग भाग 02 (सड़क उन्नयन कार्य)	400 र.मी.	5.000
21	चित्रकोट	लोहण्डीगुडा	बस्तर	2022-23 (15.02.2023 तक)	डी.एम.एफ.टी. मद	नेवर ट्रेल चित्रकोट (नेवर ट्रेल में प्रसाधन हेतु पाईप लाईन विस्तार एवं पानी व्यवस्था)	1 नग	11.500
		योग : लोहण्डीगुडा विकासखण्ड						171.690
22	चित्रकोट	तोकापाल	बस्तर	2022-23 (15.02.2023 तक)	कैम्पा	घाटर हार्वीस्टिंग कार्य - कक्ष क्र. 1638	01 नग	50.320
		योग : तोकापाल विकासखण्ड						50.320
		योग : बस्तर वनमंडल						222.010
		कुलयोग : वर्ष 2022-23 दिनांक 15/02/2023 तक						222.010
		महायोग : चित्रकोट विधानसभा वर्ष 2021-22 से 2022-23 दिनांक 15/02/2023 तक						897.879

6/11/23
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)
छिन्दवहार, नवा रायपुर अटल नगर

पारोशेष्ट - चोवन

अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 1689) की जानकारी

प्रपत्र

रायपुर जिले में दिनांक 01.01.2021 से दिनांक 15.02.2023 तक की अवधि में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण -

क्र.	उद्योग का नाम व पता	निरीक्षण दिनांक	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के परिपालन में पाई गई कमियाँ	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31क के तहत की गई कार्यवाही		अधिसूचित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि (रुपये में)
				नोटिस दिनांक	निर्देश दिनांक	
1.	मेसर्स आशीर्वाद इस्पात उद्योग, प्लाट नं. 36-38, औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	04-01-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	04-01-2021	निरंक	निरंक
		23-01-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
2.	मेसर्स एस.एस. इण्डस्ट्रीज़ प्लाट नं. 610, 611, 620, 621, औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	04-01-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	04-01-2021	निरंक	निरंक
		19-01-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
3.	मेसर्स बांके बिहारी स्टील्स (पूर्व नाम - मेसर्स सुपर इस्पात (रायपुर) प्रा. लिमिटेड) ग्राम सरोरा, रायपुर	04-01-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया।	04-01-2021	निरंक	निरंक
		19-01-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
4.	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड सिलतरा, रायपुर	04-01-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया।	06-01-2021	निरंक	निरंक
		22-02-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
5.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (बैकुंठ सीमेंट वर्क्स), पोस्ट बैकुंठ, जिला रायपुर	06-01-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया।	06-01-2021	निरंक	निरंक
		20-01-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
		07-10-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई। ठोस अपशिष्ट का अपवहन उचित ढंग से नहीं किया जाना पाया गया।	07-10-2022	निरंक	निरंक
		14-11-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
6.	मेसर्स इंडियन स्टील एंड पावर प्रा. लिमिटेड ग्राम चरोदा, मोहदी रोड, सिलतरा, जिला रायपुर	08-01-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया।	08-01-2021	निरंक	निरंक
		04-03-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
		29-09-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	01-10-2021	निरंक	निरंक
		27-10-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
		27-12-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई। ठोस अपशिष्ट का अपवहन उचित ढंग से नहीं किया जाना पाया गया।	28-12-2021	निरंक	निरंक
		24-01-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
		02-11-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	03-11-2022	निरंक	1,60,000/-
		18-11-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	(क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है)
7.	मेसर्स संचुरी स्टील एंड पावर प्रा. लि. ग्राम उरला, जिला - रायपुर	14-01-2021	फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	14-01-2021	निरंक	निरंक
		10-02-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
8.	मेसर्स ए.सी. स्टील्स प्लाट नं.-71/72, सेक्टर 'सी', औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला - रायपुर	19-01-2021	फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	19-01-2021	निरंक	निरंक
		17-02-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
9.	मेसर्स ग्रेविटी ट्रेकिंग प्रा. लिमिटेड ग्राम अछोली, औद्योगिक क्षेत्र उरला के समीप, रायपुर	14-01-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	20-01-2021	निरंक	निरंक
		05-03-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
		06-06-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया	08-06-2022	निरंक	निरंक
		05-07-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
		26-12-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई। ठोस अपशिष्ट का अपवहन उचित ढंग से नहीं किया जाना पाया गया।	27-12-2022	निरंक	75,000/-
		10-01-2023	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	(क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है)

10.	मेसर्स शिवम स्ट्रक्चरल एंड स्टील प्रा. लिमिटेड ग्राम अछोली, कन्हारा रोड, जिला रायपुर	14-01-2021	फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	20-01-2021	निरंक	निरंक
		15-02-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
11.	मेसर्स ईश्वर इस्पात इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, यूनिट-4 प्लॉट नं. 688-693, 716-722, औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	28-01-2021	फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	28-01-2021	निरंक	निरंक
		10-02-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
12.	मेसर्स गैलेक्सी रिसाईक्लिंग प्रा. लिमिटेड प्लॉट नं. 84-बी, 84-सी, 84-ई (पार्ट), औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेज़-2, जिला रायपुर	08-02-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं उत्सर्जन की स्थिति अवलोकित की गई। उद्योग को जारी नोटिस दिनांक 16.02.2021 के संबंध में जवाब प्रस्तुत/आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई।	16-02-2021	12-05-2021	निरंक
		13-07-2021	निर्देश के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
		03-11-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	04-11-2022	निरंक	1,10,000/- (क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है)
		25-11-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
13.	मेसर्स सुनील स्पंज प्रा. लिमिटेड प्लॉट नं. 96, 97, फेज़-2, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर	01-04-2021	फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	01-04-2021	निरंक	निरंक
		28-05-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	-	निरंक	निरंक
14.	मेसर्स श्री श्याम ऑयनर एंड पॉवर प्रा. लिमिटेड प्लॉट नं. 103 (पार्ट) एंड 104, फेज़-2, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर	01-04-2021	फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	01-04-2021	निरंक	निरंक
		08-06-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
		08-11-2021	फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	11-11-2021	निरंक	निरंक
		24-11-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
15.	मेसर्स टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (पूर्व नाम - मेसर्स सिम्प्लेक्स कॉस्टिंग लिमिटेड) उरला इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, जिला रायपुर	01-07-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	03-07-2021	निरंक	निरंक
		17-09-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना शेष है।	निरंक	निरंक	निरंक
		13-11-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई। ठोस अपशिष्ट का अपवहन उचित ढंग से नहीं किया जाना पाया गया।	15-11-2021	निरंक	निरंक
		13-12-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
16.	मेसर्स जी.आर. मिनरल्स एंड इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड (फेरोएलॉय डिवीजन) प्लॉट नं. 92, फेज़-2, सिलतरा ग्रोथ सेंटर, रायपुर	16-07-2021	फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	16-07-2021	निरंक	निरंक
		25-08-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
17.	मेसर्स विप्रेक्षर इस्पात प्रा. लिमिटेड ग्राम चरीदा, ब्लॉक धरसीवा, जिला रायपुर	29-09-2021	फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	01-10-2021	निरंक	निरंक
		28-10-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
18.	मेसर्स छत्तीसगढ़ फेरो ट्रेडर्स (यूनिट-2) प्लॉट नं. 4 एवं 5, ग्राम गोंदवारा, जिला रायपुर	01-10-2021	फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	11-10-2021	निरंक	निरंक
		26-11-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
19.	मेसर्स बिदुब्याय ओवरसीज ग्राम अकौली, मांडर, जिला रायपुर	22-10-2021	एस.ओ.पी. के अनुसार शर्तों का पालन नहीं किया जाना पाया गया।	25-10-2021	निरंक	निरंक
		22-11-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही नहीं किया जाना पाया गया।	निरंक	23-11-2021	निरंक
		07-12-2021	निर्देश के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
20.	मेसर्स शुभ उर्जा प्रा. लिमिटेड ग्राम कुथरेल, धरसीवा, जिला रायपुर	22-10-2021	एस.ओ.पी. के अनुसार शर्तों का पालन नहीं किया जाना पाया गया।	25-10-2021	निरंक	निरंक
		22-11-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही नहीं किया जाना पाया गया।	निरंक	23-11-2021	निरंक
		29-11-2021	निर्देश के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
21.	मेसर्स संकल्प इस्पात (इंडिया) प्रा. लि. ग्राम टाडा, तहसील एवं जिला रायपुर	22-10-2021	एस.ओ.पी. के अनुसार शर्तों का पालन नहीं किया जाना पाया गया।	25-10-2021	निरंक	निरंक
		29-11-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक

33.	मेसर्स महेन्द्रा स्पंज एंड पॉवर लिमिटेड प्लाट नं. 76 एवं 77, फेज़-2, सिलतरा ग्रोथ सेंटर, रायपुर	15-11-2021	फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	16-11-2021	निरंक	निरंक
		06-12-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
34.	मेसर्स श्री श्याम इंगॉट एंड कॉस्टिंग प्रा. लिमिटेड (इण्डकेशन फर्नेस डिवीजन) प्लाट नं. 103, फेज़-2, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर	18-11-2021	फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	23-11-2021	निरंक	निरंक
		16-12-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
35.	मेसर्स प्रोटेक शाईन एंड केयर एलएलपी प्लाट नं. 37 से 43, एवं 62 से 68, औद्योगिक क्षेत्र बरतौरी, तिल्दा, जिला रायपुर	16-12-2021	फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	20-12-2021	निरंक	निरंक
		06-01-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
36.	मेसर्स फॉर्च्यून मेटैलिकस लिमिटेड 23 मार्शलस्टोन, बिलासपुर रायपुर हाईवे, वीपीओ कपसदा, धरसीवा, जिला रायपुर	15-12-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	20-12-2021	निरंक	निरंक
		13-01-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
		29-04-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	05-05-2022	निरंक	निरंक
		28-06-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
		17-08-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	17-08-2022	निरंक	1,50,000/- (क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है)
		25-08-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	
37.	मेसर्स गोल्ड स्टार स्टील्स लिमिटेड प्लाट नं.-52 (पार्ट), औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी, जिला रायपुर	18-12-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	22-12-2021	निरंक	निरंक
		12-01-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
38.	मेसर्स वंदना ग्लोबल लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेज़-2, रायपुर, जिला रायपुर	24-12-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	24-12-2021	निरंक	निरंक
		23-02-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
		14-11-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	17-11-2022	-	2,25,000/- (क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है)
06-12-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक			
39.	मेसर्स सौरभ रोलिंग मिल प्रा. लिमिटेड, यूनिट-2 ग्राम कन्हैरा, अछोली रोड, जिला रायपुर	24-12-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	27-12-2021	निरंक	निरंक
		18-01-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
40.	मेसर्स त्रिदेव इस्पात प्रा. लिमिटेड प्लाट नं. 866-869, औद्योगिक क्षेत्र उरला, जिला रायपुर	27-12-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	29-12-2021	निरंक	निरंक
		14-02-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
41.	मेसर्स ईश्वर पेपर मिल प.ह.नं.-108, खसरा नं.-248/9, गणपति उद्योग के पीछे, नहर रोड, रिग रोड नं.-2, गोंदवारा, जिला रायपुर	14-03-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	15-03-2022	निरंक	निरंक
		06-04-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
42.	मेसर्स महेन्द्रा स्पंज एंड पॉवर लिमिटेड (यूनिट-2) (पूर्व नाम - मेसर्स अर्श ऑपरन एंड स्टील लिमिटेड) ग्राम सरोरा, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर	11-01-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	13-01-2021	निरंक	निरंक
		11-02-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
		09-04-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	11-04-2022	निरंक	निरंक
		16-05-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
		16-01-2023	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	17-01-2023	निरंक	निरंक
		16-02-2023	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक

43.	मेसर्स घनकुन स्टील्स प्रा. लिमिटेड ग्राम सोडा, धरसीवा, तहसील एवं जिला रायपुर	11-05-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया, फ्यूजिटिव उत्सर्जन एवं उचित ठोस अशिष्ट अपवहन व्यवस्था नहीं होने की स्थिति पाई गई।	12-05-2022	निरंक	2,10,000/- (क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है)
		09-06-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	
44.	मेसर्स श्री सोमनाथ ऑयरन एंड पॉवर प्रा. लिमिटेड प.ह.नं.-101/29, खसरा नं.-205/ (1, 7), 212/1, 213, 203 आदि, ग्राम बेन्दी, जिला रायपुर	13-05-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	19-05-2022	निरंक	1,56,250/- (क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है)
		02-06-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	
45.	मेसर्स गोपाल स्पंज एंड पॉवर प्रा. लिमिटेड प.ह.नं.-90, इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर के समीप, फेज़-2, सिलतरा, जिला रायपुर	13-05-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	19-05-2022	निरंक	निरंक
		23-06-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
46.	मेसर्स अग्रवाल स्पंज प्रा. लिमिटेड 91-92, सिलतरा ग्रोथ सेंटर, फेज़- 2, सिलतरा, जिला रायपुर	13-05-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	19-05-2022	निरंक	निरंक
		23-06-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
47.	मेसर्स एम.जे. स्टील प्रा. लिमिटेड, प्लॉट नं.-68, फेज़-2, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, रायपुर, जिला रायपुर	20-05-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	23-05-2022	निरंक	निरंक
		24-06-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
48.	मेसर्स अग्रवाल चैनल मिक्स प्रा. लिमिटेड प्लॉट नं.-34 एवं 35, फेज़-2, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर रायपुर, जिला रायपुर	20-05-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया एवं अत्यधिक उत्सर्जन की स्थिति पाई गई। साथ ही पूर्व में वायु अधिनियम के तहत जारी नोटिस दिनांक 23.05.2022 के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही भी नहीं की गई।	23-05-2022	21-06-2022	निरंक
		24-06-2022	निर्देश के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
49.	मेसर्स भरत भाई पटेल प.ह.नं.-101, खसरा नं.-217/20 (पार्ट), बीरगांव, जिला रायपुर	20-05-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	23-05-2022	निरंक	निरंक
		23-06-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
50.	मेसर्स जोरावर इंजीनियरिंग एंड फाउंड्री फोर्ज प्रा. लिमिटेड (पूर्व नाम - मेसर्स जोरावर स्पंज एंड इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड) प्लॉट नं.-1, सी.एस.आई.डी.सी. ग्रोथ सेंटर, फेज़-2, सिलतरा, जिला रायपुर	06-06-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	08-06-2022	निरंक	निरंक
		26-07-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
		02-11-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	03-11-2022	निरंक	1,37,500/- (क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है)
		24-11-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	
51.	मेसर्स गणपति इस्पात (प्रोप. गणपति स्पंज ऑयरन प्रा. लिमिटेड) सेक्टर 'सी', उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला रायपुर	09-06-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	09-06-2022	निरंक	1,03,125/- (क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है)
		20-06-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	
52.	मेसर्स एस. प्यारेलाल इस्पात प्रा. लिमिटेड प्लॉट नं. 96, 97, 143, 145, 148(पी), 159(पी), सेक्टर 'सी', उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला रायपुर	09-06-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	09-06-2022	निरंक	1,03,125/- (क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है)
		20-06-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	
53.	मेसर्स एस.के.एस इस्पात एंड पॉवर लिमिटेड ग्राम सिलतरा, जिला रायपुर	17-06-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	21-06-2022	निरंक	1,78,125/- (क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है)
		26-07-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	

65.	मेसर्स अक्कमल गावरी (स्टोन क्रशर) प.ह.नं.-73/14, खसरा नं.-856 (पार्ट), ग्राम-मंदिर हसीद, तह.-आरंग, जिला - रायपुर	25-01-2023	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	25-01-2023	निरंक	निरंक
		17-02-2023	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
66.	मेसर्स सतिंदर कौर प.ह.नं.-13, खसरा नं.-703, ग्राम-धनसुली, तह.-आरंग, जिला - रायपुर	27-01-2023	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	27-01-2023	निरंक	निरंक
		17-02-2023	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
67.	मेसर्स पंकज इस्पात लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र गोगांव, रायपुर	04-01-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया एवं अत्यधिक उत्सर्जन की स्थिति पाई गई। साथ ही पूर्व में वायु अधिनियम के तहत जारी नोटिस दिनांक 22.12.2020 के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही भी नहीं की गई।	निरंक	05-01-2021	निरंक
		11-01-2021	निर्देश के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
68.	मेसर्स सेंट्रल सीमेंट इण्डस्ट्रीज़ ग्राम सरोरा, तिल्दा, जिला रायपुर	11-01-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया एवं अत्यधिक उत्सर्जन की स्थिति पाई गई। साथ ही पूर्व में वायु अधिनियम के तहत जारी नोटिस दिनांक 14.12.2020 के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही भी नहीं की गई।	निरंक	11-01-2021	निरंक
		22-02-2021	निर्देश के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
69.	मेसर्स आर.बी. स्टील्स प्रा. लिमिटेड सरोरा, औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	14-01-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण पूर्ण दक्षता से संचालित नहीं पाया गया एवं अत्यधिक उत्सर्जन की स्थिति पाई गई। साथ ही पूर्व में वायु अधिनियम के तहत जारी नोटिस दिनांक 23.12.2020 के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही भी नहीं की गई।	निरंक	14-01-2021	निरंक
		23-01-2021	निर्देश के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
70.	मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड ग्राम टंडवा एवं कुंदरू, ब्लॉक तिल्दा, जिला रायपुर	13-05-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई। ठोस अपशिष्ट का अपवहन उचित ढंग से नहीं किया जाना पाया गया।	13-05-2021	निरंक	निरंक
		28-05-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
		16-01-2023	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	17-01-2023	निरंक	निरंक
		23-02-2023	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
71.	मेसर्स श्री बजरंग पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड ग्राम बोरझरा, उरला-गुमा रोड, जिला रायपुर	30-10-2021	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	03-11-2021	निरंक	निरंक
		22-11-2021	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
		09-11-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	11-11-2022	निरंक	2,40,000/- (क्षतिपूर्ति राशि जमा की गई है)
		25-11-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
		05-01-2023	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	05-01-2023	निरंक	निरंक
		01-02-2023	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया।	निरंक	01-02-2023	निरंक
		23-02-2023	निर्देश के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
72.	मेसर्स शांति इण्डस्ट्रीज़ प.ह.नं.-32, खसरा नं.-456/3, 457/2, 458/(1, 3), ग्राम गुमा, धरसीवा-1, तहसील एवं जिला रायपुर	26-04-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	29-04-2022	निरंक	निरंक
		11-05-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	निरंक	निरंक	निरंक
		25-11-2022	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/उपस्कर पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं पाया गया एवं फ्यूजिटिव उत्सर्जन की स्थिति पाई गई।	29-11-2022	निरंक	निरंक
		15-12-2022	नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/ समाधानकारक कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया। वर्तमान में उद्योग उत्पादनरत नहीं है।	निरंक	21-12-2022	निरंक

(डी.आर.सोन्दापर)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

परोशेष्ट - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 56 (क्र. 1719) की जानकारी

प्रपत्र

जनघोषणा पत्र 2018 की पूर्ण घोषणाओं की जानकारी:—

क्र.	जनघोषणा क्रं.	जनघोषणा का विवरण	
1	2	कृषि फसलों की निम्नलिखित दरों पर खरीदी सुनिश्चित की जाएगी— धान 2500 रूपए प्रति क्विंटल मक्का 1700 रूपए प्रति क्विंटल सोयाबीन 3880 रूपए प्रति क्विंटल गन्ना 355 रूपए प्रति क्विंटल चना 4875 रूपए प्रति क्विंटल (2019-20) रागी, कोदो, कुटकी जैसी जनजातीय फसलों का न्यूनतम मूल्य तय कर क्रय किया जाएगा।	(अ) धान 2500 रूपए प्रति क्विंटल मक्का 1700 रूपए प्रति क्विंटल सोयाबीन 3880 रूपए प्रति क्विंटल गन्ना 355 रूपए प्रति क्विंटल चना 4875 रूपए प्रति क्विंटल (2019-20) (ब) रागी, कोदो, कुटकी जैसी जनजातीय फसलों का न्यूनतम मूल्य तय कर क्रय किया जाएगा।
2	3	बिजली बिल आधा (हाफ) किया जाएगा।	
3	5	खाद्य सुरक्षा का अधिकार— प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल प्रतिमाह रूपए 1 की दर से। नियंत्रित दर पर तेल, दाल, नमक, चीनी और केरोसीन प्रदान किया जाएगा।	
4	6	स्वास्थ्य का अधिकार—छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को सर्वजन स्वास्थ्य योजना (यूनिवर्सल हेल्थ केयर) के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त इलाज की सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। यह सुविधा बाह्य रोगी और अस्पताल में भर्ती रोगियों, दोनों पर लागू होगी और इस योजना के तहत दवाईयां और जांच सुविधा भी निःशुल्क दी जाएगी। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी उच्चतर श्रेणी के चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे। आधुनिक चिकित्सा सेवाओं से युक्त अस्पताल बनाए जाएंगे।	
5	7	शिक्षा के अधिकार को पूर्व प्राथमिक (प्री. स्कूल) से कक्षा बारहवीं तक लागू किया जाएगा और छात्राओं के लिए नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।	शिक्षा के अधिकार को पूर्व प्राथमिक (प्री. स्कूल) से कक्षा बारहवीं तक लागू किया जाएगा और छात्राओं के लिए नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क

		आंगनबाड़ियों में बालवाड़ी प्री प्राइमरी स्कूल (नर्सरी) की शुरुआत की जाएगी।	शिक्षा प्रदान की जाएगी।
			आंगनबाड़ियों में बालवाड़ी प्री प्राइमरी स्कूल (नर्सरी) की शुरुआत की जाएगी।
6	9	वनाधिकार कानून का पालन-वन अधिकार अधिनियम पूर्णतः लागू किया जाएगा, वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनोपज एवं प्राकृतिक संसाधनों पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग को व्यक्तिगत अधिकार एवं ग्राम सभा को सामूहिक अधिकार दिए जाएंगे।	
7	10	राज्य में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगी, महिलाओं के संरक्षण के लिए कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को गंभिरता से लिया जाएगा एवं अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। प्रत्येक थाने में एक महिला सेल होगा और महिलाओं से संबंधित अपराधों की स्वतंत्र जांच की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों एवं यातायात के साधनों को महिलाओं के अनुकूल एवं सुरक्षित बनाया जाएगा।	
8	13	महिला स्व-सहायता समूहों का कर्ज माफ किया जाएगा तथा महिला स्व-सहायता समूहों को धोखाधड़ी से बचाने एवं आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सख्त नियम बनाए जाएंगे	
9	15	मनरेगा को कृषि कार्य खेती-बाड़ी, पशुपालन से जोड़कर खेती की लागत को कम किया जाएगा। मांग पर रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर कानून अनुसार भत्ता प्रदान किया जाएगा।	मनरेगा को कृषि कार्य खेती-बाड़ी, पशुपालन से जोड़कर खेती की लागत को कम किया जाएगा। मांग पर रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर कानून अनुसार भत्ता प्रदान किया जाएगा।
10	16	भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का सख्ती से पालन करते हुए अधिग्रहित की गई कृषि भूमि के लिए मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार दर से 4 गुना प्रदान किया जाएगा। इस अधिनियम के पारित होने के बाद अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा भी इसी दर पर प्रदान किया जाएगा।	
11	17	छत्तीसगढ़ की पहली जल संसाधन नीति लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत पेयजल एवं सिंचाई को प्राथमिकता दी जाएगी।	
12	20	लावारिस मवेशियों के लिए बाड़े एवं गौशालाएं बनाई जाएंगी ताकि किसानों की फसलों को नुकसान	लावारिस मवेशियों के लिए बाड़े एवं गौशालाएं बनाई जाएंगी ताकि किसानों की फसलों को

		से बचाया जा सके। अमूल मॉडल के अनुरूप प्रत्येक जिले में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की जाएगी।	नुकसान से बचाया जा सके। अमूल मॉडल के अनुरूप प्रत्येक जिले में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की जाएगी।
13	21	छत्तीसगढ़ में लोकपाल अधिनियम लागू किया जाएगा और मुख्यमंत्री, मंत्री एवं सभी अधिकारियों को इसके अधीन लाया जाएगा।	
14	26	तेंदूपत्ता 4000 रूपए प्रति मानक बोरे की दर से खरीदा जाएगा। 75 में से 50 प्रमुख वनोपज उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले वर्ष बढ़ाया जाएगा और वार्षिक समीक्षा की जाएगी।	
15	29	दिव्यांगों के जनप्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए इस वर्ग से निर्वाचित न हो पाने पर एक महिला व एक पुरुष दिव्यांग को पंचायतों व नगरीय निकायों में मनोनित किया जाएगा।	
16	32	चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा वापस होगा एवं चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।	
17	34	शहरी क्षेत्रों में कचरे के निपटारों एवं रिसाइक्लिंग हेतु एसएलआरएम कार्यक्रम को मजबूत किया जाएगा।	
18	35	छत्तीसगढ़ के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ घर तक पहुंचा कर दिया जाएगा।	
19	36	तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मचारियों के आवास एवं बच्चों की शिक्षा हेतु पुलिस कल्याण कोष को शासकीय अनुदान समय-समय पर प्रदान कर सशक्त किया जाएगा।	


 अनुभाग अधिकारी
 सामान्य प्रशासन विभाग
 कंत्रालय, अटल नगर,
 नवा रायपुर (छ.ग.)

जनघोषणा पत्र 2018 की अपूर्ण घोषणाओं की जानकारी:—

क्र.	जनघोषणा क्रं.	जनघोषणा का विवरण		रिमार्क
1	1	सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। किसानों को दो वर्ष के धान का बकाया बोनस भुगतान किया जाएगा।	(अ) सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। (ब) किसानों को दो वर्ष के धान का बकाया बोनस भुगतान किया जाएगा।	भाग (अ) पूर्ण है
2	4	घर-घर रोजगार, हर घर रोजगार-छत्तीसगढ़ के युवाओं को राजीव मित्र योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा। इसके अन्तर्गत 10 लाख बेरोजगार युवाओं को सामुदायिक विकास और समाज सेवी गतिविधियों में भाग लेने पर प्रति माह न्यूनतम राशि 2500 रूपए प्रदान किया जाएगा।		—
3	8	ग्रामीण और शहरी आवास का अधिकार-सरकार आने के एक वर्ष के भीतर होमस्टेड अधिनियम लाया जाएगा, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को घर एवं बाड़ी हेतु भूमि प्रदान की जाएगी। शहरी क्षेत्र में आवासहीन परिवारों को 2 कमरों का मकान प्रदान किया जाएगा। भूमिहीन कब्जाधारी परिवारों को नियत अवधि में पट्टा प्रदान किया जाएगा।	(अ) ग्रामीण और शहरी आवास का अधिकार-सरकार आने के एक वर्ष के भीतर होमस्टेड अधिनियम लाया जाएगा, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन 5 सदस्यीय परिवार को घर एवं बाड़ी हेतु भूमि प्रदान की जाएगी। (ब) शहरी क्षेत्र में आवासहीन परिवारों को 2 कमरों का मकान प्रदान किया जाएगा। (स) भूमिहीन कब्जाधारी परिवारों को नियत अवधि में पट्टा प्रदान किया जाएगा।	भाग (अ) एवं (ब) पूर्ण है
4	11	समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किया जाएगा। अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रिक्त पदों पर नियमितिकरण की कार्यवाही की जाएगी एवं किसी की भी छंटनी नहीं की	(अ) समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग शासकीय कर्मचारियों के लिए क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं चार स्तरीय उच्चतर वेतनमान लागू किया जाएगा। (ब) अनियमित, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को रिक्त पदों पर नियमितिकरण की कार्यवाही की जाएगी एवं किसी की भी छंटनी नहीं की जाएगी।	भाग (स) पूर्ण है

		जाएगी। शिक्षाकर्मियों को 2 वर्ष पूर्ण करने पर नियमितिकरण की कार्यवाही की जाएगी।	(स) शिक्षाकर्मियों को 2 वर्ष पूर्ण करने पर नियमितिकरण की कार्यवाही की जाएगी।	
5	12	सर्व वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1000 रूपए प्रतिमाह एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1500 रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान किया जाएगा। सर्व विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सभी विधवा महिलाओं को 1000 रूपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।		आंशिक पूर्ण
6	14	राज्य में शराब की बिक्री पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा। बस्तर, सरगुजा जैसे अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा को शराबबंदी का अधिकार होगा।		—
7	18	लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर 5 वर्षों में सिंचित क्षेत्र को दोगुना किया जाएगा। सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुरानी बकाया राशि माफ की जाएगी।	(अ) लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर 5 वर्षों में सिंचित क्षेत्र को दोगुना किया जाएगा। (ब) सिंचाई शुल्क को समाप्त (स) पुरानी बकाया राशि माफ की जाएगी।	भाग (स) पूर्ण है
8	19	प्रदेश में 200 फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे और प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक फूड पार्क स्थापित किया जाएगा।		—
9	22	नक्सल समस्या के समाधान के लिए नीति तैयार की जाएगी और वार्ता शुरू करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायत को सामुदायिक विकास के लिए एक करोड़ रूपए दिए जाएंगे, जिससे कि विकास के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा में जोड़ा जा सके।	(अ) नक्सल समस्या के समाधान के लिए नीति तैयार की जाएगी और वार्ता शुरू करने के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास किए जाएंगे। (ब) प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायत को सामुदायिक विकास के लिए एक करोड़ रूपए दिए जाएंगे, जिससे कि विकास के माध्यम से उन्हें मुख्यधारा में जोड़ा जा सके।	भाग (अ) पूर्ण है
10	23	राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाए जाएंगे।		—
11	24	ऐसे सभी गांवों और पारा, टोला, जो किसी अन्य मौजूदा योजना में शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें ग्राम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा।		—

12	25	छत्तीसगढ़ में लेमरू कोरबा, जैसे वन क्षेत्रों में हाथी और अन्य वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए जाएंगे और मानव, हाथी के संघर्षों को कम करने के लिए जंगलों को वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा।	---
13	27	प्राकृतिक संसाधनों को आगामी पीढ़ी के लिए सुरक्षित करने के लिए इंटरजेनरेशन इंक्विटी के सिद्धांतों के आधार पर नीति बनाई जाएगी। इसके लिए वैज्ञानिक आयोग की स्थापना की जाएगी, जिसमें अर्थशास्त्री और समाजसेवी संगठन भी सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे।	---
14	28	छत्तीसगढ़ में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके, रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें और उन पर्यटन स्थलों को सुगम बनाया जा सके, इस मास्टर प्लान के अंतर्गत 3 वर्ष के भीतर इन पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा एवं पर्यटन को उद्योग को स्वरूप दिया जाएगा।	आंशिक पूर्ण
15	30	राज्य सरकार की नौकरियों में आउटसोर्सिंग पूर्णतः समाप्त कर दी जाएगी। सभी शासकीय विभागों के एक लाख रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा।	---
16	31	प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में जाने वाले सभी छात्र-छात्रा दोनों को मुफ्त साइकिले दी जाएगी। कॉलेज एवं स्कूली छात्र-छात्राओं को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा दी जाएगी।	---
17	33	संपत्तिकर को शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तक कम किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा।	---


अनुपाय अधिकारी
 सामान्य प्रशासन विभाग
 मंत्रालय, अटल नगर,
 नवा रायपुर (छ.ग.)

परोक्ष - छप्पन

अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 1720) की जानकारी

प्रपत्र-अ

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण (बाजार उधार)			राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण		केन्द्र सरकार के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट ऋण/ विश्व बैंक से ऋण/ जीएसटी ऋण/ अन्य ऋण	
माह	राशि	ब्याज दर	राशि	ब्याज दर	राशि	ब्याज दर
दिसंबर-2018	-	-	202.24	5.25	156.76	Libor Rate
जनवरी-2019	1,500.00	7.64	10.55	5.25	0.10	
	2,000.00	7.94				
फरवरी-2019	1,000.00	8.14	41.19	5.00	8.03	
	1,000.00	7.93				
	1,000.00	8.18				
मार्च-2019	750.00	7.48	303.02	5.00	-	
	750.00	7.43				
	500.00	7.68				
	700.00	8.04				
	700.00	7.57				
	500.00	7.69				
योग-	10400.00		557.00		164.89	
अप्रैल-2019	निरंक		निरंक		56.92	उपरोक्तानुसार
मई-2019	निरंक		निरंक		-	
जून-2019	निरंक		निरंक		0.59	
जुलाई-2019	निरंक		17.97	4.50	28.08	
अगस्त-2019	1000.00	7.03	29.65	4.15	20.04	
सितंबर-2019	1000.00	7.28	45.91	4.15	3.61	
अक्टूबर-2019	निरंक		19.30	3.90	2.98	
नवंबर-2019	निरंक		89.91	3.90	13.57	
दिसंबर-2019	2000.00	7.18	104.79	3.90	107.35	
जनवरी-2020	1000.00	7.17	69.84	3.90	-	
	1000.00	7.18				
फरवरी-2020	निरंक		322.70	3.90	-	
मार्च-2020	1000.00	7.08	151.32	3.90	46.04	
	1000.00	7.11				
	1000.00	7.59				
	2680.00	7.35				
योग-	11680.00		969.68		279.18	
अप्रैल-2020	निरंक		निरंक		0.98	उपरोक्तानुसार
मई-2020	निरंक		निरंक		-	
जून-2020	निरंक		57.22	2.75	2.03	
जुलाई-2020	निरंक		38.98	2.75	77.60	
अगस्त-2020	1300.00	5.40	50.31	2.75	-	
सितंबर-2020	700.00	5.09	22.44	2.75	21.61	
अक्टूबर-2020	1000.00	5.94	34.44	2.75	-	
	1000.00	5.38				

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण (बाजार उधार)			राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण		केन्द्र सरकार के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट ऋण/ विश्व बैंक से ऋण/ जीएसटी ऋण/ अन्य ऋण	
माह	राशि	ब्याज दर	राशि	ब्याज दर	राशि	ब्याज दर
नवंबर-2020	1000.00	5.35	112.95	2.75	* 143.00	
	1000.00	5.32				
दिसंबर-2020	1000.00	5.93	71.21	2.75	715.73	
	1000.00	5.88				
जनवरी-2021	1000.00	5.97	80.21	2.75	677.04	
	1000.00	6.10				
फरवरी-2021	1000.00	7.08	116.14	2.75	789.67	
मार्च-2021	1000.00	7.06	350.96	2.75	1,049.65	
	1000.00	6.94			* 143.00	
योग-	13000.00		934.85		3,620.31	
अप्रैल-2021	निरंक		निरंक		59.65	उपरोक्तानुसार
जून-2021	निरंक		निरंक		10.64	
जुलाई-2021	1000.00	6.82	निरंक		2,444.28	
अगस्त-2021	1000.00	6.53	115.60	2.75	* 141.00	
सितम्बर-2021	1000.00	6.59	26.62	2.75	65.32	
अक्टूबर-2021	1000.00	6.62	100.21	2.75	2,624.94	
नवम्बर-2021	निरंक		1.77	2.75	* 141.00	
दिसम्बर-2021	निरंक		125.58	2.75	49.45	
जनवरी-2022	निरंक		निरंक		2.64	
फरवरी-2022	निरंक		43.00	2.75	* 213.27	
मार्च-2022	निरंक		691.49	2.75	24.30	
योग-	4,000.00		1104.27		5,776.50	
अप्रैल- 2022	निरंक		निरंक		91.54	उपरोक्तानुसार
मई- 2022	निरंक		निरंक		133.99	
जून-2022	निरंक		13.45	3.65	25.95	
जुलाई-2022	निरंक		-		83.12	
अगस्त-2022	निरंक		35.24	4.15	52.36	
सितम्बर-2022	निरंक		44.07	4.15	21.13	
अक्टूबर-2022	निरंक		8.72	4.65	* 921.89	
नवम्बर-2022	निरंक		162.36	4.65	* 357.18	
दिसम्बर-2022	निरंक		146.78	5.00	* 201.58	
जनवरी 2023	निरंक		9.39	5.00	54.55	
फरवरी 2023	निरंक		151.31	5.00	* 53.81	
			25.92	5.25		
योग-	-		597.24		1,997.10	
अवधि का योग-	39,080.00		4163.03		11,837.98	
महायोग:-	55,081.00					

* उक्त ऋणों में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत व्यय/निवेश हेतु विशेष सहायता योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा वर्ष 2022-23 (फरवरी, 2023 तक) में प्रदत्त ऋण राशि क्रमशः 286 करोड़ रुपये, 423 करोड़ रुपये तथा 1382 करोड़ भी शामिल हैं। केन्द्र सरकार द्वारा योजनातर्गत 50 वर्षों के लिये ब्याजमुक्त ऋण प्रदान किया गया है। यह ऋण विमुक्ति के 50 वर्षों बाद एकमुश्त चुकाया जाना है।

प्रपत्र-ब

(राशि करोड़ में)

ऋण के स्रोत/ संस्था का नाम	1 दिसंबर 2018 से मार्च 2019 तक	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (फरवरी 2023 तक)
बाजार से ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से) का ब्याज	863	3,335	4,103	4,697	3,804
राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण का ब्याज	60	288	226	200	140
केन्द्र सरकार के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट ऋण/ विश्व बैंक से ऋण/ जीएसटी ऋण/ अन्य ऋणों का ब्याज	41	142	119	86	126
अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋणों का ब्याज	808	1,206	1,185	1,160	767
योग-	1,772	4,970	5,633	6,144	4,837
महायोग-	23,356				

परिशेष - सनतावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 58 (क्र. 1733) की जानकारी

प्रश्न संख्या

राशि रू. में

क्रमांक	वनमण्डल का नाम	हाथी द्वारा जनहानि प्रकरण संख्या	मुआवजा भुगतान राशि
1	2	3	4
वर्ष 2020-21			
1	सूरजपुर	12	72,00,000
2	जशपुर	16	96,00,000
3	एलीफेंट रिजर्व सरगुजा	1	0
4	धरमजयगढ़	14	84,00,000
5	रायगढ़	3	18,00,000
6	कटघोरा	9	54,00,000
7	कोरबा	1	6,00,000
8	गरियाबंद	4	24,00,000
9	महासमुन्द	3	18,00,000
10	बलौदा बाजार	1	6,00,000
11	बालोद	1	6,00,000
योग:-		65	3,84,00,000
वर्ष 2021-22			
1	सरगुजा	7	36,25,000
2	सूरजपुर	11	66,00,000
3	बलरामपुर	3	18,00,000
4	जशपुर	10	60,00,000
5	गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान	1	6,00,000
6	एलीफेंट रिजर्व सरगुजा	1	12,00,000
7	धरमजयगढ़	10	60,00,000
8	रायगढ़	1	6,00,000
9	कटघोरा	3	18,00,000
10	कोरबा	1	6,00,000
11	मरवाही	1	6,00,000

12	महासमुन्द	9	54,00,000
13	बलौदा बाजार	2	12,00,000
14	धमतरी	2	12,00,000
15	उ.सी.टा.रि., गरियाबंद	1	6,00,000
16	बालोद	2	12,00,000
योग:-		65	3,90,25,000
वर्ष 2022-23 (माह फरवरी की स्थिति में)			
1	सरगुजा	7	42,00,000
2	सूरजपुर	7	42,00,000
3	बलरामपुर	2	12,00,000
4	मनेन्द्रगढ़	2	12,00,000
5	जशपुर	15	90,00,000
6	धरमजयगढ़	3	18,00,000
7	रायगढ़	3	12,25,000
8	कटघोरा	6	36,00,000
9	मरवाही	4	24,00,000
10	जांजगीर चांपा	2	12,00,000
11	एटीआर	1	6,00,000
12	गरियाबंद	2	12,00,000
13	बलौदा बाजार	1	6,00,000
14	धमतरी	5	30,00,000
15	उ.सी.टा.रि., गरियाबंद	5	30,00,000
16	बालोद	2	12,00,000
17	राजनांदगांव	2	12,00,000
योग:-		69	4,08,25,000
महायोग :-		199	11,82,50,000

- टीप :-
1. एलीफेन्ट रिजर्व सरगुजा में वर्ष 2020-21 में 01 जनहानि की घटना मार्च 2021 के अंतिम सप्ताह में हुई थी जिसका मुआवजा भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर दिया गया है।
 2. सरगुजा वनमण्डल में वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनहानि के 01 प्रकरण में तत्कालिक सहायता राशि रू. 25000/- का भुगतान किया गया है। शेष राशि रू. 575000/- का भुगतान उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र हेतु माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
 3. रायगढ़ वनमण्डल में वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनहानि के 01 प्रकरण में तत्कालिक सहायता राशि रू. 25000/- का भुगतान किया गया है। शेष राशि रू. 575000/- का भुगतान उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र हेतु माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन)
छ.ग., नवा रायपुर, अटल नगर,

१६५५७-६१

मानव-हाथी के संघर्षों को कम करने के लिये शासन द्वारा किये जा रहे

प्रयास

शासन द्वारा मानव-हाथी द्वंद कम करने के प्रयासों के तहत निम्नानुसार प्रयास किये जा रहे हैं:-

जंगली हाथी शहर की ओर न आये इस हेतु वनमंडलों के अंतर्गत उनके रहवास क्षेत्रों में जल एवं चारा की उपलब्धता हेतु रहवास विकास कार्य कराये जा रहे हैं। इसके तहत घने वनों में बड़े-बड़े तालाब एवं स्टॉप डेम का निर्माण कराया गया है, चारागाह क्षेत्र विकसित किये गये हैं। हाथी गांव की ओर न आ पाये इसके लिए आवश्यकतानुसार चलित हाथी विकर्षण बेरिकेड लगाया जाता है। ये विकर्षण बेरिकेड सोलर फेंसिंग की तरह ही होते हैं जिसमें 12 वोल्ट की एक बैटरी एनरजाइजर एवं फ्लैशर होता है। वन प्रबंधन समितियों की समय-समय पर बैठक लेकर उन्हें वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु जागरूक किया जाता है। वन प्रबंधन समिति सदस्यों को हाथी सचेतक नियुक्त किया गया है। ये सचेतक गांव के आसपास जंगल में हाथी आने पर ग्रामीणों को इसकी सूचना देते हैं तथा घर-घर जाकर यह समझाईश देते हैं कि यदि कोई जंगल गया हो तो उसको वापिस बुला लें। गांव-गांव में माईक से प्रचार-प्रसार किया जाकर ग्रामीणों को अलर्ट करने का कार्य, हाथियों से सुरक्षा हेतु "क्या करें-क्या न करें" के पांपलेट का वितरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों को जागरूक किया जाता है कि महुआ शराब का भंडारण करके न रखें, इससे हाथी आकर्षित होते हैं। फसलों को भण्डारण हेतु पक्के मकानों में रखने हेतु जागरूक एवं सहयोग किया जाता है। जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर वनक्षेत्रों के नजदीक के ग्रामों के कृषकों की धान खरीदी को प्राथमिकता देते हुए त्वरित खरीदी की जाती है। इनके अतिरिक्त निम्न कार्य किये जाते हैं :-

1. समस्त वनमण्डलाधिकारी को विशेष रूप से सतर्क रहकर हाथी सुरक्षा, अवैध तार हूकिंग को हटाने तथा हाथी सुरक्षा हेतु समुचित उपाय करने के निर्देश जारी किये गए हैं।
2. हाथियों से जानमाल की सुरक्षा हेतु प्रदेश में विभिन्न हाथी प्रभावित वनमंडलों में 53 हाथी मित्र दल सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। ये विभिन्न परिस्थितियों में ग्रामीणों को हाथियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिये प्रशिक्षित हैं। हाथी मित्र दल द्वारा रात-दिन वनों का सतत् भ्रमण करते हुए हाथियों की गतिविधियों की मॉनिटरिंग की जाती है एवं ग्राम/शहर से लगे क्षेत्रों में हाथियों की मौजूदगी होने पर तत्काल सूचना विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्रामीणों को दी जाती है। हाथी विचरण क्षेत्र के आसपास समीपवर्ती लगभग 5 किलोमीटर के गांवों में मुनादी करायी जाती है।
3. प्रतिदिन हाथियों के विचरण की वनमंडलवार जानकारी एकत्रित कर बुलेटिन तैयार की जाती है तथा आकाशवाणी के माध्यम से प्रतिदिन सायं 5:00 बजे "हमर हाथी, हमर गोठ" कार्यक्रम का प्रसारण कर हाथियों की उपस्थिति की जानकारी लोगों तक पहुंचायी जाती है।
4. वर्तमान में इंटरनेट बैस्ड मोबाईल एप्प सिस्टम "सजग" साफ्टवेयर विकसित किया गया है। सजग एप्प के अंतर्गत गांव में सायरन अलर्ट सिस्टम लगाये गये हैं। गांव के निकट हाथी आने पर मोबाईल "सजग" एप्प के माध्यम से सायरन बजने लगता है एवं ग्रामीणों को हाथी की आने की सूचना प्राप्त हो जाती है। यह Alert System वर्तमान में हाथी प्रभावित लगभग 81 ग्रामों में लगा है जिसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इसका अपडेटेड वर्शन भविष्य में लाने की योजना है जिसमें हाथियों की लोकेशन की मैपिंग भी होगी।

5. विभाग द्वारा Elephant Tracking Portal विकसित किया गया है। हाथियों की विचरण की लोकेशन को निरंतर ट्रैक कर जी.आई.एस. पद्धति से Elephant Tracking Portal पर अद्यतन किया जाता है जिससे हाथी रहवास क्षेत्रों के विकास कार्यों संबंधी निर्णय लेने में मदद मिल सके जैसे कि- तालाब निर्माण का स्थल चयन, मिश्रित वृक्षारोपण का स्थल चयन। इसके अतिरिक्त नक्शे के माध्यम से हाथियों के संभावित विचरण क्षेत्र/रूट का अनुमान भी लगाया जा सकता है और Early Warning Alert दिया जा सकता है।
6. प्रदेश के 09 वनमंडलों में माह फरवरी 2023 से आज तक लगातार इलेक्ट्रोक्वैशन से हाथियों एवं अन्य वन्यप्राणियों की सुरक्षा हेतु 04 निजी संस्थाओं Global Joy Foundation Durg, Nova Nature Welfare Society Raipur, NAV-UTTHAN Institution Ambikapur, Conservation Core Society को एन्टी स्नेयर वॉक कार्य में संलग्न किया गया है। इस कार्य में संस्था के सदस्य वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ हाथियों एवं अन्य वन्यप्राणियों के विचरण क्षेत्र में भ्रमण कर विद्युत करेंट से हुकिंग करने के प्रयास निष्फल करते हैं। विद्युत के खुले, लटकते वायर को विद्युत विभाग के सहयोग से ठीक कराया जाता है।
7. जनवरी 2019 से वनमंडलों को हाथियों एवं वन्यजीवों से सुरक्षा हेतु उपकरणों से लैस गजराज वाहन प्रदाय किये गये हैं। प्रदेश में विभिन्न वनमंडलों में कुल 14 गजराज वाहन प्रदाय किये गये हैं। हाथी की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त होने पर इन वाहनों से कर्मचारी तुरंत हाथी विचरण क्षेत्र की ओर जाकर लोगों को हाथी से दूर रहने सचेत करते हैं तथा ग्रामीणों को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाते हैं।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार हाथियों की सुरक्षा हेतु जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष (कलेक्टर) की अध्यक्षता में राजस्व, पुलिस, विद्युत एवं वन विभाग की समिति गठित की गयी है। यह समिति समय-समय पर बैठक आयोजित कर विद्युत दुर्घटनाओं से हाथियों की सुरक्षा हेतु चर्चा करती है एवं आवश्यक कार्यवाही करती है। वन विभाग एवं विद्युत विभाग की संयुक्त समिति विद्युत लाईनों का सर्वे कर उन्हें मानक ऊंचाई पर रखने, अवैध कनेक्शन एवं हुकिंग को रोकने हेतु कार्यवाही करती है। आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को समझाईश देने का कार्य करती है। माह जनवरी फरवरी 2023 में कई जिलों में यह बैठक हुई है।
9. हाथी राहत एवं पुर्नवास केन्द्र पिंगला में 05 कुम्की हाथियों को रखा गया है जिनका उपयोग ट्रैकिंग कार्य करने, वन एवं वन्यप्राणियों की निगरानी, जान-माल की बचाव कार्य इत्यादि में किया जाता है।

इससे मानव-हाथी द्वंद कम करने में शासन को आशातीत सफलता निम्नानुसार प्राप्त हुई है:-

1. हाथी बड़े-बड़े दलों में राज्य में 5-6 वनक्षेत्रों में स्थायी रूप से ठहरने लगे हैं जैसे- तमोर पिंगला अभ्यारण्य, बाकारूमा, छाल, बोरो, धरमजयगढ़-समस्त धरमजयगढ़ वनमण्डल, बालको क्षेत्र-कोरबा वनमण्डल, कैदई, पासान, एतमानगर-समस्त कटघोरा वनमण्डल, घरघोड़ा-रायगढ़ वनमण्डल, उदंती सीतानदी अभ्यारण्य। इससे जनहानि, जनघायल, फसलहानि, मकानक्षति घटनाओं में बहुत अधिक कमी आई है।
2. मानव-हाथी आपसी सामंजस्य की भावना से साथ रहने लगे हैं एवं एक-दूसरे के प्रति आक्रमकता की भावना में कमी आई है।
3. इक्का-दुक्का हाथी जो दल से बिछड़े हुये हैं वे नये क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं वहां मानव-हाथी के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.)
छ.ग., अटल नगर, नवा रायपुर

परिशिष्ट - अनठावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 59 (क्र. 1734) की जानकारी

प्रपत्र

(राशि करोड़ में)

ऋण के स्रोत/ संस्था का नाम	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23 (जनवरी 2023 तक)
बाजार से ऋण (भारतीय रिजर्व बैंक से) का ब्याज	3334.55	4103.15	4697.32	3329.80
राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से ऋण का ब्याज	288.30	225.89	200.48	140.28
केन्द्र सरकार के माध्यम से एशियन डेवलपमेंट ऋण/ विश्व बैंक से ऋण/ जीएसटी ऋण/ अन्य ऋणों का ब्याज	141.54	118.84	86.09	65.33
अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋणों का ब्याज	1205.94	1185.22	1160.35	697.59
योग-	4970.34	5633.11	6144.24	4233.00